"बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में - एक आलोचनात्मक अध्ययन"

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से
विधि संकाय के अन्तर्गत
पीएच.डी. उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध

वर्ष 2018–19

निर्देशक

डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन
प्राचार्य,
श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर
विधि महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)

सह निर्देशक

डॉ. एस.एन. शर्मा
प्राचार्य,
शासकीय विधि महाविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

शोध अध्येता

कमलेश मौर्य

अध्ययन केन्द्र- शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म०प्र०)

“बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में - एक आलोचनात्मक अध्ययन“

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से
विधि संकाय के अन्तर्गत
पीएच.डी. उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध

वर्ष 2018–19

निर्देशक

डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन
प्राचार्य,
श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर
विधि महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)

सह निर्देशक

डॉ. एस.एन. शर्मा
प्राचार्य,
शासकीय विधि महाविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

शोध अध्येता

कमलेश मौर्य

अध्ययन केन्द्र- शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म०प्र०)

DECLARATION BY THE CANDIDATE

(Para-26(b))

I declare that the thesis entitled **"बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के संदर्भ में - एक आलोचनात्मक अध्ययन"** is my own work conducted under the supervision of **Dr. Narendra Kumar Jain**, Principal, Shri Jawaharlal Nehru P.G. Law College, Mandsaur (Supervisor) and **Dr. S.N. Sharma**, Principal, Govt. Law College, Ujjain (Co-Supervisor) at Govt. Law College, Ujjain (M.P.) approved by Research Degree Committee. I have put in more than 200 days of attendance in the institution concerned or with the supervisor.

I further declare that to the best of my knowledge the thesis does not contain any part of any work which has been submitted for the award degree either in this University or in any other University/Deemed University without proper citation.

Signature of the Supervisor **Singnature of the Candidate**

Dr. Narendra Kumar Jain
Principal
Shri Jawaharlal Nehru P.G.
Law College, Mandsaur (M.P.)

Kamlesh Moury

Signature of Head UTD/Principal

CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR

(Para 26 (c))

This is to certify that work entitled “बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के संदर्भ में - एक आलोचनात्मक अध्ययन“ is a piece of research work done by **Mr. Kamlesh Moury** under my guidance and supervision for the Degree of Doctor of Philosophy of Vikram University, Ujjain (M.P.), India; the candidate has put in an attendance of more than 200 days with me.

To the best of my knowledge and belief the thesis :

1. Embodies the work of the candidate herself.
2. Has duly been completed.
3. Fulfils the requirements of the ordinance relating to the Ph.D. degree of the university.
4. In up to the standard both in respect of contents and language for being referred to the examiner.

Signature of Co-Supervisor **Signature of Supervisor**

(Dr. S.N. Sharma) **(Dr. N.K. Jain)**

Forwarded ……………

Signature of Head UTD/Principal

प्राक्कथन

नर एवं नारी सृष्टि निर्माता, एक–दूसरे के पूरक तथा मानव समाज के आधार हैं। जिसमें नारी की भूमिका, नर की तुलना में अग्रणी एवं नर से काफी अधिक अहम् तथा महत्वपूर्ण है, इसी कारण विद्वान मनीषियों में नारी को 'परिवार की धुरी', संचालनकर्ता तथा संस्कारों की जननी स्वीकार किया है। 'अपराध' यद्यपि सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो आदिकाल से समाज में व्याप्त चली आ रही है, किन्तु पिछले कुछ दशकों से नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा, या फिर यूँ कहें कि नारी के विरूद्ध हिंसात्मक अपराधों की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है जो विधिवेत्ताओं, समाज वैज्ञानिकों एवं नीति–निर्धारकों के लिए गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। पुरूषों ने नारी को सुख व सुरक्षा प्रदान करने के बदले उसे तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है; यहाँ तक कि उसके साथ क्रूर तथा अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है, जो कि सामाजिक व विधिक नियमों का खुला उल्लंघन है। वस्तुतः नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देना, उसके साथ मारपीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करना व उसे हर प्रकार से उत्पीड़ित करते हुए बलिवेदी पर चढ़ा देना आदि निश्चित रूप से घोर निन्दनीय व्यवहार है।

नारी के प्रति शारीरिक एवं मानसिक हिंसात्मक अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं, जिनका समाज में प्रभाव भी परिलक्षित हुआ है, किन्तु विकास के साथ–साथ कई नई–नई प्रवृत्तियाँ भी जन्म लेती हैं और यही अपराध के क्षेत्र में भी हुआ है। व आज भी निरन्तर किये जा रहे हैं।

भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् नारियों के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में विधि का विकास निरन्तर होता रहा है। विधि के विकास एवं उसे निरन्तर प्रभावी बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में दी जाने वाली व्यवस्थाएँ, विचार एवं प्रेक्षण तो

महत्वपूर्ण होते ही हैं, साथ ही समय–समय पर घटित होने वाले आपराधिक मामलों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन एवं विश्लेषण भी आवश्यक होता है ताकि जो वास्तविक अपराधी हैं उन्हें विधिक प्रावधानों की किसी कमी का लाभ न मिल सके। यदि ऐसे अध्ययन के आधार पर विधि का विकास होता है तो निश्चित रूप से ऐसी विधि प्रभावी विधि होती है और विधि के प्रभावी होने के कारण निरन्तर अपराधियों को सजा मिलती है तो निश्चित रूप से यह स्थिति अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में अनुकूल होगी।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा अपना यह शोध प्रबंध ''बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के संदर्भ में – एक आलोचनात्मक अध्ययन'' शीर्षक से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो महिलाओं के प्रति होने वाले सर्वाधिक घिनौने अपराध 'बलात्कार' के संबंध में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 का आलोचनात्मक अध्ययन है।

आशा करता हूँ मेरा यह छोटा सा प्रयास विधि के विकास में उपयोगी सिद्ध होगा।

(कमलेश मौर्य)
शोध अध्येता

आभार-पुष्प

गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णु, गुरू देवो महेश्वरः।
गुरू साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरूवे नमः ।।

शोध कार्य एक गुढ़–गहन, जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह कार्य प्रशिक्षित, अनुभवी, समर्पित एवं कर्मठ निर्देशकों के मार्गदर्शन से सरल, रोचक एवं निरन्तरता बनाये रखने वाला होता है। वास्तव में प्रेरणा के अभाव में उत्साह का लोप हो जाता है और सहयोग के बिना मनुष्य विपत्तियों का सामना नहीं कर पाता है। अतः किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इन दोनों का होना आवश्यक होता है। संकट के समय साथ देने वाला व्यक्ति ही परम् हितैषी होता है। उसके द्वारा किये गये सहयोग का न तो मूल्य चुकाया जा सकता है और न ही शब्दों के द्वारा कृतज्ञता व्यक्त कर उसका महत्व कम किया जा सकता है। वैसे भी कृतज्ञता व धन्यवाद शब्दों का प्रयोग करके उपकार के गुणों को चुकाया नहीं जा सकता, किन्तु परम्परागत औपचारिकताओं का निर्वाह करना भी आवश्यक हो जाता है।

शोध प्रबन्ध की पूर्णता पर मेरे मानस पटल पर वे व्यक्तित्व बार–बार अंकित हो रहे हैं जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध को इस सोपान तक पहुँचाने एवं साकार रूप प्रदान करने में मुझे अपना अमूल्य सहयोग दिया है।

इस शोध कार्य को साकार रूप देने के लिए सर्वप्रथम मैं अपने शोध निर्देशक श्रद्धेय **डॉ. श्री नरेन्द्र कुमार जैन**, प्राचार्य, श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मन्दसौर, सह निर्देशक श्रद्धेय **डॉ. श्री एस.एन. शर्मा**, प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) एवं आदरणीय **डॉ. अरूणा सेठी**, विभागाध्यक्ष, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन के प्रति नतमस्तक हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन व सहयोग के परिणामस्वरूप ही यह शोध कार्य पूर्ण हुआ है। आपके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

इस शोध कार्य के लिए मैं **डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा** डी.लिट्, पूर्व प्राचार्य, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर के प्रति नतमस्तक हूँ

जिनके द्वारा प्रदान किये गए संबल एवं अतुलनीय सहयोग से यह शोध कार्य पूर्ण हुआ है। आपके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन के समस्त अतिथि विद्वानों श्री सुनील कोल्हारे, श्री संतोष पाटीदार, श्री नवीन कोरट, डॉ. रश्मि शर्मा, डॉ. नरेन्द्र शर्मा, डॉ. जयप्रकाश सारवान एवं श्री विनोद चौरसिया एवं श्रीमती संगीता मसानी का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने शोध कार्य के दौरान एवं विशेषकर प्री–सबमिशन के समय अपने अनुभव का लाभ मुझे प्रदान किया एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

शोध विषय के अकादमिक सहयोग के लिए शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन के श्री सरजन पाल, श्री राकेश नागर एवं श्री कल्याणी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा कर्त्तव्य है। मैं विश्वविद्यालय के पीएच.डी. विभाग के श्री कमल बंगरिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय–समय पर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इस शोध कार्य के दौरान श्री जवाहरलाल नेहरू विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर के स्टॉफ द्वारा भी मुझे आत्मीय सहयोग प्रदान किया गया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं आभारी हूँ अपनी माता श्रीमती श्यामकली बाई एवं पिता श्री नतिराम मौर्य का जिन्होंने सदैव मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आशीर्वाद दिया, उससे मैं ऊऋण नहीं होना चाहूँगा।

मैं अपनी पत्नि पुष्पलता, पुत्र/पुत्री शैलम् एवं शैजल मौर्य के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपने हिस्से का अमूल्य समय मुझे इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रदान किया एवं अन्य दायित्वों से मुक्त रखा। साथ ही मैं अपने भाई–बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस शोध कार्य के दौरान महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

मेरे मित्रों डॉ. वीर नारायण, भगतसिंह ठाकुर, दीपक सनोड़िया, राकेश चैरासे, श्रीमती सरिता डेहरिया जी, मनीषा यादव, डॉ. अकीला नागौरी एवं जयेन्द्र द्विवेदी

का भी मेरे इस शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

शोध कार्य के महत्वपूर्ण पक्ष समंकों के एकत्रण हेतु जिन महिलाओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों आदि द्वारा मुझे अमूल्य सहयोग प्रदान किया गया, उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं आभारी हूँ श्रीमती जागृति सेठिया, श्रुति कम्प्यूटर्स, मन्दसौर का, जिन्होंने सुन्दर एवं स्वच्छ टंकण कार्य कर तालिकाओं एवं रेखाचित्रों आदि का कुशल संयोजन कर इस शोध प्रबंध को पूर्णता प्रदान की।

अंत में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शोध कार्य की पूर्णता में तनिक भी सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सभी महानुभाव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

(कमलेश मौर्य)
शोध अध्येता

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय : प्रस्तावना 1.1 समस्या का चुनाव 1.2 पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण 1.3 शोध कार्य के उद्देश्य 1.4 शोध विधि 1.5 परिकल्पना 1.6 शोध प्रक्रिया 1.7 शोध उपकरण 1.8 शोध सीमाएँ	*001-009*
द्वितीय अध्याय : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2.1 बलात्कार का अर्थ एवं परिभाषा 2.2 बलात्कार के आवश्यक तत्व 2.3 बलात्कार के कारण 2.4 यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक उत्पीड़न का समाज पर प्रभाव	*010-046*
तृतीय अध्याय : बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन 3.1 प्रस्तावना 3.2 बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनके प्रति व्यवहार का अध्ययन	*047-089*

चतुर्थ अध्याय : बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की दशा में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ 4.1 पुलिस की भूमिका 4.2 मीडिया की भूमिका 4.3 न्यायालय की भूमिका 4.4 एन.जी.ओ. की भूमिका 4.5 समाज की भूमिका 4.6 परिवार की भूमिका	*090-105*
पंचम् अध्याय : अंतर्राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून	*106-124*
षष्ठम् अध्याय : राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून 6.1 भारतीय संविधान में 6.2 भारतीय दंडविधि, 1860 में 6.3 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 6.4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रमुख अधिनियम 6.5 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 6.6 महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013	*125-183*

सप्तम् अध्याय : बदलते हुए सामाजिक परिवेश में बलात्कार को रोकने हेतु आपराधिक विधि संशोधन अधि. 2013 की समीक्षा 7.1 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 का उद्भव एवं मौलिक स्वरूप 7.2 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की समीक्षा 7.3 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 से विभिन्न विधियों के स्वरूप में हुए प्रमुख परिवर्तन	*184-228*
अष्ठम् अध्याय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार विधि के संदर्भ में दिये गये न्यायिक निर्णयों की समीक्षा	*229-244*
नवम् अध्याय : परिकल्पना का निरीक्षण, निष्कर्ष एवं सुझाव	*245-252*
परिशिष्ट–1 • साक्षात्कार अनुसूची (प्रश्नावली) • पेपर कटिंग • संदर्भ ग्रन्थ सूची • संदर्भ वाद सूची • जर्नल्स	*253-271*
परिशिष्ट–2 • कोर्स वर्क प्रमाण–पत्र • पीएच.डी. पूर्व प्रस्तुति का प्रमाण–पत्र • प्रस्तुत शोध पत्रों से संबंधित प्रमाण–पत्र • प्रकाशित शोध–पत्र • शोध प्रबंध प्रस्तुती पूर्व शोध केन्द्र पर सम्पन्न साक्षात्कार का प्रतिवेदन	*272-295*

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

1.1 समस्या का चुनाव

1.2 पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण

1.3 शोध कार्य के उद्देश्य

1.4 शोध विधि

1.5 परिकल्पना

1.6 शोध प्रक्रिया

1.7 शोध उपकरण

1.8 शोध सीमाएँ

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

प्रस्तावना :

महिलाएँ स्वभाव से अपेक्षाकृत कोमल होती हैं और वे ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाती और शायद इसीलिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न, हिंसा और संघर्ष को सहन करना पड़ता है। यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आर्थिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मजाक उड़ाना, अश्लीलता, दुष्कर्म जैसे अपराध आते हैं। महिलाओं के विरूद्ध विश्व में होने वाले अपराधों का यदि अध्ययन किया जाए तो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपराधों में अधिकतम प्रतिशत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का होता है । महिलाओं के विरूद्ध अपराध अधिक क्यों होते हैं ? उन्हें अपनी हर प्रकार की भूमिका के साथ संघर्ष क्यों करना पड़ता है ? घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएँ ही क्यों होती है। इस विषय में विद्वानों ने काफी शोध किए हैं और इन शोधों का सारांश यही है कि पुरूषों के मुकाबले महिलाएँ शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने संवैधानिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होने से निरन्तर पुरूषों की उपेक्षा के कारण दुनिया भर में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की घटनाएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में स्त्रियों के साथ बलात्कार के मामलों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार[1] भारत में सन् 2011 में बलात्कार के 24, 206 मामले दर्ज किये गये है जो कि चौंका देने वाले है।

भारत में प्रतिवर्ष औसतन 22,480 महिलाएँ गुम होती हैं। इनमें औसतन 5450 का अता–पता नहीं चलता। गुम हुई महिलाओं को या तो वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं या फिर उन्हें मार दिया जाता है। बलात्कार की अधिकतर घटनाओं में

बलात्कार की शिकार महिलाओं के रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी और सहकर्मी शामिल होते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि मुम्बई, भोपाल, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद जैसे महानगरों में भी बलात्कार की घटनाएँ अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी हैं। बलात्कार की दिल दहला देने वाली घटनाओं में मुम्बई काफी बदनाम रहा है। मुम्बई में एक लोकल ट्रेन में सरेआम यात्रियों के सामने एक अवयस्क बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ज्यादा पुरानी नहीं हुई है।[2]

प्राचीन समय से ही स्त्रियों के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरूषों के समकक्ष सम्मान एवं प्रास्थिति दिलाने के पक्ष में है तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरूषों से निम्न दर्जे का मानता है, अतः उन्हें अनेक प्रकार के अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में है। प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक मानते हैं, उसे दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में पूज्य मानते हैं। उनके अनुसार स्त्री–पुरूष की अर्धांगिनी है। द्वितीय दृष्टिकोण वाले पुरूष उन्हें मात्र भोग–विलास की वस्तु मानते हैं।

मूलर बनाम ओरेगन[3] के मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्री जन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति में कर देते है। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्‌देश्य हो जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सकें।

बलात्कार समाज के लिए एक अभिशाप है। इसका निदान किया जाना परम आवश्यक है । विधि के अन्तर्गत इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए भारतीय दण्ड विधान में विभिन्न प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है, परन्तु ये प्रावधान इसे रोकने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो प्रायः एकान्त में किया जाता है, अतः इसके विरूद्ध साक्ष्य उपलब्ध होना कठिन ही नहीं वरन् असंभव भी होता है और ऐसे में साक्ष्य सम्बन्धित कानूनी जटिलताओं या साक्ष्य के अभाव में

बलात्कारी के विरूद्ध अपराध साबित किया जाना कठिन हो जाता है। अतः उसे संदेह का लाभ मिल जाता है और वह दण्डित होने से बच जाता है।

यौन अपराध मानव की विकृत मनःस्थिति तथा अतृप्त कामवासनाओं का प्रतीक है। यौन अपराधों के कारण समाज को अत्यधिक हानि हुई है। इन अपराधों के परिणाम स्वरूप समाज में मानवीय मूल्यों का तीव्रता से ह्रास होता जा रहा है। यौन अपराध सुखवादी दर्शन का प्रतीक है। आज प्रत्येक व्यक्ति सुख या भौतिक–शारीरिक आनंद प्राप्त कने के लिए अपने जीवन के मूल्यों को नष्ट करने पर लगा हुआ है। वर्तमान में नैतिक मूल्यों का स्थान व्यभिचार ने ग्रहण कर लिया है। सामाजिक पवित्रता का उपहास किये जाने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाज की नियन्त्रणकारी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही हैं। यौन अपराध समाज में संक्रामक रोगों की तरह चारों और फैलते जा रहे हैं। इन्हें नियन्त्रित करने के जितने उपाय किये जाते हैं, उनमें उतनी ही अधिक वृद्धि होती जा रही है। वेश्यावृत्ति, गर्भपात, हत्या, स्वच्छंद यौनचार, स्त्रियों तथा लड़कियों का अवैध व्यापार आदि की समस्याएँ यौन–अपराधों के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। बाल हत्याएँ तथा बाल अपराध भी यौन–अपराधों के कारण ही बढ़ते जा रहे हैं।

हमारे समाज में बलात्कार के अलावा महिलाओं पर हो रहे यौन अपराधों के बारे में दिन–प्रतिदिन समाचार–पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के माध्यम से सूचनाएँ दी जा रही हैं जो कि मानवता के विरूद्ध है। आज के वर्तमान युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपबन्ध किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव में हम उत्तम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह अतिआवश्यक है कि उस राष्ट्र में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जाये अन्यथा किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना करना व्यर्थ होगा। वर्तमान समय में दामिनी/निर्भया बलात्कार की इतनी गंभीर घटना घटित हुई, जिसकी कई राष्ट्रों ने कड़ी आलोचना

की एवं सुझाव दिया कि आपराधिक विधि में संशोधन कर बलात्कर के विरूद्ध कठोर कानून बनाये जायें। इसलिए इस शोध विषय की मार्मिकता और भी बढ़ जाती है।

1.1 समस्या का चुनाव :

किसी भी शोध कार्य में सर्वप्रथम विषय का चयन या समस्या का चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है शोधकर्ता विधि का छात्र होने के कारण विधि में हो रहे नवीन परिवर्तनों एवं समाज में घटित हो रहे गंभीर अपराधों के विषय को ध्यान में रखते हुए उनके उपचारों के विषय में सुझाव प्रस्तुत करना, मैं शोधकर्ता अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ। इसी सन्दर्भ में मुझ शोधार्थी द्वारा ''बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में–एक आलोचनात्मक अध्ययन'' शोध विषय का चयन किया गया है क्योंकि वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों में बलात्कार का अपराध एक गंभीर समस्या लिए हुए है इस समस्या के निवारण हेतु वर्तमान समय में ही आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 पारित कर सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है, का अध्ययन कर विभिन्न विधियों के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है।

1.2 पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण :

बलात्कार के अपराध के सन्दर्भ में जो भी शोध कार्य हुए होंगे उन्हें नवीन शोध कार्य के दौरान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जावेगा, जिसके माध्यम से शोध कार्य में सटीक परिणाम उपलब्ध हो सकें तथा शोधार्थी द्वारा कार्य योजना को पूर्ण करने हेतु समय–समय पर विभिन्न विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों, विधि विद्वानों, शिक्षकों एवं निर्देशक व सह–निर्देशक का मार्गदर्शन प्राप्त किया है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुआ।

राजबाला सिंह (2006) ने अपनी पुस्तक ''मानवाधिकार और महिलाएँ'' में भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों और भारत में महिलाओं की स्थिति और उनके

प्रति होने वाले अपराधों और उत्पीड़न उनकी समस्याओं के कारण एवं सुधार के उपायों को प्रस्तुत किया है।[4]

एम.ए. अंसारी (2003) ने अपनी पुस्तक ''महिला एवं मानवाधिकार में महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों के लिये किये गये प्रयासों के बावजूद महिलाओं का उत्पीड़न या उनके प्रति अपराध क्यों हो रहे हैं ? आदि का विवरण अपनी पुस्तक में किया है।[5]

डॉ. निकुंज, डॉ. मीनाक्षी पवार (1994) ने अपनी पुस्तक ''नारी उत्पीड़न और कानून'' में महिलाओं की स्थिति का सामाजिक दृष्टिकोण से विश्लेषण में महिलाओं की स्थिति का सामाजिक परिवेश से लेकर वर्तमान में महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन के संदर्भ में विश्लेषण किया है।[6]

श्रीकांत घोष ने अपनी रचना ''वुमेन एण्ड क्राईम'' (1993) में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को स्पष्ट किया है और बताया है कि भारत में भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। उन पर कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं। सरकार द्वारा इसे कम करने के लिये कई कानून तो बनाये गये हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं पर हिंसा/अपराध बढ़ ही रहे हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था में पुरूष प्रधान समाज भी काफी हद तक जिम्मेदार है।[7]

राम आहुजा ''महिलाओं के खिलाफ अपराध'' (1987) में अपने अध्ययन के आधार पर महिलाओं पर हो रही हिंसा के लिये महिलाओं के माता–पिता एवं सहयोगियों के विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता की बात कही है। माता–पिता अपनी पुत्रियों, विवाहितों जिन्हें उनके पति या जिनके साथ ससुराल पक्ष दुर्व्यवहार करते हैं तथा अपनी पुत्री के उत्पीड़न के बारे में मालूम होता है या उनके सामने कुछ हिंसा होती है तो वह चुपचाप बैठ जाते हैं। वह सामाजिक कलंक के रूप में चिंतित हो जाते हैं और उनका साथ नहीं देते जिस कारण वह उत्पीड़न एवं अपराध का शिकार हो जाती है।

प्रोफेसर मानचंद जी खण्डेला ने अपनी पुस्तक ''महिला और बदलता सामाजिक परिवेश'' में महिला और बदलते सामाजिक परिवेश को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया है, यही सही है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और बदलाव की यह हवा महिलाओं को भी प्रभावित कर रही है।[8]

1.3 शोध कार्य के उद्देश्य :

शोध कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

(1) वर्तमान समय में बलात्कार की घटना बढ़ने के क्या कारण हैं? की खोज करना।

(2) बलात्कार की घटना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका पता लगाना।

(3) बलात्कार से पीड़ित महिला को भारतीय विधि में प्रदत्त उपचार का औचित्य क्या है ?

(4) वर्तमान में बलात्कार के सन्दर्भ में आपराधिक विधि में परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई ?

(5) आपराधिक विधि के कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयों का पता लगाना एवं दोष या कमी पाये जाने पर निराकरण के उपाय सुझाना।

इस शोध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा करना एवं राष्ट्र के विकास में उत्पन्न बाधाओं को दूर करना है।

1.4 शोध विधि :

शोध विधि शोध के विषय और उद्देश्य को ध्यान में रखकर चयनित की जाती है ताकि तथ्यों को एकत्रित करने में बाधा उत्पन्न न हो। प्रस्तावित शोध विषय

की गंभीरता और आवश्यकता को देखते हुए शोधार्थी द्वारा सैद्धान्तिक एवं असैद्धान्तिक दोनों शोध पद्धति का उपयोग किया गया है।

1.5 परिकल्पना :

किसी भी शोध कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व परिकल्पनाओं का सृजन किया जाता है, जिसके आधार पर कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाकर समापन तक ले जाया जा सकें।

प्रस्तावित शोध विषय के सन्दर्भ में भी शोधार्थी द्वारा कुछ परिकल्पनायें की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं –

(1) वर्तमान समय में बलात्कार के अपराध की रोकथाम हेतु भारतीय विधि सक्षम है।

(2) वर्तमान समय में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के सन्दर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रगतिशील कार्य किये जा रहे हैं।

(3) भारत में कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी बलात्कार संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार है।

(4) बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के दण्ड के सन्दर्भ में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि का क्रियान्वयन एक समान है।

(5) बलात्कार जैसी गंभिर समस्या के निवारण हेतु वर्तमान आपराधिक विधि संशोधन पर्याप्त उपचार है।

(6) बलात्कार से पीड़ित महिला का सामाजिक दृष्टिकोण पर बुरा पड़ता है तत्संबंधी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना एवं सुझाव प्रस्तुत करना एवं उन परिस्थितियों एवं कारणों की खोज करना जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को जन्म देते हैं।

1.6 शोध प्रक्रिया :

शोध को किसी विशेष विषय पर किसी विशेष समस्या या वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित स्त्रोत कहा जा सकता है इस शोध के प्रस्तुतीकरण में आँकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण, उच्चतम व उच्च न्यायालय के निर्णयों की एवं विधि व्यवस्था आदि की सहायता ली गई है।

1.7 शोध उपकरण :

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरण विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें, समय–समय पर प्रकाशित समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज, पुस्तकालय, सेमीनार, कार्यशालायें, इन्टरनेट रिपोर्ट, पत्रिकाएँ, विधि जनरल आदि रहेंगे।

1.8 शोध सीमाएँ :

शोधकर्ता द्वारा शोध में स्पष्ट एवं विशेषीकरण रूप से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों तक ही अपने शोध अध्ययन को सीमित रखने का प्रयास किया है, जिससे कि शोध कार्य में भटकाव की स्थिति निर्मित न हो।

संदर्भ ग्रंथ

1) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार

2) नारी सौन्दर्य और उत्पीड़न, संजय गौड़, बुक एनक्लेव, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2006, पृष्ठ 6

3) 12. एल.ए. 551

4) सिंह राजबाला, मानवाधिकार और महिलाएँ, 2006

5) अंसारी एम.ए., महिला एवं मानवाधिकार, 2003

6) डॉ. निकुंज, डॉ. मीनाक्षी पंवार, नारी उत्पीड़न और कानून, 1994

7) घोष श्रीकांत, वुमेन एण्ड क्राईम, 1993

8) प्रो. मानचंद खंडेला, महिला और बदलता सामाजिक परिवेश आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रथम संस्करण, 2008, पृष्ठ 97

अध्याय-द्वितीय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 बलात्कार का अर्थ एवं परिभाषा

2.2 बलात्कार के आवश्यक तत्व

2.3 बलात्कार के कारण

2.4 यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक उत्पीड़न का समाज पर प्रभाव

द्वितीय अध्याय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

प्राचीनकाल से ही सम्भवतः भारतीय सभ्यता के उद्य के साथ ही नारी को विभिन्न सम्मानजनक शब्दों से पुकारा जाता रहा है। नारी को देवी, कल्याणी (कल्याण करने वाली) भवति (जीवन का कारण स्वरूप आदि) विभिन्न सम्बोधन सूचक शब्द दिये गए, परन्तु क्या कारण है कि वहीं नारी समुदाय का क्षरण भी बहुत तीव्र गति के साथ हुआ। एक लम्बे समय तक भारतीय समाज में नारी को कोई भी विधिक अधिकार ही नहीं रहा। वह मात्र भोग्यादासी की भांति अपना जीवन निर्वहन करती रह गई।[1]

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अनेक उतार–चढ़ाव आये हैं। वैदिक युग में वे पुरूषों के समान स्थिति पर आसीन थी। शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं के कारण प्राचीन काल में महिलाओं के प्रति सम्मान और महत्व की भावना अवश्य प्रचलित थी। मनुस्मृति इसकी साक्षी रही है। उसमें यह घोषणा की गयी थी[2]

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः।
यत्रेतास्तु न पूज्यंते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।''

जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं और जहाँ वे दुःखी रहती हैं, उस परिवार एवं उस देश की उन्नति की कल्पना करना व्यर्थ होगा एवं इस युग में नारी पुरूषों के समान समझी जाती थी। ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक जीवन में नारी समान स्थिति की अधिकारी थी। ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं।[3]

भारतीय समाज के विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति :

भारत में वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सभी प्रकार से अच्छी थी। स्त्री पुरूष में किसी प्रकार का भेद नहीं था तथा दोनों की सामाजिक प्रास्थिति समान थी। उसे सभी क्षेत्रों जैसे– सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आदि में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे।[4] जिसका ऐतिहासिक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है–

ऋग्वैदिक काल :

हमारे ऋग्वैदिक समाज में पिता परिवार का प्रमुख होता था पर उस काल में भी माता अथवा गृह पत्नि का स्थान अत्यन्त प्रमुख हुआ करता था। माता के रूप में गृह पत्नि का पद अत्यन्त प्रशंसनीय था। वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली माता अत्यन्त गौरवपूर्ण मानी जाती थी। वैदिक ऋषियों ने देवी–देवताओं को भी माता के रूप में स्वीकार किया है। पर ऋग्वेद के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि नारी के रूप में कन्या अथवा पुत्री का स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना पत्नि अथवा माता का। गृहपति की स्त्री गृहस्वामिनी होती थी। घर के सभी लोग उसका आदर करते थे। स्त्रियाँ गृहपति की संरक्षा में रहती थी। कुमारी अवस्था में वह पिता के अधीन रहती थी और पिता की मृत्यु के बाद उन्हें भाइयों पर निर्भर रहना पड़ता था। पिता अथवा बड़ा भाई दहेज देकर कन्या का विवाह किसी योग्य वर से कर देता था पर कभी–कभी लड़कियाँ योग्य वर के अभाव में अविवाहित रह जाती थी। वे पिता के घर में ही रहती थी तथा घर की देखभाल में लगी रहती थी।[5]

ऋग्वेद के अध्ययन से हमें यह ज्ञान होता है कि ऋग्वेद की रचना में योगदान करने वाली बीस विद्वान महिलाएँ थी जिनमें रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता, धोशा, लोपामुद्रा अधिक प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि महान नारियों के अतिरिक्त अनेक वीरागनाएँ अपने पति के साथ युद्ध भूमि में गई थी। जिनमें विरयला का नाम उल्लेखनीय है जिसकी टांग युद्ध में टूट गई थी। अश्विनी कुमारों द्वारा उनका उपचार किया था। इसी प्रकार ऋग्वेद मुदग्लानी का

भी उल्लेख करता है जिसने शत्रुओं से लड़कर उनकी एक हजार सहस्त्र गायों को जीत लिया था। हम यह भी जानते हैं कि इस काल में दास नमुत्रि ने एक स्त्री सेना तैयार की थी। स्त्रियाँ ऋग्वैदिक राजनैतिक संस्थाओं में भाग लिया करती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि तुम साधिकार राज्य में विपत्ति आने पर हमेशा अपना सहयोग देती रहोगी । यह मंत्र विवाह के समय उच्चरित होता था।

इस काल में स्वच्छन्द रूप में युवक एवं युवतियाँ आपस में मिला करते थे। युवतियाँ अपनी मनोनुकूलता अनुसार विवाह कर लेती थी। सामाजिक, धार्मिक तथा युद्ध आदि के क्षेत्र में नारियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था पर सम्पत्ति का अधिकार न होना वास्तविक कष्ट का कारण बना हुआ था। इस काल में स्त्री धन के रूप में संभवतः कोई वस्तु नहीं थी जिस पर स्त्री का एकमात्र अधिकार हो। ऋग्वेद में विधवा स्त्रियों का भी उल्लेख बहुत कम स्थानों पर हुआ है। उनका जीवन उन दिनों बड़ा नीरस हुआ करता था। अलंकार एवं प्रसाधनों का अधिकार केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही प्राप्त था। इस काल में सती प्रथा का तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नि उसके साथ ही चिता पर लेट जाया करती थी, लेकिन उसके निकट सह संबंधी उसका हाथ पकड़कर उठा लिया करते थे। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्त्रियाँ किसी प्राचीन प्रथा का अनुसरण करती अथवा पति प्रेम में जीवित जलने का प्रयास करती। कहीं–कहीं पर नियोग प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है जिसमें अपने परिवार के बड़े पुरूषों की सहमति से ही विधावाएँ विवाह कर सकती थी और संतान उत्पन्न करती थी । विधवा का सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था और निःसंतान विधवाएँ भी विवाह कर सम्पत्ति की स्वामी बनना चाहती थी। इस प्रकार पति की मृत्यु के पश्चात् विधवाओं को अपने पुत्र अथवा परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। जिनका भरण–पोषण इत्यादि परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था।

ऋग्वेद में ही अनेक स्थानों पर पुत्र प्राप्ति के लिये की गई प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है। पुत्र को पिता के कार्यों में सहायता करने वाला तथा आज्ञाकारी बतलाया गया है, पर अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खेद व्यक्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद जहां समाज के उच्च या आभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वहीं

अथर्ववेद में निम्न वर्ग को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाण महत्वपूर्ण है क्योंकि नारियों की दशा में आने वाले अंतर का यह प्राचीनतम प्रमाण रहा है।

उत्तर वैदिक काल :

ईसा के 600 वर्ष से लेकर 300 ईसवी तक स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होने लगा। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक वर्षों (ईसा के करीब 300 वर्ष पूर्व) तक स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में नारी की स्थिति में परिवर्तन आया। जैन और बौद्ध धर्म के पतन के साथ स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अल्तेकर के अनुसार, ''आर्यगृह में अनार्य नारी का प्रवेश नारियों की सामान्य स्थिति की अवनति का मुख्य कारण रहा।'' मनु परम्परा के बाद तो नारियों की स्वतन्त्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये एवं स्मृति युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

उत्तर वैदिक काल में ही हमें नारियों की स्थिति अवनति की ओर बढ़ने का प्रमाण मिलता है। इस काल में हमें नारी के लिये निन्दनीय शब्दों का पता चलता है। उसे असत्यभाषी और अत्याचारिणी कहा गया। जहाँ एक और परम्परागत सम्मान का भाव नारियों के लिये मिलता है, वहीं दूसरी ओर नारियों के प्रति नवीन अस्वस्थ मान्यताओं का सूत्रपात भी मिलता है। अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में नारियों की स्थिति पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। अथर्ववेद में कई ऐसे मंत्र है जिनसे स्पष्ट होता है कि परिवार में कन्या का जन्म अनिच्छित माना जाता था। कन्या उत्पन्न नहीं हो इसके लिये अनेक प्रकार के जादू टोने काम में लाये जाते थे एवं उनकी उत्पत्ति को अशुभ माना जाता था।

इस काल में नारियों को शैक्षिक सुविधाएँ पुरूषों के समान उपलब्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद में कन्या को उचित शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। शूक्ल यजुर्वेद में शिक्षित स्त्री पुरूष को ही विवाह के योग्य बताया गया है। शिक्षित कन्या के लिये विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। बृहदारण्यक

उपनिषद में दार्शनिक ज्ञानवाली याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का भी उल्लेख है। दूसरी और विदेह के राजा जनक के दरबार में अनेक पण्डितों को परास्त करने के पश्चात् गार्गी की विद्वता के समक्ष ऋषि याज्ञवल्क्य के हतप्रभ होने का वर्णन भी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ पुरूषों के समान ही ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ती थी और अपने को महान बनाती थी।

उत्तरवैदिक काल में जो स्त्री पुरूष शिक्षित थे वे ही विवाह योग्य समझे जाते थे। स्त्रियों द्वारा उत्तम पति की प्राप्ति के लिये देवताओं की स्तुति की जाती थी। अशिक्षित कन्याओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका पति यम माना जाता था। नियमानुसार उस समय कन्याओं के विवाह की अवस्था निश्चित नहीं हो पाई थी।

ब्राह्मण ग्रंथों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में कन्या की स्थिति विवाहित स्त्री की अपेक्षा कमजोर थी । पत्नी से निम्न स्थान बहन का हुआ करता था। ब्राह्मण काल में स्त्रियों की अवस्था ऋग्वेद के समान नहीं थी फिर भी यज्ञ आदि अवसरों पर उसकी आवश्यकता पड़ती थी तथा वह अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति निरन्तर गिरती जा रही थी। ऋग्वैदिक काल में विदथ नामक जिस राजनैतिक संस्था में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था, एवं अथर्ववेद में भी यही बात दुहराई गई है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार स्त्रियाँ अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ द्यूत और मद्यपान के समान हुआ करती थी। मानव समाज में स्त्रियाँ बहुत बड़ा दोषी मानी गई है, लेकिन यज्ञ आदि अवसरों में उसकी महत्ता स्पष्ट दिखाई गई है। उसके बिना यज्ञ विधिवत् संपन्न नहीं हो सकते थे। ऐसा संभव है कि यह महत्ता सिर्फ महिषियों के लिये हो, साधारण स्त्रियों की अवस्था अच्छी नहीं हुआ करती थी। अतः ब्राह्मण से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियां शिक्षा देने का कार्य भी कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उन्हें पवित्र ग्रंथों के अध्ययन तथा यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था।[6]

धर्म शास्त्र काल (ईसा पश्चात् तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक) :

इस काल में स्त्रियों के प्रतिबन्धों को व्यवहारिक रूप दे दिया गया और स्त्रियों को अशिक्षित, परतंत्र, पराधीन और निर्बल बना दिया गया। बाल–विवाह के प्रचलन ने स्त्रियों की स्थिति को और निर्बल बना दिया। बहुपत्नी विवाह होने लगे और स्त्रियाँ माता से सेविका तथा गृह लक्ष्मी से याचिका के रूप में दिखाई देने लगी। इस काल में नारी को भोग–विलास की वस्तु मात्र बना दिया गया।[7]

रामायणकालीन समाज के समान ही महाभारतकालीन पिता कन्या के जन्म को कष्टकारी नहीं मानते थे। पुत्र एवं कन्या में बहुत अंतर नहीं था। पुत्रियों को अपने माता–पिता के घर में कई प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल की नारी का प्रधान गुण चरित्र माना जाता था। वे पुरूष की वास्तविक संगिनी हुआ करती थी। वे अपने सहयोग से पुरूष को आगे बढ़ाती थी । वे वास्तव में पूर्ण मनुष्यत्व का परिचायक हुआ करती थी। पितृगृह में कन्याएँ माता–पिता के कार्य में सहयोग दिया करती थी। कन्या सन्यासिनी नहीं हो सकती थी। विवाहित नारी ही सन्यास ले सकती थी। महाभारत काल की नारी पूर्ण स्वतंत्र और स्वच्छंद नहीं हुआ करती थी। विवाहित स्त्री का पिता के घर में रहना निंदनीय माना जाता था। लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, पर संतानहीन विधवा पिता के यहाँ रहती थी। महाभारत काल में स्त्री जाति पूज्या मानी जाती थी। यह भी विश्वास था कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास किया करते हैं, जहां वे सम्मानित नहीं होती वहां कोई आयोजन सफल नहीं होता था। आधुनिक काल के समान ही महाभारत काल में साध्वी स्त्री की यह कामना रहती थी कि वह पति और पुत्र के रहते हुये मृत्यु को प्राप्त हो जाये। इस महाभारतकाल में नारी की स्थिति सम्मानजनक परिवार की गृहलक्ष्मी और समाज के कल्याण की आधारशिला के रूप में हुआ करती थी।

मध्यकाल (11वीं सदी से 18वीं सदी तक) :

इस काल में मुस्लिम प्रभाव बढ़ने के कारण बाल–विवाह प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। स्त्रियों को घरों की चार दीवारी में रखा जाने लगा। पर्दा प्रथा का प्रचलन

बढ़ा तथा स्त्री–शिक्षा पर रोक लगा दी गई। सती–प्रथा को प्रोत्साहित किया गया फलतः इस काल में भारतीय हिन्दु नारी पर अनेक प्रतिबन्ध लगाकर उसका घोर शोषण किया गया एवं उनको घर की चार दीवारी में रहने को मजबूर किया गया।[8]

प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्त्रियों की दशा में निरंतर गिरावट आई फिर भी उनको आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। हिन्दू परिवारों में स्त्री गृहस्वामिनी समझी जाती थी और कोई भी धार्मिक कृत्य उसके बगैर सम्पन्न नहीं होते थे। इसलिये उसे धर्मपत्नी भी कहा जाता था। उसे पुरूष की अर्द्धांगिनी समझा जाता था, परन्तु इतना होते हुए भी उन्हें पूर्णतया स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और उसे पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण में रहना पड़ता था। वहीं पुत्री के रूप में माता–पिता, पति–पत्नी के रूप में तथा विधवा के रूप में अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती थी तथा हिन्दुओं में उसका जन्म होना शुभ नहीं माना जाता था। कुछ कबीलों में तो उसे तुरंत ही जान से मार दिया जाता था। यदि वह जीवित रह भी जाती तो उसे अन्य व्यक्ति के साथ बिना सोचे समझे गाय के खूँटे के समान बांध दिया जाता था। गर्भावस्था में स्त्री की मृत्यु हो जाय तो यह माना जाता था कि उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार जन्म से मृत्यु पर्यन्त उसकी स्थिति दयनीय हुआ करती थी।[9]

ब्रिटिश काल (18वीं सदी से 19वीं सदी तक) :

18 वी शताब्दी के अंतिम वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का समय ब्रिटिश काल कहलाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तटस्थता की नीति ही अपनाई क्योंकि उन्हें तो केवल अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने से मतलब था। अंग्रेजी शासन से भारत को यह एक लाभ अवश्य हुआ कि भारत का लगातार चार शताब्दियों तक पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से संपर्क बना रहा। ब्रिटिश शासन काल में स्त्रियों की दशा सुधारने के निम्न लिखित प्रयास किये गये –

1) आर्थिक क्षेत्र में – स्त्रियों को सन् 1937 से पूर्व किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे, परन्तु इसके बाद स्त्रियों को आर्थिक क्षेत्र में भी समान अधिकार दिये गये। स्त्रियों को डॉक्टर, अध्यापक, नर्स, सामाजिक सेवा कार्य, आदि क्षेत्रों और व्यवसायों में पुरूषों के साथ काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। अब स्त्रियाँ नौकरी आदि द्वारा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करने लगी एवं स्वच्छंद जीवन की ओर अग्रसर होने लगी।
2) पारिवारिक क्षेत्र में – इस युग में स्त्रियों को कुछ पारिवारिक अधिकार भी प्रदान किए गए। इस युग में स्त्रियों को विधवा विवाह की आज्ञा भी दी गयी व उन्हें विवाह–विच्छेद का भी अधिकार कानून द्वारा प्रदान किया गया एवं बाल–विवाह पर भी कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया।
3) सामाजिक क्षेत्र में – इस युग में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये गये। स्त्रियों को पुरूष के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। पर्दा–प्रथा समाप्त होने लगी, जो पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव हुआ करती थी।
4) राजनीतिक क्षेत्र में – पहले राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा भाग लेना निषिद्ध माना जाता था। स्त्रियों को केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता था एवं वे घर पर ही कार्य कर सकती थी। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा और सम्पत्ति के अभाव पर बहुत कम स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया, परन्तु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों ने पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसलिए कई भारतीय महिलाएँ इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अमर हो गईं। इनमें से प्रमुख है– कस्तुरबा गांधी, कमला देवी नेहरू, विजयलक्ष्मी पण्डित, सरोजनी नायडू तथा अरूणा आसफ अली आदि।

इस काल में अंग्रेजों ने हिन्दुओं के धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में कोई सुधार करने की नीति नहीं अपनाई। इस काल में पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनी रही।[10]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ, उनमें सामाजिक चेतना की आज एक नई लहर देखने को मिलती है जो स्त्रियां घर से बाहर तो दूर घर की खिड़कियों से भी झांक नही सकती थी, वहीं आज घर से बाहर जाकर नौकरी करती है, समिति और संघ की सदस्यता ग्रहण कर रही है पार्टियों का आयोजन करती है क्लब जाती है इसी तरह के अनेक कार्यक्रमों में भाग ले रही है। पर्दा प्रथा प्रायः समाप्ति की ओर थी। समाज में अब महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा है। परिवार एवं विवाह के संबंध में भी आज भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक अच्छी है। सन् 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम द्वारा बाल विवाह का अंत कर दिया गया है एवं भारत सरकार द्वारा लड़की के विवाह की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गयी है। 1955 के हिन्दु विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत्नि विवाह गैर कानूनी है और अंतर्जातीय विवाह मान्य है। अब स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद का पूरा अधिकार है। इसी कारण विधवा पुनर्विवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है। इन सभी कारणों से परिवार में स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज वे प्रायः व्यवसाय करती है, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि सभी प्रकार के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कर रही है।[11]

2.1 बलात्कार का अर्थ एवं परिभाषा :

बलात्कार या बलात्संग का सीधा अर्थ है, बलपूर्वक संग करना अर्थात् किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसके साथ जबरन सम्भोग करना बलात्कार या बलात्संग कहलाता है।

परिभाषा :

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 में उन छः स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी महिला से मैथून यानी सहवास करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा।

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि सम्मति, उसे या उसके किसी व्यक्ति को, जिससे वह हित बद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी हो।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरूष जानता है, कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पाँचवां – उस स्त्री की सम्मति से जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति से जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन अनिवार्य है।

अपवाद– पुरूष का अपनी पत्नि के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है, जबकि वह पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।[12]

यहाँ बलात्कार के सन्दर्भ में विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा दिये गये मत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा –

विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी के अनुसार,बलात्कारियों को फाँसी की सजा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। वे लिखती है "एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता है, जब देश में बलात्कार की घटनाएँ सुनाई न देती हो।"[13]

बलात्कार : कानूनी व्याख्या :

बलात्कार की सरल कानूनी व्याख्या है : किसी भी स्त्री से उसकी सहमति के बिना सहवास बलात्कार कहलाएगा। इसका सीधा अर्थ है, स्त्री की इज्जत या उसकी अस्मिता पर आक्रमण। शाब्दिक अर्थ में बलात्कार का मतलब सहवास में जोर–जबरदस्ती ही है। यह जबरदस्ती ही कानून का मूलाधार है और उपरोक्त वर्णित छः कारण आगे इसी की व्याख्या करते है।[14]

बलात्कार के प्रकार :

बलात्कार तो मूलतः बलात्कार ही होता है, फिर भी समाज शास्त्रियों ने इसे निम्नानुसार विभाजित किया है –

(1) पॉवर एसर्टिव – माचो छवि वाले ये लोग प्रायः डेट रेप करते हैं। ये लोग किसी भी अकेली महिला को शिकार बनाते हैं। उसे घर छोड़ने की पेशकश करते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं और मौका मिलने पर जबरन बलात्कार करते हैं। इनका इरादा हत्या करने का नहीं होता है।

(2) प्रतिशोधी – ये लोग महिलाओं के विरोधी होते हैं। महिलाओं को अपमानित करने और उन्हें दण्डित करने के लिए वे बलात्कार करते हैं। यही नहीं वे उसे चोट भी पहुँचाते हैं।

(3) पॉवर–रिएश्योरेंस– इन लोगों में आत्मविश्वास व महिलाओं को जीतने की कला का अवयव होता है। ये प्रायः एकतरफा प्रेमी भी होते हैं और मौका मिलने पर शिकार से बलात्कार करते हैं।

(4) एंगर एक्साइटेशन – ये सेडिस्ट होते हैं। पीड़ा देकर इन्हें आनन्द मिलता है। अपराध करने से पूर्व वे उसे मन में दोहरा लेते हैं। इनकी शिकार परिचित या अजनबी कोई भी हो सकती है। यह सर्वाधिक भयानक किस्म का बलात्कारी होता है।[15]

2.2 बलात्कार के आवश्यक तत्व :

बलात्कार की उपर्युक्त परिभाषा से इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व (**Essential ingredients**) स्पष्ट होते हैं –

(1) किसी पुरूष के द्वारा किसी स्त्री के साथ लैंगिक सम्भोग **(Sexual intercourse)** किया जाना एवं,

(2) ऐसे लैंगिक सम्भोग का निम्नांकित परिस्थितियों में से किसी के अन्तर्गत किया जाना –

- **(i)** उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध,
- **(ii)** उस स्त्री की सम्मति **(Consent)** के बिना,
- **(iii)** उस स्त्री को मृत्यु या उपहति का भय बताकर सम्मति प्राप्त करके,
- **(iv)** उसे अपने को पति बताकर, जबकि वह वास्तव में उसका पति नहीं है एवं
- **(v)** उसकी सम्मति या बिना सम्मति के, जबकि उसकी आयु सोलह वर्ष से कम है,

(vi) उस स्त्री की सम्मति से, जबकि सम्मति देने के समय वह मन की विकृत चित्तता, मत्तता अथवा संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण कार्य की प्रकृति एवं परिणाम जान सकने में असमर्थ रही हो।

सम्मति बलात्कार के विरूद्ध–बचाव (**Defence**) का एक अच्छा आधार हो सकती है लेकिन ऐसी सम्मति का 'स्वतन्त्र सम्मति' होना आवश्यक है।[16] साथ ही ऐसी सम्मति का लैंगिक सम्भोग किये जाने के पूर्व प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य है।

बलात्कार के तत्वों की विवेचना करने वाला मोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान[17] का एक अच्छा मामला है इसमें अभियोक्त्री (**Prosectrix**) एक विवाहिता महिला थी चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। अभियोक्त्री द्वारा यह भी नहीं कहा गया कि उसे बलपूर्वक खींचा गया हो, नीचे गिराया गया हो और अभियुक्त उस पर गिर गया हो। अभियोक्त्री चिल्लाई भी नहीं। जब उसके रिश्तेदार वहाँ आये तो उसने अपने आप को छिपा लिया। इसे बलात्कार का मामला नहीं माना गया।

जगन्नाथ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला[18] इस वाद में एक स्त्री के साथ चार बार बलात्कार किया गया, उसके स्तन का अगला भाग लाल हो गया, लेकिन उस स्त्री ने उसका प्रतिरोध नहीं किया। उसके शरीर पर बल प्रयोग के निशान भी नहीं थे। यह धारण किया गया कि लैंगिक सम्भोग उस स्त्री की सम्मति से किया गया था और ऐसी सम्मति धमकी के अधीन प्राप्त नहीं की गयी थी।

पागल अथवा मदोन्मत्त स्त्री के साथ लैंगिक सम्भोग :

किसी पुरूष का ऐसी स्त्री के साथ, जो पागल होने के कारण सम्मति देने में असमर्थ है, लैंगिक सम्भोग किया जाना, एवं किसी पुरूष द्वारा किसी स्त्री को शराब

पिलाकर अचेत करके उसके साथ लैंगिक सम्भोग किया जाना दोनों ही बलात्कार की कोटि में आने वाला अपराध है।

तुलसीदास कानोलकर बनाम स्टेट ऑफ गोवा[19] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त किसी महिला के साथ लैंगिक संभोग सहमति से किया गया संभोग नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसी महिला सहमति प्रदान करने में सक्षम नहीं मानी जाती। इसी प्रकार मानसिक रूप से अविकसित महिला द्वारा भी विधितया सहमति नहीं प्रदान की जा सकती।

इन्द्रिय–प्रवेशन आवश्यक –बलात्कार के लिये इन्द्रिय प्रवेशन, चाहे वह थोड़ा सा हो, अनिवार्य है। यह अनिवार्य नहीं कि योनिपट विदारित ही किया गया हो। यदि प्रवेशन तनिक भी न हुआ हो तो वह बलात्कार नहीं होता, यद्यपि वह बलात्कार करने के प्रयत्न की श्रेणी में आ सकता है।

के. वेंकटराव बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश[20]: के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि बलात्कार के गठन के लिये इन्द्रिय प्रवेशन मात्र पर्याप्त है, वीर्य स्त्राव (**Ejaculation**) होना आवश्यक नहीं होता।

अमन कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा[21] इसी प्रकार इस वाद में भी इन्द्रिय प्रवेशन का भी पूर्ण होना आवश्यक नहीं बताया है। प्रवेशन की गहराई, वीर्य स्त्राव व योनि पटल का विदारित होना या नहीं होना सारहीन है।

स्टेट ऑफ तमिलनाडू, बनाम रवि उर्फ नेहरू[22] के मामले में अभियुक्त पर एक 5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने का आरोप था। अभियुक्त के लिंग के नीचे के भाग पर घाव (**wound**) पाया गया। अभियुक्त को बलात्कार का दोषी माना गया, क्योंकि 5 वर्षीय बालिका की योनि में बलपूर्वक प्रवेश के कारण घाव होना स्वभाविक था।

सामूहिक बलात्कार :

जब किसी स्त्री के साथ एकाधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है तो उसे सामुहिक बलात्कार (**Gang rape**) कहा जाता है। संतोष कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश[23] के मामले में बस स्टैण्ड पर खड़ी बस में सोई हुई एक महिला यात्री के साथ बस के चालक तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया। महिला के शरीर व हाथ पर चोट के निशान पाये गये। रात्रि में गश्त कर रहे दो कांस्टेबलों द्वारा अभियुक्तगण को देख लिया गया। यद्यपि महिला के गुप्तांगों पर चोट के कोई निशान नहीं पाये गये, फिर भी इसे सामुहिक बलात्कार का मामला माना गया। इससे यह प्रतीत होता है कि विधि के प्रावधानों को उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।

क्या कोई पुरूष अपनी ही पत्नि के साथ बलात्कार कर सकता है?

सामान्यतया हर पुरूष को अपनी पत्नि के साथ लैंगिक सम्भोग करने का अधिकार होता है। पर कुछ अवस्थाओं में यह अधिकार प्रतिबन्धित हो जाता है और ऐसी प्रतिबंधित अवस्थाओं में किया गया लैंगिक सम्भोग बलात्कार का रूप धारण कर लेता है।

यदि पत्नी की आयु पन्द्रह वर्ष से कम है तो उसके साथ किया गया लैंगिक सम्भोग बलात्कार माना जायेगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लैंगिक सम्भोग से अवयस्क लड़कियों की रक्षा करना है एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है।

बलात्कार के मामले में स्त्री का सह–अपराधी होना :

विधि के अन्तर्गत बलात्कार के मामलों में स्त्री को सह–अपराधी के रूप में दण्डित नहीं किया जाता है। क्योंकि वह स्त्री अपराध में भागी नहीं अपितु उसका शिकार होती है। जैसा कि रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान[24] के मामले में धारण किया गया है, जिसमें अभियुक्त पर एक आठ वर्षीय बालिका पूरनी के साथ बलात्कार करने का अभियोग चलाया गया था।

ऐसी ही एक और मामला प्रिया पटेल बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश[25] का है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–सामुहिक बलात्कार के मामले में महिला को सहअभियुक्त माना जाकर अभियोजित नहीं किया जा सकता है।

बलात्कार के बारे में साक्ष्य :

बलात्कार के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य का सामान्यतः अभाव रहता है। अतः न्यायालयों को ऐसे मामलों में साक्ष्य का बड़ी सावधानी से विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना चाहिये। ऐसे समय में मानवीय मनोविज्ञान एवं व्यावहारिक सम्भाव्यता को दृष्टिगत रखना आवश्यक होता है। बलात्कार से व्यथित स्त्री के गुप्तांगों पर चोट के निशान होना, उसके कपड़ों पर खून के दाग होना तथा घटना के तुरन्त बाद अपने माता–पिता को इससे अवगत करा देना आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बलात्कार के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में सहायक होते है, अतः निर्णय के समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है।

भूपेन्द्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश[26] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामलों में बलात्कार की शिकार महिला की साक्ष्य पर्याप्त हो सकती है। उसकी अभिपुष्टि (**Corroboration**) आवश्यक नहीं है।

इसी प्रकार सुधान्सु शेखर साहू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा[27] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि केवल बलात्कार की शिकार महिला की साक्ष्य पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है बशर्ते कि वह सुरक्षित, विश्वसनीय तथा ग्राह्य योग्य हो।

केवल घटना–स्थल पर उपस्थित रहना–बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। प्रदीप कुमार बनाम यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, चण्डीगढ़[28] के मामले में अभियुक्त एक अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार के बाद

घटना–स्थल पर पहुँचा था। उसके द्वारा वहाँ कोई कृत्य नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा–मात्र घटना स्थल पर उपस्थित रहना बलात्कार के अपराध में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।

सामूहिक बलात्कार के बारे में साक्ष्य :

जहाँ किसी 19–20 वर्षीय बालिका के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है और उसकी पुष्टि स्वयं उस बालिका एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है, वहाँ मात्र इस आधार पर मामले को सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता है कि–

(1) बालिका की पीठ पर चोट के निशान नहीं पाये गये, तथा

(2) चिकित्सा प्रमाण पत्र में बलात्कार करने वाले व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार जहाँ किसी पुलिस कांस्टेबल तथा व्यापारी द्वारा मिलकर किसी ऐसी श्रमिक महिला के साथ उसे भय एवं धमकी कारित कर बलात्कार किया जाये, जो न तो वैश्या है और न ही जिसने धन की माँग की है, वहाँ अभियुक्तगण की दोष सिद्धि के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चिकित्सीय साक्ष्य पर्याप्त है। ऐसे मामलों में अन्य किसी पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती।

कृत्य का उल्लेख आवश्यक है :

बलात्कार के मामलों में बलात्कार का अपराध गठित करने वाले कृत्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

स्टेट आफ कर्नाटक बनाम सुरेश बाबू पुकराज पोरल[29] के मामले में अभियुक्त पर एक सोलह वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। जो साक्ष्य आई उसमें यह कहा गया कि अभियुक्त ने लड़की के साथ

ऐसा कृत्य किया है जो उसे नहीं करना चाहिये था। उच्चतम न्यायालय ने इसे बलात्कार का अपराध गठित करने के लिये पर्याप्त नहीं माना।

दूसरी तरफ नागराजन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू[30] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों में अभियुक्त के आचरण तथा परिस्थितियों के आधार पर दोष सिद्धि का आदेश दिया जा सकता है। इस मामले में जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो उसमें अभियुक्त व अभियोक्त्री मिले। चिकित्सीय साक्ष्य बलात्कार का संकेत दे रही थी तथा अभियुक्त के आचरण में उसका दोषी मन प्रकट हो रहा था।

बलात्कार के मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाये :

बलात्कार एक घृणित अपराध है, ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाएँ न्यायालय में खुलकर बयान देने में संकोच करती हैं। उन्हें कई बार प्रतिपरीक्षा के माध्यम से परेशान भी किया जाता है। महिलाएँ अपने भावी जीवन को कलंकित होने से बचाने के लिये कई बार सही बात भी नहीं कह पाती हैं। अतः उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह कहा है कि बलात्कार जैसे मामलों की सुनवाई न केवल बन्द कमरे में की जाये—अपितु यथासंभव महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट :

बलात्कार के मामलों में प्रथमदृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज कराये जाने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह कोई कठोर नियम नहीं है। कारणवश विलम्ब भी हो सकता है। केवल विलम्ब के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

इस सम्बन्ध में दिलदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब[31] का एक अच्छा मामला है। इसमें एक अध्यापक द्वारा अपनी अवयस्क शिष्या के साथ बलात्कार किया गया था। उसने डर एवं शर्म के कारण यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है तो तीन माह बाद उसने सारी घटना

अपनी माता को बताना उचित समझा। इस प्रकार तीन माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उच्चतम न्यायालय ने इस विलम्ब को क्षम्य माना।[32]

यौन दुर्व्यवहार :

यौन दुर्व्यवहार में यौन सम्बन्धी कोई भी ऐसा व्यवहार शामिल है, जो महिला की गरिमा का गलत इस्तेमाल करता है, उसे अपमानित करता है, या किसी तरीके से उसकी गरिमा के खिलाफ कोई कार्य करता है, जैसे –

- सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करना या प्रताड़ित करने का प्रयत्न करना।
- जबरदस्ती उसके साथ चिपकने का प्रयास करना।
- सहवास के लिए पीटना।
- यौनांगों पर प्रहार करना और सहवास के लिए बाध्य करना।
- यौन क्रिया के दौरान अपमानित करना।
- अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए विवश करना या ब्लू फिल्म देखने के लिए मजबूर करना।
- ऐसा यौन व्यवहार करना, जिससे महिला की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।
- बालिकाओं के साथ यौन सम्बन्धी गलत व्यवहार करना।
- बच्चों के सामने यौन सम्बन्ध बनाने पर विवश करना।
- अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों के लिए विवश करना।[33]

2.3 बलात्कार के कारण :

बलात्कार मात्र यौन सम्बन्ध बनाना ही नहीं है, असल में यह एक हिंसक कृत्य है, जिसमें सेक्स को जरिया बनाया जाता है। इस तरह की प्रवृति वाले पुरूष अन्य प्रकार के हिंसक अपराध करने से भी नहीं कतराते हैं। वे असल में महिला के दमन और शोषण के लिए सेक्स का सहारा लेते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं जितना अपमानित, आहत व पीड़ित महसूस करता है महिला के

साथ उसका व्यवहार उतना ही आक्रामक होता है। उनके इस व्यवहार का सीधा सम्बन्ध पुरूष प्रभुत्व की भावना से होता है। व्यवहार में यह भी देखा गया है कि आमतौर पर महिलाओं पर हमला करने वाले लोग वे होते हैं, जो बचपन में यौन हिंसा के शिकार बने या इस तरह की हिंसा के प्रत्यक्षदर्शी रहे होते है।

विख्यात समाजशास्त्री सिग्मण्ड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धान्त बलात्कारी को प्रतिगामी व्यक्ति के रूप में देखता है। ऐसा व्यक्ति समाज के साथ सहज नहीं रह सकता है। उसकी सोच आदिम होती है और वह एक अर्द्धविकसित व्यक्तित्व जैसा ही होता है। इनमें से अधिकांश लोगों का व्यक्तित्व असामाजिक होता है। ऐसे व्यक्ति जब बलात्कारी बन जाते हैं तो उनका आवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है और वे बेहद आक्रामक बन जाते है। कायदे–कानून के प्रति उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं होती है। ऐसा देखा गया है कि इस किस्म के लोग बेहद सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम देते है, शिकार पर पूरी नजर रखते है और उचित अवसर मिलने पर ही यह काम करते हैं। ये लोग देखने में बेहद सामान्य लगते हैं। कोई व्यक्ति शायद यह यकीन भी ना करें कि वह ऐसा कर सकता है।

उदाहरण के लिए बहादुरगढ़ का 24–25 वर्षीय सतीश सीधा–सादा, सभ्य, शिष्ट शर्मीला युवक एवं माता–पिता का बेहद आज्ञाकारी लड़का था, यहाँ तक कि पड़ौसी भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। पर जब पता लगा कि उसने 10 से 11 साल तक की 14 लड़कियों की बलात्कार के प्रयास के बाद हत्या की है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। एक वेश्या द्वारा नामर्द कहे जाने की चोट ने उसे अल्पवयस्क लड़कियों की ओर उन्मुख कर दिया था, पर उनसे भी बलात्कार नहीं कर पाने की टीस ने उसे 14 लड़कियों का हत्यारा बना दिया था।

आजकल गैंग रेप का एक अलग चलन चल पड़ा है। लेकिन गैंग रेप अर्थात् सामुहिक बलात्कार में अपराधी की मनः स्थिति विकृत हो यह जरूरी नहीं है। इस तरह के अपराध प्रायः नशे में या अश्लील फिल्मों के देखकर आवेग में किए जाते है। हाल ही में (निर्भया रेप काण्ड) दिल्ली में रात में व्यस्त सड़क पर चलती बस पर

कुछ लोगों द्वारा लड़की को उठा ले जाना, सामुहिक बलात्कार कर सुनसान जगह पर फेंक देना, यह बताता है कि उन्हें लड़की से कोई सरोकार नहीं था, उनके लिए वह सिर्फ एक वस्तु थी। इससे पहले भी दिल्ली में ऐसी ही घटना हुई थी जब कुछ युवा लड़कों ने सब्जी लेकर घर लौट रही एक 40 वर्षीय महिला का अपहरण कर लिया और उसके साथ सामुहिक बलात्कार किया। पकड़े गए लड़कों ने बताया कि असल में उस दिन वे हर तरह से मस्ती करना चाहते थे। प्रश्न उठता है कि यह कैसी मौज मस्ती है जो किसी इन्सान की आत्मा को तार–तार करके मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के अपराधों में शामिल लोग सम्भवतया अकेले होने पर ऐसा अपराध ना करे, लेकिन समूह में वे भी आदतन अपराधी की तरह ही व्यवहार करते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं।[34]

बलात्कार शब्द मानव समुदाय के ऊपर एक प्रभावकारी असर उत्पन्न करता है एवं इस प्रकार की घटनाओं को सुनकर या पढ़कर हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते है कि आखिर बलात्कार को जन्म देने वाले कारण कौन से है। वर्तमान समय को देखते हुए बलात्कार के कुछ प्रमुख कारण निम्न हो सकते हैं –

(1) पुरूषों की मानसिक दुर्बलता/सामाजिक दबाव की कमी :

ईश्वर ने महिला एवं पुरूष की शारीरिक संरचना को अलग–अलग इसलिए बनाया कि यह संसार को आगे बढ़ा सके। सामाजिक परिवेश में घुलती अनैतिकता और बेशर्म आचरण ने पुरूषों के मन में स्त्री को मात्र भोग–विलास के रूप में माना है। यह बात वर्तमान की नहीं है अपितु वर्षों से चली आ रही कमजोर मानसिकता का प्रभाव है जो दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

वर्तमान में इन्टरनेट के माध्यम से परोसे जा रहे अश्लील साहित्य, फोटो व चुटकुले एवं छिछोरी गपशप व बेहूदा कमेन्ट्स ने पुरूषों की गिरी हुई सोच को बढ़ावा दिया है, कई बार पुरूष का बढ़ता तनाव भी बलात्कार का कारण होता है और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपमानजनक माहौल भी पुरूष के दुस्साहस को बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम करता है।

हमारी सामाजिक–मानसिकता भी स्वार्थी हो रही है, जिसके फलस्वरूप किसी भी मामले में हम स्वयं को शामिल नहीं करते और जिसके कारण अपराधियों का हौंसला और बढ़ जाता है जिसके कारण पहली बार दामिनी/निर्भया के मामले में सामाजिक रोष प्रकट हुआ। वरना न तो सोच बदलती न समाज। अभी भी हलात 70 प्रतिशत तक बने हुए है जो कि शर्मनाक है।

(2) नशा :

यह कारण बलात्कार के 80 प्रतिशत मामलों में प्रमुख वजह बनकर उभरा है। हर छोटे–बड़े शहरों में नशा इस तरह बिक रहा है जैसे कि पानी के पाऊच। शाम को अगर आप अपने शहर की परिक्रमा करने निकलोगे तो आपको चारों चौराहें के बीच पाँच शराब की दुकान मिलना आम बात है।

नशा आम आदमी की सोच को विकृत कर देता है। उसका स्वयं पर नियन्त्रण नहीं रहता और वह नशे के कारण गलत दिशा में बढ़ने की संभावना शत–प्रतिशत बढ़ जाती है ऐसे में कोई भी स्त्री उसे शिकार मात्र ही नजर आती है।

(3) शहर के एकान्त में गुन्डों का अड्डा :

यह कारण बलात्कार के 60 प्रतिशत मामलों में सामने आया है, हर बड़े नेता, अधिकारी, उद्योगपति का एक फार्म हाऊस होना आम बात है इन फार्म हाऊस में वास्तव में क्या होता है, इसका अनुमान लगाना कठिन होगा क्योंकि हर तरह के गुन्ड़ों का यह पालन केन्द्र या अय्यासी का सेंटर बना हुआ है। जहाँ गरीब और बेवस महिलाओं से लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षी महिलाओं का यौन–उत्पीड़न या लैंगिक शोषण किया जाता है।

(4) प्रशासन और पुलिस की अक्षमता :

वास्तव में पुलिस और प्रशासन कभी कमजोर नहीं होते। कमजोरी होती है तो समस्या से लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति। सभी जानते है कि अमीर कहे जाने वाले

लोग अब आरोपों के घेरे में आते हैं तो प्रशासनिक शिथिलताएँ उन्हें कटघरे के बजाय बचाव की स्थिति में ला देती है, पुलिस की लाठी बेवस पर जितना जुल्म छाती है उतने ही सक्षम व्यक्तियों के सामने वही लाठी सहारा बन जाती है।

अब तक के कई मामलों में कमजोर कानून की वजह से अपराधी के बच निकलने के कई किस्से सामने आ चुके है। कई बार सबूत के अभाव में न्याय नहीं मिल पाता और अपराधी छूट जाता है, कई बार हमने पढ़ा एवं सुना है कि बलात्कार के आरोपी इसी अपराध के लिए पहले भी पकड़ा जा चुका है और वह फिर वही कृत्य कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि बलात्कार के लिए सजा देने वाले कानून कठोर नहीं है, जिससे अपराधियों के हौंसले बुलन्द होते है हालांकि पिछले दिनों में सरकार ने बलात्कार के कानून को मजबूत बनाने की पहल शुरू की है लेकिन इससे पीड़ित कई महिलाओं को आज भी इन्साफ का इंतजार है, कमजोर कानून और इन्साफ मिलने से देर यह भी बलात्कार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

(5) महिलाओं का कमजोर आत्मविश्वास :

एक महिला को अपनी सुरक्षा एवं बचाव के लिए उपाय आने चाहिए। हमारी संस्कृति लड़कियों की परवरिश कुछ इस तरह करती है कि वह दूसरों पर निर्भर बनती चली जाती है जबकि हमें अपनी बेटियों को निर्डर बनाना चाहिए एवं उसे शारीरिक रूप से सबल बनाना चाहिए तथा मानसिक रूप से भी उसे मजबूत बनाना चाहिए। विपरीत हालतों से जुझने की ट्रेनिंग उसे बचपन से मिलनी चाहिए। अकेली महिला अगर डरी–सहमी हो तो परेशान करने की कई गुना संभावना बढ़ जाती है, अकेली महिला की बॉडी लैंग्वेज हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। अगर भीतर से महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करें तब भी अपनी बैचेनी दूसरों पर जाहिर न होने देंवे। कोई भी पुरूष महिला के आत्मविश्वास से टक्कर नहीं ले सकता। सर्वप्रथम तो महिला को अकेले रात्रि में नहीं जाना चाहिए। स्वयं की सुरक्षा

के लिए अगर काम जल्दी यानी दिन में निपटा लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जाना मजबूरी है तो सावधानी बरतना आवश्यक है।[35]

बलात्कार के अन्य कारण :

1. पुलिस की भूमिका – बलात्कार के प्रकरणों के लिए एक सीमा तक पुलिस की भूमिका भी उत्तरदायी है। पुलिस बलात्कार के प्रकरण को जिस तरह से दर्ज करती है तथा उसका अनुसंधान करती है, उससे बलात्कारी भयभीत होना तो दूर, उल्टा उसे प्रोत्साहन मिलता है। गवाहों और अदालतों के चक्कर के कारण बलात्कारी अपराध की सजा से बच निकलता है और दूसरे शिकार की तलाश शुरू कर देता है।
2. पारम्परिक आदर्श – समाज में बलात्कार से पीड़ित महिला को घृणित दृष्टि से देखा जाता है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में बलात्कार के प्रकरण दब जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि बलात्कारियों को ऐसा अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिल जाता है। इसलिए समाज की सोच में बदलाव लाया जाना आवश्यक है। महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा की गणना कौमार्य से न की जाकर उसकी उपलब्धियां और सफलताओं से की जानी चाहिए। इससे अपराधियों के विरूद्व प्रकरण दर्ज हो सकेंगे तथा उन्हें दण्डित करना सरल हो जायेगा।
3. कठोर दण्ड का न होना – बलात्कार के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान न होना भी बलात्कार के प्रकरणों की अधिकता के लिए उत्तरदायी हैं। बलात्कार के अपराध के लिए। फिलीपींस की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें बलात्कार करने वाले अपराधी का लिंग काट देना सुझाव दिया गया था। भारत में बलात्कार जैसे घृणित अपराध के लिए किसी कठोर सजा का प्रावधान होना आवश्यक है।
4. उपभोक्तावादी संस्कृति – वर्तमान में हमारे देश में उपभोक्तावादी संस्कृति बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से बड़े–बड़े महानगरों में तेज गति से फैल रही हैं। इसमें महिलाओं की माँ, बहिन, मित्र और पड़ोसी की छवियों को पूरी तरह

बदल कर रख दिया है। आज विज्ञापनों में महिलाओं की सुंदरता का नग्न प्रदर्शन कराया जाता है। ब्ल्यू फिल्मों, देशी–विदेशी अश्लील फिल्मों इंटरनेट तथा अश्लील साहित्य के कुप्रचार–प्रसार ने बलात्कार के अपराधों को प्रोत्साहन दिया है।

5. सामाजिक अराजकता – सामाजिक अराजकता की स्थिति में चाहे वह अराजकता युद्व के कारण हो अथवा साम्प्रदायिक दंगों के कारण, बलात्कारी अपना शिकार आसानी से ढूँढ लेते है। वर्ष 2002 में हुए गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में महिलाओं के साथ बलात्कार तो किया गया ही साथ ही उनके गुप्तांगों में झण्डे गाड़े जाना तथा गर्भवती महिलाओं का पेट काटकर उनके बच्चे को मार डालने जैसी हिंसक हैयानियत का नंगा नाच भी हुआ था।

6. भ्रष्टाचार और आधुनिकता – अमेरिका में बलात्कारी को मृत्युदण्ड से लेकर 99 वर्ष तक की सख्त सजा दी जा चुकी है, परन्तु हमारे देश में अपराधी बलात्कार और उत्पीड़न के अपराधों के मामलों में पुलिस और अदालतों में भ्रष्टाचार होने के कारण अपराधी साफ बच निकलता है। हमारा भ्रष्ट समाज एक तरह आधुनिकता का जामा ओढ़ना चाहता है तथा दूसरी तरफ महिलाओं की सफलता और कामयाबी उसे स्वीकार नहीं है। बलात्कार की शुरूआत ''ईंव टीजिंग'' से होती है। ''ईव टीजर्स'' खुलेआम छेड़छाड़ करते है, लेकिन सख्त कानून के अभाव मे वें बड़ी आसानी से जमानत पर छूट जाते है। यही छूट उनके बलात्कार का अपराध करने के इरादों को प्रोत्साहन देती है और वे फिर बलात्कार के अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते है।[36]

2.4 यौन उत्पीड़न एवं लैंगिक उत्पीड़न का समाज पर प्रभाव :

भारत में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही होता रहा है। जिसका उल्लेख हमें प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवं पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति–रिवाजों मूल्यों विश्वासों एवं विचारधाराओं का भी महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है। आजादी के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किये

गए है। उसमें शिक्षा का प्रसार हुआ है वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। इसके बावजूद भी उनके प्रति किए जाने वाले अत्याचारों एवं अपराधों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। बलात्कार, दहेज प्रथा महिलाओं को जला देने, भगा ले जाना, अपहरण करने उन्हें मारने पीटने की घटनाएँ आज भी अखबारों की सुर्खियों में रहती है। नैना साहनी हत्या काण्ड जिसमें नैना साहनी को उसके पति ने टुकड़े–टुकड़े करके तंदूर में जला दिया था, की याद वर्तमान में भी तरोताजा है। राजस्थान में डिग्गीढाधी नामक गाँव में श्रीमति बदाम बाई को डायन बताकर उसके प्रति किया गया अत्याचार एवं वर्तमान समय में निर्भया हत्या काण्ड समाज पर एक कलंक है।[37]

बलात्कार सामाजिक अपराध है, मानवीय आस्था के प्रति खुला विद्रोह है। बलात्कार चाहे प्रकाश में आएँ अथवा लोक–लज्जा या किन्हीं अन्य कारणों (धमकी, लालच आदि) से प्रकाश में न आ सकें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे समाज को जो अभिशाप मिलता है, समाज उससे लाख कोशीश करने के बावजूद भी उभर नहीं सकता। यौनाचार को रोकने के लिए शास्ति का सहारा लेना होगा तथा कानून से पहले समाज को अपने विवेक से अपराधी को सजा देनी होगी, साथ ही नारी को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना होगा व बलात्कार, दुराचार, यौनाचार जैसे घृणित कार्यों में अपराधी को समाज के सम्मुख उजागर करके इंसाफ प्राप्त करना होगा।[38]

यह भी सत्य है कि बलात्कारियों की बढ़ती घटनाएँ सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है। उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद देश में उपभोक्तावादी संस्कृति पनपी है। यह कहना उचित होगा कि महिला को उपभोक्तवादी संस्कृति ने उपभोग की वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया है। सिनेमा, टीवी और विज्ञापन फिल्मों की भूमिका इसके पीछे खासकर रही है। उन्होनें महिला की छवि को सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। सिनेमा, टीवी और फिल्मो में

महिलाओं के उत्तेजक दृश्य किशोर वर्ग के लड़के लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे है। कल तक जो चीजें वर्जित थी वहीं आज केबल टीवी के जरिए सरेआम देखी जाने लगी।[39]

हाल ही में नई दिल्ली में गैंग रेप की घटना और उस कारण हुई उस पीड़िता की मौत ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। एक तरफ जहाँ महिला असुरक्षा को लेकर सड़कों पर जनता का सैलाब अब भी जारी है। वही महिला अस्मिता को लेकर समाज और भाासन व्यवस्था की विसंगतियाँ अब ज्यादा रेखांकित हो रही है। नया कानून और महिला अपराध से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केन्द्र से लेकर राज्यों में कई पहल हो भी रही है।

महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में भारत में तेजी से इजाफा हुआ है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक पूरे देश में दर्ज हुए बलात्कार के मामलों में 2009 में 5.9 प्रतिशत, 2010 में 7.1 प्रतिशत, 2011 में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल दर्ज मामलों में से 94.2 मामलों में दुष्कर्म करने वाला उस महिला का अपना सगा संबंधी, रिश्तेदार , पड़ोसी या पारिवारिक मित्र था अर्थात् 5.2 प्रतिशत मामलों में ही महिला किसी अपरिचित की कुदृष्टि का शिकार हुई वरना उसकी इज्जत को लूटने वालों में उसके अपने थे।

एन.सी.आर.बी. के आँकड़े बताते हैं कि दुष्कर्म के कुछ दर्ज मामलों में से 11 प्रतिशत मामलों में पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम थी, स्टॉकिंग यानी फोन पर परेशान करने, अश्लील मैसेज अभद्र बातें करने और धमकाने के लगभग 91 प्रतिशत मामलों में लड़के दोषी पाए गए हैं। दिल्ली में हुए गैंगरेप के विरूद्ध जारी आंदोलन के दौरान युवक–युवतियों के बीच बेमिसाल आपसी समझ, सम्मान, सुरक्षा और हक के लिए किसी भी हद तक जाने की जिजीविषा दिखी है। इसने लड़के–लड़कियों को लकर सदियों पुरानी गुलाम मानसिकता को एक झटके में तोड़ दिया है।

बलात्कार पर कानून :

बलात्कार के आरोपियों के लिए विश्व के सभी देशों में कानून बनाए गए है। जो इस प्रकार हैं –

- अमेरीका – हर राज्य में अलग–अलग प्रावधान हैं, टैक्सास राज्य में जबरदस्ती अप्राकृतिक सैक्स, गैंगरेप के बाद यदि जान से मारने की धमकी दी जाती है या पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को पाँच साल से लेकर अधिकतम 99 साल की सजा तक हो सकती है । लैंगिक उत्पीड़न पर दो से बीस साल तक की सजा की व्यवस्था है। वाशिंगटन में बलात्कारी को पाँच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

- रूस – हिंसा का सहारा या धमकी देकर लैंगिक संबंध स्थापित करना, पीड़िता की असहाय दशा का लाभ देकर लैंगिक उत्पीड़न करना बलात्कार की श्रेणी में सम्मिलित है। इस तरह के मामलों में तीन से छः साल तक की सजा का प्रावधान हैं। गैंगरेप के मामले में चार से दस वर्ष की सजा हो सकती है। 14 वर्ष से कम साल की लड़की के साथ बलात्कार करने पर 8 से 15 वर्ष की सजा हैं। इस तरह के मामलों में कुछ मिलाकर कठोरतम 15 सालों की सजा है।

- ब्रिटेन – बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। लैंगिक रूप से किसी से संपर्क भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। इस वजह से छः महीने से 10 साल तक की सजा हो सकती है। किसी के साथ लैंगिक गतिविधियों के लिए जबदस्ती करने से छः माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

- चीन – चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ बलात्कार के केसों में मृत्यु दण्ड का प्रावधान है। जबरदस्ती अथवा गलत तरीके से बलात्कार करने के

मामले में 3 से 10 साल की सजा है यदि लड़की की आयु 14 वर्ष से कम हो, तो कड़ी सजा हो सकती है। गैंगरेप पीड़िता की मृत्यु होने या उसके गंभीर रूप से घायल होने जैसे विशेष, मामलों में दोषी को फांसी दी जा सकती है। चीनी कानून में पुरूषों को लैंगिक उत्पीड़न का शिकार नहीं माना जाता है।

- पाकिस्तान – गैंगरेप के मामलों में न्यूनतम सजा उम्रकैद से लेकर अधिकतम फांसी हो सकती है। किसी महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने पर 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान है। अप्राकृतिक रूप से लैंगिक उत्पीड़न के लिए दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

- भारत – भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में बलात्कारियों को 7 साल, 10 साल या आजीवन कारावास हो सकता है।

- यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का बलात्कार करता है तो उसको दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- यदि कोई पुलिस अधिकारी या सिविल सेवक किसी महिला का बलात्कार करता है या कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र या गर्भवती स्त्री के साथ बलात्कार करता है या पुरूषों द्वारा गैंगरेप की स्थिति में 10 साल के सश्रम कारावास या आजीवन कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

- आई.पी.सी. की धारा 509 के तहत शब्द भाव–भंगिमा या हरकत द्वारा स्त्री के सम्मान को ठेस पहुँचाने के मामले में भी एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते है।

- आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत स्त्री के सतीत्व का उल्लंघन होन पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते है।

आपराधिक कानूनों में संशोधन हेतु न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2012 :

दिल्ली गैंग रेप जैसी घटनाओं को रोकने तथा दोषियों को त्वरित ढंग से सजा दिलाए जाने के लिए आपराधिक कानूनों – भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), आपराधिक प्रक्रिया संहित (सीआर.पी.सी.), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सैन्य बलों (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ तथा भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम समिति के अन्य सदस्य थे समिति ने मात्र एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 23 जनवरी 2013 को सौंप दी इस समिति ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, देह कारोबार, बाल यौन दुरूपयोग, पीड़ितों का चिकित्सकीय परीक्षण, पुलिस निर्वचन, शैक्षणिक सुधारों आदि पर व्यापक सुझाव दिए हैं जो निम्नानुसार हैं –

- आपराधिक मामले में अदालत से संज्ञान लेते ही आरोपी के चुनाव लड़ने पर रोक लगे।
- चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के शपथपत्र की कैग से जाँच होनी चाहिए।
- दुष्कर्म के आरोपी को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिले।
- आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक न हो।
- अपराध कानून संशोधन विधेयक – 2012 में यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल असॉल्ट) की जगह पहले से मौजूद दुष्कर्म (रेप) शब्द का प्रयोग किया जाए।
- आत्मरक्षा कानून में संशोधन कर एसिड हमले को भी शामिल किया जाए।

- छेड़खानी व दुष्कर्म के मामले में एफ.आई. आर. नहीं करने वाले अधिकारी के लिए पाँच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जाए।
- एसिड हमले के दोषी के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाए।
- अश्लील हरकत करने पर एक वर्ष की शारीरिक छेड़छाड़ करने पर पाँच वर्ष की, महिला के कपड़े जबरन उतारने पर तीन वर्ष से सात वर्ष, महिला का पीछा करने वाले के लिए एक से तीन वर्ष की तथा छेड़खानी करने पर एक से सात वर्ष की सजा का प्रावधान हो।
- मानव तस्करी की सजा सात वर्ष से 10 वर्ष एक से अधिक लड़कियों की तस्करी में भी 10 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा हो।
- दुष्कर्म की सजा सात वर्ष से उम्रकैद की जाए, पीड़िता को मुआवजा मिले।
- संरक्षण में दुष्कर्म की स्थिति में सजा 10 वर्ष से उम्रकैद तक।
- दुष्कर्म से मौत या मौत की स्थिति तक पहुँचने पर कम से कम 20 वर्ष या जीवनपर्यन्त जेल की सजा हो।
- नाबालिग से दुष्कर्म की स्थिति में 10 वर्ष से उम्रकैद तक की सजा।
- सामूहिक दुष्कर्म की नई धारा बनाकर 20 वर्ष से जीवनपर्यंत कैद की सजा और मुआवजा।
- सुरक्षा का दायित्व निभाने में नाकामी की वजह से दुष्कर्म की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी को सात से दस वर्ष की सजा।
- यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई महिला जज ही करें।

- संघर्षरत् क्षेत्रों में महिला यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त हो।

- हर जिलाधिकारी को अपने इलाके में लापता बच्चों की गणना करनी चाहिए।

भारत सरकार ने वर्मा समिति की सिफारिशों को संज्ञान में लेते हुए भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु 3 फरवरी 2013 को एक अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश में लड़कियों/महिलाओं पर तेजाब फेंकने, यौन उत्पीड़न, दृश्यपरितित्त्का (घूरने) लुक–छिप कर पीछा करने को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 354–सी को जोडा है। धारा 354–ए को जोड़कर यौन उत्पीड़न के लिए एक से पाँच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। बुरी नजर से घूरने पर एक वर्ष से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तेजाब फेंकने के मामले में धारा 326–ए जोड़कर कम से कम दस वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास तथा दस लाख रूपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 326–ए जोड़कर कम से कम दस वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास तथा दस लाख रूपए तक के अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 326–बी के तहत तेजाब फेंकने के प्रयास पर भी पाँच से दस वर्ष तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है। महिलाओं को सार्वजनिक रूप से वस्त्रहीन करने पर धारा 354–बी के तहत कम से कम 3 वर्ष तथा अधिकतम पाँच वर्ष की सजा का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को 370 तथा 370–ए से प्रतिस्थापित करके मानव के अवैध कारोबार के लिए दण्ड का प्रावधान किया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार को नए ढंग से परिभाषित किया गया है। यौन आक्रमण के दोषियों को धाराा 376–ए के तहत 20 वर्ष या मृत्यु होने तक आजीवन कारावास के साथ–साथ पीड़िता को क्षतिपूर्ति हेतु

आर्थिक दण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया जो कम से कम इतना हो कि उसका उपचार तथा पुनर्वास हो सके।[40]

बलात्कार के मामलों में क्या करें :

यदि कोई महिला बलात्कार की शिकार हुई है तो निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए जा सकते हैं –

- यौन हमले के तुरंत बाद पीड़ित महिला को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह जगह पीड़िता का घर, उसकी दोस्त अथवा पारिवारिक सदस्य का घर हो सकता है।
- सहयोगपूर्ण रवैया अपनाए और उसे विश्वास दिलाएँ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके साथ विनम्रतापूर्ण और समझदारी के साथ व्यवहार करें।
- पीड़िता महिला से यह पता करें कि क्या वह बलात्कार करने वाले की पहचान कर सकती है और बलात्कार की परिस्थितियों एवं अपनी चोटों के बारे में बता सकती है।
- महिला को तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलना जरूरी है और तत्काल चिकित्सकीय/फोरेंसिक (बलात्कार के मामलों में की जानी वाली खास जाँच) जाँच कराए जाने पर खास जोर दिया जाना चाहिए। आपको भी महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र तक जाना चाहिए।
- सबूतों को सुरक्षित रखना (पीड़ित के शरीर में रह गई जैविकीय सामग्री) महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन्हीं से यौन हमला करने वाले उत्पीड़क की पहचान होती है, खासतौर से उन मामलों में जिनमें उत्पीड़क कोई अजनबी हो। इसलिए महिला को जांच से पहले नहाना या अपनी साफ–सफाई नहीं करनी चाहिए।

- महिला और उसके परिवार वालों को पुलिस की सहायता लेने में मदद करें और उन्हें समुदाय में काम करने वाले ऐसे अन्य संगठनों से मिलवाएँ जो बलात्कार की शिकार हुई महिला को सहायता मुहैया कराने का काम करते है।
- महिला द्वारा अपराध की रिपोर्ट अभी दर्ज न कराने का फैसला करने पर भी फोंरेसिंक (कानूनी कार्यवाही में मदद के लिए की जाने वाल जाँच) चिकित्सा जाँच कराना एवं रिपोर्ट ओर सबूतों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है ताकि पुलिस बाद में उन्हें मामले की कार्रवाई और जाँच के लिए प्रयोग कर सकें।
- गर्भ ठहरने से बचाने के लिए महिला को आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ दें। अगर गंभीर चोट लगी हो तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए।
- महिला की मदद करें जिससे अगर उसने अभी तक इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को न बताया हो तो वह उन्हें बता सके। याद रखे कि पारिवारिक सदस्यों को भी बलात्कार की घटना के बारे में अपनी भावनाओं से उबरना होता है।
- महिला और उसके पारिवारवालों का हौंसला बढ़ाए और बताएँ कि बेशक यह एक दिल दहला देने वाली घटना है, किंतु इससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना ही होगा, इस घटना से जीवन रूकता नहीं है और हर चीज का अंत नहीं हो पाता।
- महिला को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है और इस बारे में उसके जिला अस्पताल में ले जाने के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1) महिलाएँ समझें अपने कानूनी अधिकार, जे.के. वर्मा, राजा पॉकेट बुक, प्रथम संस्करण, 2013, पृष्ठ 131

2) मनुस्मृति के अनुसार

3) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2011, पृष्ठ 66

4) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 105

5) नारी–शोषण समस्याएँ एवं समाधान, डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ 1

6) नारी–शोषण समस्याएँ एवं समाधान, डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ 3–4

7) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 105

8) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 105

9) भारतीय इतिहास में नारी, डॉ. एस.एल. वरे, कैलास पुस्तक सदन, संस्करण, 2007, पृष्ठ 74

10) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 105

11) महिला अधिकार एवं कानून, डॉ. रीता सक्सेना, रितु पब्लिकेशन, जयपुर प्रथम संस्करण, 2010, पृष्ठ 02

12) भारतीय दण्ड संहिता, 1860, डॉ. बसन्तीलाल बाबेल, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद, 20वाँ संस्करण, 2007, पृष्ठ 303

13) विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी के अनुसार, मानचंद खण्डेला, पृष्ठ 187

14) नारी–शोषण : समस्याएँ एवं समाधान, डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ 66

15) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो. मानचंद खंडेला, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ 183

16) ए.आई.आर. 1958 पंजाब 123, राव हरनारायण,

17) ए.आई.आर. 2003, एस.सी. 696

18) सीआर.एल.आर. 1979 राजस्थान 228

19) ए.आई.आर. 2004, एस.सी. 978

20) ए.आई.आर. 2004, एस.सी. 1874

21) ए.आई.आर. 2004, एस.सी. 1497

22) ए.आई.आर. 2006, एस.सी. 2568

23) ए.आई.आर. 2006, एस.सी. 3098

24) 1952 एस.सी.आर. 377

25) ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 2639

26) ए.आई.आर. 2003, एस.सी. 4684

27) ए.आई.आर. 2003, एस.सी. 2136

28) ए.आई.आर. 2005, एस.सी. 434

29) ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 966

30) ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1926

31) ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 3084

32) भारतीय दण्ड संहिता, डॉ. बसन्तीलाल बावेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, बीसवाँ संस्करण 2007, पृष्ठ 304–307

33) महिलाएँ समझें अपने कानूनी अधिकार, जे.के. वर्मा, राजा पॉकेट बुक, प्रथम संस्करण 2013, पृष्ठ 128

34) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो. मानचंद खंडेला, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ 180–181

35) बेव दुनिया फीचर डेस्क

36) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 71–73

37) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर प्रथम संस्करण, 2009, पृष्ठ 171

38) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर प्रथम संस्करण, 2009, पृष्ठ 42

39) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 7–8

40) महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण, दिव्या पाण्डे, संस्करण 2005 पृष्ठ क्र. 44 से 45.

अध्याय-तृतीय

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

3.1 प्रस्तावना

3.2 बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनके प्रति व्यवहार का अध्ययन

तृतीय अध्याय
बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

3.1 प्रस्तावना :

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करके ही उस वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है जिससे बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध घटित होते है। वर्तमान में समाज में रहने वाले प्रबुद्ध एवं धनी व्यक्तियों द्वारा गरीब महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें विवश किया जाता है एवं बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी व महंगाई के चलते महिलाओं के साथ कई प्रकार के अपराध कारित होते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ, कामकाजी महिलाएँ एवं घरेलू महिलाएँ अधिकतर इस प्रकार के गंभीर अपराधों का शिकार होती हैं।

इस अध्याय के अन्तर्गत बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। चूँकि बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न व्यक्तिगत अपराध है फिर भी इसमें सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में उनसे सम्बन्धित आँकड़ों से प्राप्त संख्या व उनके प्रतिफल को दर्शाया गया है ताकि घटना से सम्बन्धित जानकारी को पूर्णरूप से स्पष्ट किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र :— छिन्दवाड़ा जिला वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया। यह जिला सतपुड़ा पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 21.28^0 से 22.49^0 उत्तर अक्षांश एवं 78.10^0 से 79.24^0 पूर्व देशांश में स्थित है।

दक्षिण में जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर एवं अमरावती जिले के मैदानी भाग से लगती है, एवं उत्तर में नर्मदा घाटी में स्थित जिला यथा होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम एवं पूर्व में क्रमशः बैतूल एवं सिवनी जिला स्थित है।

जिले की प्रमुख नदियाँ कन्हान, पेंच, जाम, कुलबेहरा, शक्कर, दुधी एवं सोन है। जिले की जलवायु उसके प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार अनेक विभिन्नताओं से मिलती है। सौंसर के मैदानों की जलवायु गर्म है। उत्तरी क्षेत्र समशीतोष्ण है।

विकास की स्थिति देखते हुए छिन्दवाड़ा जिला पिछड़ी एव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है।

अनुसंधान कार्य विधि की समस्या का चयन करने के बाद आँकड़ों के संग्रहण की स्थिति सामने आती है। आँकड़ों का संग्रहण प्राथमिक रूप से अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित क्षेत्र में जाकर करता है। आँकड़ों के संग्रहण का क्षेत्र विशेष रूप से वहाँ के परिवेश, व्यक्तिगत अध्ययन और व्यवहारिक विधि के माध्यम से किया जाता है, समस्या के संबंधित जानकारी अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के माध्यम से एकत्रित करता है तथा कुछ उत्तर प्राप्त करना चाहता है, इसे अनुसंधानकर्ता का प्राथमिक स्त्रोत अर्थात प्रश्नावली विधि कहा जाता है।

अनुसंधानकर्ता ने छिन्दवाड़ा जिले में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की समस्या के बारे में शब्दों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है जिनमें उत्तर देने वाले व्यक्तियों में विभिन्न वर्गों की महिलाएँ, कामकाजी महिलाएँ, घरेलू महिलाएँ एवं विवाहित महिलाएँ हैं।

3.2 बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनके प्रति व्यवहार का अध्ययन :

तालिका क्रमांक 3.1

बलात्कार कि शिकार महिलाओं की जाति से संबंधित जानकारी का विवरण।

क्रमांक	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य जाति	35	17.5 %
2.	अनुसूचित जाति	89	44.5 %
3.	अनुसूचित जनजाति	50	25 %
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	26	13 %
	कुल संख्या	200	100 %

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन–2018

इस अध्ययन में बलात्कार की शिकार महिलाओं का वर्गीकरण जातिगत आधार पर किया गया है ताकि जातिगत भ्रामक परिस्थितियों को सामान्य ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इनका वर्गीकरण सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अगर जातिगत आधारों पर बलात्कार की घटना से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उल्लेखित किया जाये तो सामान्य जाति के अंतर्गत आने वाली महिलाएँ जो कि बलात्कार की शिकार हुई हैं उनकी संख्या कुल संख्या में से 35 है जिसका प्रतिशत 17.5 है इस वर्ग में सामान्यतः घटनाएँ ज्यादातर पारिवारिक दुश्मनी और अपहरण द्वारा घटित होती है । चूंकि इस वर्ग की महिलाएँ अधिकतर अपनी पारिवारिक परिसीमा के अंतर्गत रहती है इसलिए इनके साथ घटित घटना सामान्यतः प्रकाश में नही आ पाती है।

अनुसूचित जाति में महिलाओं के साथ घटित घटना की अगर हम व्याख्या करें तो इनकी संख्या कुल संख्या में 89 है। जिसका प्रतिशत 45 है। अनूसचित जाति की

महिलायें ज्यादातर खेतों व अन्य जगहों पर कार्य करती हैं जिससे इनके साथ इस प्रकार की घटनाएँ सामान्यतः घटित होती रहती हैं । इस वर्ग में ज्यादातर बलात्कार की शिकार महिलाएँ होती है चूंकि इस वर्ग से संबंधित महिलाएँ गरीब वर्ग से होती है और जिसका फायदा बलात्कारी व्यक्ति उठाता है। वह सोचता है कि बलात्कार से पीड़ित महिला को डरा धमका कर उसे एवं अन्य व्यक्ति से इस बात का जिक्र करने से एवं जान से मारने की धमकी देने से वह चुपचाप बैठ जाती है। यदि वह जागरूक भी रही तब भी आर्थिक अभाव के कारण न्यायालीन प्रक्रिया में समय व धन के व्यय को वहन करने में अक्षम होती है। अक्सर देखा जाता है कि इस वर्ग की महिलाओं में आवाज उठाने या पारिवारिक सहयोग की कमी होती है। वह सहयोग ज्यादातर आर्थिक ही होता है, क्योंकि यह वर्ग अपने कार्य को प्राथमिकता देता है अगर महिलाएँ काम पर न जाये तो उसके घर में चुल्हा जलाने में दिक्कत आ सकती है।

अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यदि हम व्याख्या करें तो पायेंगे कि इनकी कुल संख्या 50 है जिसका प्रतिशत 25 है। इस जाति की महिलाएँ ज्यादातर बाहरी व्यक्तियों द्वारा बलात्कार की शिकार होती हैं। इस वर्ग से संबंधित एक मिथक यह है कि जनजातीय महिलायें यौन संबंध में संकीर्ण नहीं होती हैं, उनके बारे में यौन संबंध को लेकर यह धारणा की जाती है कि वे कई व्यक्तियों से बिना किसी हिचक के यौन संबंध स्थापित कर लेती हैं, क्योंकि कुछ जनजातियों में महिलाओं को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वह अपने पंसद के व्यक्ति से संबंध बना सकती हैं यद्यपि यह पूर्णतः गैर कानूनी है।

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिलाओं की संख्या सर्वे के दौरान 26 पायी गयी। जिसका प्रतिशत 13 रहा है और अगर इनके साथ कोई घटना घटित भी होती है तो प्रकाश में कम ही आती है। अगर क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो इस जिले में इस वर्ग की जनसंख्या भी अन्य वर्गों की तुलना में कम है और इस वर्ग की महिलाओं के साथ घटित घटना प्रकाश में जल्दी नहीं आने का कारण पारिवारिक दबाव होता है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर अगर हम इनको क्रमवार में रखें तो सर्वाधिक बलात्कार की घटनाएँ अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ घटित हुई हैं, इनका प्रतिशत 44.5 है। दूसरे स्थान पर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ, जिनका प्रतिशत 25 है। इसके बाद 17.5 प्रतिशत सामान्य जाति से संबंधित बलात्कार की शिकार महिलाओं का प्रतिशत रहा है और सबसे कम अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं का प्रतिशत रहा है जो 13 प्रतिशत है उपर्युक्त प्राप्त आँकड़े यहाँ की जनसंख्या के आधार पर भी देखे जा सकते हैं।

रेखा चित्र क्र. 3.1
बलात्कार की शिकार महिलाओं की जाति से संबंधित जानकारी

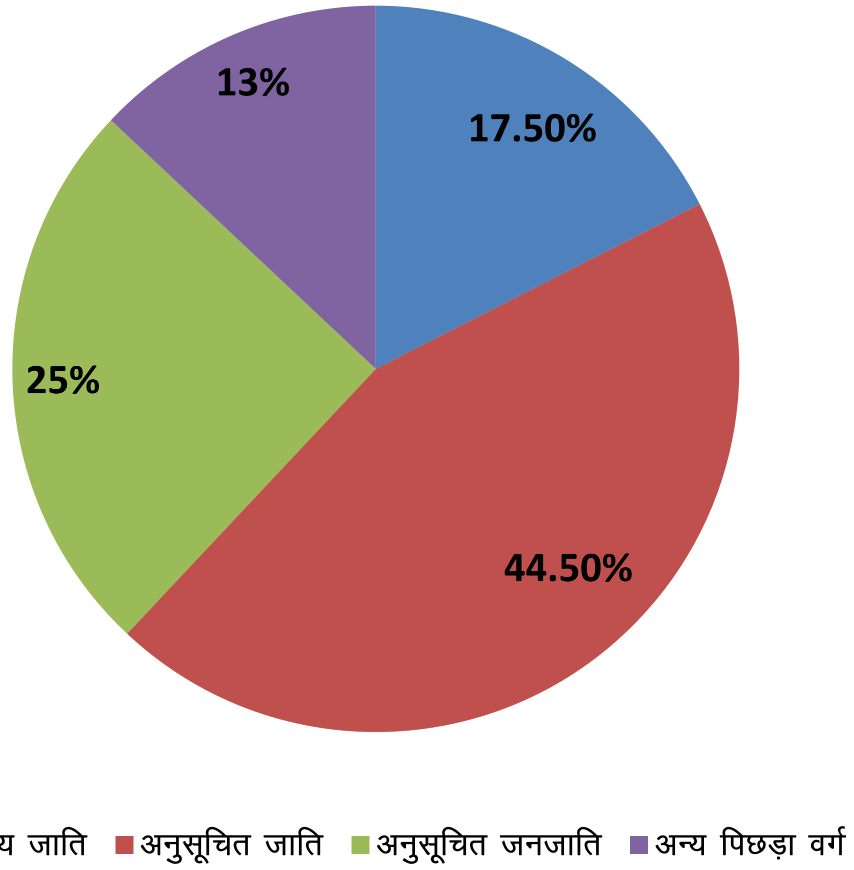

तालिका क्रमांक 3.2

बलात्कार की घटना में पीड़ित महिलाओं के धर्म का विवरण

क्रमांक	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	104	52
2.	मुस्लिम	91	45.5
3.	सिक्ख	02	1
4.	ईसाई	00	0
5.	अन्य	03	1.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

धर्म किसी की समाज की संस्कृति को उसकी जातिगत परम्परागत रूढ़ियों को दर्शाता है । धर्म से व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध होता है । चूंकि अपराध या घटना किसी व्यक्ति के द्वारा ही घटित होती है, इसलिए बलात्कार से संबंधित घटना में भी धर्म का महत्व ज्यादा होता है।

धर्म में उस समाज से संबंधित कुछ मूल्य होते हैं जिसे व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। कौन समाज कितना खुला हुआ है यह उसके धर्म से ज्ञात होता है। अगर हम सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आँकड़ों को विश्लेषित करें तो प्राप्त आँकड़ों में हिन्दू धर्म से संबंधित महिलाओं की संख्या 104 पाई गई है जिसका प्रतिशत 52 है। चूंकि यहाँ पर हिन्दू धर्म से संबंधित लोग ज्यादा हैं और इस धर्म में औरतों को परम्पराओं का पालन करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उन्हें अधिकांशतः घर के अंदर रहना पड़ता है और ऐसे समाज की कोई महिला बलात्कार की शिकार होती है तो सबसे पहले उसे परम्परा व परिवार की मान–मर्यादा की खातिर चुप रहना पड़ता है और महिलाएँ ऐसी घटना को सार्वजनिक रूप से बताने में संकोच करती हैं । इस प्रकार कभी–कभी लम्बे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया का फायदा बलात्कारी ही उठता है।

मुस्लिम समाज से संबंधित महिलाओं जिनके साथ बलात्कार की घटना घटित हुई है, की संख्या 91 एवं प्रतिशत 45.5 रहा है। मुस्लिम समाज में बहुत ही कड़े नियम व न्याय की प्रक्रिया कठोर होती है। इस समाज में अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारी व्यक्ति को अगर सजा मिल की जाती है तो उक्त महिला को उम्र भर समाज की दृष्टि में निम्न समझा जाता है, और वह उम्र भर कष्ट झेलती रहती है।

सिक्ख धर्म से संबंधित महिलाओं की संख्या 2 एवं प्रतिशत मात्र 1 रहा है। इसाई धर्म से संबंधित कोई भी आँकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, इसकी संख्या 0 रही है जबकि अन्य जैसे जैन व बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाली महिलाओं की संख्या 3 व प्रतिशत 1.5 रहा है।

इस प्रकार अध्ययन के आधार पर देखें तो प्रथम स्थान पर हिन्दू, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे स्थान पर अन्य धर्म से संबंधित महिलाएँ व चौथे स्थान पर सिक्ख धर्म से संबंधित महिलाएँ पायी गई हैं। चूंकि छिन्दवाड़ा में हिन्दू व मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्ति ज्यादा हैं, इसलिए इनका प्रतिशत भी उसी हिसाब से पाया गया है। इसके साथ ही सभी धर्मो के अंतर्गत पाये जाने वाले मूल्यों का भी इस पर प्रभाव परिलक्षित होता है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.2
बलात्कार की घटना में पीड़ित महिलाओं के धर्म का विवरण

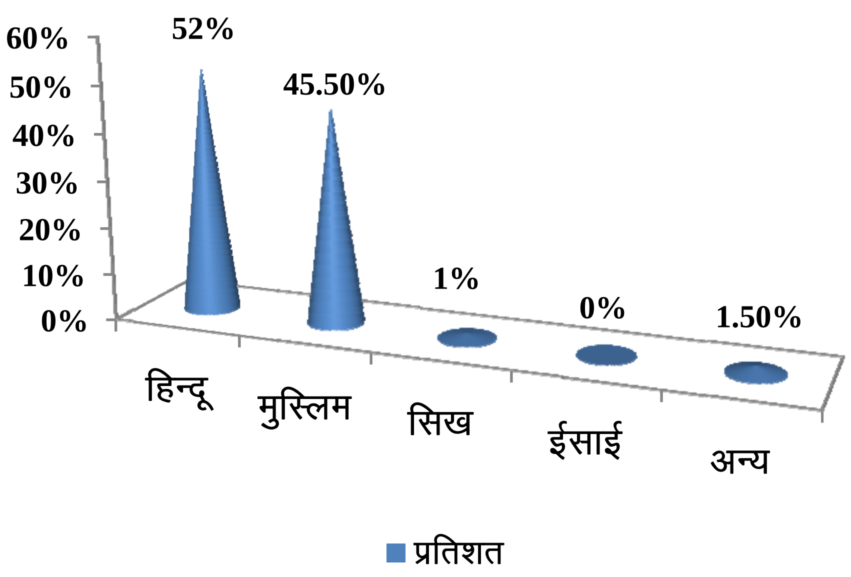

तालिका क्रमांक 3.3

बलात्कार की घटना में पीड़िता महिलाओं के शिक्षा का विवरण

क्रमांक	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राथमिक शिक्षा	70	35
2.	माध्यमिक शिक्षा	38	19
3.	इंटरमीडिएट	19	9.5
4.	स्नातक	04	2
5.	अशिक्षित	69	34.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

शिक्षा मानव जगत में ज्ञान रूपी उजियारा फैलाती है। इसके अभाव में व्यक्ति बहुत पिछ्ड जाता है। शिक्षा का महत्व या संबंध व्यक्ति एवं घटना से जुड़ा होता है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है जबकि अशिक्षित व्यक्ति इससे अनभिज्ञ रहता है । अगर बलात्कार की घटनाओं के संदर्भ में हम इसकी व्याख्या करें तो शिक्षित परिवार की महिलाओं की अपेक्षा अनपढ़ महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएँ अधिक देखने को मिली हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों से यह पता चलता है कि बलात्कार की शिकार महिलाओं में प्राथमिक स्तर पर शिक्षित महिलाओं की संख्या 70 एवं प्रतिशत 35 है इस संख्या के अंतर्गत सभी उम्र की महिलायें सम्मिलित की गई हैं। जबकि माध्यमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं की संख्या 38 एवं प्रतिशत 19 है। इसके बाद इन्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित बलात्कार की शिकार महिलाओं की संख्या 19 एवं स्नातक स्तर तक शिक्षित महिलाओं की संख्या 4 पायी गयी और अशिक्षित महिलाओं की संख्या 69 है जो कि कुल संख्या का 34.5 प्रतिशत है।

उपर्युक्त प्रस्तुत आँकड़ों का अगर हम विश्लेषण करें तो पायेंगे कि सर्वाधिक प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं का है कारण इनमें मात्र लिखने—पढ़ने के अलावा अन्य ज्ञान का या जानकारियों का अभाव पाया जाता है। इसलिए इस वर्ग में यह संख्या सर्वाधिक है। इसके स्तर पर अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत रहा है। अशिक्षित महिलाओं की संख्या कुल आँकड़े का 34.5 प्रतिशत है। अशिक्षित महिलायें घटना से संबंधित साक्ष्य के बारे में उतनी जागरूक नहीं होती हैं और वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर बैठती हैं फलतः उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। इसके बाद माध्यमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 19 है। उसके बाद इन्टरमीडिएट तक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 9 है तथा सबसे कम प्रतिशत स्नातक स्तर तक शिक्षित महिलाओं का है, इनका प्रतिशत मात्र 2 है । इस प्रकार से अगर शिक्षा के आधार पर हम बलात्कार की घटनाओं का वर्णन करें तो अशिक्षित और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ सर्वाधिक बलात्कार की घटना घटती है। जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के साथ यह घटना अपेक्षाकृत बहुत कम घटित हुई है।

रेखा चित्र 3.3
बलात्कार की घटना में पीड़ित महिलाओं की शिक्षा का विवरण

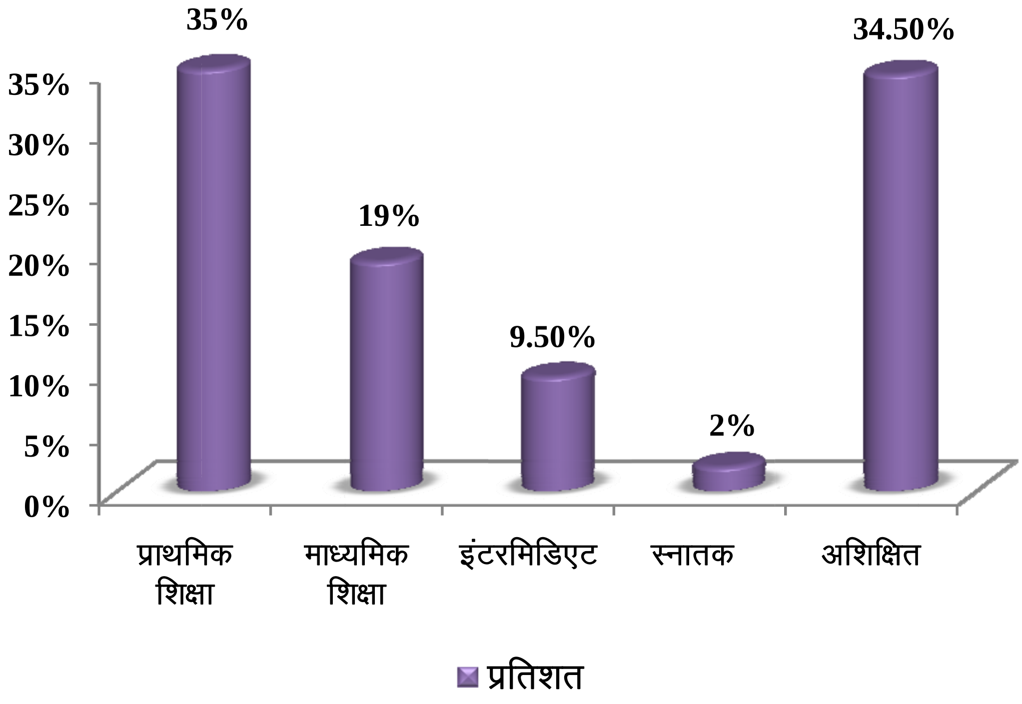

तालिका क्रमांक 3.4

क्या वर्तमान में छिन्दवाड़ा जिले में बलात्कार और महिला यौन उत्पीड़न की घटनायें बढ़ रही हैं ?

क्रमांक	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	अधिवक्ता	54	36
2.	न्यायधीश	08	5.3
3.	पत्रकार	12	8
4.	चिकित्सक	15	10
5.	नेता	09	6
6.	महिला कर्मचारी	45	30
7.	थाना प्रभारी	07	4.7
	कुल संख्या	150	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं ने बलात्कार और महिला यौन उत्पीड़न की घटना बढ़ने के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है जिसका विश्लेषण इस प्रकार है, सर्वप्रथम 36 प्रतिशत अधिवक्ताओं का मानना है कि महिला यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं, एवं 5.3 प्रतिशत न्यायधीशों का मानना है कि बलात्कार की घटनायें एवं यौन उत्पीड़न हमारे समाज में तीव्र गति से बढ़ रही है। 8 प्रतिशत पत्रकार एवं 10 प्रतिशत चिकित्सक व 6 प्रतिशत नेताओं और 30 प्रतिशत महिला कर्मचारी एवं 4.7 प्रतिशत थाना प्रभारियों का मानना है कि वर्तमान में यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसी घटनाएँ समाज में निरंतर बढ़ रही हैं जिससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में अपराध विधि अधिनियम संशोधन, 2013 पारित किया गया है, जिससे संभावना है कि आने वाले समय में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर समुचित रोक लगाई जा सकेगी।

रेखा चित्र 3.4
क्या वर्तमान में छिन्दवाड़ा जिले के बलात्कार और महिला यौन उत्पीड़न की घटनायें बढ़ रही है ?

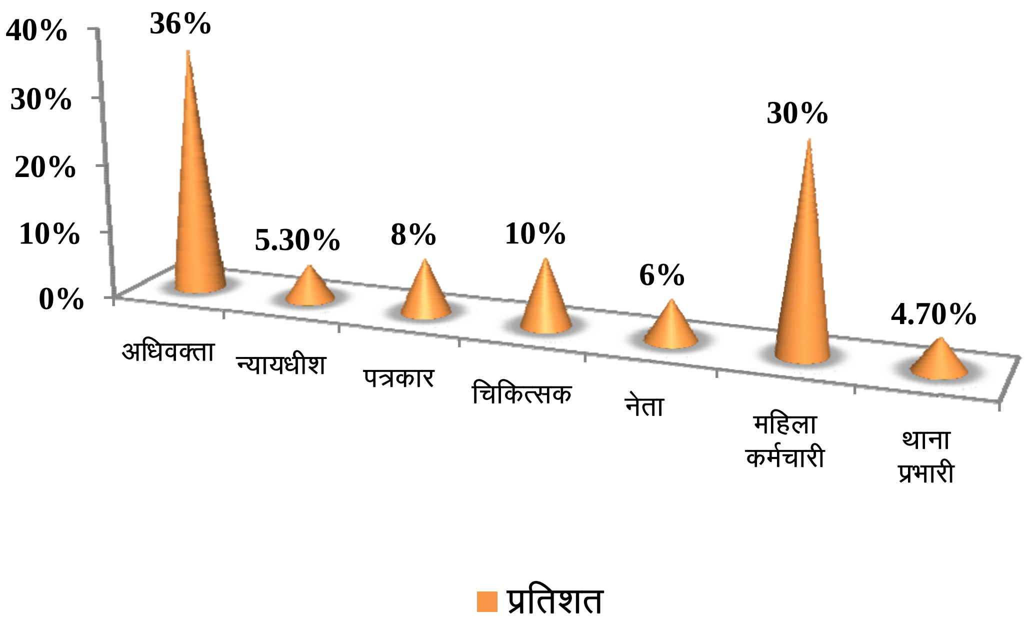

तालिका क्रमांक 3.5

बलात्कार की शिकार महिलाओं का आयु के अनुसार वर्गीकरण

क्रमांक	बलात्कार की शिकार महिलाओं की उम्र	संख्या	प्रतिशत
1.	0 – 10 वर्ष	11	5.5
2.	11 – 17 वर्ष	76	38
3.	18 – 21 वर्ष	44	22
4.	22 – 30 वर्ष	40	20
5.	31 से अधिक	29	14.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

बलात्कार तथा आयु का अत्याधिक निकटतम संबंध होता है। बलात्कार को हम जबर्दस्ती का यौन संबंध मानते हैं अर्थात् इसमें महिला का किसी भी रूप में सहयोग नही होता, किन्तु नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई बलात्कार करता है तो वह एक जघन्य अपराध होता है।

पिछले वर्षों का आंकलन किया जाये तो छोटी उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो निश्चित रूप से चिंताजनक व भयावह है। समाचार पत्रों में आये दिन छपने वाले समाचार मानसिक बीमारी का प्रमाण है। एक तरफ गुड़ियों के संग खेलने की उम्र में बच्चों के साथ बलात्कार जैसे घृणित और संगीन अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश बलात्कारी कानून के किसी न किसी चोर दरवाजे से भाग निकलने में सफल होते हैं।

उबाऊ, थकाऊ, और घर बिकाऊ न्याय व्यवस्था में गरीब आदमी को महसूस होने लगा है कि इतनी इज्जत तो तब भी खराब नहीं हुई थी जब उसकी बहू–बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जितनी अब यहाँ इन कोर्ट–कचहरियों में आकार हो जाती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 0–10 वर्ष अर्थात बाल्यावस्था की बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं का प्रतिशत 5.5 है, 11–17 वर्ष की किशोरियों के साथ सर्वाधिक बलात्कार के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इस उम्र की बच्चियों का शारीरिक विकास तो हो जाता है, लेकिन उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। इस उम्र की किशोरियाँ ज्यादातर अनजाने में एवं बहकावे में आ जाती है, जिससे ये बलात्कार की शिकार बन जाती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार बलात्कार की कुल घटनाओं में समे 43.5 प्रतिशत घटनाएँ नाबालिग लड़कियों के साथ हुई हैं जो कि कुल कुल घटनाओं का करीब आधा है।

आमतौर पर पति–पत्नि के शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जाता है, लेकिन अगर पत्नि की आयु 16 वर्ष से कम है तो ऐसा कृत्य बलात्कार माना जाता है।

18–21 वर्ष की उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना घटित होने का प्रतिशत 22 है। इस उम्र की लड़कियाँ मानसिक रूप से उतनी परिपक्व नहीं होती, परन्तु कानून की दृष्टि से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर महिला को व्यस्क माना जाता है और ऐसे प्रकरण में महिला की सहमति को माना जाता है, जिससे बलात्कार की पुष्टि पूर्ण नहीं हो पाती है, ज्यादातर अपराधी इस उम्र की लड़कियों को भावनात्मक रूप से भी कमजोर बना देते हैं । चूंकि यौवनावस्था का विकास इस उम्र में हो चुका होता है इसलिए इस अवस्था या उम्र वाली महिलाओं के साथ बलात्कार संबंधित घटना सर्वाधिक होती है।

इसके बाद 20 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार के घटना के अध्ययन में 20 प्रतिशत आँकड़े प्राप्त हुए हैं। इस 22 से 30 वर्ष के बीच की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की घटना में ज्यादातर ऐसे प्रकरण होते है जो कि गरीबी या परिचित लोगों द्वारा घटित होता है। ऐसी घटना अगर किसी महिला के साथ होती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के दौरान यह साबित करा दिया जाता है कि अगर वह शादीशुदा है तो उसकी सेक्स में रूचि होती है और इसलिए उसकी उसमें सहमति मानी जाती है; दूसरा अगर वह अविवाहित है तब भी उस पर यही बात लागू की जाती है कि इस संबंध में इस युवती की पूर्ण सहमति थी और जब सबको पता चलता है तो इसे जबरदस्ती के यौन संबंध अर्थात् बलात्कार की संज्ञा देते हैं।

31 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं पर हुए बलात्कार की संख्या एवं प्रतिशत 14.5 है। 31 से अधिक आयु वर्ग के अंतर्गत कुछ ऐसे भी प्रकरण रहे है जो कि 60 से अधिक उम्र की महिला के साथ बलात्कार हुआ है। इस उम्र में महिला के साथ इस प्रकार की घटना किसी यौनिक पूर्ति के लिए न होकर प्रतिरोध के लिए किया जाता है। चूंकि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है इसलिए इन सभी उम्रवार महिलाओं की संख्या का वर्गीकरण 31 से अधिक के अंतर्गत कर दिया गया है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि बलात्कार किसी भी उम्र की महिला के साथ घटित होता है। इसमें किसी खास उम्र की प्राथमिकता नहीं होती है, भिन्न पारिवारिक कारणवश सबसे ज्यादा 11 से 17 वर्ष की महिलाओं के साथ घटना घटित होता है और सबसे कम 0–10 वर्ष में बच्चियों के 18 से 21 वर्ष में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना का प्रतिशत मध्यम से थोड़ा कम रहा, जिसका प्रतिशत 20 प्रतिशत रहा है और अंत में 31 से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ घटित बलात्कार की घटना का प्रतिशत 14.5 रहा है। ये सभी घटनायें अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्गीकृत कर श्रोणीवार रखी गयी हैं।

रेखा चित्र क्रमांक 3.5
बलात्कार की शिकार महिलाओं का आयुवर्ग अनुसार वर्गीकरण

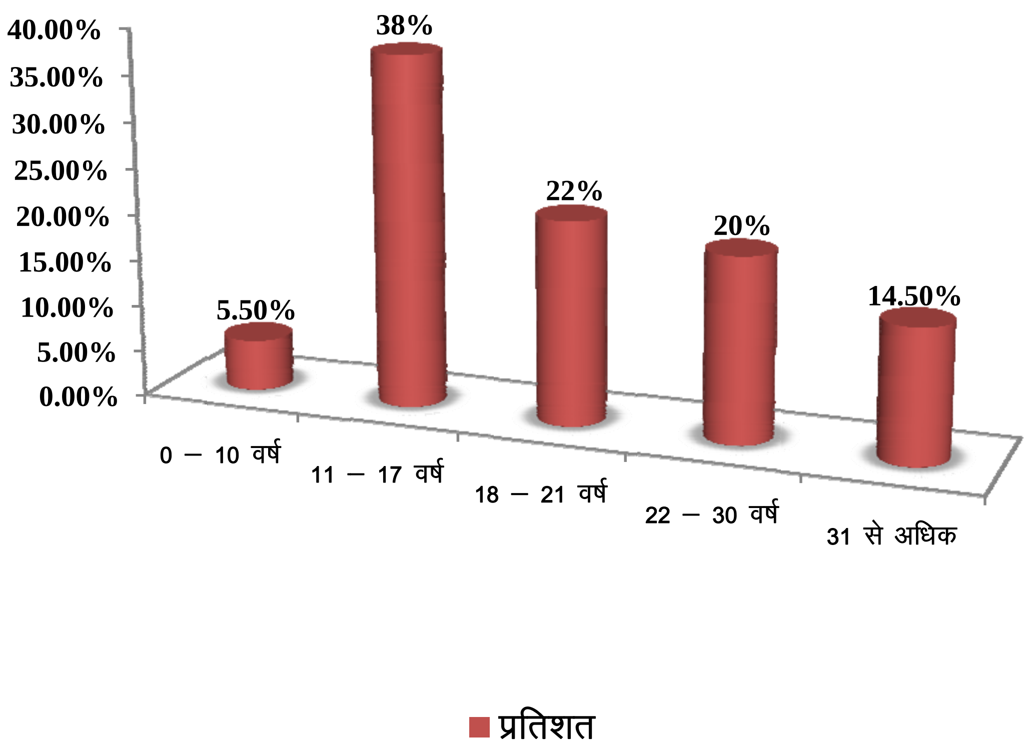

तालिका क्रमांक 3.6

बलात्कार की शिकार महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण

क्रमांक	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	80	40
2.	अविवाहित	108	54
3.	विधवा	8	4
4.	तलाक शुदा	4	2
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

भारत में वैदिक काल से ही वैवाहिक संस्कार का उल्लेख मिलता है विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में उल्लेख किया गया है जिससे एक पुरूष और एक स्त्री विवाह संस्कार संपन्न होने के पश्चात् तीन उद्देश्य (1) धर्म (2) पूजा और (3) रति की पूर्ति करें। विवाह सामाजिक मान्यता का प्रमाण है जिसमें एक पुरूष एक स्त्री के साथ ही मात्र यौनाचार करने के लिए अधिकृत है, परन्तु उस पर भी और अधिक अंकुश लग सके इसलिए धर्म को विवाह का पहला उद्देश्य माना गया है तथा संतान को दूसरा उद्देश्य माना गया और रति को जिसमें यौनिक आंनद की उपलब्धि होती है, तीसरा उद्देश्य माना गया है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में बहुत कम ही ऐसा उल्लेख मिलता है, जहाँ पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक बलात्कार जैसा कि वर्तमान समाज में हो रहे है, की घटनाओं का उल्लेख हो। भारत एक धर्म निरपेक्ष एवं अध्यात्मिक देश है जहाँ पर नारियों को देवी के रूप में प्रतिष्ठापित करके पूजा की जाती है और स्त्री में मातृ का स्वरूप देखने का दर्शन प्रतीत रहा है, वहाँ पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं का इस विकृत रूप में बढ़ना एक आश्चर्यजनक घटना ही है। यद्यपि धार्मिक स्थानों पर जहाँ देवी देवदासी प्रथा रही है तथा जहाँ विधवा आश्रय के रूप में रही है वहाँ पर उनके शोषण की घटनायें किसी न किसी रूप में पायी गयी हैं।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर प्राप्त आँकड़ों को अगर हम विश्लेषित करें तो 40 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ रही हैं। अविवाहित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना के प्रकरण पाये गये जिनकी कुल संख्या का 54 प्रतिशत है, वहीं विधवा महिलाओं के साथ घटी बलात्कार की घटना की संख्या 8 एवं प्रतिशत 4 है और तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 4 एवं प्रतिशत 2 है। अगर हम वैवाहिक स्थिति के आधार पर बलात्कार की शिकार महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें तो विवाहित महिलाओं के साथ अगर बलात्कार की घटना घटित होती है तो उसके साथ बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो महिला को पारिवारिक, वैयक्तिक व सामाजिक रूप से तोड़ देती हैं। वैवाहिक महिला अगर उसके बच्चे हों तो इस घटना का बहुत बुरा प्रभाव उन पर भी पड़ता है। वह अपने परिवार के सदस्य व पति के साथ आपसी मतभेद की स्थिति को उत्पन्न कर देती है, कभी–कभी तो परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और महिला का पति उस महिला को गलत समझ बैठता है जो कि अलगाव की स्थिति को जन्म देता है।

अविवाहित के अंतर्गत बच्चियों व युवा लड़कियों को शामिल किया गया है इसके पीछे एक मिथक यह है कि बहुत से व्यक्तियों के दिमाग में यह धारणाएँ है कि "असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर किसी किशोरवय लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनता है तो उसे उस रोग से मुक्ति मिलती है ऐसे कई उदाहरण हमारे, समाज में विचलित है जो अंधविश्वास पर भरोसा करते है जो कि अविवाहित लड़कियों को बलात्कार का शिकार बनाता है, कभी–कभी बच्चियाँ तांत्रिक कारणों से इनका शिकार होती है जैसा कि आसाराम बापू ने किया है।

ठीक उसी प्रकार से जो महिलाएँ तलाकशुदा होती हैं उनके साथ भी इस तरह की घटना का विवरण पाया गया है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि तलाकशुदा के बारे में समाज की दोहरी मानसिकता पायी जाती है। ज्यादातर इस प्रकार की महिला के साथ छेड़छाड़ की घटनाएँ अधिक होती है और महिलाओं को गलत और भद्दे–भद्दे

इशारे भी किये जाते हैं अगर महिला इसका विरोध करती है, तब इस प्रकार की घटनाएँ प्रकाश में आती हैं। कई मामलों में तो महिलाओं के करीबी रिश्तेदारों द्वारा इस प्रकार की घटनायें की जाती हैं।

अगर कोई महिला विधवा है व उसके साथ जब बलात्कार की घटना घटित होती है तो इसके पीछे भी बहुधा उसके करीबी रिश्तेदार ही पाये जाते हैं, जो कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बलात्कार अगर किसी विधवा महिला के साथ होता है तो ऐसे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जाता है । विधवा महिलाएँ अगर न्याय के लिए आवाज उठाना चाहती है तो बहुत ही कम परिवार उनका सहयोग देते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में इनके निकट के रिश्तेदार शामिल होते हैं।

रेखा चित्र क्रमांक 3.6
बलात्कार की शिकार महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण

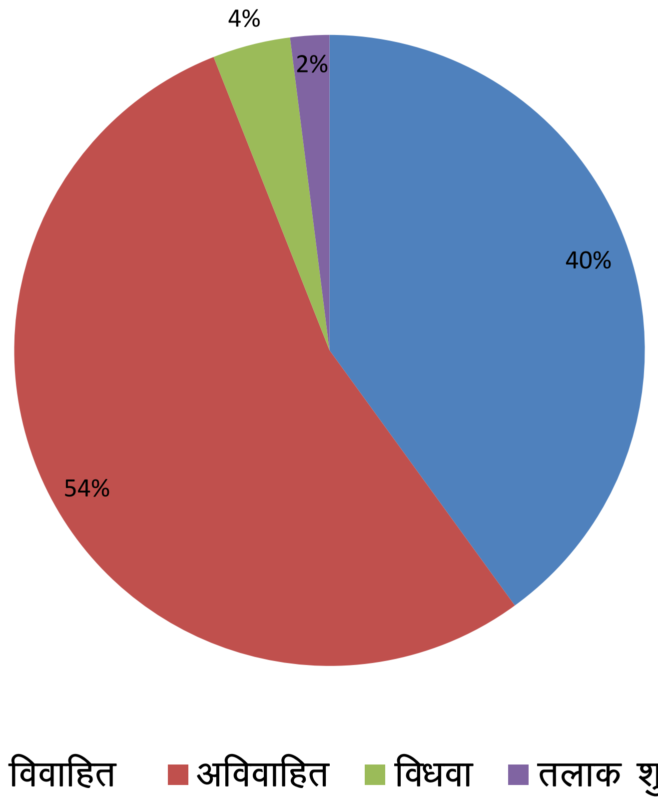

तालिका क्रमांक 3.7

बलात्कार की घटना में विवाहित (पीड़ित) महिलाओं के दाम्पत्य संबंध का विवरण

क्रमांक	दाम्पत्य संबंध	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	40	50
2.	बुरा	05	6.25
3.	सामान्य	35	43.75
	कुल संख्या	80	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

अधिकतर मामलों में सुनने को मिलता है कि महिलाओं के दाम्पत्य संबंध अच्छे नहीं होते इसलिए सर्वेक्षण के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि आखिर यह बात कितनी सत्य है ? सर्वे से प्राप्त आँकड़ों में 50 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उनके दाम्पत्य संबधं अच्छे रहे तथा 43.75 प्रतिशत महिलाओं ने माना को उनके दाम्पत्य संबंध सामान्य हैं। मात्र 6.25 प्रतिशत महिलाओं के ही दाम्पत्य संबंध बुरे रहे हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मात्र कुछ ही महिलाओं को संदेह के घेरे में खड़ा किया जा सकता है कि उनके साथ जो बलात्कार की घटना घटित हुई है उससे उनके दाम्पत्य संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.7
बलात्कार की घटना में विवाहित (पीड़ित) महिलाओं के दाम्पत्य संबंध का विवरण

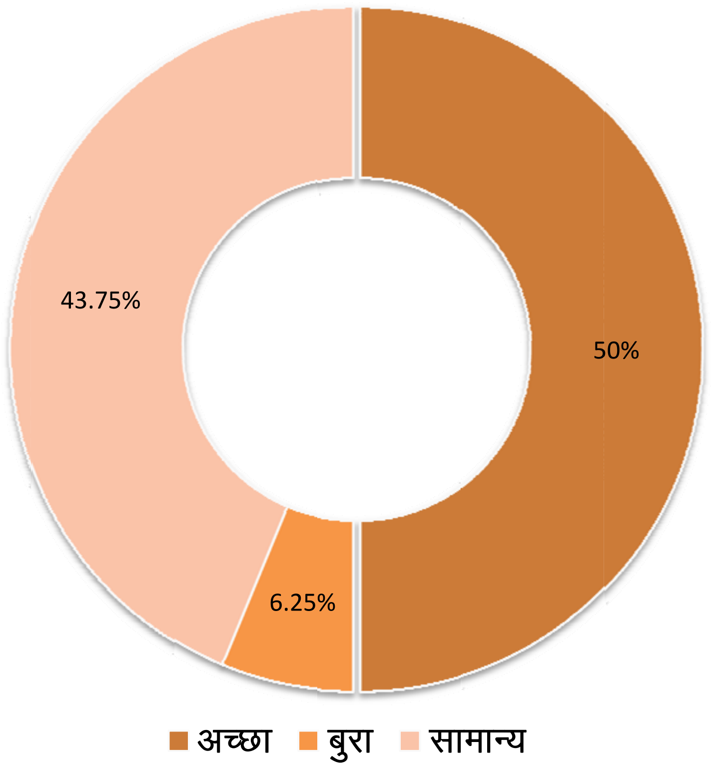

तालिका क्रमांक 3.8

बलात्कार की घटना में पीड़ित महिलाओं के परिवार के स्वरूपों का विवरण

क्रमांक	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	96	48
2.	एकाकी परिवार	104	52
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

बलात्कार की घटना सामान्यतः एक महिला के साथ घटित होती है, लेकिन इसमें महिला अकेली नहीं होती है उसके साथ उसका परिवार जुड़ा होता है। प्रत्येक

व्यक्ति या प्रत्येक महिला किसी न किसी परिवार से जुड़े होते हैं । व्यक्ति परिवार में रहता है उसकी प्रत्येक गतिविधि परिवार से जुड़ी रहती है। बलात्कार की शिकार महिला का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

प्राप्त आँकड़ों की संख्या के आधार पर हम देखें तो 48 प्रतिशत संयुक्त परिवार से संबंधित रही हैं। एकाकी परिवारों से संबंधित महिलाओं की संख्या 58 रही जिसका प्रतिशत 52 रहा है। इस प्रकार से अगर हम परिवार के आधार पर विश्लेषण करें तो संयुक्त परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं और महिलाओं को उनके साथ सामंजस्य रखना पड़ता है । चूंकि संयुक्त परिवार परम्परवादी होता है और जहाँ परम्परा होती है वहाँ रूढ़ियाँ अवश्य पायी जाती है। बलात्कार की घटना अगर किसी महिला के साथ घटित होती है और महिला संयुक्त परिवार से संबंधित है तो उसके समक्ष बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। घर में भी इस घटना का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। जिसकी वजह से महिलाएँ आत्मग्लानी के कारण आत्महत्या तक कर लेती है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.8
बलात्कार की घटना में पीड़ित महिलाओं के परिवार के स्वरूपों का विवरण

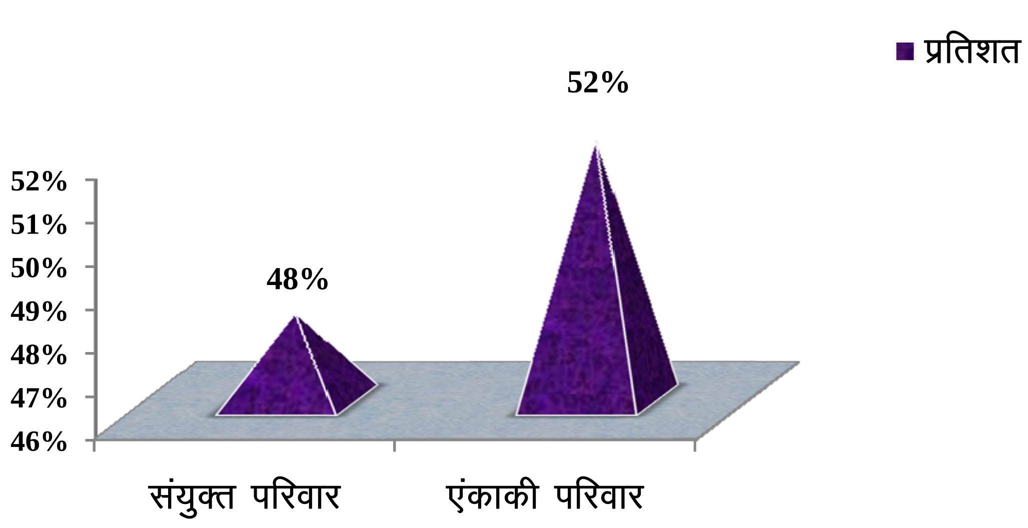

तालिका क्रमांक 3.9

बलात्कार की शिकार महिलाओं के पारिवारिक संबंधों का विवरण

क्रमांक	पारिवारिक संबंध	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	84	42
2.	बुरा	10	5
3.	सामान्य	102	51
4.	कठोर	04	2
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

जिस प्रकार से परिवार की भूमिका किसी भी मामले में महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार से उक्त व्यक्ति का व उसके परिवार में आपसी संबंधों का भी महत्व अधिक होता है। परिवार से व्यक्ति का संबंध व व्यक्ति का परिवार से संबंध बहुत अधिक महत्व रखता है।

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर बलात्कार की शिकार महिलाओं के पारिवारिक संबंधों को चार भागों में बांटा गया है। (1) अच्छा (2) बुरा (3) सामान्य और (4) कठोर, 42 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके साथ परिवार का संबंध अच्छा है। 5 प्रतिशत महिलाओं के संबंध परिवार के साथ अच्छे नहीं है। 51 प्रतिशत मामलों से संबंधित महिलाओं ने माना कि उनका पारिवारिक संबंध न अच्छा है और न बुरा है, उनके संबंध सामान्य है, 2 प्रतिशत ही महिलाएँ कठोर पारिवारिक संबंधों की पुष्टि करती हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बलात्कार की शिकार महिलाओं पर उनके पारिवारिक संबंधों का प्रभाव ज्यादा होता है। जिन परिवारों में संबंध अच्छे होते हैं तब बलात्कार की शिकार महिलाओं को परिवार की तरफ से हर प्रकार का

सहयोग प्राप्त होता है। जिन महिलाओं के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं वे अकेलेपन से कुंठित और स्वयं को असहाय महसूस करती हैं।

रेखा चित्र क्रमांक 3.9
बलात्कार की शिकार महिलाओं के पारिवारिक संबंध का विवरण

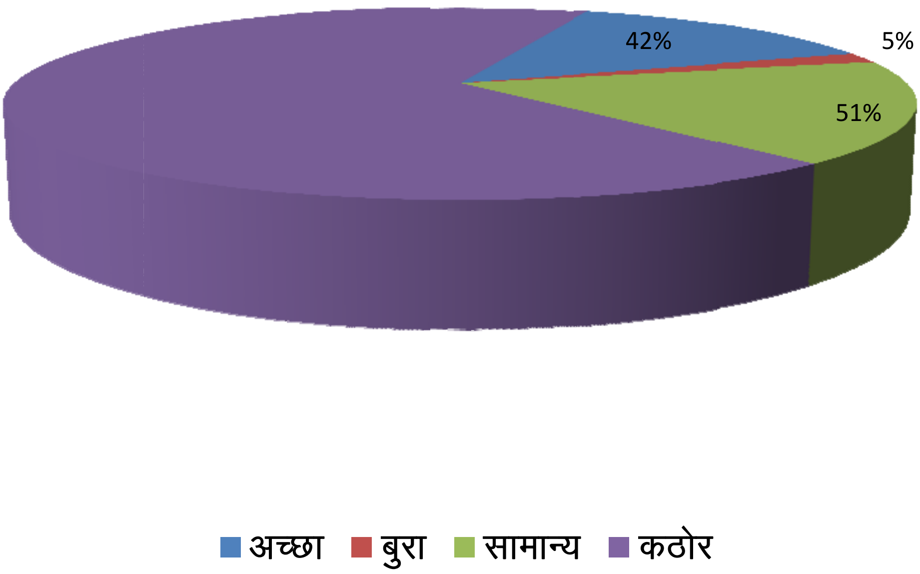

तालिका क्रमांक 3.10

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के कार्य का विवरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	कार्य करती है	64	32
2.	कार्य नहीं करती है	136	68
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

कभी–कभी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ कार्य स्थल पर भी होती हैं इस प्रकार की घटनाएँ दिन प्रतिदिन समाचार–पत्रों में भी देखने को मिलती हैं इनके साथ अधिकतर बलात्कार एवं छेड़छाड़ जैसी घटनाएँ इनके मालिक, सहायक कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है। इसलिए सर्वेक्षण के दौरान कार्यशील महिलाओं का सर्वे किया गया कि कितनी संख्या में महिलाएँ कार्य करती हैं । कुल 100 की संख्या में से 32 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जो कि कार्यस्थल पर कार्य करती हैं।

68 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जो कि कार्यस्थल पर कार्य नहीं करती, परन्तु वे घरेलु कार्य जैसे दूसरों के घरों में झाड़ू–पोछा व बर्तन, भोजन एवं खेतों पर मजदूरी करना, मकान बनाने से संबंधित कार्य व अन्य छोटे कार्य जिसे वह दैनिक मजदूरी के रूप में करती हैं और ठेकेदारों तथा मालिक व साथी पुरूष द्वारा शोषित होती हैं। इन महिलाओं के साथ प्रारंभ में छेड़खानी जैसी घटनाएँ होती है जिसका विरोध वे इसलिए नहीं करती हैं कि उन्हें अपने जीविकोपार्जन का ध्यान रखना होता है अगर वे विरोध करना भी चाहें तो उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं होता। अगर फिर भी ये विरोध करती हैं तो इन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता है। जिसका फायदा ठेकेदार मालिक व सहायक व्यक्ति उठाता है और महिला को अपनी हवस का शिकार बनाता है । पीड़ित महिला जब घटना की जानकारी प्रशासन से साझा करती है तब भी उसको बहुत ही कम आशा होती है कि उसे न्याय मिल पाये कारण यह है कि घटनाओं से संबंधित गवाहों का न मिलना। अगर उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति उसका साथ देते हैं तो उन्हें भी उस कार्य से हाथ धोना पड़ता है । कार्य के दौरान अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसकी कार्य क्षमता ही नहीं टूटती वरन वह महिला आर्थिक व मानसिक दोनों रूपों से कमजोर हो जाती है। एक तरफ उससे उसकी जीविका का साधन छिन जाता है तो दूसरी तरफ बलात्कार की घटना से वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश महिलाएँ जो कार्यस्थल पर उनकी सहयोगी होती हैं, पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर महिला अकेली कार्य करने वाली है, और उसका पति नहीं है तो समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर लेती है ऐसी परिस्थिति में अधिकांश महिलाएँ जो कि कार्य के दौरान बलात्कार की शिकार हुई हैं वह महिला अपनी परिस्थितियों से समझौता कर प्रकरण की वापिस भी ले लेती है।

इस प्रकार कार्य करने वाले स्थान पर किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना घटित होती है तो उस घटना से महिला सबसे ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस करती है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.10
बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के कार्य का विवरण

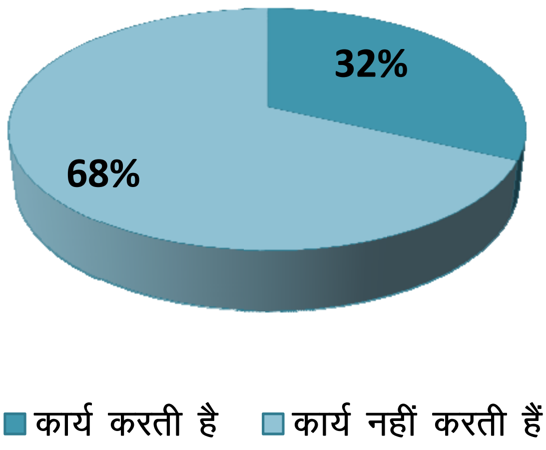

तालिका क्रमांक 3.11

बलात्कार की शिकार महिलाओं में दुर्व्यसन का विवरण

क्रमांक	दुर्व्यसन	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	10	5
2.	नहीं	175	85
3.	कभी–कभी	15	7.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

दुर्व्यसन और बलात्कार एक दूसरे से संबंधित हैं। कई बार व्यक्ति नशे के कारण बलात्कार करता है तो कई बार नशे के कारण महिला या लड़की बलात्कार की

शिकार हो जाती है। बलात्कार की शिकार 5 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वह दुर्व्यसन करती हैं। 7.5 प्रतिशत महिलायें जो कभी–कभी अकेले में या किसी ने उन्हें दे दिया तो कर लिया, कहा है; उनकी दुर्व्यसन को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। 87.5 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि वह किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन की आदि नहीं है और उन्होंने इसका सेवन कभी नहीं किया। अगर हम इन संख्याओं के आधार पर प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि बलात्कार की घटना घटित होने के पीछे कहीं न कहीं किसी रूप में दुर्व्यसन इस प्रकार की घटना के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अगर कोई महिला किसी भी प्रकार के नशे की आदि नहीं होती है और बलात्कारी व्यक्ति उसको बलात्कार से पूर्व किसी भी प्रकार का नशा जबरदस्ती देता है तो उस महिला पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति इसका फायदा उठा कर उसके साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है और जो महिलाएँ इस दुर्व्यसन की आदि होती हैं उनके साथ भी बलात्कारी व्यक्ति धोखे से नशे में बेहोशी की दवा मिलाकर उस महिला के साथ बलात्कार कर सकता है। इस प्रकार की नशे की आदि महिलाओं के साथ धोखे भी बलात्कार किया जा सकता है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.11
बलात्कार की शिकार महिलाओं में दुर्व्यसन का विवरण

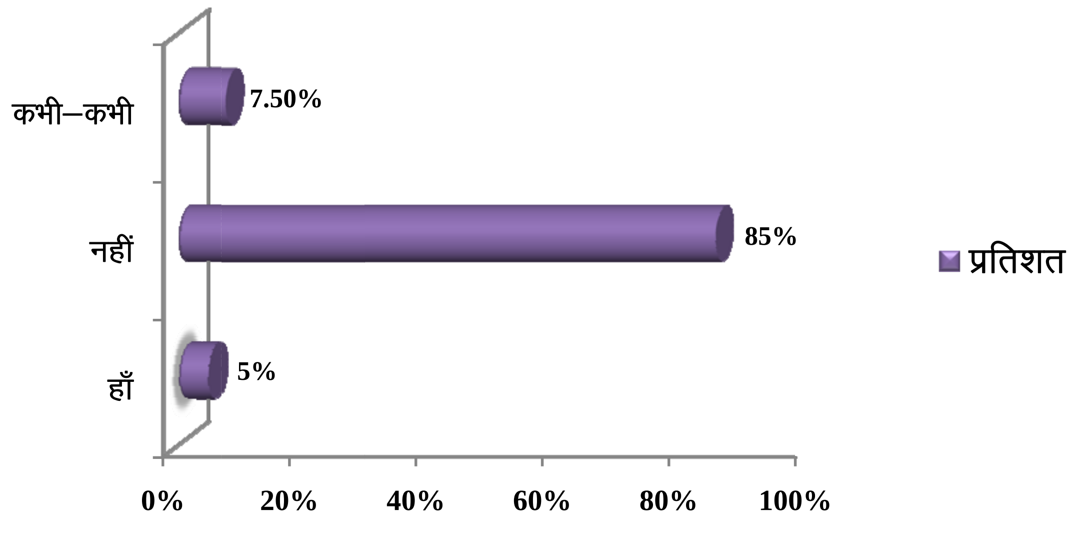

तालिका क्रमांक 3.12

बलात्कार की शिकार महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक स्थिति का विवरण

क्रमांक	परिवार की आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छी	30	15
2.	खराब	89	44.5
3.	सामान्य	81	40.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

आर्थिक स्थिति किसी भी परिवार व व्यक्ति की सम्पन्नता को दर्शाती है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में कभी नहीं हिचकिचाता। वह प्रत्येक क्रिया विधि को तत्परता के साथ पूरा करता है अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है तो उस परिवार का सहयोग उस व्यक्तिय के साथ रहता है अगर उसकी स्थिति खराब है तो वह चाहकर भी परिवार में व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है। इस अध्ययन से यह तथ्य साबित करने का प्रयास किया गया है कि बलात्कार की घटना में कई बार न्यायिक प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आये हैं कि पीड़ित महिला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उसने पैसों के लिए यह प्रकरण दर्ज कराया है। अगर हम सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि 15 प्रतिशत महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है, 89 खराब आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से संबंधित महिलाओं का प्रतिशत 44.5 रहा एवं सामान्य आर्थिक स्थिति वाली पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत 40.5 रहा है।

आँकड़ों की व्याख्या करें तो स्पष्ट होता है कि जिन महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है उनके साथ बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न होती है जैसे प्रकरण दर्ज करने व न्यायिक प्रक्रिया दोनों में ही उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होने

के कारण अनेक समस्याएँ आती हैं। वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल हो चुकी है कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से परिवार वाले न्यायिक प्रक्रिया को लम्बे समय तक लेकर नहीं चल पाते हैं और प्रकरण को आधी प्रक्रिया से ही वापिस ले लेते हैं।

निर्धनता एवं गरीबी से जूझते परिवार की किसी महिला के साथ अगर बलात्कार जैसी गंभीर घटना घटित हो जाती है तो उस परिवार पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है । अगर अपराधी सम्पन्न वर्ग से हो तो वह डरा धमकाकर एवं धौंस देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.12

बलात्कार की शिकार महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक स्थिति का विवरण

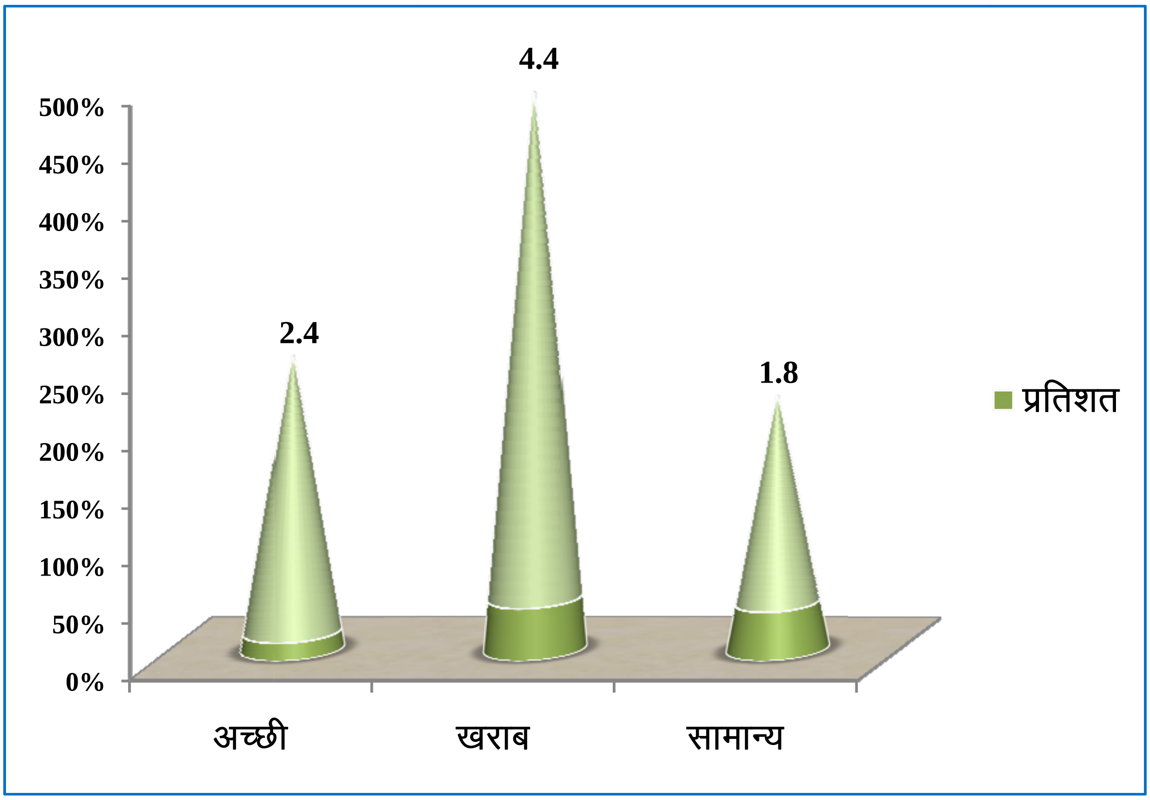

तालिका क्रमांक 3.13

बलात्कार की शिकार महिलाओं के मकान के स्वरूप का विवरण

क्रमांक	मकान का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	पक्का	60	30
2.	कच्चा	50	25
3.	झोपड़ी	45	22.5
4.	फुटपाथ	10	5
5.	अन्य	35	17.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

मकान का स्वरूप भी बलात्कार की घटना से घनिष्ठ संबंध रखता है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाये तो उसका अनुमान मकान को देखकर लगाया जा सकता है । मकानों के स्वरूप के द्वारा घटना का सही रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। सर्वे से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि घटना और मकान के स्वरूप का संबंध बलात्कार के कारणों की सही व्याख्या करता है। कच्चे मकानों से संबंधित पीड़ितों की कुल संख्या 50 एवं प्रतिशत 25 है। कच्चे मकान से अभिप्राय एक ऐसा मकान जिसे ईंट व मिट्टी के द्वारा तैयार किया गया हो और जिनका प्लास्टर अभी बाकी है। जिन मकानों का प्लास्टर हो चुका है वे पक्के मकान के अंतर्गत शामिल होते हैं। पक्के मकानों की संख्या 60 एवं प्रतिशत 30 है। 22.5 प्रतिशत महिलाओं के मकान का स्वरूप झोंपड़ी था जो कि कुल संख्या में से 45 हैं। अन्य के अंतर्गत मकान के उन स्वरूपों को रखा गया है जो कि आधी झोंपड़ी व आगे से खुला मकान हो, कच्ची ईंट या मिट्टी से बने हुए वे मकान जिनकी छत नहीं होती है जो प्लास्टिक एवं अन्य अस्थायी रूप से ढँके हुए होते हैं। इनकी संख्या 35 पाई गई है एवं प्रतिशत 17.5 है।

5 प्रतिशत के अंतर्गत उन स्वरूपों को रखा गया है जो कि घुमक्कड़ या बंजारा, खुले मैदान वाली झोपड़ी, फुटपाथ ऐसी जगह है जहाँ पर बलात्कार की घटना प्रकाश में आ ही जाती हैं। इन स्थानों पर ज्यादातर कुछ मनचले व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के अपराध करते पाये गये हैं।

इस प्रकार घटना व मकान का स्वरूप बहुत हद तक एक–दूसरे पर निर्भर है। घटना व उसके प्रकार भी बलात्कार से संबंधित होते है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.13
बलात्कार की शिकार महिलाओं के मकान के स्वरूप का विवरण

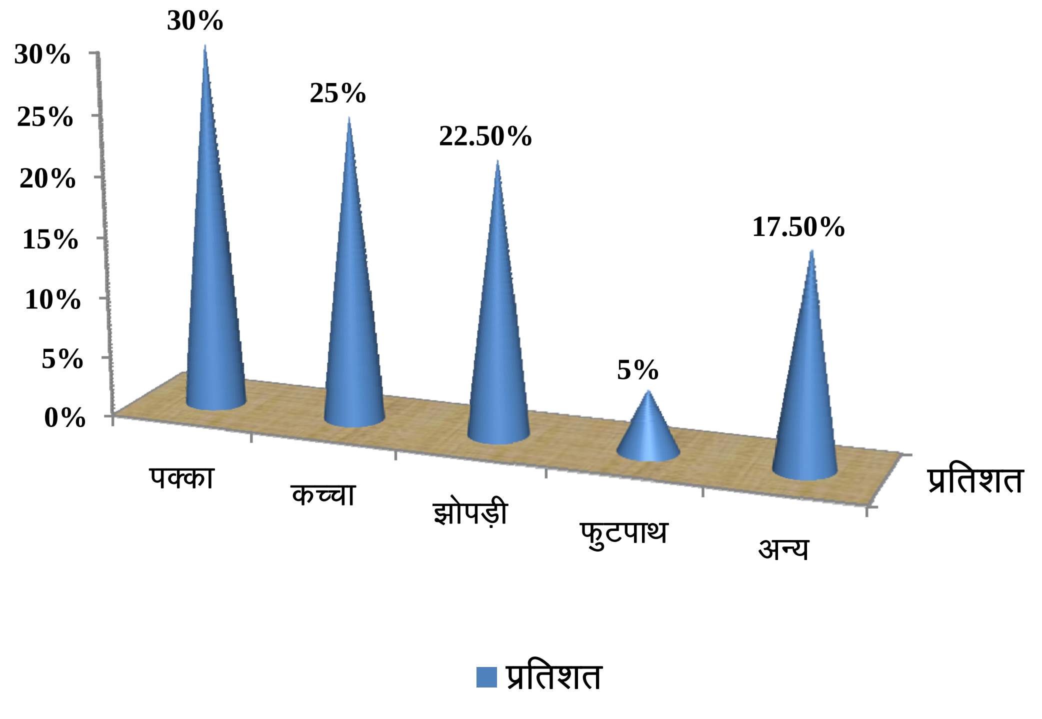

तालिका क्रमांक 3.14

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की घटना किसके द्वारा घटित हुई का विवरण

क्रमांक	अपराधी	संख्या	प्रतिशत
1.	रिश्तेदार	41	20.5
2.	पड़ोसी	68	34
3.	मित्र/प्रेमी	50	25
4.	अन्य परिचित	41	20.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की घटना किसके द्वारा घटित हुई, का सर्वेक्षण के आधार पर आकंलन करें तो स्पष्ट होता है कि 200 में से 20.5 प्रतिशत मामलों में रिश्तेदार शामिल हैं। 34 प्रतिशत पड़ोसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है एवं 25 प्रतिशत प्रेमी/दोस्त आदि के द्वारा बलात्कार की घटना घटित हुई है। 20.5 प्रतिशत के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अन्य परिचित के अंतर्गत शामिल हैं । इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो रास्ते में या कार्य के दौरान किसी न किसी रूप में कभी न कभी देखे गये हैं।

अगर उपरोक्त आँकड़ों पर गौर करें तो पायेंगे कि बलात्कारी व्यक्ति का पीड़िता से किसी न किसी रूप से सम्बंध होता है। अधिकांशतः संबंध प्राथमिक हैं जो कि रिश्तों की गरिमा को धूमिल करते हुए इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं। निःसंदेह बलात्कार वासना का खेल है, यह जरूरी नहीं कि जिसके साथ बलात्कार की घटना घटित हुई है वह अत्यंत सुंदर ही हो। बलात्कारी व्यक्ति को जहाँ शिकार (स्त्री) मिल जाए वहीं वह अपना भयानक रूप बनाकर उसका शिकार करता है। उसके लिए हवस की पूर्ति ही प्रमुख होती है न कि रिश्तों की डोर

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में पुरूषों के दृष्टिकोण में स्त्री सिर्फ भोग एवं विलासिता की वस्तु रह गयी है। नर और नारी के बीच प्रेम, आज घृणा, ईर्ष्या व द्वेष में परिवर्तित हो गया है जो कि स्त्री के विरूद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों को जन्म दे रही है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.14
बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की घटना किसके द्वारा घटित हुई का विवरण

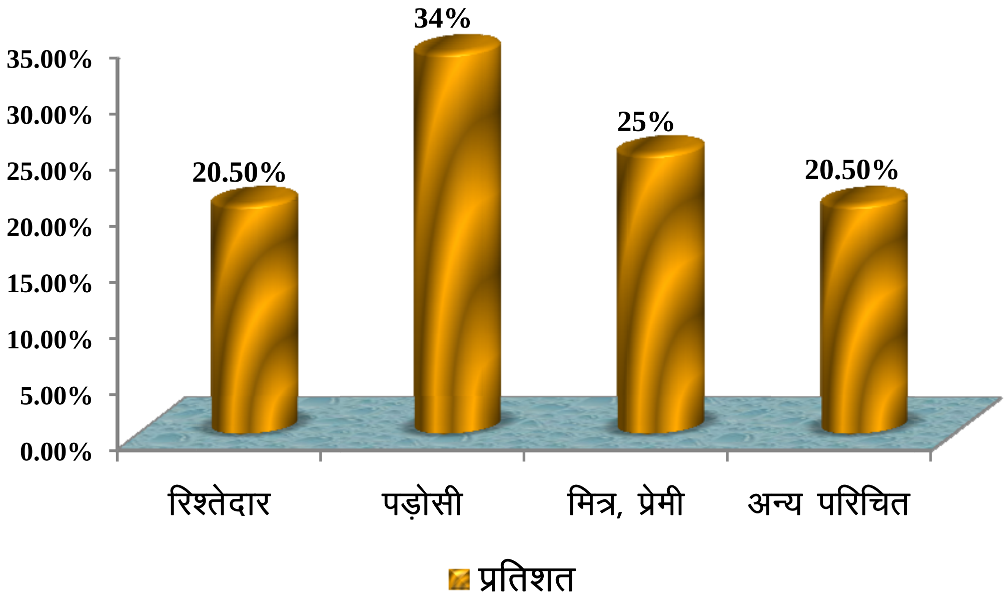

तालिका क्रमांक 3.15

बलात्कार की घटना में अपराधियों की संख्या का विवरण

क्रमांक	अपराधियों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	एक	118	59
2.	दो–तीन	54	27
3.	तीन से अधिक	28	14
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक संमंक अप्रैल– 2018

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार बलात्कार की घटना में सर्वाधिक संख्या उन प्रकरणों की है जिनमें अपराधियों की संख्या एक है। दो या तीन अपराधियों द्वारा घटित प्रकरणों की संख्या मध्यम पाई गई है। तीन से अधिक अपराधियों से संबंधित प्रकरण निम्न स्तर पर पाये गये हैं। इस प्रकार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक 59 प्रतिशत प्रकरण एक अपराधी द्वारा घटित होना पाये गए हैं। 27 प्रतिशत दो या तीन अपराधियों द्वारा घटित प्रकरण हैं एवं सबसे कम 14 प्रतिशत प्रकरण में तीन से अधिक अपराधियों की संख्या पाई गयी है।

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ज्यादातर प्रकरणों में अपराधियों की संख्या एक है जिसमें साक्ष्य के अभाव के फलस्वरूप अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है। ग्रुप या समूह के द्वारा किसी दुश्मनी या अन्य कारणों के द्वारा अपराध घटित होता है, गैंग के रूप में बहुत ही कम प्रकरण पाये गये हैं। इस प्रकार जब कोई गैंग या समूह द्वारा किसी महिला पर आक्रमण कर बलात्कर की घटना घटित की जाती है तब वह गैंग या समूह बलात्कार के अंतर्गत आता है। अपराधियों की संख्या के आधार पर घटित बलात्कार की घटना से यह तथ्य भी उभर कर सामने आता है कि बलात्कारी किस प्रवृत्ति का है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.15
बलात्कार की घटना में अपराधियों की संख्या का विवरण

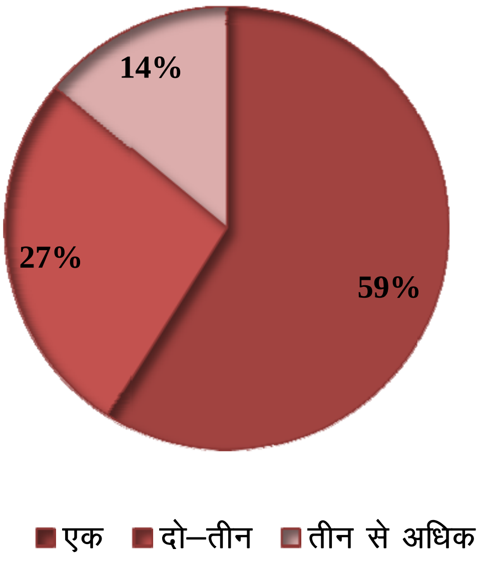

तालिका क्रमांक 3.16

बलात्कार की घटना में पाये गये अपराधियों की उम्र से संबंधित विवरण

क्रमांक	अपराधियों की उम्र	संख्या	प्रतिशत
1.	12 से 20 वर्ष	08	4
2.	21 से 30 वर्ष	94	47
3.	31 से 40 वर्ष	52	26
4.	41 से 50 वर्ष	39	19.5
5.	51 से अधिक वर्ष वाले	07	35
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

बलात्कार की घटना जब घटित होती है तो उसमें अपराधियों की उम्र से संबंधित विवरण भी प्रमुख होता है। उम्र के आधार पर व्यक्ति की मनोवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है । बलात्कार की घटना में सर्वाधिक 21 से 30 वर्ष के अपराधी पाये गये हैं उसके बाद 31 से 40 वर्ष के आयु वाले अपराधियों की संख्या रही है। तीसरे स्थान पर 41 से 50 वर्ष के आयु वाले अपराधियों की संख्या रही है। सबसे कम 50 से अधिक व 12 से 20 वर्ष के आयु समूह वाले अपराधी रहे हैं। किशोरावस्था के अपराधी अज्ञानतावश इस प्रकार के कृत्य को करते हैं जबकि वृद्धावस्था में इस प्रकार प्रवृत्ति कम पायी जाती है। इसलिए इनकी संख्या कम ही होती है । सर्वाधिक अपराधी युवावस्था के पाये गये हैं क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति का विकास हो चुका होता है एवं कामवासना प्रवृत्ति अत्यधिक तीव्र हो जाती है और भटकाव भी इसी उम्र में होता है। वर्तमान में इन्टरनेट के माध्यम से ब्लू–फिल्मों की ओर बढ़ रहा समाज महिलाओं की सुरक्षा के प्रति खतरा उत्पन्न कर रहा है। 30 से 50 वर्ष की आयु समूह में अवसाद व कुंठा जिस प्रकार से पाई जा रही है जिसका

परिणाम बलात्कार में बढ़ोतरी है। ऐसे व्यक्ति अपनी पौरूषी ताकतों को अजमाने के लिए मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। चूंकि ये अवसाद से ग्रसित होते हैं ऐसे में अपराधियों के मन में न तो कोई रिश्ता न कोई नाता की साहनुभूति होती है और वह अपनी ही बहू बेटी के साथ इस प्रकार का कुकर्म कर बैठता है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.16
बलात्कार की घटना में पाये गये अपराधियों की उम्र से संबंधित विवरण

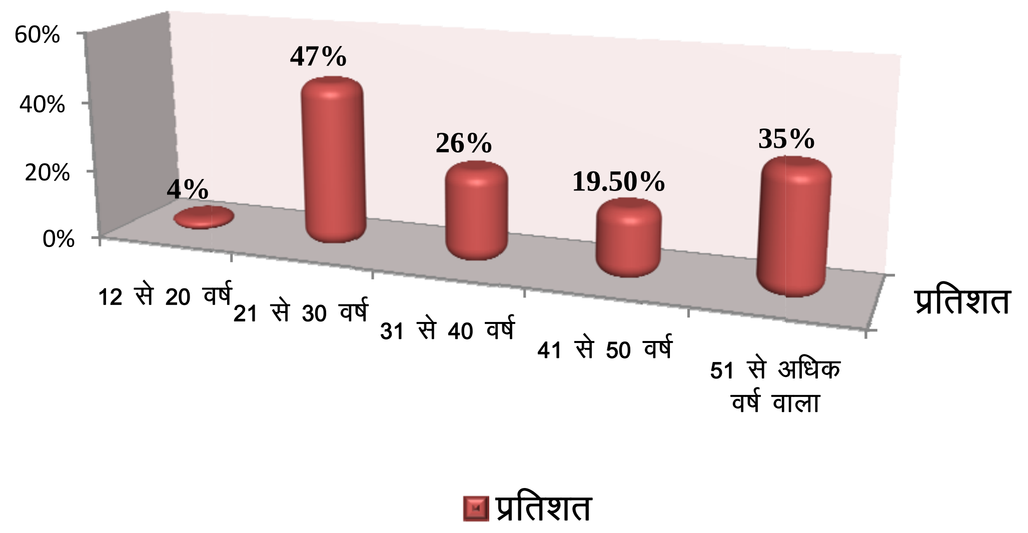

तालिका क्रमांक 3.17

बलात्कार की शिकार महिला के साथ कार्यस्थल पर हुए अभद्र व्यवहार का विवरण

क्रमांक	कार्य के दौरान अभद्र व्यवहार किसके द्वारा हुआ	संख्या	प्रतिशत
1.	बॉस/मालिक	17	68
2.	सहायक कर्मचारी	8	32
	कुल संख्या	25	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

अभद्रता का संबंध अगर कार्य स्थल से होता है तब यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अभद्रतापूर्ण व्यवहार किसके द्वारा किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 68 प्रतिशत अभद्रता मालिकों के द्वारा की जाती है एवं 32 प्रतिशत अभद्रता सहायक कर्मचारी व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

अगर मालिक के द्वारा अभद्रता होती है तो मालिक के प्रति पीड़िता यह साबित नहीं कर पाती है कि अपराधी व्यक्ति उसका मालिक है, न ही उसके साथी कर्मचारी ही उसका सहयोग देने को तत्पर होते हैं, क्योंकि मालिक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है । उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी नौकरी छूट न जाये। मालिक के प्रति संदेह की परिस्थितियों में किये गये अभद्र व्यवहार का पता नहीं चल पाता है। जबकि बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें औरत की जिन्दगी एक अभिशाप बन कर रह जाती है, क्योंकि इन्सान एक बार मरता है, लेकिन बलात्कार की शिकार महिला हर रोज मरती है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.17
बलात्कार की शिकार महिला के साथ कार्यस्थल पर हुए अभद्र व्यवहार का विवरण

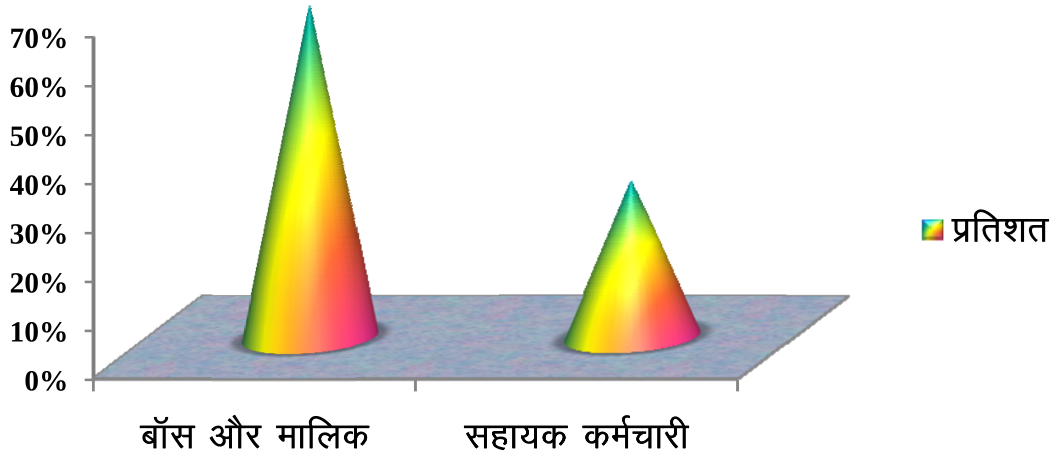

तालिका क्रमांक 3.18

बलात्कार की घटना में पुलिस द्वारा पीड़िता के साथ किये गये व्यवहार का विवरण

क्रमांक	पीड़िता के साथ पुलिस का व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1.	कठोर	39	19.5
2.	सहानुभूति पूर्वक	62	30
3.	सामान्य	99	49.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

वर्तमान समय में महिलाओं में जागरूकता और शिक्षा में सुधार के कारण निश्चय ही हिंसक वारदातों की शिकायत पुलिस थानों में पहुँचने लगी है, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अपराधी के प्रति शिकायत तो पुलिस थानों में दर्ज हो जाती हैं पर अक्सर वहाँ की प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण अपराधी बच निकलने में सफल हो जाता है।

जब कोई घटना घटित होती है तो सर्वप्रथम उसकी सूचना (F.I.R.) पुलिस के पास दर्ज करायी जाती है तब पुलिस का व्यवहार प्रकरण से संबंधित पीड़िता के साथ कैसा होता है ? इसकी जानकारी अति आवश्यक होती है। चूंकि प्रकरण से संबंधित छानबीन पुलिस करती है एवं न्यायिक प्रक्रिया में इसकी भूमिका मुख्य होती है, अतएव सर्वेक्षण में इसी भूमिका को ध्यान में रखकर आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। सर्वाधिक संख्या पीड़िता से सामान्य व्यवहार करने वालों की पाई गई है। 49.5 प्रतिशत पीड़ित महिलाओं ने कहा कि बलात्कार की घटना से संबंधित कानूनी प्रक्रिया में पुलिस का व्यवहार सामान्य रहा है। 30 प्रतिशत पीड़ित महिलाओं का मानना था कि न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन का व्यवहार उनके साथ सहानुभूति पूर्वक रहा है। 19.5 प्रतिशत पीड़िताओं का मानना है कि पुलिस का व्यवहार उनके साथ कठोरतापूर्वक रहा है।

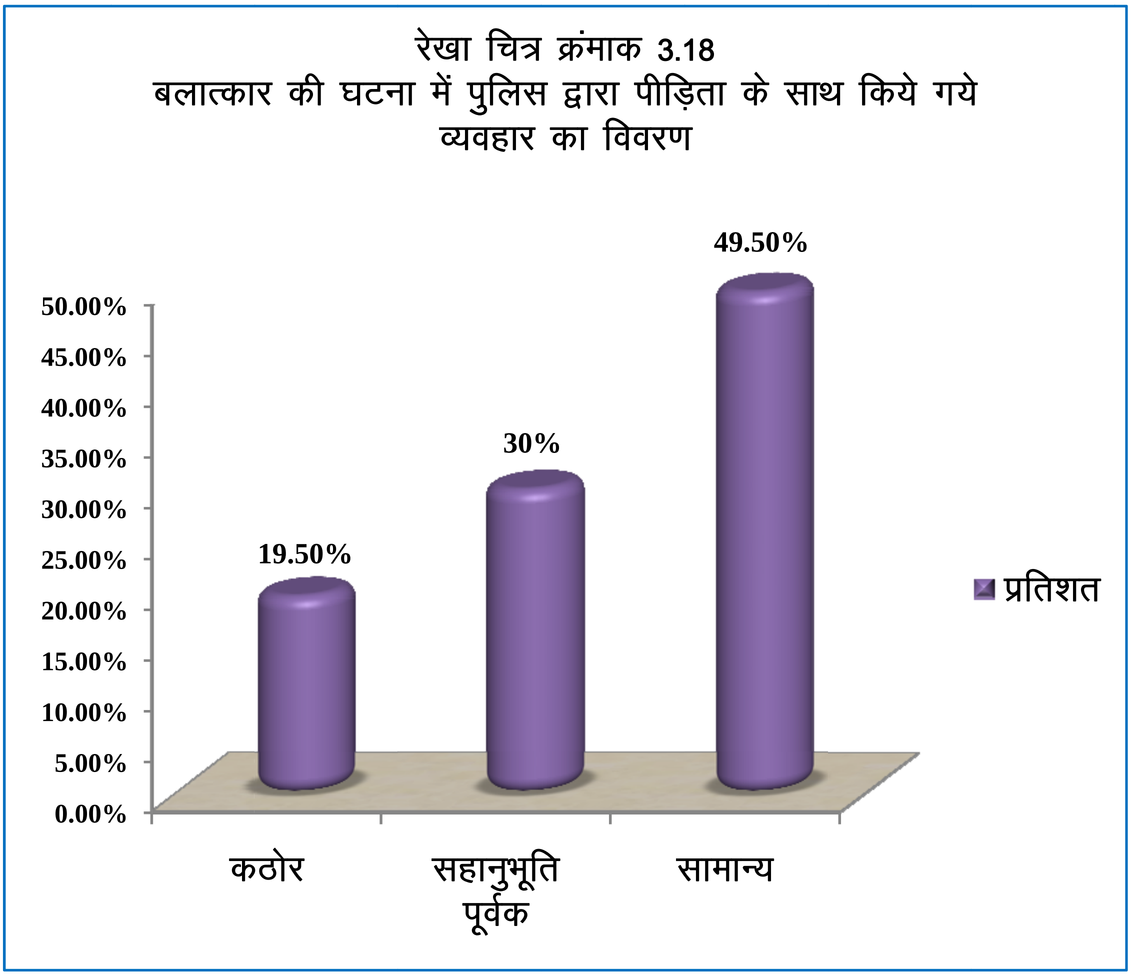

तालिका क्रमांक 3.19

बलात्कार की घटना में पीड़िता की डॉक्टरी जांच का विवरण

क्रमांक	डॉक्टर रिपोर्ट	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	200	100
2.	नहीं	0	0
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आँकड़ों के यह तथ्य साबित होता है कि बलात्कार के दर्ज प्रकरणों में सभी पीड़ित महिलाओं की डॉक्टरी जाँच हुई है । डॉक्टरी जाँच के आधार पर ही बलात्कार के मामलों की पुष्टि होती है। जब बलात्कार की घटना घटित होती है तब पुलिस पीड़िता की डॉक्टरी जाँच कराती है। ये जाँच की जानी बहुत ही अनिवार्य होती है। अगर जाँच की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है तो अपराध की पुष्टि नहीं होती है। सर्वेक्षण में पाये गये संपूर्ण मामलों में डॉक्टरी जाँच करायी गयी है इनकी डॉक्टरी जाँच की पुष्टि भी हो चुकी है कि उक्त मामलों में बलात्कार की घटना घटित हुई है।

रेखा चित्र क्रंमाक 3.19
बलात्कार की घटना में पीड़िता की डॉक्टरी जाँच का विवरण

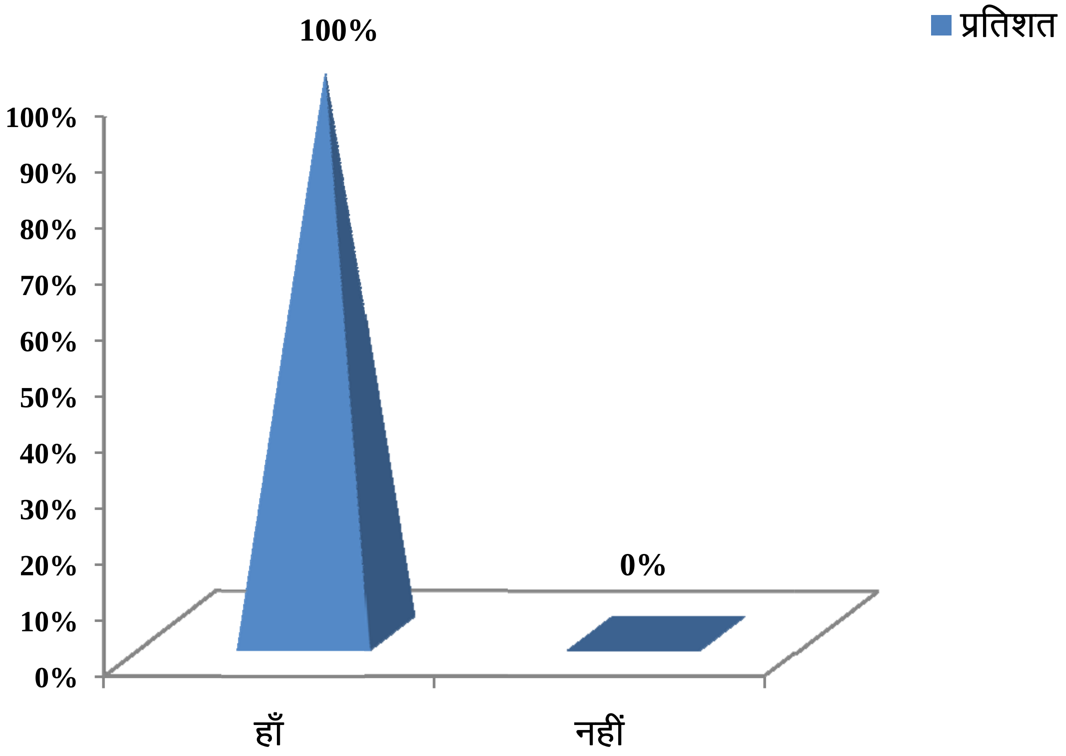

तालिका क्रमांक 3.20

. बलात्कार की घटना में पीड़िता के साथ डॉक्टर के व्यवहार का विवरण

क्रमांक	डॉक्टर का व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छा	74	37
2.	बुरा	29	14.5
3.	सामान्य	97	48.5
	कुल संख्या	200	100

स्त्रोत – प्राथमिक समंक संकलन– 2018

बलात्कार बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील अपराध होता है। इस घटना में पीड़िता शारीरिक व मानसिक रूप से आहत होती है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर का पीड़िता के प्रति व्यवहार ठीक होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब पुलिस डॉक्टरी जाँच के लिए पीड़िता को सरकारी अस्पताल में ले जाती है तब पीड़िता मानसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती है, क्योंकि बलात्कार से पीड़ित महिला घबराई हुई होती है, कारण कि बलात्कार की घटना उसके मस्तिष्क में होती है। ऐसे में डॉक्टर का पीड़िता के प्रति व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अतः डॉक्टर की रिपोर्ट ही जाँच प्रक्रिया में सहायक होती है। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों में 37 प्रतिशत बलात्कार से पीड़ित महिलाओं ने माना कि डॉक्टरी जाँच की प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर का उनके प्रति व्यवहार सकारात्मक (अच्छा) रहा है। 14.5 प्रतिशत महिलाओं का मानना रहा कि उनके प्रति डॉक्टर का व्यवहार बुरा था जबकि 48.5 प्रतिशत पीड़ित महिलाओं ने माना की डॉक्टर का उनके प्रति व्यवहार सामान्य रहा।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकतर बलात्कार के मामलों में डॉक्टर का व्यवहार पीड़िता के प्रति सकारात्मक होता है बहुत ही कम संख्या में ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि सामान्य ढंग से व्यवहार प्रकट नहीं करते हैं।

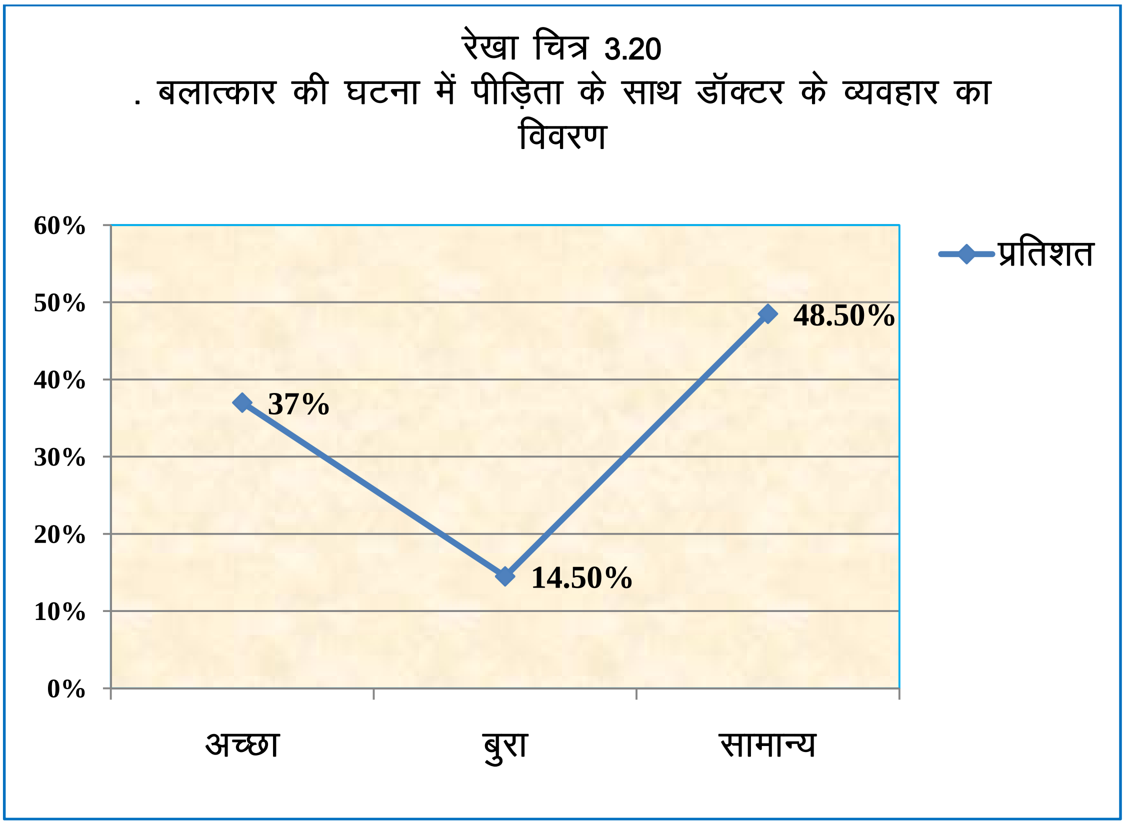

बलात्कार महिला की इच्छा और सहमति के बिना, जोर जबरदस्ती से की जाने वाली संभोग क्रिया है। यह पुरूष और महिला के बीच शक्ति प्रदर्शन का प्रमाण है। बलात्कार द्वारा एक व्यक्ति के रूप में महिला के व्यक्तित्व का ह्रास होता है और उसे केवल वस्तु मान लिया जाता है। भारत में महिलाओं पर अत्याचार और अपराध होते रहे हैं। दहेज हत्या के मुकाबले बलात्कार के मामले राजस्थान में ज्यादा रहे हैं। दहेज हत्या में राजस्थान का क्रम पाँचवा तथा बलात्कार में चौथा है। यह एक अत्यन्त ही चिंताजनक स्थिति है। बलात्कार की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। बलात्कार फिर चाहे नन्हीं बालिका का हो, युवती का अथवा किसी प्रौढ़ महिला का। बलात्कार करने वाला अपरिचित हो, परिचित दोस्त हो अथवा घरेलू परिजन लेकिन प्रत्येक एक घंटे में देश में कहीं न कहीं एक बलात्कार की घटना घटित होती है और सबसे अधिक भयानक और निराशाजनक स्थिति तो यह है कि इसकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। यहाँ तक की 2–3 वर्ष की अबोध बालिका को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

तालिका क्रमांक 3.21

भारत में महिलाओं के साथ हुए बलात्कार संबंधी आँकड़े

क्र.	सन्	संख्या
01	1992	3,945
02	1996	7,321
03	1999	9,753
04	2003	12,351
05	2007	13,754
06	2009	14,846
07	2012	15,000–अधिक

स्त्रोत– नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार

तालिका क्रमांक 3.21 से स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएँ निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार सन् 1982 में जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार की 3,945 घटनाएँ दर्ज की गई वहीं 1986 में इनकी संख्या बढ़कर 7,321 हो गई और 1989 में यह 9,753 तक पहुँच गई। 1994 में बलात्कार की घटनाओं की संख्या 12,351 हो गई तथा 1995 में यह बढ़कर 13,754 तथा 1996 में 14,846 हो गई। 1997 में बलात्कार के कुल 15 हजार से अधिक मामले दर्ज किये गये। राजस्थान में सन् 1994 में 1008 बलात्कार हुए जो हर वर्ष बढ़ते रहे। सन् 1995 में 1036 तथा 1996 में 1162 पुलिस रिपोर्ट के बतौर दर्ज हुए है।

यदि हम नवीनतम सूचनायें ज्ञात करें तो हम पायेंगे कि इनकी संख्या आज बढ़कर 20,000 वार्षिक लगभग हो गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के सर्वेक्षण के अनुसार देश में बलात्कार के सर्वाधिक मामले मध्यप्रदेश में सामने आए हैं, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर बिहार है एवं चौथे स्थान पर राजस्थान है। यह सर्वेक्षण बताते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार की निरंतर बढ़ती घटनाओं का

कारण इनके अभियुक्तों को उचित दण्ड न दिया जाना है। हमारे समाज की विडम्बना यह है कि यहाँ बलात्कार की शिकार महिला को किसी भी प्रकार की सुरक्षा व सांत्वना प्रदान नहीं की जाती अपितु उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है और प्रथम दृष्टया दोषी भी उसी महिला को माना जाता है कि उसी ने पुरूष/पुरूषों को उत्तेजना उत्पन्न करने का कोई कार्य/संकेत किया होगा।

अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 1994 से 1996 के बीच बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में 17 फीसदी वृद्धि रिकॉर्ड की गई, और ये सारी बच्चियां दस वर्ष से कम की हैं। 1994 में बच्चियों के साथ बलात्कार की 3986 घटनाएँ दर्ज हुई जिसकी संख्या 1996 में बढ़कर 4063 हो गई। यदि वास्तविकता का अनुमान लगाया जाए तो रिपोर्ट कराने की परेशानी और उसके बाद की स्थिति के मद्देनजर बलात्कार की शिकार महिलाओं की यह संख्या आधे से भी बहुत कम है।

रेखा चित्र क्रमांक 3.21

भारत में महिलाओं के साथ हुए बलात्कार संबंधी आँकड़े

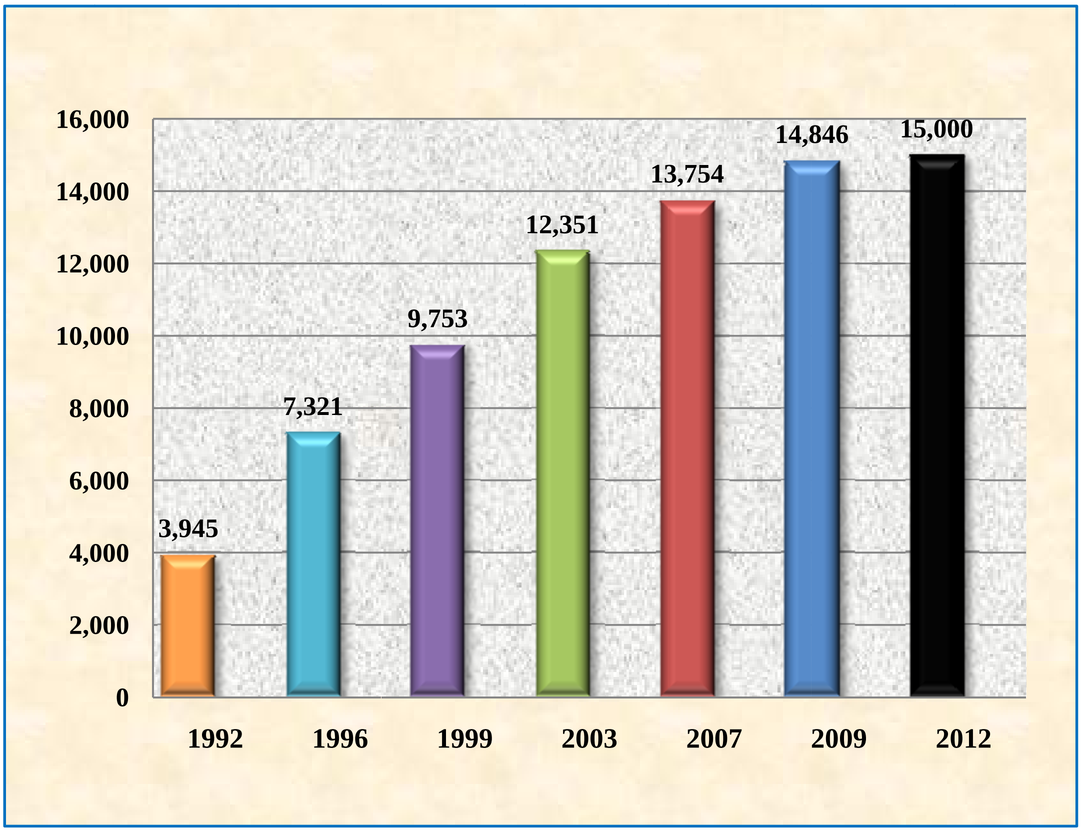

अंत में इस तरह निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि बलात्कार की शिकार महिलाओं में किशोरावस्था की बच्चियों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसके साथ ही अशिक्षित व कम पढ़ी–लिखी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएँ ज्यादा घटित होती हैं, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ, अविवाहित महिलाएँ, एकाकी परिवार से संबंधित महिलाएँ एवं वे महिलाएँ जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होती है, जिनका संबंध निर्धन परिवारों से होता है उनके साथ बलात्कार की घटनाएँ ज्यादा पायी गयी है।

इस अध्याय में छिन्दवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर यौन उत्पीड़न का विश्लेषण किया गया। इसे कोयलांचल का प्रतिनिधि नगर कहा जा सकता है। विगत 5 दशकों से यह औद्योगिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है । यह म.प्र. के प्रमुख नगरों से जुड़ा है एवं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है, विकास की दृष्टि से देखा जाये तो कुछ समय से शैक्षणिक संस्थानों में वृद्धि हुई है, जिसमें ग्रामीण स्थानों से विद्यार्थियों का अवागमन बढ़ गया है, साथ ही अन्य लघु उद्योगों का भी विकास हुआ है, चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ शहर में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है जिससे आसपास का ग्रामीण जनसंख्या भी इस नगर से जुड़ गयी। छिन्दवाड़ा जिले के विकास के साथ–साथ यहाँ पर यौन उत्पीड़न जैसी समस्या भी बढ़ने लगी। यहाँ का प्रमुख उद्योग कोयला है। जहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों को कोयला उत्पादन प्रक्रिया से आँखों में अनेक प्रकार की बिमारियाँ हो रही हैं।

शोधार्थी द्वारा यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटना संबंधी समस्या का अध्ययन करने पर पाया गया कि यहाँ के लोग आर्थिक दबाव को सहन करने में असमर्थ है। विभिन्न प्रमुख स्थलों पर यौन उत्पीड़न का अध्ययन करने पर पाया गया कि शहर में किसी प्रकार के बड़े उद्योग आदि न होने से महिलाएँ यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इस अध्याय में किये गये आलोचनात्मक अध्ययन से शोधकर्ता कुछ परिणामों तक पहुँचा है, जिन्हें अगले अध्याय में बताया गया है।

अध्याय-चतुर्थ

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की दशा में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ

4.1 पुलिस की भूमिका

4.2 मीडिया की भूमिका

4.3 न्यायालय की भूमिका

4.4 एन.जी.ओ. की भूमिका

4.5 समाज की भूमिका

4.6 परिवार की भूमिका

चतुर्थ अध्याय

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की दशा में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ

बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार के साथ–साथ समाज एवं परिवार की भूमिकाओं का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है जो कि निम्नलिखित है–

4.1 पुलिस की भूमिका :

दिल्ली में लड़की के साथ हुई अत्यंत जघन्य और घृणित सामूहिक बलात्कार की घटना ने समाज के सामने सैकड़ों सवाल लाकर खड़े कर दिए हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न देश की पुलिस व्यवस्था और लिंग के मामलों में पुलिस के दृष्टिकोण से भी जुड़ा है, क्योंकि सभी अपराधों की तरह बलात्कार तथा महिला उत्पीड़न एवं महिला छेड़खानी की घटनाओं के बाद भी पीड़िता और उसके परिजन सबसे पहले पुलिस के ही सम्पर्क में आते हैं । इस प्रकार अपराधिक न्यायिक प्रणाली की पहली सीढ़ी के रूप में पुलिस तंत्र ही समाज के सामने आता है। ऐसे समस्त अपराधों में पुलिस की भूमिका का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक बढ़ जाता है कि इस समय पीड़िता का दर्द और लोगों का क्षोभ भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण अपने चरम पर होता है अर्थात् यह कि अपनी विशिष्ट स्थिति के नाते महिला अपराधों में पुलिस की इतनी अहम भूमिका होती है जिसे किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता है।

आज भी देश में कई पीड़ित महिलाएँ संकोच के कारण अपने साथ हुई घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं इसके लिए अच्छा होगा कि देश में अधिक से अधिक महिला थाने स्थापित किए जाएँ ताकि महिलाओं को अपने साथ हुई घटनाओं को महिला थाने में दर्ज करवाने में कठिनाई एवं संकोच न हो सके, लेकिन मौजूदा स्थितियाँ आदर्श कल्पना से अभी बहुत दूर हैं।

सत्य तो यह है कि इन पीड़ित महिलाओं में कई बार पढ़ी–लिखी महिलाएँ थाने जाने से हिचक जाती हैं, कई बार लोग अपने साथ घटी–घटनाओं को मात्र इसी कारण दबा देते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें किसी कार्यवाही के लिए थाने जाना पड़ेगा इसके लिए पुलिस के व्यवहार से प्रभावित है इसलिए इसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया से लेकर जाँच प्रक्रिया तक में अहम का भाव जो पुरूष सत्तात्मक व्यवस्था से उपजा है, बलात्कार या यौन हिंसा जैसे मामलों में पुलिस की पूछताछ पीड़िता की मनोस्थिति के अनुकूल नहीं होती है। ये मामले संवेदनशील होते हैं, लेकिन पुलिस कभी इतने प्रशिक्षित नहीं होते हैं या अन्य कारणों से वे इन मामलों में संवेदनशीलता के साथ पेश नहीं आते हैं और इसी कारण कई पीड़िता या उनके परिजन पुलिस के पास शिकायत लेकर जाने से डरते हैं, यह पुलिस तंत्र और हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है।

समाज में महिलाओं को अत्यधिक कमजोर अशक्त वर्ग माने जाने के नाते महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का दायित्व पुलिस संगठनों पर है। व्यक्तिगत अपराध हो या दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सामूहिक अपराध हो, राज्य की पुलिस व केन्द्रीय पुलिस संगठनों का कर्त्तव्य है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तत्परता से करे एवं उनके विरूद्ध होने वाले यौन शोषणों से उनकी रक्षा करे।

जब कोई बलात्कार की शिकार महिलाएँ आहत शरीर और आत्मग्लानि की अग्नि में झुलसती हुई पुलिस थाने पर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचती हैं व जब वहाँ उन्हें सहानुभूति नहीं मिलती है तब वे अपने आप में और प्रताड़ित होना महसूस करती हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के मामलों में प्रोफेशनल और उच्च शिक्षा प्राप्त पुलिस बल की तैनाती की जानी अत्यावश्यक है। अपराधी की सजा का कम या ज्यादा होना जितना महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि अपराधी को सजा मिलना सुनिश्चित हो। कम ही सही, लेकिन सजा की सुनिश्चिता के सहारे ही बलात्कार जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया

जा सकता है। बलात्कार की शिकार महिला का मुकदमा सरकारी खर्चे पर या स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से लड़ा जाए। इससे महिला को सहयोग तो मिलेगा ही साथ ही वह मुकदमा लड़ने के लिए और सशक्त होगी।[1]

4.2 मीडिया की भूमिका :

टी.वी. और इन्टरनेट वर्तमान समय की जरूरत कही जा सकती है, परन्तु भारतीय समाज सांस्कृतिक आरोपण के भयावह दौर से गुजर रहा है। भारतीय संस्कृति के संस्कारों पर चौतरफा हमला हुआ है। भारतीय समाज को संस्कृति से काटकर छिन्न– भिन्न किया जा रहा है। यह सांस्कृतिक आक्रमण आकाशी टेलीविजन चैनलों से, सिनेमा समे, मनोरंजन के माध्यमों से, प्रिंट मीडिया समे, साहित्य के माध्यम से और दूसरे तरीकों से हो रहा है। यह अवश्य है कि आकाशी चैनलों से विश्व एक वृहद ग्राम में परिवर्तित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक संचार से पलक झपकते विश्व में जानकारी मिल जाती है। इसके पीछे के दानवी चेहरे के अन्य कारण कुछ है। सैकड़ों टी.वी. चैनलों में क्या परोसा जा रहा है ? क्या नैतिकता और क्या मूल्य दिए जा रहे है ? यह जानना आवश्यक है कि वे समाज को क्या दे रहे हैं?[2]

वहीं दूसरी ओर हमारे देश का मीडिया भी अपनी भूमिका से भटकता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की सनसनीखेज खबरें समाचार पत्रों पर प्रस्तुत करता है। जिन्हें लोग चटखारे लेकर पढ़े । मीडिया तो प्रतिदिन ऐसी खबरों की तलाश में रहता है। मीडिया को इस दिशा में अपने नैतिक कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए।

अश्लीलता सिर्फ एक समस्या ही नहीं, भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का अदृश्य हमला है, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। टेलीविज़न कार्यक्रमों में अश्लीलता रोकने के लिए सरकार ने एक स्वायत्तशासी प्राधिकार बनाने का विचार किया है। टीवी चैनल प्रमुखों और टीवी कार्यक्रम को बनाने वाले लोगों ने सूचना मंत्री के साथ एक बैठक में अपने चैनलों और कार्यक्रमों में अश्लीलता न दिखाने का

संकल्प किया है, परन्तु बाजार की मांग पर नाचने वाले चैनलों, फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों से आत्मनिर्भरता की उम्मीद निरर्थक ही होगी। वर्तमान की फिल्मों या उनके नायक नायिकाओं को देखने से ऐसी दुनिया का दर्शन होता है। जिसका भारतीय संस्कृति से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है, पर आजकल वे ही भारतीय संस्कृति के निर्यात और विध्वसंकर्ता हैं।

अश्लीलता एक मजबूत व्यवसाय है। इस व्यवसाय ने एक नए समाज की रचना की है। यह नया समाज अश्लीलता के बाजार का सहज हिस्सा बना गया है। 'न्यूड सीन' व 'ब्ल्यू फिल्में' इस बाजार के मुख्य हिस्से हैं। बाजारों में रोज इन उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। इण्टरनेट पर ये ही आकर्षण के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं। एक मर्यादाहीन कामुक समाज का निर्माण पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। इसमें अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है।[3]

4.3 न्यायालय की भूमिका :

यह बात सत्य है कि बलात्कार जैसे मामलों में कठोर कानून बने हैं, तथा कुछ मामलों में अपराधी को कड़ी सजा भी मिली है, परन्तु अधिकांश मामलों में न्याय में देरी होने या सम्पूर्ण साक्ष्य के अभाव में अपराधी के छूट जाने से दूसरे लोगों का डर मिट जाता है तथा उन्हें लगता है वे बच जाएंगे।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2003 में 18100 लोगों पर बलात्कार के मुकद्मे चले, जिनमें से मात्र 4645 को ही सजा हो सकी थी। कानून के ये आँकड़े जहाँ अपराधियों की हिम्मत बढ़ाते हैं, वहीं इससे लोगों की कानून के प्रति निष्ठा कम होने लगती है। अब तो अपराधियों ने कानून से बचने के लिए पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव रखना भी शुरू कर दिया है, कई बार इज्जत की खातिर कुछ लड़कियाँ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हैं। नतीजा यह कि बलात्कारी सजा से बच जाता है।[4]

असल में पीड़ित लड़कियाँ समाज के तानों से बचने के लिए उस व्यक्ति से विवाह करने को तत्पर हो जाती है, जिसने उनकी आत्मा और शरीर को नोचा था और शायद जिससे वे सर्वाधिक नफरत करती है। किसी हद तक इसमें गरीबी भी जिम्मेदार होती है। वे जानती हैं कि वे गरीब हैं और लम्बी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। इसलिए वे ऐसा कदम उठाती हैं। इस स्थिति में समाज सेवी संगठन मददगार हो सकते हैं। वे इन महिलाओं की मदद कर उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। उनका सहारा बन सकते हैं। यही नहीं इनके प्रति समाज की सोच बदलने में भी सहायक हो सकते हैं। पीड़िता अगर बालिका है तो समाज और समाजसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। खेलने–खाने की उम्र में जिस बालिका के साथ ऐसा वीभत्स दुष्कर्म किया गया हो, उसके लिए यह सब भूल पाना असम्भव सा होता है। उसके समूचे व्यक्तित्व व भविष्य पर इस घटना का असर होता है। कई मामलों में तो पीड़िता जीवन भर इस प्रकार के सदमें से उबर ही नहीं पाती है।[5]

बलात्कार के आरोपियों को न्यायालय द्वारा कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमें में बलात्कार की शिकार छात्रा के आरोपी लेक्चरर द्वारा प्रतिमाह एक हजार रूपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया था। यह सजा अपने आप में एक उदाहरण है।

भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने यह बयान दिया कि अगर बलात्कारी को फाँसी दिये जाने पर सहमति बनती है तो इसे कानून का रूप दिया जा सकता है । इस बयान पर सभी ओर से आवाज उठी कि सजा भले ही कम कर दी जाए या इसे सिर्फ पांच वर्ष ही कर दिया जाए, किंतु फैसला केवल तीन माह में ही हो जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुना दिये जाने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने के बावजूद अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैया सकारात्मक हो इसके लिए सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर अभियान चलाये जाने की महति आवश्यकता है।

भारत के न्यायालयों में वाद लम्बे समय तक चलते रहते हैं कर्नाटक के प्रकरण में बलात्कार का मुकदमा 15 वर्ष तक चला। ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला बद से बदतर स्थिति में पहुँच जाती है। अतः यह आवश्यक है कि पुलिस द्वारा अनुसंधान की कार्यवाही दो माह में तथा अदालती कार्यवाही व दोषी को सजा देने की प्रक्रिया छह माह में पूरी हो जानी चाहिए तभी बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने की संभावना हो सकती है।[6]

4.4 एन.जी.ओ. की भूमिका :

लिंग विभेद की समस्या व महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गैर–सरकार संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी यह महसूस किया गया है कि केवल राष्ट्रों की सरकारों के सहयोग से इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। अगर सही अर्थों में इन समस्याओं को हल करना है तो लोक जागृति द्वारा स्थानीय स्तर (**Grass Root Level**) से काम करना चाहिए और इसके लिए स्थानीय गैर सरकारी संस्थाएँ (**Local Non Government Organisation**) ही सहायता कर सकती हैं क्योंकि स्थानीय लोगों में जागृति लाने का कार्य व सरकार व लोगों के बीच सेतु का कार्य इन्हीं स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने में इन गैर–सरकारी महिला संस्थाओं (**Non Government Women's Organisation**) ने स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जर्मनी के ''ग्रीन आन्दोलन'' में महिलाओं की संस्थाओं ने सक्रिय कार्य करके शान्ति स्थापना में योगदान दिया है। इसी प्रकार वेस्टइण्डिज़ की समाजसेवी संस्था ने महिलाओं को समानता व स्वतन्त्रता के अधिकार दिलवाकर, उन्हें व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। इसी प्रकार अहमदाबाद में गैर–सरकारी महिला संस्थाओं ज्योति संघ, सेवा व आवाज (**Jyoti Sangh, Sewa, Awaj**) ने महिलाओं के जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने

का कार्य किया है। इन तीनों संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन के प्रत्येक पहलू का विकास करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाकर, उन्हें गौरवमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना है।[7]

मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए गैर सरकारी संगठन केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही काम कर रहे हैं, वे भारत में ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में भी स्वीकार किया गया है। तभी अधिनियम की धारा 12 (1) में ''मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का कार्य'' मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। मानवाधिकार आयोग इसे स्वीकार भी करता है कि ''उसे व्यावहारिक सहायता तथा ऐसी रचनात्मक आलोचना के माध्यम से ऐसा काफी कुछ हासिल करता है जो गैर सरकारी संस्थाओं और आयोग के पारस्परिक संबंधों एवं अंतःसंबंधों से आगे बढ़ सकता है।

गैर–सरकारी संगठन मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण के तीन रूपों में सहायक हो सकते हैं, प्रथम तो यह कि मानवाधिकार के उल्लंघन का पता लगाकर उन्हें जन–साधारण के ध्यान में ले आना या मुखरित करना तथा उनके निवारण के लिए प्रयत्न करना। यह कार्य वे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश जमीन से जुड़े संगठन होते हैं। दूसरे ये गैर–सरकारी संगठन जनसाधारण से जुड़े होने के कारण मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर और अतिसंवेदनशील मामलों में अन्वेषण की प्रक्रिया में हर प्रक्रम पर सहायता कर सकते हैं। तीसरे, जैसा कि मानवाधिकार आयोग कहता है, ''मानवाधिकार कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में गैर–सरकारी संस्थाओं की निजी उच्चस्तरीय विशेषज्ञता आयोग के लिए अत्यधिक उपयोगी स्रोत बन सकती है, क्योंकि आयोग विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करता है और उसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। ''जैसे बालश्रम और बंधुआ मजदूरों की समस्याएँ, ऐसे कार्यों के लिए उन गैर सरकारी संगठनों की सहायता अपेक्षित होती हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं।

अब मानवाधिकार के उल्लंघन की जाँच और अन्वेषण का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जा सकता है। ये संगठन आयोग को शिकायतें भेजकर आयोग के कार्यों में बहुमूल्य योगदान कर रहे हैं। यही नहीं इनमें बहुत सी संस्थाओं ने न्यायालयों में सीधे वाद या रिट याचिकायें दाखिल करके लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर राहत दिलाई है।

वर्तमान में जब 20 वीं सदी के अंत में इन गैर सरकारी संगठनों का मानवाधिकार के मामलें में घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। आज मानवाधिकार सक्रियतावादी और संगठन वास्तव में दुनिया के सभी देशों में फैले हुए हैं। उनमें से कुछ स्वतंत्र वाक, जनतंत्र धार्मिक और मूलवंशीय (जातीय) सहिष्णुता के लिये अपने जीवन और जीविका का जोखिम उठा रहे हैं। कतिपय ऐसे हैं जो यातना, मनमाने कारावास और दासता के समकालीन रूपों के विरूद्ध बोल रहे हैं। इनके आलावा कुछ ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करने, विकास को बढ़ावा देने, बालश्रम को सीमित करने, बारूदी सुरंगों को प्रतिबन्धित करने तथा महिलाओं और लड़कियों के मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के प्रयासों से अभी मानवाधिकारों का हनन रूका तो नहीं है, परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन ने जो शक्ति और उत्साह अर्जित कर लिया है, उससे यह आशा बलवती होती है कि अगली सदी में इस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति होगी।[8]

बलात्कार और महिला संगठन :

बलात्कार के प्रकरणों पर देश के महिला संगठन काफी जागरूक रहे हैं। इन संगठनों द्वारा समय–समय पर बलात्कार के संबंध में सर्वेक्षण कराए गए हैं। ऐसे ही एक सर्वेक्षण में निम्नांकित तथ्य सामने आये हैं –

1. बलात्कार के 16 प्रतिशत प्रकरण ही पुलिस थाने में दर्ज होते हैं।
2. बलात्कार की शिकार महिलाओं में लगभग एक–तिहाई महिलाओं की आयु 16 वर्ष से कम होती है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों मे मुश्किल से बलात्कार के एक प्रतिशत मामले ही पुलिस थानों में दर्ज किए जाते हैं।
4. अदालत में 100 में से केवल 4 बलात्कारियों को ही सजा मिल पाती है।
5. 10 में 3 बलात्कारी महिला के पड़ोसी होते हैं।[9]

4.5 समाज की भूमिका :

देश के स्वतंत्र होने के 70 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पर पुरूषों का जबरदस्त नियंत्रण होने के कारण महिलाएँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी तरह से उपेक्षित हैं। उनका निरंतर शोषण जारी है। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है।

घरेलू उत्पीड़न के अतिरिक्त उत्पीड़न का एक अन्य पक्ष भी भारतीय समाज को चिंतन के लिए विवश करता है, महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों में यह सर्वाधिक घृणित रूप से लज्जा भंग व बलात्कार के रूप में हमारे सामने आता है।

बलात्कार की शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वही चिंता का विषय यह है कि बलात्कार की शिकार महिलाओं में 5 वर्ष की बालिका से 60 वर्ष तक की प्रौढ़ा तक सम्मिलित हैं। यह परिदृश्य जहाँ भारतीय जनमानस में निराशा को पैदा करता है वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए पर्याप्त संरक्षण हेतु विधान होने के पश्चात् भी उनके प्रति होने वाले अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे है एवं समाज में उनके विरूद्ध नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी हैं ?[10]

महिलाओं की तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा बलात्कार के अपराधों को बढ़ावा देने वाली और बलात्कारी को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर उपाय है। आज के समाज में बलात्कार की शिकार महिला का कल्याण इसी से माना जाता है कि वह

चुप रहे। समाज में चली आ रही यह धारणा बलात्कार करने वालों को दुस्साहस की ओर बढ़ाती है। इस दृष्टिकोण को समाज में बदलना आवश्यक है।

नारी सृष्टिकर्ता है, जननी है, संस्कृति की सम्पोषक है, समाज की धरोहर है, ममता की प्रतिमूर्ति है, त्याग और बलिदान की जीवन्त मिसाल है, यह एक ऐसा सत्य है, जिले मानव–समाज झुठला नहीं सका है और न ही कभी झुठला पाएगा, लेकिन नारी के प्रति बढ़ते हुए अपराध के घेरों का जब विश्लेषण किया जाता है तो हमारे समाज और व्यवस्था के समक्ष अनेक प्रश्नचिह्न लगे हुए दिखाई देते हैं, लोकतान्त्रिक चेतना का पतन स्पष्टतः नजर आता है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्यों एवं मानव–विकास की बात भी उचित प्रतीत नहीं होती है। नारी जिस प्रताड़ना शोषण एवं यातना के दौर से गुजर रही है, वह प्रतीक है हमारी मानसिक कुरूपता, हमारी विसंगतियों एवं अचेतना की।[11]

हमारे समाज की विडंबना यह है कि सामाजिक लांछन बलात्कृत महिला एवं बच्ची को झेलने पड़ते हैं, उसे अपवित्र व चरित्रहीन मान लिया जाता है। घर के सभी सदस्यों अर्थात् मां–बाप, भाई–बहन आदि का जीवन भी प्रभावित होता है। बच्ची की शादी करना कठिन हो जाता है। माँ–बाप कभी–कभी दुःखी होकर बच्ची को ही प्रताड़ित करते है–"कलमुँही तू मर क्यों न गई!", 'तू पैदा ही न हुई होती!", 'कलंकिनी, वापस क्यों आई!" आदि। कभी–कभी परिवार वालों को समाज के भय से घर, मोहल्ला, गाँव या शहर भी छोड़ना पड़ता है। वे ऐसे स्थान तलाशते हैं जहाँ उन्हें कोई पहचानता न हो। बच्ची बलात्कार की दुर्घटना को भूलने लगे तो भी परिवार के अन्य सदस्य सम्मान नष्ट होने के कारण बलात्कारी की हमेशा याद दिलाए रखते हैं। बच्ची हीन भावनाओं का शिकार हो जाती है और घर से बाहर जाने या घर के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के सामने जाने में असुरक्षित महसूस करती है। उसका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। इसके मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम शारीरिक प्रताड़ना से कहीं अधिक होते हैं और इससे अधिक आघात पहुँचता है माँ–बाप व भाई को। यदि बलात्कृत बच्ची की और बहनें भी हैं तो उन पर भी अकारण ही पाबंदियाँ लग जाती हैं जबकि अपराध किसी का है और झेलना पड़ता है किसी अन्य को।[12]

बलात्कार सामाजिक अपराध है, मानवीय आस्था के प्रति खुला विद्रोह है। बलात्कार चाहे प्रकाश में आए अथवा लोक—लज्जा या किन्हीं अन्य कारणों (धमकी, लालच आदि) से प्रकाश में न आ सके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे समाज को जो अभिशाप मिलता है, समाज उससे लाख कोशिश करने के बावजूद भी उबर नहीं सकता। यौनाचार को रोकने के लिए शक्ति का सहारा लेना होगा तथा कानून से पहले समाज को अपने विवेक से अपराधी को सजा देनी होगी, साथ ही नारी को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना होगा व बलात्कार, दुराचार यौनाचार जैसे घृणित कार्यों व अपराधी को समाज के सम्मुख उजागर करके इंसाफ प्राप्त करना होगा।[13]

समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अपने आदर्शो के मानदंड भी बदलने होंगे। महिला को बदनाम करने की बजाय ऐसे पुरूष को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे पुरूष को यदि पाँच—दस वर्ष की सजा मिल जाए तो उसकी अपेक्षा महिला को तो उससे कहीं अधिक यंत्रणा भुगतनी पड़ती है। कानून में बलात्कृत महिला को मानहानि की भरपाई मिलनी चाहिए। उसे किसी सामाजिक कल्याणकारी संस्था का सहारा लेना चाहिए। पीड़ित महिला के चुप रहने या उस महिला द्वारा वेश्यावृत्ति में जाने से तो अपराधी बचकर निकल जाता है। बाल शोषण के संबंध में घर का वातावारण और बच्चों के साथ माँ—बाप को ऐसे संबंध रखने चाहिए कि बच्चे घर में सब कुछ बता सकें, झिझके नहीं। बच्चों को अजनबियों से दूर रखना चाहिए। बच्चों को अपने से बड़ों के अप्रत्याशित व्यवहार से सावधान रहना चाहिए यथा छूना या अजीब प्रकार से घूरना आदि। कुछ घरों में पुरूष सेक्स संबंधी गालियाँ देते है। बच्चों को इस प्रकार के वातावरण से दूर रखना चाहिए। बड़ों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों आदि पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बलात्कार के दृश्य फिल्मों में नही दिखाने चाहिए।[14]

4.6 परिवार की भूमिका :

बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला की दशा में परिवार की अहम भूमिका होती है, उन्हें अपनी भूमिका का निर्वाहन बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए एवं उस बलात्कृत स्त्री के प्रति विनम्रतापूर्ण और समझदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए साथ ही पीड़ित महिला के प्रति सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए और उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है एवं उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिससे कि बलात्कार से पीड़ित महिला अपने प्रति हुए अत्याचार को भुलाने का प्रयास कर उचित जीवन जीने के लिए अग्रसर हो सके।

किसी महिला के साथ जब एक वर्ग जाति अथवा सम्प्रदाय के पुरूष द्वारा बलात्कार किया जाता है तब उन अत्याचारियों की पत्नियों को इसका विरोध करना चाहिए ताकि बलात्कारी पुरूष कानून के सामने ही नहीं अपनी माँ, बहन और बेटी के सामने भी अपने आप को अपराधी समझेगा।

वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में स्कूलों तथा कॉलेजों में आत्मरक्षा के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण अथवा खेल की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में लड़कियाँ बलात्कारियों से आत्मरक्षा कर पाने में अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। इसलिए स्कूलों में लड़कियों के लिए एन.सी.सी., ताईक्वांडो, जूड़ो–कराटे आदि आत्म रक्षा के प्रशिक्षणों को आवश्यक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिए।

अंत में यह कहा जा सकता है कि बलात्कार के जो मामले सनसनी नहीं बनते या जो जिनमें बलात्कृत कमजोर और बलात्कारित ताकतवर वर्ग के होते है, उनमें पीड़ित लड़की को दैहिक बलात्कार के बाद एक लम्बा मानसिक बलात्कार झेलना पड़ता है जिसमें बलात्कारी हर कदम पर उसके दिल–दिमाग पर कहर बरपाता रहता है। एक पीड़ित लड़की के इस मानसिक बलात्कार में पुलिस तो उसमें साथ होती ही नहीं है, समाज भी साथ नहीं होता। रही मीडिया की बात तो यह मीडिया की सीमा

है, कि वह एक हद से आगे जाकर पक्ष धरता की परिधि से बाहर खिसक जाता है। बलात्कार की शिकार लड़की और उनके परिजनों के सामने पुलिस अदालत और सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले लोगों की भूमिकाएँ या तो पहले ही स्पष्ट होती है या घटना के बाद दुःखद झटकों के रूप में उजागर होने लगती है। परिणामतः पीड़ित महिला बलात्कार के मामले में अपराधी को सजा के चरण तक पहुँचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते है। आँकड़े बताते हैं सजा का प्रतिशत बीस के लगभग भी नहीं होता है। अगर मुम्बई की एक महिला वकील की बात पर विश्वास करें तो यह दस प्रतिशत भी नहीं होता। यह स्थिति तब है जब बलात्कार के अधिकांश मामले सामने ही नहीं आते। समाज महिला को ऐसा करने ही नहीं देता है। परिवार इस सम्बन्ध में उसके विरूद्ध पहले से ही होता है।

एक वर्ष में लगभग 150 ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें पुलिसकर्मी ही बलात्कार के आरोपी होते हैं। पुलिस बलात्कार के न सामने आने वाले मामलों की संख्या कितनी होती होगी, बस कल्पना ही की जा सकती है, जो पुलिस अपने ही बलात्कारियों पर काबू नहीं रख पाती, उस पुलिस से यह अपेक्षा किस प्रकार और कैसे की जा सकती है कि वह जाति, धर्म, वर्ग से परे समूचे भारतीय समाज में तेजी से उभरती बलात्कारियों की फौज को कैसे काबू में रख सकती है ? लेकिन जैसा कि हर अपराध के मामले में होता है, बलात्कार के मामले में भी पुलिस ही पहला निशाना होती है क्योंकि अपराध को रोकने और अपराधी को पकड़ने की प्रत्यक्ष और प्राथमिक जिम्मेदारी उसी की है, पर बलात्कार के मामले में सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल देने से इस अपराध से जुड़े, दूसरे सारे पहलू गौण हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।

एक पहलू समाज के उस वर्ग का है जो नैतिकता को एक सतही आचरण से जोड़ देता है और कहता है कि लड़कियाँ भड़कीले, ललचाऊ, उत्तेजक परिधान क्यों पहनती है, क्यों सर उठाए समय–बेसमय इधर–उधर निकल जाती है, क्यों पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में भटकती–थिरकती है और क्यों रात में दो बजे तक किसी ढाबे पर चाय पीने या निकलने का दुस्साहस करती है। यह वर्ग कहना चाहता है कि

अगर लड़कियाँ ऐसे कर्म करेगी तो बलात्कार का शिकार तो होगी ही। तो फिर न तो दोष बलात्कारी का, न पुलिस का, न शेष समाज का। उनके अनुसार नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने की सजा के रूप में ही बलात्कार घटता है। यह वह सोच है जो बलात्कार से भी अधिक घृणित और निन्दनीय है। मगर जिस तरह आज बलात्कार का कोई उपचार नहीं है, उसी तरह इस सोच का भी कोई उपचार नहीं है।

अगर अनियन्त्रित, असामाजिक और उत्तेजित यौनेच्छा इसका एक तत्व है तो स्त्री पुरूष सम्बन्ध के बारे में सामाजिक नैतिकता, स्त्री–अधिकार की आधुनिक अभिव्यक्ति जो उसे घर से बाहर निकालती है और रात के दो बजे चाय पीने को उसकी जरूरत का हिस्सा बनाती है, समाज में कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति सामान्य नागरिकों की अपराध विरोधी चेतना, राजनीतिज्ञों की समाज चिन्ता निहीन नीति–रीतियाँ, पुलिस और पैसे का भ्रष्ट रिश्ता आदि कारक इस अपराध के दूसरे तत्व का निर्माण करते है। जब तक बलात्कार को रोकने का आन्दोलन और विरोध प्रदर्शन पुलिस के अलावा इस तत्व की ओर अग्रसर होना होगा एवं इस पर समग्रता से विचार करना होगा तभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 73

2) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो. मानचंद खंडेला, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2008, पृष्ठ 6

3) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 203

4) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो. मानचंद खंडेला, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2008, पृष्ठ 182

5) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो. मानचंद खंडेला, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2008, पृष्ठ 182

6) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 73–74

7) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 47

8) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 41–42

9) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 73–74

10) वर्तमान समाज में महिला विधान एवं वास्तविकता, डॉ. रीता सक्सेना, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, प्रथम संस्करण 2010, पृष्ठ 134

11) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 47

12) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 42

13) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 53

14) आधुनिक महिलाएं और समाज उत्पीड़न, अत्याचार एवं अधिकार, संजय गौड़, बुक एनक्लेव जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृष्ठ 73

अध्याय-पंचम्

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

पंचम् अध्याय

अंतर्राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

स्त्रियों के अधिकार की अभिवृद्धि का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय से विश्व के जनसमुदाय में हुआ। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका मानव जाति की गरिमा एवं योग्यता में मौलिक मानवाधिकारों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के लोगों की अवधारणा का जो उल्लेख करता है, उसका सम्बन्ध लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नति के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यान्त्रिकी का प्रयोग करने के लिए एवं पुरूष तथा स्त्रियों के समान अधिकारों से होता है। इसके समान ही प्रावधानों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर तथा उन दूसरे मानवाधिकार लिखत में सम्मिलित किया गया है जो स्त्रियों के अधिकारों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए सार्थक सिद्ध होगा।

बलात्कार एवं लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय और लिखतों द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार है, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया है।

(1) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा :

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में मानव समाज के सभी सदस्यों को अन्तर्निहित गरिमा तथा समान अविभेदकारी अधिकार, विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय एवं शांति को आधार मानकर मानवाधिकारों की घोषणा की गई है।[1]

मूलतः मानवाधिकार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को प्रेषित उस सार्वभौमिक घोषणा पत्र से सम्बन्धित है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार

दिया गया। इसके अन्तर्गत जाति, लिंग, धर्म, भाषा, जन्म अथवा किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार व स्वतन्त्रता दी गई है। अधिकाधिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में जो मानवाधिकार की घोषणा की जिसे हासिल करने के लिए सदियों से संघर्ष चल रहा था। दासता, नस्ल, उपनिवेशवाद के विरूद्ध और मानव द्वारा श्रेष्ठ एवं अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अधिकारों हेतु संघर्ष जारी रखना होगा। मानवाधिकार 20वीं सदी में दिया नया नाम है, जिसकी आधुनिक संकल्पना 1948 के अंत में प्रकट हुई।

यद्यपि मानवाधिकार पुरूष व महिला दोनों वर्गों की दृष्टि से एक ही है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का प्रश्न इसलिये अलग से विचारणीय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरूष सत्तात्मक विश्व में सबसे प्राचीन असमानता अथवा विभाजक रेखा है, वह लिंग भेद ही है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय, रंग आदि सभी विभाजक तथा भेदभावात्मक प्रक्रियाओं का जन्म इसके बाद ही हुआ है। लिंग भेद की अवधारणा ने मानव जीवन को दो ध्रुवों में बाँटकर स्त्री व पुरूष को परस्पर पूरक होने का अवसर न देकर स्त्री का पुरूष का अनुगामी घोषित किया।[2]

(2) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लिखतों के प्रावधान :

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा और महत्व व मूल्य में तथा स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों में महिलाओं की समानता के अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हुए महिलाओं की समानता के अधिकार की घोषणा की गई एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 10 दिसम्बर, 1948 को सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका सम्मान करने के लिए बाध्य किया गया।[3]

मानवाधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों एवं सभी राष्ट्रों के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक सामान्य मानक के रूप में उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए शिक्षा और संस्कृति द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा

तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपायों के द्वारा सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और उनकी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता एवं उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 1 – सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से जन्मजात स्वतंत्र और समान है। उन्हें बुद्वि एवं अंतर्चेतना प्राप्त है। उन्हें भ्रातृत्व की भावना से परस्पर कार्य करना चाहिए।

अनुच्छेद 2–प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उल्लेखित सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसमें मूलवंश, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्‌भव, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी देश या राज्य क्षेत्र की चाहे वह स्वाधीन हो न्यास के अधीन हो, अस्वायत्तवासी हो या उसकी प्रभुता किसी मर्यादा के अधीन हो राजनीतिक आधार पर या अधिकारिता विषयक या अंतर्राष्ट्रीय प्रास्थिति के अधार पर उस देश या राज्यक्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 3– प्रत्येक व्यक्ति को प्राण स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4– किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नही रखा जायेगा। सभी प्रकार की दासता एवं दास व्यापार निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5– किसी व्यक्ति को यातना नही दी जायेगी या उससे क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नही किया जायेगा अथवा उसे ऐसा दण्ड नही दिया जायेगा।

अनुच्छेद 6– प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 7– सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है तथा किसी भेदभाव के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार है। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में भेदभाव के विरूद्ध तथा ऐसे विभेद के उद्दीपन के विरूद्ध समान संरक्षण के हकदार है।

अनुच्छेद 8– प्रत्येक व्यक्ति को संविधान अथवा विधि द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यो के विरूद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 9– किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार निरूद्ध या निर्वासित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 10– प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों के और उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप के अवधारणा में पूर्णतया समान रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार द्वारा शीघ्र और सार्वजनिक सुनवायी का हकदार होगा।

अनुच्छेद 11– (1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दाण्डिक अपराध का आरोप है, यह अधिकार है कि उसे तब तक निरपराध माना जायेगा जब तक कि उसे लोक विचारण में जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक सभी गारंटीयॉ प्राप्त हो, विधि के अनुसार दोषी सिद्व नहीं कर दिया जाता।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य अथवा लोप के कारण जो किये जाने के समय राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दाण्डिक अपराध नहीं था किसी दाण्डिक अपराध के दोषी नही ठहराया जायेगा। ऐसी शास्ति से अधिक शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी जो तत्समय लागू थी, जब अपराध कारित किया गया था।

अनुच्छेद 12– किसी भी व्यक्ति की एकांतता, परिवार–घर अथवा पत्र–व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा तथा उसके मान और ख्याति पर प्रहार नही किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप अथवा प्रहार के विरूद्व विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 13– (1) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण एवं नियमों की स्वतंत्रता का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को अथवा किसी देश को छोड़ने एवं अपने देश मे वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14– (1) प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मांगने तथा लेने का अधिकार है।

(2) इस अधिकार का अवलम्ब अराजनैतिक अपराधों अथवा संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्वांतों के प्रतिकूल कार्यों में वास्तविक रूप से उद्भूत अभियोजनों की दशा में नही लिया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15– (1) प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

(2) किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और राष्ट्रीयता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

अनुच्छेद 16– (1) वयस्क पुरूषों तथा स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने तथा परिवार स्थापित करने का अधिकार है। ये विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन काल में तथा उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार है।

(2) विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतंत्र तथा पूर्ण सहमति से ही विवाह किया जायेगा।

(3) परिवार समाज की नैसर्गिक एवं प्राथमिक इकाई है और इसीलिए यह समाज एवं राज्य के द्वारा संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 17– (1) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एवं राज्य द्वारा संरक्षण का हकदार है।

(2) किसी भी व्यक्ति को उसकी संपति से मनमाने ढंग से वंचित नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 18– प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म अथवा विश्वास को परिवर्तित करने का स्वतंत्रता एवं अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर और सार्वजनिक रूप से अथवा अकेले शिक्षा पूजा–पाठ में अपने धर्म अथवा विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद 19– प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप के बिना विचार रखने तथा किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किये बिना जानकारी मांगने तथा प्राप्त करने तथा देने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद 20– (1) प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन तथा संगम की स्वतंत्रता का अधिकार है।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मिलित होने के लिए विवश नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 21– (1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे अथवा स्वतंत्रापूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समान अवसर का अधिकार है।

(3) लोकमत सरकार को प्राधिकार का आधार होगा, इसकी अभिव्यक्ति सामयिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी, जो सार्वभौम तथा समान मताधिकार द्वारा होंगे एवं गुप्त मतदान द्वारा अथवा तत्समान किसी अन्य स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किये जोयेगें।

अनुच्छेद 22— प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है तथा वह राष्ट्रीय प्रयास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एवं प्रत्येक राज्य के गठन और संसाधनों के अनुसार ऐसे, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा तथा उसके व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है।

अनुच्छेद 23— (1) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित एवं अनुकूल दशाओं का तथा बेरोजगारी के विरूद्व संरक्षण का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को किसी विभेद के बिना, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को, जो कार्य करता है, ऐसे न्यायोचित तथा अनुकूल पारिश्रम का अधिकार है जिससे स्वयं उसका तथा उसके परिवार का मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिश्चित हो जाये तथा यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के अन्य संसाधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाये।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण हेतु व्यवसाय संघ बनाने तथा उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24 प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम एवं अवकाश का अधिकार है जिसके अंतर्गत कार्य के घंटों की युक्तियुक्त सीमा तथा वेतन सहित सामयिक छुट्टिया भी है।

अनुच्छेद 25— (1) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके द्वारा उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु पर्याप्त है, जिसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र मकान, चिकित्सा और आवश्यक सामाजिक सेवाऐं भी है और बेरोजगारी रूग्णता, अशक्तता, वैधव्य, वृद्धावस्था अथवा उसके नियत्रंण के बाहर परिस्थितियों में जीवन—यापन के अभाव की दशा में सुधार का अधिकार है।

(2) सभी बच्चे चाहे उनका जन्म विवाहित जीवन काल में हुआ हो अथवा अन्यथा समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेंगें और वे मातृत्व एवं बाल्यकाल में विशेष देखभाल सहायता के हकदार है।

अनुच्छेद 26– (1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा सामान्यतः उपलब्ध करायी जायेगी और उच्च शिक्षा सभी व्यक्तियों को गुणावगुण के आधार पर समान रूप से प्राप्त होगी।

(2) शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता के प्रति आदर में वृद्धि होगी। यह सभी राष्ट्रों, मूलवंश, विकास अथवा धार्मिक समूहों के बीच समादर, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि के लिए उद्दिष्ट होगी एवं शांति बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को अग्रसर करेगा।

(3) माता–पिता को यह चयन करने का पूर्ण अधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की शिक्षा दी जायेगी।

अनुच्छेद 27– (1) प्रत्येक व्यक्ति के समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद लेने एवं वैज्ञानिक प्रगति तथा उसके लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के फलस्वरूप होने वाले नैतिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 28– (1) प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29– (1) प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्त्तव्य जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास संभव है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में वही मर्यादायें लगायी जायेंगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सम्यक् मान्यता तथा सम्मान सुनिश्चित करने एवं प्रजातांत्रिक समाज में नैतिकता, लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन हेतु विधि द्वारा अवधारित की गयी हैं।

(3) किसी भी दशा में इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्वांतों के प्रतिकूल नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 30– इस घोषणा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जायेगा कि उसमें किसी राज्य समूह अथवा व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कार्य कलाप अथवा कोई ऐसा कार्य करने को अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमें उपबन्धित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है।[4]

(3) मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के उपाय :

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा के अधीन क्रियान्वयन की प्रक्रिया मानवाधिकार समिति द्वारा निष्पादित की जाती है। इस समिति में 18 सदस्य है। समिति के सदस्य उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति होते है जो मानवाधिकार क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठा क्षमता रखते है। प्रसंविदा में वर्णित मानवाधिकांर का क्रियान्वयन 4 भिन्न–भिन्न ढंगों से किया जाता है। ये ढंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया, अंतर्राज्यिक संसूचना प्रणाली सुलह प्रक्रिया एवं व्यक्ति की संसूचना से संबंधित है।

रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रमुख बात यह है कि इसमें मानवाधिकार के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में रिपोर्ट महासचिव के पास प्रेषित की जाती है। महासचिव इसे मानवाधिकार समिति के पास विचारार्थ भेजता है। समिति इस पर अध्ययन करने के पश्चात् अपनी सामान्य टिप्पणियों सहित रिपोर्ट संबंधित राज्य को प्रेषित करती है जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। ऐसा करने के लिए प्रसंविदा के अनुच्छेद 1 में प्रावधानित है। जिनके अनुसार ''राज्य पक्षकार उन उपायों को जो

इसमें वर्णित है, के क्रियान्वयन के लिए 'कृत संकल्प' है। यदि प्रसंविदा के प्रावधानों को लागू नहीं कर रहा है तो वह उस राज्य पक्षकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह विधि अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के नाम से जानी जाती है ध्यान आकर्षित किये जाने वाली सूचना लिखित रूप में दी जाती है।

सूचना प्राप्त करने के बाद तीन मास के अंतर्गत संसूचना प्राप्त करने वाला राज्य संसूचना भेजने वाले राज्य को मामले का स्पष्टीकरण प्रेषित करता है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो मामला तद्नुसार कार्यवाही हेतु मानवाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

सुलह प्रक्रिया के अंतर्गत मानवाधिकार समिति द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया जाता है। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा में प्रावधानित अधिकारों में से किसी के उल्लघंन होने पर व्यक्तियों को भी अपने राज्यों के विरूद्व मानवाधिकार समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

मानवाधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (कन्वीनेंट ऑन इकॉनोमिक, सोशल एंड कल्चरल राइटस) का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य पक्षकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रिपोर्ट प्रेषित करेंगें। महासचिव उनके प्रतिवेदन को विचारण के लिए मानवाधिकार आयोग के पास भेजेगा और आयोग प्रसंविदा के अंतर्गत सुझाये हुए तरीके के अनुसार कार्यवाही करेगी।

महासभा ने 20 नवंबर 1989 को एक शिशु अधिकार अभिसमय (कन्वेंशन ऑन दि राइट्स ऑफ चाइल्ड) अंगीकार किया और 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक नागरिक को शिशु के रूप में परिभाषित किया। अभिसमय में शिशुओं के विभिन्न अधिकारों को वर्णित किया गया। ये अधिकार निम्नवत् हैं –

1. जीवन, नाम एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार।
2. अपने माता–पिता द्वारा देखभाल किये जाने का अधिकार।
3. विचार, अभिव्यक्ति एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
4. संगम एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार।
5. आर्थिक शोषण के विरूद्व सुरक्षा का अधिकार।
6. उत्पीड़न एवं अमानवीय व्यवहार के विरूद्व अधिकार।
7. शालीन जीवन का अधिकार

उपर्युक्त के अलावा घोषणा में यह भी प्रावधान किया गया है कि–सभी सम्भाव्य उपाय किये जाएगें ताकि 15 वर्ष के अधीन शिशु युद्व में भाग न लें और राज्य सशस्त्र बलों में उन्हें भर्ती न करें ।

मनवाधिकारों के संरक्षण में क्षेत्रीय अभिसमयों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये अभिसमय विधि शासन की सुस्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय अभिसमयों की स्थापना की गयी है –

1. मानवाधिकार का यूरोपीय अभिसमय – मानवाधिकार यूरोपीय अभिसमय को 4 नवम्बर 1950 को अंगीकार किया गया तथा यह 3 सितम्बर 1953 को प्रवृत्त हुआ। इसके अंतर्गत कुल 66 अनुच्छेद है, जिन्हें पांच भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र की व्यवस्था है तथा इस प्रवर्तन तंत्र में यूरोपीय मानवाधिकार आयोग एवं यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय शामिल हैं। ये दोनों निकाय यूरोपीय परिषद् के अधीन कार्य करते है। यूरोपीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन परामर्शदात्री सभा द्वारा किया जाता है। आयोग का प्रमुख कार्य अभिसमय के प्रावधानों को प्रवर्तित करना है। आयोग किसी व्यक्ति गैर–सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के समूहों से भी याचिका ग्रहण कर सकता है। बशर्ते वे पीड़ित होने का दावा करते हो। यदि आयोग किसी परिवाद को

स्वीकार करता है तो वह अपने कार्यवाही दो प्रकार से निष्पादित करेगा। प्रथम तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की जांच करना दूसरा मानवाधिकारों के लिए सम्मान के अधार पर मामलों का मैत्रीपूर्ण निपटारा करना।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायालय का गठन 3 सितम्बर 1958 को किया गया था जो 8 सदस्यों द्वारा स्वीकृत था। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यूरोपीय सदस्यों की संख्या के समान है। इसके सम्मुख लाये गये प्रत्येक मामले मे विचारण के लिए एक पीठ का गठन किया गया है। न्यायालय के बैठक का स्थान 'स्ट्रॉसबर्ग' है। किंतु यह अन्य स्थान पर भी न्यायिक फैसले दे सकता है। यद्यपि यूरोपीय अभिसमय को मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे और प्रभावशाली बनाने की अपेक्षा है।

2. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अमेरिकी अभिसमय – मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला अमेरीकी अभिसमय को नवम्बर 1969 में सैन जोस, कोस्टारिका सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था जबकि अभिसमय के प्रावधान 11 जुलाई 1975 को लागू हुए अभिसमय में समस्त मनुष्य के लिए कई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के क्रियान्वयन का भी उपबंध किया गया था। इस क्रियान्वयन तंत्र में अंतर–अमरीकी मानवाधिकार आयोग एवं अंतर–अमरीकी मानवाधिकार न्यायालय है। अंतर–अमरीकी मानवाधिकार आयोग में सात सदस्य होते हैं। आयोग को भी अभिसमय के उल्लघन के लिए राज्य पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से या संगठन के एक या अधिक सदस्य राज्यों में विधिक रूप में मान्यता प्राप्त किसी गैर–सरकारी इकाई से याचिका स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ अंतर–अमरीकी मानवाधिकार न्यायालय में सात सदस्य होते हैं जो न्यायालय के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीक होते हैं। उन लोगों को ही अंतर–अमरीकी

मानवाधिकार न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो मानवाधिकार के क्षेत्र में मान्य क्षमता से युक्त होते हैं। न्यायालय की गणपूर्ति 5 सदस्यों के होते है। आयोग सभी मामलों में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। राज्य पक्षकारों को न्यायालयों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में वाद संस्थित करने का अधिकार है।

न्यायालय को मानवाधिकार के संरक्षण की दिशा में सलाहकारी मन देने का भी अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती। न्यायालय मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित अमरीकी राज्यों के संगठन (ऑर्गेनाईजेशन ऑफ अमरीकरन स्ट्ेटस ओ.ए.एस.) को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करती है।

3. मानवाधिकार अफ्रीकी चार्टर – अफ्रीका में भी मानवाधिकारों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय अभिकरण की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम नाइजीरिया के लागोस नामक स्थान पर हुआ। अफ्रीकी विधि शासन सम्मेलन में 1961 में रखा गया। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में इस बात के प्रति वचनबद्धता प्रकट की गयी कि अफ्रीका मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसी प्रकार का संकल्प 1966 में सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित विकासशील देशो में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अध्ययन गोष्ठी के दौरान भी लिया गया।

एशियाई देशों में भी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किये जा रहे है। दक्षिण पूर्व ऐशिया तथा प्रमुख न्यायविदों ने बैंकाक सम्मेलन में 1965 में मानवाधिकार एशियाई अभिसमय के निर्माण का समर्थन किया। इसी प्रकार श्रीलंका में जनवरी 1966 में आयोजित सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग द्वारा भी एशियाई अभिसमय के लिए प्रस्ताव किया। लेकिन वे प्रयास किसी भी अभिसमय के निर्माण में सफल नही हुए।

4. भारतीय संविधान एवं भारतीय मानवाधिकार आयोग – भारतीय संविधान मे भी व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करने की बात की गयी है। अनुच्छेद 19, 21, एवं 23 के अधीन विभिन्न आधारभूत अधिकारों की घोशणा की गयी है जो नागरिक तथा राजनैतिक अधिकतर प्रसंविदा में शामिल अधिकारों के अनुरूप है। संविधान में विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, वंश, जाति तथा लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को क्रमशः 14, 185, एवं 16 (1) में समाविष्ट किया गया है। किसी अभियुक्त को उसी अपराध के लिए दुबारा दंडित न किये जाने का भी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 20(2) में किया गया है तथा अनुच्छेद 20(3) में यह प्रभावित है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इन समस्त अधिकारों के संबंध में नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा में उपलब्ध किया गया है।[5]

(4) स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति पर घोषणा :

स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति पर घोषणा 7 दिसम्बर, 1967 को महा सभा द्वारा सहज तौर पर अभिस्वीकृत किया गया। घोषणा की इस उद्देशिका में यह उल्लेख किया गया है कि जहाँ स्त्रियों के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा, मानवाधिकारों तथा दूसरे लिखतों अर्न्तराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा अधिकारी के समता के मामले में की गयी उन्नति के पश्चात् भी बना हुआ है, वहाँ यह लिंग पर आधारित भेदभाव की समाप्ति तथा पुरूषों एवं स्त्रियों को अधिकारों की समता के साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक बन गया है कि एक ओर यह घोषणा अनेक पूर्ववर्ती लिखतो में सम्मिलित किये गये सिद्धान्तों की एक संख्या का पुनः कथन करता है तथा उसको ठोस रूप प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर ऐसे नये सिद्धान्तों का उल्लेख करता है। जिसका उल्लेख पूर्वोत्तर संधियों एवं सिफारिशों में नहीं किया गया है।

इस घोषणा का अनुच्छेद 11 निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख करता है–

(1) यह कि पुरूषों के साथ अधिकार की उनकी समता का प्रत्याख्यान करते हुए या परिसीमित कर स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव मौलिक तौर पर अन्यायपूर्ण है और मानव गरिमा के विरूद्ध एक अपराध का गठन करता है।

(2) यह कि वे अस्तित्वशील विधियाँ, रूढ़ियाँ, विनियमों तथा प्रथाओं जो स्त्रियों के विरूद्ध विभेदकारी है, को अवश्य ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पुरूष और स्त्रियों के अधिकारों के लिए वास्तविक संरक्षण को अवश्य साबित किया जाना चाहिए। स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति से सम्बन्धित विशिष्ट अभिकरणों तथा संयुक्त राष्ट्रों के अर्न्तराष्ट्रीय लिखतों तथा उनके पूर्णतया क्रियान्वयन को अवश्य यथाशक्य शीघ्र अनुसमर्थन या स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

(3) यह कि आज राय को शिक्षित करने तथा अन्याय की समाप्ति रूढ़िगत तथा अन्य ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को निर्देशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो स्त्रियों की हीनता के आदर्शों पर आधारित हो।

(4) यह कि सभी समुचित उपाय, सभी निर्वाचनों में मतदान करने तथा सार्वजनिक तौर पर निर्वाचित किये गये निकायों के निर्वाचन पात्रता रखने का अधिकार तथा लोक पद धारण करने और सभी सार्वजनिक कृत्यों का आयोजन करने का अधिकार किसी भेदभाव के बगैर पुरूषों के साथ समान शर्तों पर स्त्रियों को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किया जावेगा।

(5) यह कि स्त्रियों के पास अपनी राष्ट्रीयता को परिवर्तित या प्रतिधारित करने तथा एक विदेशी के साथ करने में पुरूषों के भाँति ही जो अधिकार होगा, वह स्वतः स्त्री की राष्ट्रीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

(6) यह कि समुचित उपाय, विशेषकर विधायी उपाय सिविल विधि के क्षेत्र में पुरूषों के साथ समान अधिकार विवाहिता स्त्रियों का सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा।

(7) यह कि दण्ड संहिता में वे सभी उपाय, जो स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव का गठन करते है, निषिद्ध कर दिये जायेंगे।

(8) यह कि सभी स्तरों पर शिक्षा में पुरूषों के साथ समान अधिकार विवाहिता या विवाहित बालिकाओं एवं स्त्रियों को सुनिश्चित करने के लिए किये जायेंगे।

(9) यह कि सभी समुचित उपाय आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के क्षेत्र में पुरूषों के साथ समान अधिकार स्त्रियों को सुनिश्चित करने के लिए किये जायेंगे।

(10) यह कि सभी समुचित उपाय स्त्रियों की वेश्यावृत्ति का शोषण तथा स्त्रियों में दुर्व्यापार के सभी प्रारूपों का विरोध करने के लिए किये जायेंगे।

स्त्रियों के स्तर पर आयोग की सिफारिश पर आर्थिक तथा सामाजिक परिषदों ने घोषणा के लागू होने पर सूचना देने वाली प्रणाली मई, 1968 में प्रारम्भ किया है। सभी सदस्य राज्य, विशिष्ट अभिकरण तथा गैर सरकारी संगठनों से घोषणा में अन्तर्विष्ट किये सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए तथा उन सभी सिद्धान्तों केलागू होने के लिए उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित महासचिव को सूचना भेजने का अनुरोध किया जाता है। राज्य में महासचिव से इसके विचार किये जाने के लिए स्त्रियों के स्तर पर आयोग को इस प्रकार से प्राप्त हुई सूचना पर अपनी रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा की जाती है।[6]

महिला अधिकारों के संबंध में विशेष प्रावधान :

संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र में अधिकार संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्यों को स्पष्ट कर स्त्री पुरूष दोनों को एक पूर्ण इकाई मानकर अग्रिम विकास का श्रीगणेश किया। महिलाओं के अधिकार के प्रश्न को सुलझाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला हैसियत आयोग की स्थापना की।

महिला हैसियत आयोग 1946 महिलाओं के प्रश्न पर लोगों को जागृत करने के लिये और राजनीति विचार विर्मश की ओर अग्रसर करने के लिए व महिला हितों की

रक्षार्थ की स्थापना की। आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति की घोषणा पत्र में प्रकाशित समस्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं का बिना किसी भेदभाव के अधिकृत करते हुए सभी को समान अधिकार दिया। महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक, व सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के लिए विश्वव्यापी नीतियों का निर्माण करने हेतु व महिलाओं को उन्नति ओर विकास के उचित अवसर देने के लिए आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग ने समस्त विश्व में महिलाओं को स्थिति के संबंध में आकंडे एकत्रित किए तथा सार्वभौम मानव अधिकार उद्घोषणा का मसौदा तैयार करने में मदद की, तथा वैधानिक दृष्टि से महिलाओं को स्पष्ट समानता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त शारीरिक व्यापार और वैश्यावृत्ति को दबाने के लिये 1949 में भी नीति निर्माण किया गया।

1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का आम सभा में समझौता हुआ जिसमें कानून के अंतर्गत समान राजनीतिक, अधिकारों का प्रथम विश्वव्यापी अनुमोदन किया गया। 1957 में शादीशुदा महिलाओं की राष्ट्रीयता के संबंध में करार घोषित किया गया।

1967 में अंगीकृत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन उद्घोषणा महिलाओं के विषय के आरंभिक और दूरगामी उपलब्धि थी। इसके अंतर्गत जीवन और कानून में महिलाओं के लिये समानता का आह्वान किया गया है और समानता की सफलता को नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर ऐसे अधिकारों के लिए विस्तृत किया जैसे शिक्षा, रोजगार के अवसर तथा स्वास्थ्य की देखभाल साथ ही साथ विवाह या विवाह विच्छेद, शैक्षणिक या व्यापारिक किसी भी क्षेत्र में महिला पुरूष से भेदभाव वर्जित हैं।

इसी क्रम में 1970 में पुनः प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें घोषणा की गई कि महिलाओं के उत्थान के विकास के सभी साधनों को प्रयोग किया जाए।''

महिलाओं के विकास के संदर्भ में संपूर्ण विश्व में नारी उत्थान और विकास के प्रति चेतना जागने के लिए महासभा 18 दिसम्बर 1972 की बैठक में 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने के लिए निर्णय किया गया। इसके तीन उद्देश्य स्पष्ट किये।

1. पुरूष और महिलाओं की समानता का दर्जा होना।
2. विकास कार्यो में स्त्रियों का येागदान।
3. विश्व शान्ति स्थापना की दिशा महिला सहयोग प्राप्त करना।

अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम विश्व कार्य योजना चलाई गई और महिला समानता विकास तथा शांति के लिये प्रथम दशक (1974 से 1985) की घोषणा की। महिला वर्ष के कार्यक्रमों को नवीन दिशा और सहयोग के बिंदु पर बल देते हुए इसके निम्न कार्यक्रम बनाए गए। सामाजिक अन्याय समाप्त होनी चाहिए। महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का मानव समझकर एक समान मानव समझना चाहिए।

1. देश व समाज मे ंनिर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी।
2. विश्व शांति में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी सुनिश्चित हो तथा महिला विकास व सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिए।
3. महिलाओं के समान वैधानिकता को सामान सामाजिक दर्जे में बदला जाना चाहिए।
4. नारी के साथ जन्मजात जातिगत धर्म राष्ट्रगत भेदभाव नहीं होना चाहिए।

अतः महिला के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक, रचनात्मक जीवन शैली दिशा तथा दृष्टिकोण बदलने में शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। इस तथ्यों पर 1975 में सर्वाधिक बल दिया गया ।[7]

संदर्भ ग्रंथ

1) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 7

2) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स नागपुर, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 9-10

3) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स नागपुर, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 10

4) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 7

5) मानवाधिकार और महिलाएँ, डॉ. राजबाला सिंह, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण 2011, पृष्ठ 12–15

6) महिला संरक्षण एवं न्याय, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर, प्रथम संस्करण 2007, पृष्ठ 5–7

7) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स नागपुर, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ 11-13

अध्याय-षष्ठम्

राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

6.1 भारतीय संविधान में

6.2 भारतीय दंडविधि, 1860 में

6.3 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

6.4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रमुख अधिनियम

6.5 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत

6.6 महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013

षष्ठम् अध्याय

राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि में कुछ प्रमुख प्रावधानों का वर्णन किया गया है :—

6.1 भारतीय संविधान में,महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान :

भारत का संविधान भारत की जनता के मान्य, त्यागी, तपस्वी और देश प्रेम से ओत—प्रोत जनप्रतिनिधियों के द्वारा काफी गंभीर अनुसंधान और विचार—विमर्श के पश्चात् तैयार किया गया था। इसमें भारत की तत्कालीन समस्याओं और परिस्थितियों पर सम्पूर्ण रूप से विचार कर उनके समुचित समाधान के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गई। यह भी पूरा प्रयत्न किया गया कि विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता का यथासम्भव अन्त किया जाय। संविधान निर्माण के समय भारत की सामाजिक व्यवस्था में सबसे बड़ी भेदजनक स्थिति भारत की महिलाओं और पुरूषों में गंभीर असमानता के वातावरण का होना था। भारत का पितृ सत्तात्मक व्यवस्था वाला समाज देश की आधी आबादी महिलाओं को ''पैरों की जूती'' मानता चला आ रहा था।[1]

देश और समाज में महिलाओं का हर स्तर पर शोषण, उत्पीड़न और अपमान होता चला आ रहा था। ऐसी विपरीत स्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को संवैधानिक दृष्टि से समानता का दर्जा ही नहीं दिया अपितु उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए समुचित प्रावधान भी किये। इन विशेष प्रावधानों का उल्लेख इस प्रकार से है।[2]

अनु. 14 —यह उपबन्धित करता है कि ''भारत राज्य—क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।''

स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली[3] सरकार के मामले में मुख्य न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने ठीक ही कहा था कि ''विधि का समान संरक्षण'', ''विधि के समक्ष समता'', का ही उप सिद्वांत है, क्योंकि उन परिस्थितियों की कल्पना करना कठिन है, जब ''विधि के समान संरक्षण'', के अधिकार को इंतजार करके ''विधि का समान संरक्षण'' के अधिकार के रूप में कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार वस्तुतः दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। सिद्वान्ततः इन दोनों वाक्यांशों में अंतर हो सकता है, लेकिन व्यवहार में दोनों में कोई अंतर नही है।

''विधि के समक्ष समता'' का आशय व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है, जो व्यवहार में संभव भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही समान पैदा नहीं होता है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार व्यक्तियों के बीच विशेषाधिकार को प्रदान करने तथा कर्त्तव्य के अधिरोपण में कोई विभेद नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित विधि शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसको अनुच्छेद 368 में अंतर्गत संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्वांत भी निहित है।

सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चुड्ढा[4] के मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ''हिन्दू विवाह अधिनियम 1955'' का अनुच्छेद 9 जो पक्षकारों के दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का अधिकार प्रदान करता है वह पक्षकारों को मनमाना आचरण करने की शक्ति नहीं प्रदान करता है, अतः संवैधानिक है। यह अधिकार विवाह की प्रकृति में निहित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का अनुच्छेद 9 उसको केवल मात्र संहिताबद्ध करता है। इसका अनुपालन न करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सम्पत्ति की जब्ती की डिक्री पारित की जाती है। अनुच्छेद 9 के दुरूपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध है।

यह उपबंध सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और किसी भी दम्पति के विवाह संबंधों को टूटने से रोकने में सहायक होता है। माननीय न्यायालय ने आंध्र

प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए "टी सरीता बनाम टी वेंकट सुब्बैया" के निर्णय को उलट दिया जिसमें अनुच्छेद 9 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अतिलंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा[5] इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बनाये गये विनिमयों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उनके अधीन कार्यरत वायुयान–परिचारिकाओं के लिए बनाई गई सेवा शर्तें विभेदकारी हैं तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। उनके द्वारा सेवा शर्तों के संबंध में बनाये गये विनिमयों का विनियम 46 यह उपबंधित करता है कि वायुयान परिचारिकाएँ निगम की सेवायें 35 वर्ष की आयु में अथवा विवाह करने पर यदि वह सेवा के चार वर्षों के अंदर होता है अथवा पहली बार गर्भवती होने पर जो भी पहले घटित हो अवकाश प्राप्त करेगी।

विनिमय 47 के अंतर्गत प्रबंधन निदेशक को अवकाश प्राप्त करने की अवधि को एक बार में एक वर्ष करे अधिकतम 45 वर्ष का आयु तक अपनी मर्जी से सेवा अवधि बढ़ाने की शक्ति दी गई, यदि वायुयान–परिचारिका चिकित्सकीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि पहली बार गर्भवती होने पर सेवा से पद–विमुक्ति की शर्त अत्यंत अयुक्तियुक्त तथा विभेदकारी है एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला अतिक्रमण करती है। विनियम सेवा में आने के 4 वर्ष बाद विवाह करने का निषेध नहीं करता है, किंतु यदि कोई वायुयान परिचारिका इस पहली शर्त को पूरा करने के पश्चात् गर्भवती हो जाती है तो उसे सेवा से विमुक्त करने की शर्त अत्यंत ही अयुक्तियुक्त है, क्योंकि इसके फलस्वरूप वह बच्चा पैदा न करने के लिए बाध्य हो जाती है।

इस प्रकार विनियमों के द्वारा लगाई गई यह शर्त मानव जीवन के साधारण एवं सामान्य प्रवाह को बदल देती है। ऐसी स्थिति में वायुयान परिचारिका की सेवा की पद विमुक्ति ने केवल निर्दयतापूर्वक कार्य है, अपितु भारतीय नारी का खुला

अपमान और उसका घृणित उत्पीड़न है। प्रबंध निदेशक को वायुयान परिचारिकाओं की अवकाश प्राप्त करने की अवधि को अपनी मर्जी से बढ़ाने का प्रावधान किसी मार्गदर्शक सिद्वांत के विहित किये बिना वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है, जो पूर्ण रूप से सर्वथा असंवैधानिक है, क्योंकि इसका प्रयोग किसी के पक्ष में तथा किसी अन्य के विपक्ष किया जा सकता है।

भगवंती बनाम भारत संघ[6] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पारिवारिक पेंशन देने के प्रयोजन के लिए सेवा के दौरान विवाह और निःवर्तमान होने के बाद के विवाह के बीच वर्गीकरण करना मनमाना आचरण है जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिलंघन होता है। इस मामले में प्रत्यर्थी का पति 1947 में सेवानिवृत्त हुआ तथा पेंशन पाने लगा। 1955 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् उसने प्रत्यर्थी से विवाह कर लिया। प्रत्यर्थी के पति की 1985 में मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवदेन किया जिसे इस आधार पर इंकार कर दिया गया कि नियम 54 (14) (ख) में प्रयुक्त पुत्र या पुत्री शब्दावाली में निःवर्तमान होने के बाद जन्मे पुत्र या पुत्री नहीं आते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि निःवर्तमान होने के बाद सरकारी कर्मचारी की पत्नी और बच्चे पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं। यदि निःवर्तमान होने के बाद जन्मे बच्चों को पेंशन देने से मना किया जाता है तो पेंशन देने का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा, जो कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए दिया जाता है।

प्रगति वर्गीज बनाम सिरील जार्ज वर्गीज[7] के मामले मे मुम्बई उच्च न्यायलय की पूर्ण पीठ ने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 के अनुच्छेद 10 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर विभेद करता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण अवैध है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत ईसाई महिलाओं के तलाक के आधारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत पति के लिए तलाक लेने के लिए केवल जार

कर्म सिद्व करना आवश्यक है, जबकि पत्नी के लिए क्रूरता के अतिरिक्त जार कर्म या परित्याग भी सिद्ध करना आवश्यक है। यह अनुच्छेद ईसाई महिलाओं और अन्य धर्म से शासित होने वाली महिलाओं के बीच विभेद करता है। यह विभेद केवल लिंग ही नहीं अपितु धर्म पर भी अधारित है, अतः संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 दोनों का उल्लंघन करता है अतः अवैध घोषित किये जाने योग्य है।

रेवार्थी बनाम भारत संघ[8] इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता का अनुच्छेद 198 (2) और दंड संहिता का अनुच्छेद 497 जो जारकर्म के अपराध के लिए पत्नी द्वारा अपने पति के विरूद्व अभियोजन चलाने का प्रतिषेध करते हैं, की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह पति तथा पत्नी के बीच विभेद करते हैं और भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने के कारण अवैध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये दोनों अनुच्छेद संवैधानिक है और वे लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते हैं। इन दोनों धाराओं का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के विरूद्व मुकदमा चलाकर कटुता बढ़ाने का नहीं वरन् यह है कि यदि वे चाहें तो एक दूसरे को क्षमा कर दें और साथ–साथ रहें अथवा तलाक लेकर अलग हो जाएँ। जारकर्म का अपराध केवल पुरूष के द्वारा ही किया जा सकता है, एक स्त्री द्वारा नहीं । स्त्री को एक उत्प्रेरक के रूप में भी दण्डित नहीं किया जा सकता है।

सविता समवेदी बनाम रेल्वे बोर्ड[9] के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाह के आधार पर सरकार दो महिलाओं के बीच विभेद नहीं कर सकती है। इस मामलें में अपीलार्थी श्रीमती सविता समवेदी और उसके पति ने रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर (आदेश) जो यह उपबंध करता था कि सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारी की विवाहिता पुत्री सरकारी क्वार्टर तभी पाने का हकरदार होगी, जब उसके कोई पुत्र न हो, की विधिमान्यता को चुनौती दी थी। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि रेलवे बोर्ड का प्रशासनिक सर्कुलर महिलाओं के प्रति विभेदकारी, अनुचित तथा अयुक्तियुक्त है

और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण अवैध घोषित करने योग्य है।

न्यायालय ने कहा कि सर्कुलर में वर्णित सुविधा प्राप्त करने के दावे के मामले के विवाहिता पुत्री और अविवाहित पुत्री दोनों एक समान हैं। न्यायालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णय को उलट दिया, जिसका मत था कि जब दो बालिग पुत्र हैं और अच्छी नौकरी में हैं, किन्तु रेलवे की नौकरी में नहीं हैं तो रेलवे कर्मचारी विवाहिता पुत्री के साथ रहने के विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए यह अवलोकन किया कि "एक पुत्र तभी एक पुत्र रहता है जब तक कि उसको पत्नी नहीं मिल जाती है, किंतु एक पुत्री संपूर्ण जीवनभर एक पुत्री ही रहती है।

मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य[10] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित करना भारत के संविधान के अधीन प्रदत्त "जीविकोपार्जन के अधिकार" से वंचित करना है, अतः उन्हें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद उत्तराधिकार प्राप्त होगा और उस अवधि तक उत्तराधिकार से अपवर्जन का नियम 14–15 तथा 21 के आधार पर अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके रूढ़िगत नियमों को अवैध घोषित किये जाने से वर्तमान विधियों में अनिश्चिता उत्पन्न हो जाएगी।

इस मामले में छोटा नागपुर रेयतवारी अधिनियम 1908 के उन प्रावधानों की विधिमान्यता को इसी आधार पर चुनौती दी गई थी जिसके आधार पर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी का अधिकार केवल पुरूषों को ही प्राप्त था। यह अभिकथन किया गया था कि इस अधिनियम के प्रावधान महिलाओं के प्रति विभेदकारी हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण अवैध हैं। माननीय न्यायालय ने इन प्रावधानों को अवैध नहीं घोषित करके, उनके लागू करने पर ही रोक लगा दी।

अनु. 15 – यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।''

अनु. 15 (3) – यह उपबन्धित करता है कि ''कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।''

कुमारी के.एस. जय श्री बनाम केरल राज्य[11] के मामले में पिटिशनर केरल राज्य में इजहावा समुदाय की थी। यद्यपि यह आरक्षण की कोटि के अंतर्गत आती थी तथापि उसे आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि वह स्थानीय सीमा में नहीं आती थी।

जहाँ तक आरक्षण की सीमा का प्रश्न है यह सुस्थापित सिद्वांत है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि प्रस्तुत मामले में आरक्षण कुल 43 प्रतिशत है, अतः युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि यद्यपि किसी वर्ग या समुदाय को केवल जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता है, तथापि यदि संपूर्ण जाति ही सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई पायी जाती है तो ऐसी जाति को उसके नाम से ही पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है और ऐसा करने से अनुच्छेद 15(4) का अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि स्वयं जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि एक जाति को एक बार पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है तो वह सर्वदा उस सूची में बनी रहेगी। न्यायालय ने यह सलाह दी कि सरकार को इस बात पर समय–समय पर विचार करते रहना चाहिए और यदि सरकार यह समझती है कि कोई जाति जिसे पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित किया गया था, उन्नति के ऐसे स्तर पर पँहुच गयी है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि उसे सांविधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची का समुचित पुनर्विलोकन करना चाहिए और उस जाति को उस सूची से निकाल देना चाहिए। इस मामले में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय एक वाद योग्य विषय होगा।

अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता देने की शक्ति प्राप्त है अर्थात् यदि पुरूष और स्त्री समान रूप से आई हैं किंतु स्त्री अधिक उपयुक्त है तो स्त्री को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह राज्य की सकारात्मक कार्यवाही है, आरक्षण नहीं है। इसमें आन्ध्रप्रदेश राज्य ने एक नियम बनाया था जिसके अधीन राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पदों पर प्राथमिकता देने का प्रावधान था। न्यायलय ने निर्णय दिया कि उक्त नियम अनुच्छेद 15(3) के अधीन विधिमान्य है और संवैधानिक है।

बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय[12] के इस महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक उच्च जाति की महिला यदि पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह कर लेती है तो उसे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अधीन आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। इस मामले में तथ्य यह था कि कोचीन विश्वविद्यालय में विधि विभाग में नियुक्ति के लिए दो प्रवक्ता पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था जिसमें से एक पद लेटिन कैथोलिक (जो पिछड़ी जाति के हैं) के लिए आरक्षित था।

अपीलार्थी जो सीरियन कैथोलिक (अग्रणी जाति की) थी, उसने एक पिछड़ी जाति (लैटिन कैथोलिक) के पुरूष से विवाह कर लिया और उस पद पर चुने जाने के लिए आवेदन किया और विश्वविद्यालय ने उसकी नियुक्ति आरक्षित पद पर कर दी। उसकी नियुक्ति को एक पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी ने न्यायालय मे चुनौती दी और कहा कि उसे आरक्षण का लाभ पाने का हक नहीं है क्योंकि वह जन्म से एक उच्च जाति की सदस्य है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपीलार्थी जो एक उच्च जाति की महिला थी पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह करके अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं पा सकती है, क्योंकि उच्च जाति के सदस्य के रूप में उसके जीवन की अच्छी शुरूआत हुई थी और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उसने पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह कर लिया था, अतः उसे पिछड़े

वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सुविधा पाने का हक नहीं है। ऐसे लोग जो विवाह गोद लेने या झूठे प्रमाण पत्र पर अनूसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के सदस्य बन जाते हैं, वे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अधीन आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की सुविधाएँ उन्हीं वर्गों को मिलेगी जो उन्हीं अभावों परेशानियों और प्रताड़नाओं से गुजरे हैं।

अनु. 16– यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।''

सी.वी. मुथम्मा बनाम भारत संघ[13] के प्रकरण में नियम के अधीन विवाहिता महिला कर्मचारी को उच्च पदों पर प्रोन्नत न किये जाने का प्रावधान था। पिटीशनर को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड–1 के पद पर इसी आधार पर प्रोन्नति नहीं दी गई क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी। न्यायालय ने उक्त नियम को विभेदकारी बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, किन्तु न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरूष और स्त्री कर्मचारी सभी पेशों और सभी परिस्थितियों में समान होते हैं। यदि पेशा और परिस्थितियाँ असमान हैं तो व्यवहारतः उनमें महिलाओं को कार्य करने से रोका जा सकता है, परन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ अंतर स्पष्ट है, समता का नियम ही सर्वमान्य नियम है।

अनु. 21– यह उपबन्धित करता है कि ''किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।''

इस उपबंध में प्रयुक्त ''दैहिक स्वतंत्रता' के निर्वचन का प्रश्न सबसे पहले ए.के.गोपाल बनाम मद्रास राज्य में उठा। 'दैहिक स्वतंत्रता' पदावली का सीमित अर्थ लगाया गया है और कहा गया कि इस अर्थ में 'शारीरिक स्वतंत्रता' मात्र है,

किन्तु अब 'दैहिक स्वतंत्रता' के आयाम को उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत कर दिया है। इसके अंतर्गत अब न केवल शारीरिक स्वतंत्रता आती है अपितु इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं जो व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को पूर्ण बनाते हैं। दैहिक स्वतंत्रता के आयाम में जो विस्तारीकरण हुआ है उसका संबंध मानवाधिकार से है।

इसी प्रकार अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदावली 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को गोपालन के ही वाद में उच्चतम न्यायालय ने 'विधि' द्वारा अधिनियमित 'प्रक्रिया के रूप में और शब्द 'विधि' को 'राज्य निर्मित विधि' के रूप में माना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के रूप में नहीं। ज्ञातव्य है कि न्यायमूर्ति फज़ल अली उपरोक्त विचार से सहमत नहीं थे।

उच्चतम न्यायालय को गोपालन के बेड़ों से अपने को छुड़ाने में 25 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। इसने अपने को मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस बेड़ों से छुड़ाया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में प्रक्रिया न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहये न कि मनमानी अवास्तविक और उत्पीड़क। न्यायपूर्ति कृष्णा अय्यर जो बहुमत के साथ थे, ने अपना अलग निर्णय सुनाया। उनके अनुसार विधि और प्रक्रिया दोनों अनिवार्य रूप से ऋतु न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए। इसी कड़ी में एम.एच. होस्कॉट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जाली जार्ज वर्गीज़ बनाम बैंक ऑफ कोचीन, सुनील बत्रा (i) बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन, सुनील बत्रा (ii) बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन, रंजन द्विवेदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ओल्गा टेलिस बनाम बाम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आदि भी हैं।

करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब[15] में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी प्रक्रिया के सही, न्यायोचित और ऋजु होने के लिये इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए अर्थात् कार्यवाही में निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए।

इस तरह उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार के संरक्षण के विकास के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पदावली का निर्वचन न केवल कार्यपालिका कार्यवाही के विरूद्व संरक्षा प्रदान करता है, अपितु विधान के भी विरूद्व और कोई भी विधि जो किसी को उसके मानवाधिकार से वंचित करती है वह अविधिमान्य होगी जब तक कि वह वचन के लिए प्रक्रिया को नहीं विहित करती और वह प्रक्रिया युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायोचित न हो।

इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने प्राण के अधिकार के आयाम को बढ़ा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने प्राण के अधिकार को गरिमा के साथ प्राण का अधिकार माना है जिसके अनुसार बहुत से अधिकार अंतर्ग्रस्त है जैसे भोजन, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा, नियोजन (रोजगार) और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार।[16]

राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य लोगों के मानवाधिकार का सरंक्षण और संवर्द्धन है, परन्तु प्रश्न यह है कि यदि राज्य अपने इस महत्वपूर्ण कार्य का पालन नहीं करता या आधा–अधूरा करता है तो उसके कार्यों के या निष्क्रियता के लिये कैसे उत्तरदायी बनाया जाय तथा गरीब और उत्पीड़ित तबके को समर्थ बनाया जाय कि वे अपने मानवाधिकार का उपभोग कर सकें। कदाचित् लोकहित वाद उसका आंशिक उत्तर है। सामाजिक कार्यकताओं और लोकहित वादकारियों की सक्रिय सहायता से भारत में न्यायापालिका नवप्रवर्तक उपचारिक उपयोग का प्रयोग कर रही है ताकि सरकार को उसके लोक कल्याण की प्रतिबद्वता के लिए बाध्य करके पीड़ित लोगों को अनुतोष प्रदान कर लोक कल्याण के लिए मानवाधिकार का संरक्षण और संवर्द्धन कर सके।

अनु. 23— मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध।

अनु. 24— कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

अनु. 38— राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनु. 39– समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनु. 39 (क)– समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।

अनु. 42– काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

अनु. 43– कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।

अनु. 44– नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

सरला मुदगल बनाम भारत संघ[17] उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक महत्व के निर्णय सरला मुद्गल बनाम भारत संघ में प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाऐं जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक 'समान सिविल संहिता' के बनाने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की अभिवृद्वि दोनों दृष्टि से आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव के माध्यम से अगस्त 1995 तक एक शपथ–पत्र फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाए कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या प्रयास किए गए हैं ? न्यायालय का निर्णय 11 मई 1995 को सुनाया गया था।

मामले में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत चार पिटीशन फाईल की गई। पहली पिटीशन महिलाओं के कल्याण के लिए बनी रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा लोकहित वाद के रूप में प्रस्तुत की गई थी। अन्य पिटीशन मीना माथुर का अभिकथन था कि उनका विवाह 1978 में एक व्यक्ति जितेन्द्र माथुर से हुआ था और उनके 3 बच्चे थे। 1988 में उनके पति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्म–परिवर्तन के बाद सुनिता उर्फ फातिमा के साथ दूसरा विवाह कर लिया। उससे उसे एक संतान भी पैदा हुई थी। दूसरी पिटीशन फातिमा द्वारा फाइल की गई थी। जिसका यह

अभिकथन था जितेन्द्र माथुर ने पुनः हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहने लगे। उसकी शिकायत थी कि वह अभी भी एक मुस्लिम है और उसका भरण पोषण उसका पति नहीं कर रहा है और किसी भी वैयक्तिक विधि के अधीन उसे कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। तीसरी पिटीशन में गीता रानी का कथन था कि 1988 में उसका विवाह हिन्दू रीति से प्रदीप कुमार से हुआ था। वह उसके साथ प्रायः दुव्यर्वहार किया करता था और 1991 में एक लड़की दीपा के साथ भाग गया और इस्लाम धर्म स्वीकार करके उससे विवाह कर लिया। चौथी पिटीशन में सुष्मिता घोष ने यह शिकायत की कि उसका विवाह जी.सी.घोष से हिन्दू संस्कारों के अनुसार 1984 में हुआ था, किंतु बाद में उसके पति ने उससे कहा कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। अतः उसे आपसी सहमति से विवाह–विच्छेद कर लेना चाहिए। 1992 में उसके पति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और विनीता गुप्ता नाम की लड़की से विवाह कर लिया। उसने न्यायालय से प्रार्थना की कि वह उसके पति को विनीता गुप्ता से विवाह करने से रोक दे।

इन परिस्थितियों में न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह तथा श्री आर.एस.सहाय ने यह निर्णय दिया कि एक हिन्दू पति का अपना पहला विवाह–विच्छेद किए बिना इस्लाम धर्म स्वीकार करके दूसरा विवाह, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के उपबंधों के अधीन अवैध है और पति बहु विवाह के अपराध के लिए भारतीय दंड सहिता की धारा 494 के अधीन दंडनीय भी है। हिन्दू वैयक्तिक विधि के अनुसार पति या पत्नि में एक के इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात् भी हिन्दू विवाह अस्तित्व में बना रहता है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हिन्दू विवाह का स्वतः विच्छेद नहीं होता। एक हिन्दू के विवाह का विघटन हिन्दू अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत वर्णित किन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा ही किया जाता है। केवल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने से ही उनका विवाह विच्छेद नहीं हो जाता है।

समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए न्यायमूर्तियों ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संविधान को लागू हुए 45 वर्ष बीते चुके हैं और

इस बीच अनेक सरकारें आईं और गई, किंतु अनुच्छेद 44 में निहित संविधान के निर्देशों को कार्यान्वित करने के कर्त्तव्य का पालन किसी के द्वारा नहीं किया गया। अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं होता है। अतः समान सिविल संहिता बनाने से किसी समुदाय के सदस्यों के अनुच्छेद 25, 26, तथा 27 के अधीन प्रतिभूत मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विवाह, उत्तराधिकार और इस प्रकार की सामाजिक प्रकृति की बातें धार्मिक स्वतंत्रता से बाहर हैं और उन्हें विधि बनाकर विनियमित किया जा सकता है। विवाह उत्तराधिकार संबधों हिंदू विधि इस्लाम और ईसाईयों की भांति ही संस्कारजन्य है। हिन्दुओं ने देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को त्याग दिया और उनका संहिताकरण किया गया, जबकि संविधान सभी समुदायों के लिए समान सिविल संहिता बनाने का निर्देश देता है। बहु–विवाह की प्रथा को अमेरिका के न्यायालयों ने भी 'लोक आचरण' के विरूद्व घोषित किया है। जैसे मानव बलि या सती प्रथा को लोकहित में राज्य प्रतिषिद्ध कर सकता है, वैसे ही इसको भी विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है। बहुत से हिन्दू–हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के उपबंधों जिसमें पति, पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह वर्जित है, से बचने के प्रयोजन से ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं। न्यायमूर्ति श्री सहाय ने यह कहा कि कोई भी धर्म जानबूझ कर विकृति की अनुमति नहीं देता है। इस्लाम धर्म में भी इसके प्रति कोई लगाव नहीं है और आज अनेक मुस्लिम देशों सीरिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, ईरान, पूर्व सोवियत संघ के इस्लामिक गणतंत्र में इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए वैयक्तिक विधि का संहिताकरण किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति श्री सहाय ने यह कहा कि समान सिविल संहिता बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की वैयक्तिक विधियों को तर्कसंगत बनाया जाय।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी समुदाय के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। पहला लाभ यह है कि यह धर्म

का दुरूपयोग करके बहु विवाह की बुराई को रोकता है। दूसरा यह कि न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगस्त 1995 तक एक शपथ–पत्र दाखिल करके यह बताए कि उसने समान सिविल संहिता बनाने की दिशा में क्या कदम उठाया है। तीसरा यह कि इसमें अन्य समुदायों में विवाहों की दशा में सुधार होगा। चौथा यह कि इससे सभी समुदायों में समानता होगी और देश की एकता और अखण्डता भी सशक्त होगी। न्यायालय का यह निर्णय एक अत्यंत साहसिक कदम है। आज हमारे राजनेता वोट की राजनीति में फँस कर मुस्लिम तुष्टिकरण में लगे हुए हैं और उनमें यह साहस नहीं है कि ये उन्हें समझायें कि उससे उनका कितना लाभ होगा। अतः समान सिविल संहिता का बनाना आवश्यक है। सभी दल संविधान के पालन की दुहाई देते हैं। किंतु मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए वैयक्तिक विधि का आधुनिकीकरण करने से कतराते हैं और संविधान के निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाये जाने पर प्रधानमंत्री यह कहते नहीं थकते थे कि वे मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे किंतु उच्चतम न्यायालय ने जब समान सिविल संहिता बनाने के लिए आदेश किया तो इसका पालन न करने की घोषणा करके क्या उन्होनें न्यायपालिका और संविधान दोनों की अवहेलना नहीं की है ? किंतु आश्चर्य की बात है कि 11 अगस्त 1995 को उच्चतम न्यायालय ने एक अभियुक्त द्वारा फाइल की गई रिट याचिका की सुनवाई के दौरान स्वयंयह स्पष्ट किया कि समान सिविल संहिता लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है । न्यायमूर्ति श्री कुलदीपसिंह और एस.सगीर अहमद की खण्डपीठ ने यह कहा कि इस निर्णय किया गया अवलोकन केवल इतरोक्ति थी, न कि आदेश उक्त याचिका मोहम्मद करीम काजी उर्फ डी.पी. घोष ने जो धर्म परिवर्तन के बाद मे मुसलमान बन गया था, अपने विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन बहुविवाह के लिए अभियोग चलाने के विरूद्ध फाइल की थी। करीम ने जो पहले हिन्दू था अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह कर लिया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और न्यायमूर्ति आर.एस.

सहाय की खण्डपीठ ने 10 मई 1995 में यह निर्णय दिया था कि सरकार समान सिविल संहिता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठावे । न्यायालय का उक्त स्पष्टीकरण संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करना सरकारों का कर्त्तव्य है। न्यायालय ने सरकार को इसके पालन करने का आदेश देकर उचित कार्य किया था और आशा बंधी थी कि देश की एक बुराई तो दूर होगी।

हाल के कतिपय साहसिक निर्णयों द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समान सिविल संहिता के बनाये जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रगति वर्गीज़ बनाम सिरील जार्ज वर्गीज[18] इस मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ ने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10 को अवैध घोषित कर दिया है। इसके अंतर्गत एक ईसाई महिला को तलाक लेने के लिए जारकर्म के साथ–साथ क्रूरता और अधित्यजन को साबित करना एक शर्त है। न्यायालय ने यह निर्णय दिए कि यह धारा महिला के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मानव गरिमा से जीने के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। अतः अवैध और अंसवैधानिक है। न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 17 और 18 को भी अवैध घोषित कर दिया, जिसके अंतर्गत यह जिला न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री को उच्च न्यायालय के 3 न्यायधीशों की पीठ द्वारा पुष्टि का उपबंध था जो प्रायः संभव नही था। न्यायालय ने कहा कि धारा 10 एक महिला को उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए विवश करती है जिससे वह घृणा करती है जिसने उसके त्याग दिया है या उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ऐसा जीवन पशुवत् जीवन है। उस विवाह का विच्छेद करने से जो टूट चुका है। इंकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

नूर शाबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम[19] नूर शाबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि एक

तलाक शुदा मुस्लिम महिला को अपने बच्चों के लिए जब तक कि वे बालिग नहीं हो जाते है पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय दंड संहिता की धारा 125 दोनों के अधीन पति का दायित्व है जबकि बच्चे तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते है। इस मामले में अपीलार्थी नूर शाबा खातून का विवाह प्रत्यर्थी से मुस्लिम विधि के अनुसार 27 अक्टूबर 1980 को हुआ था। उनके कुल तीन बच्चे पैदा हुए जिसमें से दो लडकियाँ और एक लड़का था। बाद में पति ने उसे तलाक दे दिया। परीक्षण न्यायालय ने पत्नी को 200/– रूपये प्रति मास और बच्चों को 50/– रूपये प्रति मास भरण पोषण प्रदान किया। अपील न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्मिल वूमन एक्ट 1986 के तहत वह केवल 2 वर्ष तक भरण पोषण पाने की हकदार थी। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल एक बच्चा 2 वर्ष तक भरण पोषण पाने का हकदार था।

उच्चतम न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय ने यह समझने में भूल की कि मुस्लिम वूमन एक्ट 1986 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के अधिकार को समाप्त कर दिया था। न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि भरण पोषण की रकम बराबर बराबर किस्तों में एक वर्ष में भुगतान करे और इससें कोई एक भी व्यतिक्रम होता है तो अपीलार्थिनी पूरी रकम एक साथ 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल कर सकेगी।

अनु. 51 क (ङ) –स्त्रियों के सम्मान के प्रति मूल कर्त्तव्य।

अनु. 325– धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।

बलात्कार एक घृणित अपराध है जो जीने के अधिकार का अतिक्रमण करता है :

उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार को एक घृणित अपराध मानते हुए इसे प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता के प्रतिकूल ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसेमामलों में विचारण के दौरान पीड़ित महिला को उस पुरूष से प्रतिकर दिलाया जाना चाहिए।

श्री बुद्धिसत्व गौतम बनाम कुमारी शुभ्रा चक्रवर्ती[20] इस मामले में एक महाविद्यालय के प्राध्यापक बुद्धिसत्व गौतम ने अपनी ही एक शिष्या कुमारी शुभ्रा चक्रवर्ती के साथ प्रवंचनापूर्ण विवाह रचाया और लम्बे समय तक उसका यौन शोषण किया। अन्त में उसने एक अन्य महिला से विवाह कर लिया और अपने पूर्व विवाह को नकार किया। जब यह मामला किसी अन्तरिम कार्यवाही हेतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया तो न्यायालय ने इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया और यह आदेश दिया कि जब तक मामला विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित रहेगा तब तक बुद्धिसत्व शुभ्रा चक्रवर्ती को 1000/— रू. प्रतिमाह प्रतिकर के रूप में देता रहेगा।

इसी प्रकार स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह[21] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बलात्कार को जीवन जीने के अधिकार का हनन माना गया है। न्यायालय ने कहा—ऐसे घृणित कार्यों से सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है।[22]

6.2 भारतीय दंड विधि, 1860 में :

धारा 354 —अगर कोई व्यक्ति स्त्री की मर्यादा को क्षति पहुँचाने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है, उसकी लज्जा भंग करने के लिए बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ता है या किसी अंग को छूता है तो उसे दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों से ही दण्डित किया जायेगा।

प्रमोद सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर[23] का मामला इस विषय को स्पष्ट करता है। इसमें अभियुक्त पर रीता कुमारी नामक एक 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का आरोप था। लेकिन चिकित्सीय एवं अन्य साक्ष्य से यह पाया गया कि उस बालिका की कौमार्यता भंग नहीं हुई थी और न ही उसके शरीर

या जननेन्द्रिय पर क्षति अथवा चोट के कोई निशान थे। इसे बलात्कार नहीं माना जाकर स्त्री की लज्जा भंग का मामला माना गया।

श्रीमती रूपन देवल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल का मामला[24] स्त्री की लज्जा भंग के सम्बन्ध में श्रीमति रूपन देवल बजाज पंजाब केडर की एक आई.पी. एस. अधिकारी है। घटना के समय वह पंजाब सरकार के वित्त विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। दिनांक 18 जुलाई, 1988 को वह एस.एल. कपूर के यहाँ एक दावत में गई थी। उस दावत में पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। दावत में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के.पी.एस.गिल भी आमंत्रित थे। देवल का कहना है कि रात्री के करीब 10 बजे होंगे, के.पी.एस. गिल ने उनके कूल्हे पर मारा। देवल को यह बहुत बुरा लगा और उसने गिल के विरूद्ध दिनांक 29 जुलाई, 1988 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 342, 352, 354, 509 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में जब गिल के विरूद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही होने की संभावना नहीं लगी तो देवल ने उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी। उच्चतम न्यायालय ने मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गिल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 509 के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया और मजिस्ट्रेट को प्रसंज्ञान लेकर विचारण करने का निर्देश दिया।

धारा 354 पर एस.सी. मलिक बनाम स्टेट आफ उड़ीसा[25] का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि किसी महिला के पेट (उदर) पर हाथ रख देने मात्र को धारा 354 के अन्तर्गत स्त्री की लज्जा भंग नहीं माना जा सकता। लज्जा भंग करने का आशय होना भी आवश्यक है।

लेकिन पाण्डुरंग सीताराम भागवत बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र[26] के मामले में किसी स्त्री को पीछे से अपनी बाँहों में जकड़ने तथा उसके स्तन दबाने को उच्चतम न्यायालय ने स्त्री की लज्जा भंग माना है। न्यायालय ने कहा–स्त्री की लज्जा भंग का मामला अक्सर मिथ्या नहीं होता, क्योंकि सामान्य तौर पर कोई भी महिला अपने चरित्र को दाँव पर नहीं लगाना चाहती।[27]

बलात्कार के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में बलात्कार के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

376. बलात्संग के लिए दण्ड (1) जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नि है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2) जो कोई –

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए –

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है, या नहीं, या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है बलात्संग करेगा, या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण ग्रह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा; या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारी वृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा; या

(च) किसी ऐसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा; या

(छ) सामूहिक बलात्संग करेगा;

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेगें, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण 1 – जहाँ व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामुहिक बलात्संग किया है।

स्पष्टीकरण 2 – ''स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था'' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिये स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय में हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिये गृह हो या विधवाओं के लिये गृह या कोई भी अन्य नाम हो।

स्पष्टीकरण 3 – ''अस्पताल'' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो उल्लाघ (अरोग्य स्थापन) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिये है।

376 (क) पृथक रहने के दौरान किसी पुरूष द्वारा अपनी पत्नि के साथ संभोग– जो कोई अपनी पत्नि के साथ, जो प्रथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन उससे प्रथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

376(ख) लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग–जो कोई, लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है, या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

रामकुमार बनाम स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश[28] का मामला इस पर सुन्दर प्रकाश डालता है। इसमें नैनसिंह व रामकुमार नामक दो पुलिस अधिकारियों पर राजगढ़ (हिमाचल प्रदेश) में खेमराज की पत्नि के साथ क्रमशः बलात्कार करने तथा बलात्कार में सहायता व उत्प्रेरण करने का आरोप था। खेमराज व उसकी पत्नी राजगढ़ अपने रिश्तेदार के यहाँ आये हुए थे। जब वे रात्री में कमरे में सो रहे थे, नैनसिंह व रामकुमार आये और यह कहकर कि उस पर किसी लड़की को भगा ले जाने का आरोप है, उन्हें पुलिस थाने में ले गये। वहाँ नैनसिंह ने खेमराज की पत्नी

के साथ बलात्कार किया तथा रामकुमार ने चौकसी की। रामकुमार को धारा 107 के अन्तर्गत बलात्कार के लिये दुस्प्रेरण का दोषी माना गया।

376 (ग) जैल, प्रतिप्रेषण–गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग – जो कोई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जैल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए भी अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर जैल, प्रतिप्रेषण–गृह, स्थान या संस्था की किसी स्त्री निवासी को, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिये उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 – किसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह या अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के सम्बन्ध में ''अधीक्षक'' के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 2 – स्त्रियों या बालकों की किसी ''संस्था'' पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में है।

376 (घ) अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग – जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी 'अस्पताल के कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में, किसी स्त्री के साथ, ऐसा मैथुन करेगा, जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण –''अस्पताल'' पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 3 में है।

स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम मन जन्ना[29] के वाद में बलात्कार के बारे में पीड़ित पक्षकार की चिकित्सीय परीक्षा की जानी थी। चिकित्सीय परीक्षा से डॉक्टर द्वारा इस आधार पर इंकार किया गया था कि पुलिस द्वारा मामला उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस मामले के सम्बन्ध में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय परीक्षा से इंकार किया जाना उचित नहीं था।

अन्नपूर्णा बनाम केदार[30] के बाद में यह अधिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन में यदि अभियोक्त्री द्वारा बलात्कार को किये जाने का अभिवचन प्रतिपक्षी के विरूद्ध किया जाता है तो उसके अभिवचन के खण्डन हेतु प्रतिपरीक्षा का वकील उससे यह प्रश्न कर सकता है कि क्या उसका आचरण अनैतिक नहीं है? या क्या वह सहवास को अभ्यस्त नहीं ? इस तरह के संबंधित प्रश्न भले ही कलंकात्मक या अनैतिक हो किन्तु धारा 145 के अधीन धारा 155 के खण्ड (3) के संयोजन में समाहित करते हुए विवाह बिन्दु बनाया जा सकेगा।

सामूहिक बलात्कार के मामले में शत्रुघ्न बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश[31] के वाद में यह अभिनिश्चय दिया गया कि जहाँ पर कुछ दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और वह भी अस्पष्ट थी तथा मामले में यह भी दर्शित किया गया कि बलात्कार से पीड़ित लड़की अभियुक्तों में से एक से शादी करने के लिए इच्छुक थी तथा यह भी दर्शित किया गया कि लड़की परिवाद नहीं करना चाहती थी, किन्तु उसने ऐसा अपने माता–पिता के दबाव में किया तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।

स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम सुन्दरलाल[32] के वाद में बलात्कार के अभियोजन में साक्ष्य यह दिया गया कि घटना स्थल जहाँ पर बलात्कार किया गया था वहाँ पर प्रकाश था तथा अभियोक्त्री 13 वर्षीय एक बालिका थी, जो कि उस व्यक्ति का चेहरा भूल गयी है, जिसने की उसके साथ बलात्कार किया था, किन्तु

शिनाख्त परेड कार्यवाही के अधीन अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त की पहचान सरलतापूर्वक कर ली गयी। उक्त शिनाख्त के आधार पर अभियुक्त के दोषसिद्धि को न्यायालय ने उचित ठहराया।

विजयन तथा अन्य बनाम दी स्टेट[33] के मामले में न्यायालय ने सहमति के आधार पर यह अभिमत व्यक्त किया है कि बलात्कार के अभियोजन के मामले में अभियोगिनी को मात्र इसलिए सहमत पक्षकार नहीं माना जायेगा कि बलात्कार के समय उसने कार्य का किसी भी रीति से बलपूर्वक प्रतिरोध नहीं किया, यदि अभियोजन के सन्दर्भ में अभियुक्त सहमति का अभिवचन करता है तो उसे वक्त दशा में यह साबित करना होगा कि वास्तव में अभियोगिनी ने कार्य के पीछे अपनी सहमति दी थी। सहमति के प्रश्न पर उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अभियोजन पक्षकार के वकील को प्रतिपरीक्षा को अवसर प्राप्त होगा।[34]

अप्राकृतिक अपराध (**Unnatural offencs**) :

लैंगिक अपराध (**Sexual offences**) की श्रृंखला में दूसरा घृणित अपराध है–अप्राकृतिक अपराध।

जहाँ बलात्कार (**Rape**) किसी पुरूष के द्वारा किसी स्त्री के साथ कारित किया जाता है, वहाँ अप्राकृतिक अपराध में लैंगिक संभोग स्त्री से भिन्न किसी पुरूष के साथ या पशुओं के साथ या फिर स्त्री के साथ ही पुरूष की भांति किया जाता है।

इसे 'अप्राकृतिक अपराध' का नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरूद्ध होता है। प्रकृति केवल विपरीत लिंगों (**Opposite sexes**) में ही संभोग या मैथुन (**Sexual intercourse**) की अनुमति प्रदान करती है यद्यपि उस पर भी कतिपय मर्यादाएँ आरोपित की गई हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति –

(1) पशु के साथ या

(2) पुरूष, पुरूष के साथ या

(3) स्त्री के साथ पुरूष की भाँति

लैंगिक संभोग करता है तो निश्चित ही यह प्रकृति के नियमों के विरूद्ध है। विधिक भाषा में इन अपराधों को हम गुदा मैथुन (**Sodomy**), अप्राकृतिक अथवा वैकृत मैथुन (**Buggery**) एवं पशुगमन (**Bestiality**) के नाम से सम्बोधित करते हैं।

377. प्रकृति विरूद्ध अपराध[35]– जो कोई किसी पुरूष, स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इन्द्रिय भोग गठित करने के लिये प्रवेशन पर्याप्त है।

6.3 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 :

धारा 53 (क) – बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा–

(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल में नियोजित किया रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिये, और उस स्थान से जहाँ अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिये तथा सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता के लिये तथा उसके निवेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिये, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी अर्थात् –

1. अभियुक्त का, और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है, नाम और पता;
2. अभियुक्त की आयु;
3. अभियुक्त के शरीर पर उपहति का चिन्ह, यदि कोई हो;
4. डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिये अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन; और
5. उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टियाँ।
6. रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किये जायेंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।
7. परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जायेगा।
8. रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी की ओर रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग में भेजेगा।[36]

धारा 164 क – बलात्संग के शिकार हुये व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा :

(1) जहाँ, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस स्त्री के शरीर की, जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम व्यक्ति की सहमति से या उसकी और से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किये जाने से संबंधित इतिला प्राप्त होने के समय से चौबीस घण्टे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जायेगा।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है, बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिये जाएंगे, अर्थात् –

(i) स्त्री का और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ii) स्त्री की आयु;

(iii) डी.एन.ए. प्रोफाइल करनेके लिये स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन;

(iv) स्त्री के शरीर पर क्षति के, यदि कोई है, चिन्ह;

(v) स्त्री की साधारण मानसिक दशा; और

(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ

(vii) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किये जायेंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया हैं।

(viii) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जायेगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी और से सहमति देने के लिये सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है।

(ix) परीक्षा प्रारंक और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जायेगा।

(x) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा को उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के रूप में भेजेगा।

(xi) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है।[37]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 की उपधारा (3) में 1983 में कुछ शब्द जोड़े गये है। यह धारा आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु आदि के मामले में जाँच करने की प्रक्रिया बताती है उपधारा (1) व (2) में पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच करने के निर्देश है। जब –

(i) मामले में किसी स्त्री द्वारा विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या शामिल हैं, या

(ii) मामला किसी स्त्री को उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी हालत में मृत्यु से संबंधित है, जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, या

(iii) मामला किसी स्त्री की, उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है, और उस स्त्री के नातेदार ने इस निमित्त निवेदन किया है, या

(iv) मृत्यु के कारण की बावत कोई संदेह है, या

(v) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है;

तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जाये, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा।[38]

6.4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 :

धारा 113 ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा – जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।[39]

उपधारणा कब की जा सकेगी ? धारा 113 ख के अधीन उपधारणा निम्नलिखित आवश्यक बातों के सबूत पर ही की जाएगी –

1. न्यायालय के समक्ष सबूत प्रश्न अवश्य ही यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त की किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है, अर्थात् उपधारणा केवल तभी की जा सकती है, जब अभियुक्त का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अधीन हो रहा है।

2. उस स्त्री को उसके पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अध्यधीन किया गया हो।

3. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज के लिए या दहेज के लिए किसी मांग से संबंधित हो।

4. ऐसी क्रूरता का उत्पीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व की गई हो।[40]

इस धारा के उपबंध यद्यपि स्वरूप में आज्ञापक हैं, उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के सबूत के आधार पर दहेज मृत्यु की ऐसी उपधारणा करने का व्यादेश मात्र देते हैं और वे सबूत के भार को अभियुक्त पर यह दर्शित करने के लिए स्थानान्तरित करने का अर्थ रखते हैं कि पत्नी की मृत्यु के ठीक पूर्व पति द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया था।[41]

दहेज मृत्यु के किसी मामले में अभियुक्त द्वारा इस अपराध के किये जाने के लिए पत्नी को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज के लिए या दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के अध्यधीन किया जाना पुरोभाव्य शर्त है।[42]

दहेज मृत्यु का साक्षी – घायल स्त्री की परिचर्या करने वाले चिकित्सक ने अनुप्रमाणित किया था कि उसके पड़ोसी उसे अस्पताल ले आये थे और कोई नातेदार उसके साथ नहीं आया था, यह कि उसकी स्थिति गंभीर थी और यह कि उससे प्रश्न किये जाने पर उसने बतलाया था कि उसकी सास ने उसे जलाया था।

अभिनिर्धारित–यह अच्छा साक्ष्य था यद्यपि चिकित्सक ने उसे चिकित्सा रजिस्टर में अभिलिखित नहीं किया था। प्रतिपरीक्षा में कुछ भी पेश नहीं किया गया कि वह हितबद्ध साक्षी था।[43]

मृत्यु के कुछ पूर्व – दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा की जाती है कि यह तब लागू होती है जब अभियोजन यह साबित करे कि मृत्यु के कुछ पूर्व पीड़ित स्त्री के साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था और यह सब दहेज को लेकर किया गया था।

इस वाक्य में कोई निश्चित समय इंगित नही होता। यह निकटतम के सिद्धांत के लागू होने पर निर्भर करता है। मृत्यु तथा क्रूरता के बीच में कुछ निकटतम तथा कारित संबंध होना चाहिए। क्रूरता की कुछ पुरानी वारदातें इस उपधारणा के क्षेत्र में नहीं आएगी।[44]

धारा 114 क. बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मत्ति न होने की उपधारणा – भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) के अधीन बलात्संग के लिये किसी अभियोजन में, जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है, और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है जिसमें बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री, न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

बलात्कार के मामलों में उपधारणा :– जब यह साबित हो कि मैथुन हुआ है, और स्त्री न्यायालय में कहती है कि उसकी सम्मति नहीं थी और उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसकी सम्मति नहीं थी। उसकी सम्मति को साबित करने का भार अभियुक्त पर चला जायेगा। अगर वह स्त्री की सम्मति साबित नहीं कर पाये तो वह बलात्कार के लिए सजा पाने का हकदार हो जायेगा।

बलात्कारों की बढ़ती हुई वारदातों तथा अपराधियों की सम्मति के बचाव की आड़ में हो जाने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता हुई है । इस धारा का प्रभाव यह है कि जब न्यायालय के सामने यह प्रश्न हो कि एक स्त्री और पुरूष में मैथुन स्त्री की सम्मति से हुआ या बिना सम्मति के और स्त्री न्यायालय में यह कहती है कि यह बिना सम्मति के था, तो न्यायालय मान लेगा कि ऐसा मैथुन बगैर सम्मति के था और प्रमाणभार अभियुक्त पर चला जयेगा। इस उपधारणा की शर्तें हैं –

1. यह साबित है कि मैथुन हुआ है,
2. स्त्री न्यायालय में यह कहती है कि उसकी सम्मति नहीं थी।[45]

हमारे देश में बलात्कार की घटनाएँ बढ़ रही थी और उसरी समय मथुरा रेप केस[46] उच्चतम न्यायालय के सामने आया जिसमें दो पुलिस सिपाहियों का बलात्कार के लिए अभियोजन हुआ। लड़की का नाम मथुरा था और वहाँ आकर अभियुक्तों का बरी हो जाना जनता के लिये आश्चर्य बन गया। ऐसे मामले को लेकर जो हल्ला हुआ उसके फलस्वरूप संसद को यह संशोधन करना पड़ा।

बलात्कारी को सजा देने में रूकावट स्त्री की सम्मति का बचाव है। उच्चतम न्यायालय ने सम्मति केवल इस बात से मान ली, जैसे ही दो पुलिस वालों ने उसे थाने में अंदर आने को कहा वह अपने साथियों को गेट पर छोड़कर अंदर चली गई। उस समय उसने कोई हल्ला नहीं किया और बाद में बलात्कार का हल्ला करने लगी।

बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब[47] तथा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम चन्द्र प्रकाश केवल चंद वैन[48] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लिंग अपराध की अभियोक्त्री को सहअपराधी के बराबरी में नही रखना चाहिए और इसलिए संपुष्टि की जरूरत नहीं है।

नवाब खाँ बनाम स्टेट[49] के मामले में म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष एक केस में अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने मैथुन के लिए सम्मति नहीं दी थी। न्यायालय ने तद्नुसार अभिनिर्धारित किया कि धारा 114 के अधार पर सम्मति साबित करने का भार अभियुक्त पर चला गया। यह धारा तभी लागू होती है जब अभियोजन द्वारा यह सबूत दिया जाये कि मैथुन वास्तव में हुआ और पीड़ित लड़की के न्यायालय के समक्ष यह कहने पर कि उसने कोई सम्मति नहीं दी थी, बलात्कार की स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है।

रफीक बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.[50] के निर्णय में उच्चतम न्याायलय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्त्री पर चोटों के निशान न होने से उसकी सम्मति की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

कृष्ण लाल बनाम हरियाणा राज्य[51] के मामले में एक सोलह वर्षीय लड़की अपनी माँ और अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर सो रही थी। अभियुक्त ने अपने एक अन्य साथी के साथ आकर लड़की को धमकाया और अपने साथ पास के गोदाम में ले गये और उसके साथ बलात्कार करके उसे वापस खाट पर लाकर लिटा दिया। सुबह लड़की की माँ ने लड़की के सलवार पर खून के दाग देखे और पूछने पर लड़की ने रात की संपूर्ण घटना माँ को बता दी। अभियुक्तों को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अभियोक्त्री के साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक नहीं मानते हुए टिप्पणी की, लैंगिक अत्याचार के विरूद्ध सर्वाधिक कवच के रूप में जटिल एवं क्लिष्ट धाराओं में लिखे उपबंध के बजाय सामाजिक दृष्टि से जागरूक न्यायाधीश अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

रामचरण बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.[52] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 114 (क) के अधीन उपधारणा उन्हीं मामलों में की जा सकती है, जो धारा 376 (2) के अधीन आते हैं और न कि उन मामलों में जो धारा 376 (1) के अधीन आते हैं। जहाँ सामूहिक बलात्कार के एक मामले में परिवाद, नौ दिन विलम्ब से दाखिल किया गया था, शिकार हुई स्त्री अभियुक्तों में से एक के साथ विवाह करने के लिए इच्छुक थी, उसने अपने माता–पिता के दबाव में आकर अनिच्छा से रिपोर्ट लिखवाई थी और रासायनिक परीक्षक की अप्रदर्शित रिपोर्ट लैंगिक सम्भोग की कहानी के प्रतिकूल थी, अभिनिर्धारित धारा 114 (क) आकर्षित नहीं होती थी।

स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम पद्म सिंह[53] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोक्त्री के शरीर पर जो कि बलात्संग का शिकार हुई थी, क्षति का अभाव अपने आप ही सम्मति दर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।

धारा 119 मूक साक्षी – वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अपना स्पष्टीकरण किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेत द्वारा दे सकेगा, किंतु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जायेगा।

पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ए.पी. हाई कोर्ट बनाम लिंगी शेट्टी स्त्रीनू[54] के मामले में जहाँ बलात्संग की शिकार अभियोक्त्री गूंगी थी, गूंगों के लिए राजकीय आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य का उसके अनुवादक के रूप में साक्ष्य विशेषज्ञ साक्ष्य है और ऐसे अनुवादक की सहायता से उसके परिसाक्ष्य पर निर्भर किया जा सकता है।

- महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रमुख अधिनियम :–महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय ससंद में कुछ प्रमुख अधिनियम पारित किये है जिनका वर्णन निम्नानुसार हैं –

6.5 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत :

ये अधिनियम मुख्य रूप से विधायिका द्वारा उन महिलाओं जो कि कुटुम्ब या परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की होने वाली हिंसा से पीड़ित हैं, को संविधान के तहत गारण्टीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए, प्रावधानों को उपबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम को दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं यह अधिनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 1 में दिनांक 14/09/2005 को प्रकाशित हुआ एवं इस अधिनियम को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील होना निर्धारित किया गया।

यह अधिनियम कुल 05 अध्यायों में अधिनियमित किया गया है जिनमें प्रथम अध्याय में इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है, द्वितीय अध्याय में घरेलु हिंसा को परिभाषित किया गया है, तृतीय अध्याय में संरक्षा अधिकारीगण, सेवाप्रदायकर्तागण इत्यादि की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का वर्णन किया गया है, चतुर्थ अध्याय में अनुतोषों के आदेशों को अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जबकि पाँचवे एवं अन्तिम अध्याय में विविध उपबंधों को उपबंधित किया गया है।

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर प्रभावशील है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि :

एक अच्छी शुरूआत यदि घर से हो तो वह परिवार, समाज एवं राष्ट्र को सही दिशा देने में सक्षम होती है। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी यही बात लागू होती है। स्त्री को यदि कोख से लेकर चिता तक हिंसा सहनी पड़े तो वह न केवल नागरिक अधिकारों से वंचित होती है बल्कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही

समाप्त होने लगता है। घरेलु हिंसा या महिलाओं के साथ हिंसा कोई नई नहीं है, बल्कि कमजोर होने के कारण या कमजोर मानते हुए आदिकाल से ही महिलाओं का दमन किया जाता रहा है । पहले महिलाएँ उन पर घर में होने वाले अत्याचारों को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती थी, किन्तु समय के साथ–साथ ज्यों–ज्यों महिलाएँ शिक्षित एवं जागरूक हुई हैं घरेलु हिंसा जैसी घटनाएँ सामने आने लगी हैं। इस प्रकार की हिंसा से महिलाओं को समुचित संरक्षण प्रदान करना एक आदर्श लोकतांत्रिक राष्ट्र का परम् कर्त्तव्य बनता है, जिसके तहत भारत में ''घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005'' अधिनियमित कर घर में महिला संरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

घरेलु हिंसा एक गंभीर एवं व्यापक समस्या है जो चाहे विकसित राष्ट्र हो अथवा अविकसित दोनों को प्रभावित करती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी क्रम में वर्ष 1993 में वियना में स्त्रियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन मुद्दे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की कार्य सूची की मांग की गई तथा महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन संबंधी कार्य को बाध्यकारी बनाये जाने को मान्यता प्रदान की गई।

भारतवर्ष में भी इस दिशा में निरन्तर प्रयास करते हुए महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन संबंधी प्रावधानों को अधिनियमित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। 08 मार्च, 2002 को भारत सरकार ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय विभाग के माध्यम से लोक सभा में घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण विधेयक, 2002 का प्रस्ताव रखा गया। सम्पूर्ण भारतवर्ष में महिलाओं के विरोधी वर्गों ने इस विधेयक का जोरदार विरोध किया। ऐसे व्यापक विरोध को देखते हुए एक संसदीय स्थायी समिति का गठन श्री अर्जुनसिंह की अध्यक्षता में अगस्त, 2002 में

किया गया। 12 दिसम्बर, 2002 को उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा एवं लोकसभा को प्रस्तुत की, किन्तु दिनांक 05 फरवरी, 2004 को लोकसभा के विघटित हो जाने से उक्त विधेयक मृतप्राय हो गया। वर्ष 2004 में नवीन सरकार का गठन होने के पश्चात् पुनः उक्त विधेयक को सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित किया। वर्ष 2005 में भारतीय संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित किया गया और इस प्रकार यह अधिनियम अस्तित्व में आया और 26 अक्टूबर, 2006 से जम्मू–कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारतवर्ष पर प्रभावशील हुआ।

घरेलु हिंसा से अभिप्राय एवं इसकी व्यापकता :

घरेलु हिंसा से अभिप्राय ऐसा कोई कार्य, लोप या कार्यकरण या आचरण से है जो पीड़ित महिला एवं बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुँचाता है या खतरा पहुँचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है जिसमें शारीरिक दुरूपयोग, यौन दुरूपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग तथा आर्थिक दुरूपयोग भी सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत किसी पीड़ित स्त्री को स्वयं या किसी नातेदार के माध्यम से दहेज या अन्य संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति के लिए तंग करना, नुकसान पहुँचाना एवं उक्त आशय से पीड़ित महिला या उसके नातेदार को धमकी देना एवं पीड़िता को अन्यथा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से क्षति कारित करना भी सम्मिलित है।

इस अधिनियम में मुख्य रूप से चार प्रकार की हिंसा जो लगभग महिलाओं के प्रति की जाती हैं, को घरेलु हिंसा के दायरे में रखा गया है जो इस प्रकार हैं (1) शारीरिक हिंसा, (2) यौन/लैंगिक हिंसा, (3) आर्थिक हिंसा एवं (4) मौखिक व भावनात्मक हिंसा।

1. शारीरिक हिंसा :

इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा कार्य या व्यवहार जो इस प्रकृति का हो कि जिससे व्यथित व्यक्ति के शरीर में दर्द हो, चोंट लगे या उसके स्वास्थ्य को अथवा

जीवन को खतरा हो गया उसके विकास पर खतरा हो, जिसमें उस पर हमला तथा आपराधिक बल का प्रयोग भी शामिल है, आता है अर्थात् इस प्रकार की हिंसा में किसी स्त्री के शरीर के प्रति हिंसा की जाती है जैसे उसे चाँटा मारना, लात मारना, ठोकर मारना, मुक्का मारना, बलपूर्वक धक्का देना, दाँत से काटना, किसी अन्य वस्तु से मारना, दागना, मारपीट करना अथवा किसी अन्य रीति से उसे शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना, सम्मिलित है।

2. यौन/लैंगिक हिंसा :

इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा लैंगिक कार्य व्यवहार या आचरण सम्मिलित है जो व्यथित महिला की सम्मति के विरूद्ध होकर उसकी भावनाओं को आहत करता हो, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता हो अथवा ऐसा कोई लैंगिक कृत्य जिससे पीड़िता को ग्लानि हो। इनमें पीड़ित की सम्मति के विपरीत सम्भोग करना, जहाँ परिवार नियोजन के तरीके अपनाना आवश्यक हों वहाँ उन्हें अपनाये बगैर शारीरिक संबंध बनाना, अश्लील साहित्य को पढ़ने या ऐसी सामग्री को भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से देखने पर मजबूर करना आदि भी सम्मिलित हैं।

3. आर्थिक हिंसा :

आर्थिक हिंसा वस्तुतः व्यथित व्यक्ति को आर्थिक तथा वित्तीय संसाधनों से वंचित कर उसके संवैधानिक अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित करना है। ऐसे अधिकार, संसाधन जिन पर व्यथित व्यक्ति का कानूनी तौर पर अथवा परम्परागत तौर पर हक बनता हो या न्यायालय के आदेश के अधीन उसे कोई अधिकार दिये गये हों जैसे स्त्रीधन, सम्पत्ति, संयुक्त या एकल परिवार के शामिलाती कौटुम्बिक निवास में रहने का अधिकार, उसका किराया या भरण–पोषण आदि से वंचित करना आर्थिक हिंसा की परिधि में समाहित हैं। इनके अतिरिक्त व्यथित व्यक्ति को बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, उनके लिए भोजन, वस्त्र एवं उपचार इत्यादि उपलब्ध न कराना, कोई रोजगार करने से रोकना अथवा उसमें अवरोध उत्पन्न करना, अपनी आय का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात न करना, धन के

किसी भाग में जाने या उपभोग करने से रोकना, उससे बाहर निकलने को मजबूर करना आदि को भी आर्थिक हिंसा में शामिल किया गया है।

4. मौखिक और भावनात्मक हिंसा/प्रताड़ना :

किसी महिला या व्यथित व्यक्ति का बातों अथवा आचरण से अपमान करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण करना, बगैर स्वतंत्र सम्मति के विवाह के लिए मजबूर करना, पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, मजाक उड़ाना, पुत्र संतान उत्पन्न न होने पर अपमान करना या ताने मारना, आत्महत्या की धमकी देना, अन्य लोगों के समक्ष मजाक उड़ाना जैसे भावना को ठेस पहुँचाने एवं आत्मसम्मान को क्षति कारित वाले कृत्यों को मौखिक और भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में रखा गया है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान :

इस अधिनियम के अधिनियमित एवं प्रभावी होने के पूर्व विवाहित महिलाओं के लिए परिवार द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की स्थिति में एकमात्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 498 (क) का अवलम्बन था। वर्ष 1983 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किये गए संशोधन के बाद भारतीय दण्ड संहिता में सम्मिलित की गई धारा– 498 (क) एक गैर जमानती धारा है। इसके अन्तर्गत पीड़िता को प्रताड़ित करने वाले पक्ष की गिरफ्तारी तो सकती है, उन्हें दण्डित भी किया जा सकता है, किन्तु पीड़ित महिला को सम्मानपूर्वक जीवन के लिए आवश्यक भरण–पोषण, निवास आदि जैसी सुविधा नहीं मिलती है। उक्त प्रावधान की इन्हीं कमियों को दृष्टिगत रखते हुए घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है जिसके तहत प्रताड़ित करने वाले पक्ष के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ–साथ व्यथित महिला को जीवन हेतु मूलभूत आवश्यकताएँ यथा भरण–पोषण, आवास एवं बच्चों को अस्थाई संरक्षण आदि की सुविधा मिल जाती है।

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत घर के भीतर या परिवार के लोगों द्वारा शारीरिक, मानसिक अथवा यौन हिंसा की दशा में कोई भी व्यथित महिला चाहे वह बहन हो, माँ हो, पत्नि, पुत्री, दत्तक पुत्री या लिव–इन–रिलेशनशिप में रह रही महिला मित्र हो, न्यायालय से इस हिंसा को तुरंत रोकने की माँग कर सकती है। इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं को यथोचित सेवाएँ, संरक्षण प्रदान करने हेतु संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है जो व्यथित महिलाओं को विधिक जानकारियाँ देना, न्यायिक कार्यवाहियाँ करने में सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत संघ के अन्तर्गत आने वाली राज्य सरकारें भी ऐसी पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, यथोचित संरक्षण हेतु संरक्षण गृह में शरण देने आदि के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं को जीवन यापन हेतु भरण–पोषण राशि और निवास हेतु उचित स्थान अथवा किराया दिलाये जाने संबंधी प्रावधान भी किया गया है। त्वरित न्याय की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए 60 दिनों के भीतर मामलों के अन्तिम निराकरण संबंधी प्रावधान भी किया गया है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने, निर्णय का उल्लंघन करने की दशा में दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है ताकि अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन पारित निर्णयों का त्वरित अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

इस प्रकार पूर्व में महिलाओं के लिए प्रचलित विधिक प्रावधानों की तुलना में इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है –

अध्याय प्रथम :

इस अध्याय में धारा– 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के संबंध में प्रावधान किया गया है जबकि धारा– 2 में अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों/प्रावधानों को परिभाषित किया गया है।

अध्याय द्वितीय :

इस अध्याय में धारा– 3 में घरेलु हिंसा को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है।

अध्याय तृतीय :

इस अध्याय में धारा– 4 से 11 के तहत संरक्षा अधिकारीगण, सेवा प्रदातागण की शक्तियों एवं कर्त्तव्य के संबंध में उपबंध किये गये हैं। जिनमें मुख्य रूप से धारा– 4 में संरक्षा अधिकारी को सूचना और सूचनाकर्ता के दायित्व का अपवर्जन, धारा– 5 में पुलिस अधिकारीगण, सेवा प्रदायकर्तागण और मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य, धारा– 6 में संरक्षण गृहों के कर्त्तव्य, धारा– 7 में चिकित्सीय सुविधाओं के कर्त्तव्य, धारा– 8 में संरक्षा अधिकारीगण के कर्त्तव्य और कार्य, धारा– 10 में सेवा प्रदायकर्तागण एवं धारा– 11 में सरकार के कर्त्तव्यों का प्रावधान किया गया है।

अध्याय चतुर्थ :

यह अध्याय घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें इस अधिनियम के तहत अनुतोषों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को प्रावधानित किया गया है। इस अध्याय में समाहित महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं :–

धारा– 14 परामर्श : इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी को पृथकतः या संयुक्ततः विहित सेवा प्रदायकर्ता से मंत्रणा करने के लिए निदेशित कर सकेगा।

धारा– 16 कार्यवाहियों को बंद कमरे में करना : प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर अथवा कार्यवाही के पक्षकारों के द्वारा मांग किये जाने पर इस अधिनियम के तहत प्रकरणों की सुनवाई बन्द कमरे में करने का अधिकार

मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया है। यह प्रावधान मामले के किसी प्रक्रम पर महिलाओं की भावनाओं को किसी प्रकार ठेस न पहुँचे इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

धारा– 17 शामलाती कौटुम्बिक गृह में निवास करने का अधिकार : इस धारा के अधीन घरेलु नातेदारी में रहने वाली प्रत्येक महिला को अन्य किसी भी विधि में समाहित किसी भी बात के होते हुए, शामिलाती कौटुम्बिक गृह में निवास करने का अधिकार प्रदान किया गया है, चाहे उस गृह में उसका कोई अधिकार, स्वत्व या लाभकारी हित हो अथवा नहीं अर्थात् किसी भी व्यथित महिला को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भिन्न किसी भी रीति से प्रत्यर्थी द्वारा शामलाती कौटुम्बिक गृह या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। पूर्व में प्रचलित कानूनों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं होने के कारण व्यथित महिलाओं के समक्ष कानूनी कार्यवाही करने में यह एक बहुत बड़ी बाधा थी।

धारा– 18 संरक्षा आदेश : इस धारा के तहत किसी मामले के व्यथित व्यक्ति एवं प्रत्यर्थी को सुने जाने के पश्चात् न्यायालय को प्रथमदृष्टया यह प्रतीत हो कि घरेलु हिंसा की घटना घटित हुई है अथवा होने की संभाव्यता है तब न्यायालय द्वारा व्यथित व्यक्ति के हित में संरक्षा आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी को आदेशित कर सकेगा कि –

(क) वह घरेलू हिंसा का कोई कृत्य कारित न करे।

(ख) घरेलू हिंसा के कृत्य में किसी प्रकार सहयोग न करे न ही ऐसे कृत्य कारित करने हेतु दुष्प्रेरित करे।

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन स्थल, उसके अध्ययनरत होने पर विद्यालय या अन्य स्थान जहाँ व्यथित व्यक्ति का आना–जाना हो, में प्रवेश न करे।

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ वैयक्तिक, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाष आदि से संपर्क स्थापित न करे न बातचीत करे।

(ङ) मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किन्हीं परिसंपत्तियों को अन्तरित न करे और संयुक्त अथवा वैयक्तिक रूप से धारित अथवा उपभोग किये जाने वाले बैंक लॉकर्स, खातों आदि का संचालन न करे।

(च) ऐसे आश्रितगण या अन्य रिश्तेदार जो घरेलू हिंसा के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति की सहायता करता हो, के प्रति हिंसा न करे।

(छ) संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के अन्य कृत्य न करे।

धारा– 19 निवास का आदेश : शामलाती पारिवारिक निवास चाहे उसमें व्यथित महिला का मालिकाना हक या स्वत्व हो अथवा नहीं, में रहना व्यथित व्यथित महिला का अधिकार है । इस अधिनियम के अधीन आवेदन–पत्र पर विचारण करते हुए न्यायालय का समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है तो न्यायालय ऐसा निवास आदेश पारित कर सकेगा कि शामलाती पारिवारिक निवास से व्यथित व्यक्ति को बेदखल न किया जावे अथवा उसके कब्जे में किसी प्रकार बाधा न डाली जावे। व्यथित व्यक्ति जिस स्थान में निवास करता है, उससे प्रत्यर्थी को स्वयं को हटाने अथवा प्रवेश करने से वर्जित किया जा सकता है। साझे पारिवारिक गृह को अन्यसंक्रामण करने से या उसका विल्लंगम करने से प्रत्यर्थी को रोका जा सकता है। यदि परिस्थितियाँ अपेक्षित करें तो व्यथित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने अथवा ऐसे स्थान के लिए भाड़ा संदाय करने का आदेश भी दिया जा सकता है।

धारा–20 व 22 वित्तीय अनुतोष संबंधी आदेश व प्रतिकर के लिए आदेश :

धारा– 20 के अधीन आवेदन–पत्र का निराकरण किये जाने के दौरान मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति अथवा उसकी किसी संतान द्वारा घरेलु हिंसा के दौरान वहन की गई क्षतियों और उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति स्वरूप वित्तीय अनुतोष संदत्त करने के लिए आदेश कर सकेगा जिसमें अर्जन क्षमता की हानि, चिकित्सकीय व्यय, व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति को हटाने या नष्ट करने से उसे हुए

नुकसान की क्षतिपूर्ति अथवा स्वयं व संतान के भरण–पोषण के लिए वित्तीय अनुतोष सम्मिलित हैं। इसी प्रकार धारा– 22 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा कारित घरेलु हिंसा के कृत्यों द्वारा कारित मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट की क्षतियों के लिए प्रतिकर दिलाये जाने का भी प्रावधान है।

धारा– 21 अभिरक्षा आदेश : तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में समाहित प्रावधानों के होते हुए मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत सुनवाई के किसी प्रक्रम पर संतान या संतानों की अभिरक्षा, व्यथित व्यक्ति को दे सकेगा या उस व्यक्ति को दे सकेगा जो उसकी ओर से आवेदन करे और परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित किये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के लिए प्रबंध के बारे में भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

उपरोक्त मुख्य प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम में यह भी स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं कि घरेलु हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है ? और शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है?

शिकायत दर्ज कराने के संबंध में दिशा–निर्देश हैं कि व्यथित महिला और उसकी संतानें/पड़ोसी/परिवार का कोई सदस्य/सेवा प्रदाता संस्थाएँ/संरक्षण अधिकारी/पुलिस या अन्य व्यक्ति जिसे घरेलु हिंसा की घटना होने की जानकारी हो, शिकायत कर सकते हैं।

अधिनियम के सबल पक्ष :

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम इस विश्वास के साथ निर्मित किया गया कि यह घर में विभिन्न भूमिकाओं में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। इस अधिनियम के कई ऐसे मजबूत पक्ष हैं जो इसके प्रति महिलाओं के विश्वास को सुदृढ़ करते हैं व इस अधिनियम को महिला सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय बनाते हैं –

- इस अधिनियम का सर्वथा सबल पक्ष यह है कि यह सभी धर्मों के अनुयायियों पर समान रूप से लागू होता है अर्थात् यह समान सिविल संहिता की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- इस अधिनियम के तहत घरेलु हिंसा की परिभाषा को बहुत व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, दहेज संबंधी प्रताड़ना एवं कामुकता संबंधी आरोप आदि सम्मिलित हैं। यदि कोई महिला घरेलु संबंध में किसी पुरूष के साथ रह रही है और वह घरेलु हिंसा की शिकार होती है तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उपचार पा सकती है।

- घरेलु संबंध का स्वरूप/अर्थ क्या है ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे इस अधिनियम में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई महिला किसी पुरूष के साथ घरेलु संबंध में तब रह रही होती है जब वे एक घर में साथ रह रहे हों या रह चुके हों और उनके बीच का रिश्ता खून का हो या शादी का हो या गोद लेने के कारण हो या संयुक्त परिवार की तरह का हो।

- इस अधिनियम में जिस तरह से घरेलु संबंधों को परिभाषित किया गया है, वह उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो

– किसी पुरूष के साथ बिना शादी किये पत्नि की तरह रह रही है अथवा थी;

– या किसी ऐसे पुरूष के साथ पत्नि की तरह रह रही है अथवा रह रही थी जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती।

इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें व्यथित व्यक्ति को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करना होती है। पीड़ित या उसकी ओर से मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता है। मजिस्ट्रेट यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि घरेलु हिंसा हुई है या होने की आशंका है तो वह धारा–19 के तहत निवासीय आदेश, धारा–20 के तहत आर्थिक अनुतोष, धारा– 21 के तहत बच्चों की देख–रेख हेतु अभिरक्षा आदेश या इनमें से कोई भी एक या अधिक आदेश दे सकता है।

6.6 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 :–

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार भारत में वयस्क महिलाओं की गणना की जाए तो पता चलता है कि 14.58 करोड़ महिलाओं (18 वर्ष से अधिक की उम्र) के साथ यौन उत्पीड़न जैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ है। सवाल उठता है कि वास्तव में कितने प्रकरण दर्ज हुए? राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2006 से 2012 के बीच आईपीसी की धारा 358 के अंतर्गत 2,83,407, धारा 509 के तहत 71,843 और बलात्कार के 1,54,251 प्रकरण दर्ज हुए। मतलब साफ है कि बलात्कार के अलावा उत्पीड़न के अन्य आँकड़ों को आधार बनाया जाए तो साफ जाहिर होता है कि अब भी वास्तविक उत्पीड़न के एक प्रतिशत मामले भी सामने नहीं आते हैं।

इसी दौरान बच्चों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक अलग कानून बना। तत्पश्चात् यह स्थापित हो गया कि घरों में महिलाओं के साथ कई रूपों में हिंसा निरन्तर जारी है। इसे लेकर घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून बना। अंततः यह स्वीकार किया जाने लगा कि महिलायें भी एक कामकाजी प्राणी हैं और वे काम की जगह पर भी बहुधा हिंसा की शिकार होती हैं। इसके लिए अगस्त 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कार्यस्थल पर लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिशानिर्देश बनाए थे।

विचारणीय यह है कि क्या हमारा समाज महिलाओं के लिए एक असुरक्षित और अपमानजनक जीवन जीने का स्थान है? हम इंतजार करेंगे कि कोई विशाखा, भंवरी देवी या निर्भया आए और उनके अस्तित्व दांव पर लगने के बाद सरकार और समाज जागेगा? अब हमारे पास महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) कानून 2013 मौजूद है। दिसम्बर 2013 को इसके नियम भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इन नियमों से भी सरकार के गंभीर होने का अहसास होता है।

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण और प्रतितोषण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में भारतीय संसद द्वारा यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है।

इस अधिनियम को मुख्य रूप से आठ अध्याय एवं 30 धाराओं में विभाजित किया गया है।

सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है।

ये अधिनियम, 9 दिसम्बर, 2013, में प्रभाव में आया था। जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में, पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिये भी ये कार्य करता है।

ये अधिनियम विशाखा केस में दिये गये लगभग सभी दिशा–निर्देशों को धारण करता है और ये बहुत से अन्य प्रावधानों को भी निहित करता है जैसे– शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की है; यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000/– रुपये से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा, ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर–संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ या आयाएं आदि को भी शामिल करता है।

इस प्रकार, ये अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिये युक्ति है। ये विशाखा फैसले में दिये गये दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है और इसके प्रावधानों का पालन करने के लिये नियोक्ताओं पर एक सांविधिक दायित्व अनिवार्य कर देता है।

हालांकि, इस अधिनियम में कुछ कमियां भी है जैसे कि ये यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता बस केवल नागरिक दोष माना जाता है जो सबसे मुख्य कमी है, जब पीड़ित इस कृत्य को अपराध के रूप में दर्ज करने की इच्छा रखती है तब ही केवल इसे एक अपराध के रूप में शिकायत दर्ज की जाती है, इसके साथ ही पीड़ित पर अपने वरिष्ठ पुरुष कर्मचारी द्वारा शिकायत वापस लेने के लिये दबाव डालने की भी संभावनाएँ अधिक रहती है।

इस प्रकार, अधिनियम को एक सही कदम कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से दोषरहित नहीं है और इसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। यहाँ तक कि अब, पीड़ित को भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत पूरी तरह से न्याय पाने के लिये अपराधिक उपायों को तलाशना पड़ता है और फिर आपराधिक शिकायत धारा 354 के अन्तर्गत दर्ज की जाती है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की विशेष धारा नहीं बल्कि एक सामान्य प्रावधान है। इसलिये, कानून के अनुसार निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिये कानूनी अनिवार्यता के अन्तर्गत लिया गया है, लेकिन समस्या इसके लागू करने और इसकी जटिलताओं में है। ये अभी अपने शुरुआती दिनों में है और अधिकांश संगठन, कुछ बड़े संगठनों को छोड़कर, प्रावधान के साथ जुड़े हुए नहीं है, यहाँ तक कि वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिये बनाये गये कानून क्या हैं? और इसके लिये क्या अर्थदंड है और क्या इसका निवारक तंत्र है, इन सब नियमों और कानूनों को सार्वजनिक करने वाले नियमों को सूत्रबद्ध भी नहीं करता। यहाँ तक कि वहाँ आन्तरिक शिकायत समिति भी नहीं है।

हाल ही का उदाहरण, तहलका पत्रिका के मुख्य संपादक पर इस तरह के दुर्व्यवहार में शामिल होने का शक किया गया था और इस खबर के प्रकाश में आने के बाद पता चला कि इसके कार्यालय में विशाखा मामले में दिये गए दिशा–निर्देशन के तहत कोई भी शिकायत या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिये समिति नहीं थी।

इस प्रकार, केवल आने वाला समय ही बता सकता है कि यह अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, उस अपराध को जो केवल महिलाओं के साथ किया जाता है, उसे रोकने और निषेध करने में सफल हो पायेगा या नहीं।

यह कानून क्या करता है ?

यह क़ानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है,

यह क़ानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है,

यह क़ानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो,

इस क़ानून में यह ज़रूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है,वह वहाँ नौकरी करती हो,

कार्यस्थल कोई भी कार्यालय/दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी।

यौन उत्पीड़न क्या है ?

इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित व्यवहार या कृत्य 'यौन उत्पीड़न' की श्रेणी में आता है–

व्यवहार या कृत्य :

इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना जैसे यदि एक तैराकी कोच छात्रा को तैराकी सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो वह यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा पर यदि वह पूल के बाहर, क्लास ख़त्म होने के बाद छात्रा को छूता है और वह असहज महसूस करती है, तो यह यौन उत्पीड़न है ।

शारीरिक रिश्ता/यौन सम्बन्ध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना जैसे यदि विभाग का प्रमुख, किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन दे कर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है, तो यह यौन उत्पीड़न है।

यौन स्वभाव की (अश्लील) बातें करना जैसे यदि एक वरिष्ठ संपादक एक युवा प्रशिक्षु/जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न है।

अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना जैसे यदि किसी महिला का पुरूष सहकर्मी महिला की इच्छा के खिलाफ उसे अश्लील वीडियो भेजता है, तो यह यौन उत्पीड़न है।

कोई अन्य कार्य यौन प्रकृति के हों, जो बातचीत द्वारा, लिख कर या छू कर किये गए हों।

शिकायत कौन कर सकता है ?

जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वह शिकायत कर सकती है।

शिकायत किसको की जानी चाहिए ?

अगर संबंधित संगठन/संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है तो उसमें ही शिकायत करनी चाहिए। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिनमें 10 से अधिक

कर्मचारी हैं, आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। अगर संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति नहीं गठित की है, तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी होगी। दुर्भाग्य से कई राज्य सरकारों ने इन समितियों को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया है और किससे संपर्क किया जाए,यह जानकारी ज्यादातर मामलों में सार्वजनिक नहीं हुई है।

शिकायत कब तक की जानी चाहिए ? क्या शिकायत करने की कोई समय सीमा निर्धारित है ?

शिकायत करते समय घटना को घटे तीन महीने से ज्यादा समय नहीं बीता हो और यदि एक से अधिक घटनाएँ हुई हैं तो आखरी घटना की तारीख से तीन महीने तक का समय पीड़ित के पास है ।

क्या यह समय सीमा बढाई जा सकती है ?

हाँ, यदि आंतरिक शिकायत समिति को यह लगता है की इससे पहले पीड़ित शिकायत करने में असमर्थ थी, तो यह सीमा बढाई जा सकती है, पर इसकी अवधि और तीन महीनों से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती ।

शिकायत कैसे की जानी चाहिए ?

शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करें।

उदाहरण के तौर पर, अगर वह महिला पढ़ी–लिखी नहीं है और उसके पास लिखित में शिकायत लिखवाने का कोई ज़रिया नहीं है तो वह समिति को इसकी जानकारी दे सकती है और समिति की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे की पीड़ित की शिकायत बारीक़ी से दर्ज़ की जाए ।

क्या पीड़ित की ओर से कोई और शिकायत कर सकता है ?

यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है (उदाहरण के लिए, यदि वह बेहोश है), तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके सह–कार्यकर्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़ित की सहमति ली है, अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी शिकायत कर सकते हैं।

यदि पीड़ित शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है, तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता है,उपरोक्त व्यक्तियों के साथ मिल कर संयुक्त शिकायत कर सकता है।

यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो, पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है?

यदि वह महिला चाहती है तो मामले को 'कंसिलिएशन'/समाधान' की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, परन्तु ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है।

यदि महिला समाधान नहीं चाहती है तो जाँच की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा । यह जाँच संस्था/कंपनी द्वारा तय की गई प्रकिया पर की जा सकती है, यदि संस्था/कंपनी की कोई तय प्रकिया नहीं है, तो सामान्य कानून लागू होगा । समिति पीड़ित,

आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज़ भी माँग सकती है । समिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है।

जाँच के ख़त्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीडन का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता (अथवा कम्पनी या संस्था, आरोपी जिसका कर्मचारी है) को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सुझाव देगी। नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं, नियमों के अभाव में नीचे दिए गए कदम उठाए जा सकते हैं :

- लिखित माफी,
- चेतावनी,
- पदोन्नति/प्रमोशन या वेतन वृद्धि रोकना,
- परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना,
- नौकरी से निकाल देना।

झूठी शिकायतों से यह कानून कैसे निपटता है ?

यदि आंतरिक समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जान–बूझ कर झूठी शिकायत की है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी कार्यवाही के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित माफ़ी मंगवाई जा सकती है या फिर महिला की पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है ।

हालांकि, सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है, शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए कुछ ठोस सबूत होना चाहिए जैसे कि महिला ने किसी मित्र को भेजे ई–मेल में यह स्वीकार किया हो कि शिकायत झूठी है।

नियोक्ता और उनके कर्त्तव्य :

इस क़ानून के मुताबिक संस्था या कम्पनी के निम्न श्रेणी के प्रबंधक या अधिकारी को नियोक्ता माना जाता है –

सरकारी कार्यालय/दफ्तर में, विभाग का प्रमुख नियोक्ता होता है, कभी–कभी सरकार किसी और व्यक्ति को भी नियोक्ता का दर्ज़ा दे सकती है।

निजी दफ्तर में नियोक्ता कोई ऐसा व्यक्ति है, जिस पर कार्यालय के प्रबंधन और देखरेख की ज़िम्मेदारी है, इसमें नीतियाँ बनाने वाले बोर्ड और समिति भी शामिल हैं ।

किसी अन्य कार्यालय में एक व्यक्ति जो अपने अनुबंध/कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक नियोक्ता है, को इस क़ानून में भी नियोक्ता माना जा सकता है।

घर में, जिस व्यक्ति या घर ने किसी घरेलू कामगार को काम पर रखा है, वह नियोक्ता है (काम की प्रकृति या कामगारों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता)।

नियोक्ता के कर्तव्य :

नियोक्ता को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए अपनी संस्था/कम्पनी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ऐसी समिति की अध्यक्षता संस्था या कम्पनी की किसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा इस समिति से सम्बन्धित जानकारी कार्यस्थल पर किसी ऐसी जगह लगायी/चस्पा की जानी चाहिए, जहाँ कर्मचारी उसे आसानी से देख सकें।

नियोक्ताओं को मुख्य रूप से सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने–जाने वालों (जो कर्मचारी नहीं हैं) की उपस्थिति में असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नियोक्ता को अपनी 'यौन उत्पीड़न सम्बन्धी नीति' और जिस आदेश

के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना हुई है, ऐसे आदेश की प्रति, ऐसे स्थान पर लगा/ चस्पा कर देनी चाहिए जिससे सभी कर्मचारियों को इसके बारे में पता चल सके। नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के मुद्दों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन भी करना चाहिए। उन्हें अपने सेवा नियमों में यौन उत्पीड़न को भी शामिल करना चाहिए और कार्यस्थल में इससे निपटने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1) डॉ. राजबाला सिंह–मानवाधिकार और महिलाएँ, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर–संस्करण, 2011, पृश्ठ 171

2) प्रकाश नारायण नाराणी–महिला संरक्षण एवं न्याय, बुक एनक्लेव जयपुर प्रथम संस्करण, 2007, पृष्ठ 34

3) ए.आई.आर. 1952 एस.सी.आर. 284

4) ए.आई.आर. 1983 आन्ध्र प्रदेश 355

5) ए.आई.आर. 1981 ए.सी. 1829

6) ए.आई.आर. 1989 ए.सी. 2033

7) ए.आई.आर. 1997 मुम्बई 349

8) ए.आई.आर. 1988 ए.सी. 835

9) ए.आई.आर. 1985 ए.सी. 1618

10) ए.आई.आर. 1996 ए.सी.सी. 125

11) ए.आई.आर. 1977 3 उम. नि.प. 360

12) ए.आई.आर. 1996 3 ए.सी. 545

13) ए.आई.आर. 1982 ए.सी. 879

14) ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 27

15) ए.आई.आर. 1956 एस.सी.आर. 476

16) डॉ. राजबाला सिंह–मानवाधिकार और महिलाएँ, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर–संस्करण, 2011, पृष्ठ 36–38

17) ए.आई.आर. 1995 3 एस.सी.सी. 635

18) ए.आई.आर. 1997 बम्बई 349

19) ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3280

20) ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 922

21) ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1290

22) डॉ. बसन्तीलाल बावेल–भारत का संविधान, सातवां संस्करण, 2005, पृष्ठ 160

23) ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1964

24) ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 309

25) नि.प. 1082 पटना 216

26) ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 643

27) डॉ. बसन्तीलाल बावेल, भारतीय दण्ड संहिता, बीसवां संस्करण, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी इलाहाबाद, पृष्ठ 288

28) ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1965

29) ए.आई.आर. 2000 सु.को.. 2231

30) डॉ. कल.वी.नो. 267, स्टेट बनाम टीकमचंद, ए.आई.आर. 1952, उड़ीसा 267

31) 1993 क्रि.ला.ज. 120

32) 1992 क्रि.ला.ज. 2579

33) क्रि.ला.ज. 2364

34) प्रकाश नारायण नाराणी, महिला संरक्षण एवं न्याय, प्रथम संस्करण 2007, बुक एनक्लेव जयपुर, पृष्ठ 130–131

35) डॉ. बसन्तीलाल बावेल, भारतीय दण्ड संहिता 1860, बीसवाँ संस्करण सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, पृष्ठ 310

36) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 9 द्वारा अंतः स्थापित।

37) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 द्वारा अंतः स्थापित।

38) धारा 174 की उपधारा (3) दंड विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1985 (1983 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

39) दहेज प्रतिशेध संशोधन अधिनियम, 43 सन् 1986 द्वारा धारा 113 ख जोड़ी गयी। (19–11–1986 से प्रभावी)

40) केशव चन्द्र पन्डा बनाम स्टेट, 1955 क्रि. ला. ज. 174 (उड़ीसा)

41) कृष्ण लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (एफ.बी.) 1994 क्रि.लॉ.ज. 3472 (पी एण्ड एच)

42) भूरा सिंह बनाम स्टेट, 1993 क्रि. लॉ. ज. 2636 (इला.) केशव चन्द्र पन्डा बनाम स्टेट, 1995 क्रि. लॉ. ज. 174 (उड़ीसा)

43) लिक्षमा देवी विरूद्ध राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1985 : 1988 क्रि. लॉ.ज. 1812

44) हीरालाल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, ए. आई.आर. 2003 एस.सी. 2665.

45) दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 अधिनियम 1983 (सं. 43 सन् 1983) द्वारा जोड़ गया।

46) तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 185

47) ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1080

48) ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 658

49) **1990** क्रि. ला ज. 1179

50) ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 559

51) ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1232

52) **1993** क्रि. ला ज. 1825 (एम.पी.)

53) **1996** ए.आई.एच.सी. 169 (इला.)

54) **1997** क्रि. ला ज. 4003 (एम.पी.)

अध्याय-सप्तम्

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में बलात्कार को रोकने हेतु आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 की समीक्षा

7.1 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 का उद्भव एवं मौलिक स्वरूप

7.2 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की समीक्षा

7.3 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 से विभिन्न विधियों के स्वरूप में हुए प्रमुख परिवर्तन

सप्तम् अध्याय

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में बलात्कार को रोकने हेतु आपराधिक विधि संशोधन अधि. 2013 की समीक्षा

7.1 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 का उद्‌भव एवं मौलिक स्वरूप :

आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो कि निर्भया रेप केस के पश्चात् संसद ने पारित कर भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है, ताकि भविष्य में बलात्कार एवं महिला यौन–उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके । इसे प्रभावी रूप देने के लिए यह अनिवार्य है कि इन कानूनों को सही रूप में लागू किया जाये तथा प्रशासन बलात्कार एवं महिला यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के प्रति जागरूक रहे।

वर्तमान युग में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए महिलाओं को भी कानून की जानकारी होना आवश्यक है।

वर्तमान समय में महिला यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए भारतीय संसद ने अपराधिक विधि में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कर अपराधिक विधि संशोधन अधिनिमय 2013 पारित किया है जिसका मूल स्वरूप निम्नानुसार है –

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 है।

(2) यह 3 फरवरी 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय– 2

भारतीय दंड संहिता का संशोधन :

2. धारा 100 का संशोधन– भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है, की धारा 100 में खंड छठवाँ के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया गया, अर्थात् : –

''सातवां'' – अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आंशका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणमस्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी।''

3. नई धारा 166 क और धारा 166 ख का अंतः स्थापन – दंड संहिता की धारा 166 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ अंतः स्थापित की गई, अर्थात् :–

''166क, लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है – जो कोई लोक सेवक होते हुए –

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थित की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है, या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करता है। या

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन, धारा 326(क), धारा 326(ख), धारा 354, धारा 354(ख), धारा 370 (क), धारा 370(क), धारा 376, धारा 376(क), धारा 376(ग), धारा 376(ङ) या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबध में उसे दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है।

यह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

166(ख). पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड – जो कोई ऐसे किसी लोक या प्रायेवट अस्पताल का, चाहे वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

4. धारा 228(क) का संशोधन– दण्ड संहिता की धारा 228(क) की उपधारा (1) में, ''धारा 376, धारा 376(क), धारा 376(ख), धारा 376(ग) या धारा 376(घ)'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''धारा 376, धारा 376(क), धारा 376(ख), धारा 376(ग), धारा 376 (घ) या धारा 376(ङ)'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

5. नई धारा 326 क और धारा 326 ख का अंतः स्थापन – दंड संहिता की धारा 326 के पश्चात् निम्नलिखित धाराऐं अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् : –

326 क, अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना – जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आशिंक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निःशक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा,

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

326ख. स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना – जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण–1– धारा 326 क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतिचिह्न बन जाते हैं या विद्रुपता या अस्थायी या स्थायी निःशक्तता हो जाती है।

स्पष्टीकरण–2 – धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।

6. धारा 354 का संशोधन– दंड संहिता की धारा 354 में, "वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जाऐंगे।

7. नई धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग और धारा 354 का अंतः स्थापन – दंड संहिता की धारा 354 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात् –

354 क, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिये दण्ड – (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात् –

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाऐं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने, या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्व बलात् अश्लील साहित्य दिखाने, या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने वाला पुरूश लैंगिक उत्पीडन के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

354ख. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – ऐसा कोई पुरूष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

354ग दृश्यरतिकता – ऐसा कोई पुरूष, जो कोई किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन, जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चात्‌वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिये, ''प्राइवेट कृत्य'' के अंतर्गत ऐसा किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह एकांतता होगी और जहाँ कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढंका जाता है अथवा जहाँ पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है, या जहाँ पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2 – जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है, किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और वहाँ उस चित्र या कृत्य प्रसारण किया जाता है, वहाँ ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।

354घ. पीछा करना – (1) ऐसा कोई पुरूष जो –

(i) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यप्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, अथवा

(ii) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई–मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनीटर करता है।

वह पीछा करने का अपराध करता है–

परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटी में नही आएगा, यदि वह पुरूष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि,

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरूष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या

(ii) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, या

(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, वह प्रथम दोषसिद्वि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्वि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

8. धारा 370 के स्थान पर नई धारा 370 और 370 क का प्रतिस्थापन – दंड संहिता की धारा 370 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएगी, अर्थात् –

धारा 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार – (1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिये –

पहला – धमकियों का प्रयोग करके, या

दूसरा – बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, या

तीसरा – अपहरण द्वारा, या

चौथा – कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, या

पांचवा – शक्ति का दुरूपयोग करके, या

छठवां – उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए परिवहनित संश्रित, स्थानान्तरित या गृहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है।

किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहनित करता है, (ग) संश्रय देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ङ) गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1– ''शोषण'' पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता, अधिसेविता के समान व्यवहार या अंगों का बलात् अपसारण भी है।

स्पष्टीकरण–2 दुर्व्यापार के अपराध के अवधारणा में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।

(2) जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

(3) जहा अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(4) जहाँ अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहाँ वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(5) जहाँ अपराध में एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहाँ वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(6) यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(7) जहाँ कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहाँ ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

370क. ऐसा व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण –

(1) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुय या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा'।

9. धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग और 376घ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन – दण्ड संहिता की धारा 375, धारा 376, या धारा 376 ख, धारा 376 ग और धारा 376 घ के स्थान निम्नलिखित धाराएँ रखी जाएगी अर्थात् :–

375 बलात्संग – यदि कोई पुरूष, –

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तासाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है।

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है –

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरूद्व

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्व है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरूष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पाँचवा – उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवाँ – उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवाँ– जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''योनि'' के अंतर्गत वृहतभगोष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण 2– सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छित सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है।

परंतु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की है।

अपवाद 1 – किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

अपवाद 2 – किसी पुरूष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिन कृत्य यदि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।

376 बलात्संग के लिए दण्ड – (1) जो कोई उपधार (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई –

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए –

(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर, या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में, या

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा या,

(ग) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा, या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जैल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृन्त में होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा या

(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा, या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा, या

(झ) किसी स्त्री से, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा, या

(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा, या

(ट) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ठ) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ड) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक उपहति कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा या,

(ढ) उस स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) ''सशस्त्र बल'' से नौसैनिक, सैनिक और वायु सैनिक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का जिसमें ऐसे अर्द्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, का कोई सदस्य भी है।

(ख) ''अस्पताल'' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है।

(ग) ''पुलिस अधिकारी'' का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 (1861 का 5) के अधीन ''पुलिस'' पद से उसका है।

(घ) ''स्त्रियों या बालकों की संस्था'' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो।

376क. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड – जो कोई धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पंहुचती है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

376ख. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन– जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथककरण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में ''मैथुन'' से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।

376ग. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन – जो कोई –

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए, या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए, या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी जैल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए या

(घ) अस्पताल में प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी होते हुए,

ऐसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधक के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करते हुए जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरूपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा में ''मैथुन'' से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण 2 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3 – किसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल, प्रतिप्रेषण–गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकरण या नियंत्रण का प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण 4– ''अस्पताल'' और ''स्त्रियों'' या बालकों की संस्था'' पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उनका है।

376घ. सामूहिक बलात्संग– जहाँ किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय के अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा,

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा।

376ङ पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड – जो कोई धारा 376 या 376 क या धारा 376 घ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये पूर्व में दण्डित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेरित होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

10. धारा 509 का संशोधन– दंड संहिता की धारा 509 में ''वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, ''वह सादा कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा'' शब्द रखे।

अध्याय– 3

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधन :

11. धारा 26 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 कें खंड (क) के परन्तु में ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और धारा 376क से धारा 376घ'' शब्दों अंको और अक्षरों के स्थान पर ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376 धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ'' शब्द अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

12. धारा 54 का क संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 क में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्–

''परन्तु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो, परन्तु यह और यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

13. धारा 154 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएगें अर्थात् –

''परन्तु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरूद्व भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी

महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। परन्तु यह और कि–

(क) यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरूद्व भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी, धारा 164 की उपधारा (5क) के खण्ड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा।

14. धारा 160 का संशोधन– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक में, पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से ''शब्दों के स्थान पर'' जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से'' शब्द रखे जाएंगे।

15. ध ारा 161 का संशोधन– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) में परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएगें अर्थात् –

''परन्तु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन जिसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए

जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

16. धारा 164 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किए जाएगें अर्थात् –

''(5क) (क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरूद्व उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसे अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा।

परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिये या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा,

परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो किसी द्विभाषिया या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी,

(ख) ऐसी किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का1) की धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

17. धारा 173 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के खंड (प) के उपखंड (ज) में ''धारा 376घ'' शब्दों, अंको ओर अक्षरों के स्थान पर ''धारा 376घ या धारा 376ङ'' शब्द अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

18. धारा 197 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

स्पष्टीकरण– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 166ग धारा 354, धारा354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

19. धारा 198 का संशोधन–दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

198ख अपराध का संज्ञान – कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहाँ व्यक्तियों मे वैवाहिक संबधं है, उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरूद्व परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध गठित होता है प्रथमदृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा।

20. धारा 273 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिंक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहाँ न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा।''

21. धारा 309 का संशोधन– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

(1) प्रत्येक जाँच या विचारण, कार्यवाहियों में सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जायेगी, जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्व किए जायेंगे न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थागित करना आवश्यक न समझे।

परन्तु जब जाँच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जाँच या निवारण यथासंभव आरोप–पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

22. धारा 327 का संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में, ''या धारा 376घ'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, धारा 376घ या धारा 376ङ शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

23. नई धारा 357ख और धारा 357ग का अंतःस्थापन – दंड प्रकिया संहिता की धारा 357 क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात् –

''375 ख. प्रतिकर, भारतीय संहिता की धारा 326 क या धारा 376घ के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होना – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 357 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर धारा 326 क या धारा 376घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा।

375ग पीड़ितों का उपचार – सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वरा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध काराऐंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगें।

24. प्रथम अनुसूची का संशोधन– दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में'' (1) भारतीय दंड सहिता के अधीन अपराध'' शीर्ष के अधीन –

(क) धारा 166 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात् –

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013

1	2	3	4	5	6
166 क	लोक सेवक, जो, विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है।	कम से कम छह मास के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
166ख	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

(ख) धारा 326 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6
326 क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

(ग) धारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् –

1	2	3	4	5	6
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना का हो सकेगा	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354क	अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाऐं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने, की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
	लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354 ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	कम से कम तीन वर्ष का कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354 ग	दृश्यरतिकता	प्रथम दोषसिद्दि के लिए कम से कम एक वर्ष का कारावास किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्दि के लिए कम से कम तीन वर्ष का कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354घ	पीछा करना	प्रथम दोषसिद्दि के लिए तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्दि के लिए पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।

(घ) धारा 370 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6
370	व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम सात वर्ष का कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार	कम से कम चौदह वर्ष का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाना।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होना और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना।	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होना और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
370क	ऐसे किसी बच्चे का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम पाँच वर्ष का कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	ऐसे किसी वयस्क का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम तीन वर्ष का कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

(ङ) धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, और 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् –

1	2	3	4	5	6
376	बलात्संग	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा किसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में से किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है न्याय या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग।	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा, तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376क	बलात्संग का आशय करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है।	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	कम से कम दो वर्ष का कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय (किंतु केवल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय	सेशन न्यायालय।

376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	कम से कम पांच वर्ष का कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376घ	सामूहिक बलात्संग	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा,और जुर्माना जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

(च) धारा 509 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (3) में, ''एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना'' शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय– 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन :

25. नई धारा 53 क का अंतःस्थापन – भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872 का1) (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी,

''53क. कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना – भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग,

धारा 376घ, या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए, जहाँ सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिंक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।

26. धारा 114 क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन – साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

114क. बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा – भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (च), खण्ड (छ), खण्ड (च), खण्ड (छ), खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ), खण्ड (ड), या खण्ड (ढ) के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या उस स्त्री, की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

स्पष्टीकरण– इस धारा में ''मैथुन'' से भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा।

27. धारा 119 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन – साक्ष्य अभिनियम की धारा 119 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् –

''119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थन देना – ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या चिह्नों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन लिखित रूप में होना चाहिए ओर खुले न्यायालय में प्रकट संकेत चिह्न तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

परन्तु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने मे असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीड़ियो फिल्म तैयार की जाएगी।

28. धारा 146 का संशोधन– साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ, के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए किसी अभियोजन में, जहाँ सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहाँ पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा।

अध्याय– 5

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का संशोधन :

29. धारा 42 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धाराऐं रखी जाएगी अर्थात् –

42. आनुकल्पिक दंड – जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) की धारा 166क, की धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ या 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां तत्सयम प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूतर है।

42क. अधिनियम की किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना – इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा।''

अध्याय– 6

प्रकीर्ण :

30. निरसन और व्यावृत्ति – (1) दड विधि (संशोधन) अध्यादेश 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और भारतीय दंड संहित अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अधीन की कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियम के तत्स्थायी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

7.2 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की समीक्षा :

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक–2013 पर 3 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ ही देश में महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने का कानून देश भर में लागू हो गया। महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के लिए कड़ी सजाओं के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 को 19 मार्च, 2013 को लोकसभा और 21 मार्च, 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ऐसे किसी कानून की मांग दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में मेडिकल की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के पश्चात् व्यापक तौर पर की गई थी। सरकार ने दिसंबर, 2012 में ही ऐसे कानून में किए जाने वाले प्रावधानों की संस्तुति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत् एक अध्यादेश जारी किया और उसी अध्यादेश को कुछ संशोधनों के साथ कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। आलोच्य कानून के द्वारा लैंगिक अपराधों से जुड़े भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कानूनों में संशोधन किया गया।

इस सदी के सातवें दशक के लगभग यह अनुभव किया जाने लगा कि बलात्कार को लैंगिक अपराध मात्र न मानकर व्यक्ति के विरूद्ध एक आक्रामक अपराध माना जना चाहिए क्योंकि बलात्कार के मामलों में प्रायः यह देखा गया है कि बलात्कारी का आशय केवल लैंगिक संभोग करना न होकर अभ्याक्रामक अधिक होता है। प्रायः ये देखा गया है कि बलात्कारी संभोग की तुष्टि की अपेक्षा कुकृत्य करते समय महिला के शरीर को होने वाली पीड़ा और छटपटाहट को देखकर अधिक सुख अनुभव करता है। बलात्कार के मामले में अभियोजक या परिवादी को मानसिक क्लेश के अलावा शारीरिक चोट या कृत्य के लिए उसकी असहमति सिद्ध करनी पड़ती है। यही कारण है कि अधिकांश बलात्कारी उचित साक्ष्य के अभाव में कानूनी शिकंजे से बच निकलते हैं।

उपर्युक्त साक्ष्य सम्बन्धी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1979 में तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस प्रकरण में न्यायालय ने बलात्कार की शिकार हुई महिला की सहमति और उसके मौन समर्थन में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले में अभियोक्त्री की ओर से सहमति नहीं थी, अतः अभियुक्त बलात्कार का दोष है। इस मामले का सन् 1982 में पुनरीक्षण किये जाने के परिणामस्वरूप सन् 1983 में दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 पारित किया गया।

तत्समय संशोधित दण्ड विधि के अनुसार बलात्कार से संबंधित उपबंधों में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये व साक्ष्य अधिनियम में नई धारा– 114–क जोड़कर

यह प्रावधान किया गया कि बलात्कार के मामले में यह सिद्ध करने का भार कि कृत्य में महिला की सहमति थी, अभियुक्त पर डाला गया। उपर्युक्त दण्ड विधि संशोधन की विधिक जगत में मिली–जुली प्रतिक्रिया हुई तथापि इससे महिलाओं के प्रति हिंसा को नियंत्रित करने में सहायता अवश्यक मिली । इस संशोधन ने महिलाओं के प्रति होने वाले यौन अपराधों से संबंधित अनेक विचारणीय मुद्दों को उजागर किया है जिनमें प्रसारण की पाबन्दी, सहमति हेतु न्यूनतम आयु, सिद्ध का भार, पुलिस या जेल अभिरक्षण में बलात्कार तथा बलात्कार तथा बलात्कार की शिकार हुई महिला का पूर्व लैंगिक इतिहास आदि महत्वपूर्ण हैं।

उक्त संशोधनों के पश्चात् समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में दी गई व्यवस्थाओं, पूर्व में कानून में चिह्नित की गई कमियों आदि को दूर करने के उद्देश्य से एवं दिल्ली में दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार के प्रकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने फरवरी 3, 2013 को एक अध्यादेश पारित कर बलात्कार की परिभाषा का दायरा अधिक विस्तृत किया, जिसे भारतीय संसद द्वारा दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के रूप में अनुमोदित किया गया। यद्यपि इस अधिनियम पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई तथापि इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव देते हुए दिनांक 03 फरवरी, 2018 से ही लागू माना गया है।

जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु :–

1. अपराध कानून संशोधन विधेयक–2012 में यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल असॉल्ट) की जगह पहले से मौजूद दुष्कर्म (रेप) शब्द का प्रयोग किया जाए।
2. आत्मरक्षा कानून में संशोधन कर एसिड हमले को भी शामिल किया जाए।
3. छेड़खानी व दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारी को 5 साल की सजा का प्रावधान किया जाए।
4. एसिड हमले के दोषी को 10 साल की या आजीवन कारावास की सजा हो।

5. अश्लील हरकत पर एक साल की सजा हो।
6. शारीरिक छेड़छाड़ पर 5 साल की सजा।
7. महिला के कपड़े जबरन उतारने पर तीन साल से सात साल की सजा।
8. महिला का पीछा करने वाले को एक से तीन साल की सजा।
9. छेड़खानी करने पर 1 से 7 साल की सजा।
10. मानव तस्करी की सजा 7 से 10 साल।
11. एक से अधिक लड़कियों की तस्करी पर सजा 10 साल से उम्र कैद तक।
12. एक से अधिक नाबालिग की तस्करी पर 14 साल से उम्रकैद तक की सजा।
13. एक से अधिक बार मानव तस्करी में पकड़े जाने पर जीवित रहने तक जेल की सजा।
14. तस्करी कर लाए गए बाल श्रमिक को काम देने वाले नियोक्ता को भी पांच साल की सजा, ऐसे बालिग को नौकरी पर रखने वाले की तीन से पांच वर्ष की सजा।
15. अदालत के संज्ञान लेते ही आरोपी के चुनाव लड़ने पर लोक लगे।
16. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के हलफनामे की कैग से जांच होनी चाहिए।
17. दुष्कर्म के आरोपी को शस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत् सुरक्षा नहीं मिले।
18. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति जरूरी नहीं।
19. दुष्कर्म की परिभाषा में संशोधन कर आप्राकृतिक यौनाचार को भी शामिल किया जाए।
20. दुष्कर्म की सजा सात साल से उम्र कैद की जाए, पीड़िता को मुआवजा मिले।
21. संरक्षण में दुष्कर्म की स्थिति में सजा 10 साल से उम्रकैद तक हो।
22. दुष्कर्म से मौत या मौत की स्थिति तक पहुंचने पर कम से कम 20 वर्ष या जीवनपर्यंत जेल।

23. नाबालिग से दुष्कर्म की स्थिति में 10 साल से उम्र कैद तक की सजा।
24. सामूहिक दुष्कर्म की नई धारा बनाकर 20 साल से जीवनपर्यंत कैद की सजा और मुआवजा।
24. सामूहिक दुष्कर्म से मौत या मौत की स्थिति में पहुंचने पर जीवनपर्यंत कैद की सजा।
25. दोबारा दुष्कर्म के आरोपी को जीवनपर्यंत जेल की सजा।
26. सुरक्षा का दायित्व निभाने में नाकामी की वजह से दुष्कर्म की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी को सात से 10 साल की सजा।
27. यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई महिला जज ही करे।
28. संघर्षरत क्षेत्रों में महिला यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त हो।
29. हर जिलाधिकारी को अपने इलाके में लापता बच्चों की गणना करनी चाहिए।

हालांकि जस्टिस वर्मा पैनल की कई सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ सिफारिशों को नज़रअंदाज भी किया गया है।

7.3 अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 से विभिन्न विधियों के स्वरूप में हुए प्रमुख परिवर्तन :

इस अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, साक्ष्य अधिनियम 1872 तथा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है –

(1) ऐसिड फेंककर किये गये हमले से कारित गंभीर उपहति अथवा उसके प्रयास के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326–क एवं 326–ख में प्रावधान लागू किये गये।

(2) लैंगिक संत्रास को अपराध के रूप में परिभाषित करते हुए इस हेतु भी धारा 354–क में दण्ड का प्रावधान किया गया है।

(3) किसी स्त्री के कपड़े उतारना या उसे नग्न होने के लिए बाध्य करने को अपराध में सम्मिलित किया गया है जिसके लिए न्यूनतम तीन वर्ष व अधिकतम सात वर्ष तक के जुर्माने सहित या रहित, कारावास के दण्ड का प्रावधान धारा– 354–ख में किया गया है।

(4) किसी महिला को 'प्रायवेट कृत्य' करते हुए देखने अथवा पकड़ने को भी अपराध माना गया है, जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354–ग में न्यूनतम कारावास तीन वर्ष जो सात वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

(5) किसी महिला को ऑन–लाइन संबंध स्थापित करने के लिए या वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने या ई–मेल से वार्तालाप के लिए बाध्य करना (**Stalking**) को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया एवं इसके लिए न्यूनतम एक वर्ष के कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, का प्रावधान धारा 354–घ में किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसा कोई कृत्य किसी अपराध का पता लगाने के लिए किया जाए तो उसे दण्डनीय नहीं माना जावेगा।

(6) बलात्कार की परिभाषा को विस्तारित स्वरूप प्रदान करते हुए इसके लिए दण्ड की मात्रा में वृद्धि की गई है।

(7) यदि बलात्कार के दौरान पीड़िता को कोई ऐसी गम्भीर उपहति कारित की जाती है जिसके कारण वह हमेशा के लिऐ सुषुप्त या निर्जीव अवस्था में हो जाय तो उस स्थिति में बलात्कारी को मृत्यु दण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(8) बलात्कार के अपराध को दोहराना या पुनरावृत्ति करना, ऐसा गंभीर अपराध होगा जिसके लिए आजीवन कारावास (जो कि अभियुक्त के प्राकृतिक जीवन तक होगा) दिया जा सकेगा।

(9) सामूहिक बलात्कार के दोषी अभियुक्तों को न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास का दण्ड जो आजीवन कारावस तक हो सकेगा एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान नवीन संशोधन के द्वारा किया गया है।

(10) भारतीय दण्ड विधान की धारा 354 के अधीन स्त्री की लज्जा भंग करने तथा धारा 509 के अधीन स्त्री के अपमान से संबंधित अपराध के लिए दण्ड में वृद्धि की गई है।

इस संशोधन के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54–क, 154,160, 161, 164,198–ख, 273, 309 एवं 327 को संशोधित किया गया है जिससे कि विधिक प्रावधान महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण और संवेदनशील हों तथा बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों तथा बलात्कार के मामलों का निराकरण शीघ्रतापूर्वक किया जा सके।

महिलाओं की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्‌देश्य से साक्ष्य विधि में दो नई धाराएँ 53 क तथा 114क जोड़ी गई हैं, साथ ही धारा– 119 एवं 146 में संशोधन कर प्रभावी बनाया गया है।

श्याम नारायण बनाम दिल्ली, ए.आई.आर. 2013 सु.को. 2209 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बलात्कार एक ऐसा विकट, भयावह तथा नृशंस अपराध है जिससे महिला की गरिमा विखण्डित होती है और उसकी शारीरिक पवित्रता ध्वस्त हो जाती है जिसका अफसोस उसे आजन्म बना रहता है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा आठ वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार कर उसे बुरी तरह से धमकाया था कि वह उक्त कृत्य को किसी के समक्ष प्रकट न करे, इस कारण पीड़ित अबोध बालिका ने बलात्कार की सच्चाई न

बताते हुए शौचालय में गिर जाने से स्वयं का घायल हो जाना बताया तथापि मेडिकल परीक्षण से अभियुक्त के द्वारा बलात्कार का अपराध साबित हुआ और उसे विचारण न्यायाल एवं उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास से दण्डित किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे मामले में उदारता बरती जाने को घोर अन्याय मानते हुए अभियुक्त की अपील को निरस्त कर दिया।

इसी प्रकार मोहम्मद इकबाल बनाम झारखण्ड, ए.आई.आर. 2013 सु.को. 3077 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि बलात्कार की शिकार हुई महिला की एकल साक्ष्य, जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से नहीं हुई हो, लेकिन जो पूर्णतः विश्वसनीय हो, के आधार पर अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है क्योंकि बलात्कार एकान्त में किया जाने वाला यौन अपराध ही नहीं है, वरन् इससे पीड़िता को जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पीड़ा कारित होती है वह आजीवन बनी रहती है।

नरेन्द्र कुमार बनाम दिल्ली राज्य ए.आई.आर. 2012 सु.को. 2281 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी महिला के चरित्रहीन तथा सम्भोग की आदी होने पर भी कानून किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह चाहे जब उससे बलात्संग करे। अतः अभियुक्त के लिए पीड़िता का चरित्रहीन होना एक बचाव के रूप में मान्य नहीं किया जाना चाहिए।

(अ) भारतीय दण्ड संहिता के स्वरूप में हुए परिवर्तन :

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा बलात्कार पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता में धारा–166 के पश्चात् धारा– 166क एवं 166ख के रूप में दो नये प्रावधान अन्तःस्थापित किये गये हैं, जिनके अनुसार जो लोक सेवक विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है, उसके ऐसे कृत्य को आपराधिक कृत्य मानते हुए कम से कम छः माह के कारावास जो दो वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा– 166ख के तहत पीड़ित महिला का किसी

अस्पताल द्वारा उपचार न किये जाने पर उसके जिम्मेदार व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान जोड़ा गया है। उक्त दोनों प्रावधान यद्यपि किसी महिला के साथ आपराधिक कृत्य घटित होने के पश्चात् की अवस्थाओं के लिए हैं, किन्तु पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 326 में जहाँ पूर्व में सिर्फ खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के संबंध में दण्ड की व्यवस्था की गई थी, वहीं नवीन संशोधन के माध्यम से इसके पश्चात् धारा– 326क एवं 326ख अन्तःस्थापित कर एसिड आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करना एवं स्वेच्छया एसिड फेंकना या ऐसा प्रयत्न करने के लिए भी कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है, जो एसिड अटेक के मामलों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यद्यपि वर्ष 2012 से 2016 तक एसिड हमले के रजिस्टर्ड प्रकरणों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है, किन्तु इन आंकड़ों से संशोधन अधिनियम के उक्त प्रावधानों को प्रभावहीन नहीं माना जा सकता। इसके लिए आवश्यकता है, विधिक ज्ञान को बढ़ावा देने की कारण कि बहुधा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग विधिक ज्ञान नहीं रखते हैं और उनके द्वारा आपराधिक कृत्य के पूर्व उसकी गंभीरता के संबंध में विचार नहीं किया जाता। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को विधिक ज्ञान होना महत्वपूर्ण तथ्य है।

इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 354 के तहत स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग के संबंध में दो वर्ष के कारावास, या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था व उक्त अपराध को जमानतीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, वहीं उक्त संशोधन के पश्चात् उक्त अपराध के लिए एक वर्ष से पाँच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, साथ ही इसे अजमानतीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही उक्त धारा के पश्चात् धारा– 354 क, 354 ख, 354 ग एवं 354 घ अन्तःस्थापित कर प्रावधान किये गये हैं कि –

लैंगिक संत्रास जिसके अन्तर्गत अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएँ अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न को अपराध के रूप में परिभाषित करते हुए इस हेतु भी धारा 354–क में दण्ड का प्रावधान किया गया है।

किसी स्त्री के कपड़े उतारना या उसे नग्न होने के लिए बाध्य करने को अपराध में सम्मिलित किया गया है जिसके लिए न्यूनतम तीन वर्ष व अधिकतम सात वर्ष तक के जुर्माने सहित या रहित, कारावास के दण्ड का प्रावधान धारा– 354–ख में किया गया है।

किसी महिला को 'प्रायवेट कृत्य' करते हुए देखने अथवा पकड़ने को भी अपराध माना गया है, जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354–ग में न्यूनतम कारावास एक वर्ष जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, वहीं अपराध की पुनरावृत्ति की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष का कारावास जो सात वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

किसी महिला को ऑन–लाइन संबंध स्थापित करने के लिए या वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने या ई–मेल से वार्तालाप के लिए बाध्य करना (**Stalking**), उसका पीछा करना को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया एवं इसके लिए न्यूनतम एक वर्ष के कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा एवं अपराध की पुनरावृत्ति की स्थिति में पाँच वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान धारा 354–घ में किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसा कोई कृत्य किसी अपराध का पता लगाने के लिए किया जाए तो उसे दण्डनीय नहीं माना जावेगा।

उक्त प्रावधानों का समावेशन निश्चित तौर पर बलात्कार संबंधी अपराधों को रोकने की दिशा में एक प्रभावी कदम है, कारण कि धारा– 354 में किये गए उक्त सभी संशोधन बलात्कार की घटना से पूर्ववर्ती कृत्यों से संबंध रखते हैं और यदि पूर्ववर्ती प्रक्रम पर ही किसी अपराधी को रोक दिया जावे अथवा उसके ऐसे पूर्ववर्ती कृत्यों के लिए दण्डित कर दिया जावे तो ऐसे अपराधियों का मनोबल टूटकर बलात्कार संबंधी अपराधों में कमी लाई जा सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा–370 पूर्व में मात्र दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदने एवं उसके व्ययन संबंधी प्रावधान करती थी, उसके प्रावधानों को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के दुर्व्यापार एवं अवयस्कों के दुर्व्यापार को भी सम्मिलित करते हुए पूर्व के सात वर्ष के कारावास के स्थान पर सात वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने के दण्ड की व्यवस्था की गई है । साथ ही लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा अवयस्क के दुर्व्यापार में संलिप्त होने की स्थिति में उनके लिए आजीवन कारावास (संपूर्ण जीवनकाल के लिए) और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ धारा–370 क में दुर्व्यापार किये गये बच्चे के शोषण के लिए पाँच वर्ष से सात वर्ष तक के कारावास का एवं दुर्व्यापार किये गये वयस्क के शोषण के लिए तीन वर्ष से पाँच वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये नवीन प्रावधान मानव दुर्व्यापार विशेषकर महिलाओं के दुर्व्यापार एवं ऐसे दुर्व्यापार के परिणामस्वरूप उन्हें खरीदी गई भोग की वस्तु मानकर आपराधिक कृत्य करने वालों पर लगाम लगाने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। कठोर दण्ड के प्रावधान होने एवं ऐसे अपराध अजमानतीय होने से इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रावधान अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

धारा– 376 जो कि विशिष्ट रूप से बलात्संग के अपराध से संबंध रखती है, में भी उपरोक्त संशोधन के द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। धारा– 376 में

पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा किसी जेल, प्रतिप्रेषण–गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों व बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारीवृंद में से किसी व्यक्ति द्वारा या पीड़िता के न्याय या प्राधिकारी की हैसीयत में किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसके किसी निकट के नातेदान द्वारा बलात्संग का अपराध कारित किये जाने को गंभीर अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए कम से कम दस वर्ष के कारावास जो आजीवन कारावास (संपूर्ण जीवनकाल के लिए) तक हो सकेगा और जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान बलात्संग पीड़ित महिलाओं के प्रति न्याय के साथ–साथ निर्भिक रूप से विधिक उपचार प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

धारा–376 क में बलात्संग का आशय करने और पीड़िता को ऐसी क्षति पहुँचाने जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए अथवा उसकी दशा हमेशा के लिए विकृतशील हो जावे, के अपराध के लिए कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास जो आजीवन (उसके शेष प्राकृत जीवनकाल तक) कारावास तक हो सकेगा या मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधित प्रावधान है कारण कि पूर्व के कई मामलों में ऐसा देखने में आया था कि अपराधी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग करने के आशय से अथवा बलात्संग के पश्चात् अपनी पहचान को छिपाने के आशय से पीड़िता को ऐसी क्षति पहुँचा दी गई जिससे कि पीड़िता की मृत्यु कारित हो गई अथवा वह सदा के लिए विकृत हो गई। इस प्रकार के अपराध अपराधी द्वारा अत्यधिक क्रूर मानसिक अवस्था में किये जाते हैं। अरूणा शानबाग का महत्वपूर्ण मामला एवं हाल के वर्षों में संपूर्ण देशभर में कई अवयस्क पीड़िताओं के साथ घटित इस प्रकार के आपराधिक मामले इसके उदाहरण हैं जिनमें अपराधी द्वारा अवयस्क बच्चियों के साथ बलात्संग कारित कर उन्हें ऐसी क्षति कारित कर दी गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

पूर्व में धारा– 376क में जो प्रावधान था उसे धारा– 376ख में करते हुए पति द्वारा पार्थक्य की अवधि में अपनी पत्नि के साथ मैथुन करने व पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर कम से कम दो वर्ष से सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अपने प्राधिकार में रह रही किसी स्त्री के साथ मैथुन की दशा में धारा– 376 ग में न्यूनतम पाँच वर्ष के कठोर कारावास जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो प्राधिकार के अधीन रहने वाली स्त्रियों को यथोचित सामाजिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एक ही प्रकृति के अपराधियों द्वारा सामान्य आशय से किये जाने वाले सामूहिक बलात्संग के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु धारा–376 घ में ऐसे अपराध के लिए कम से कम बीस वर्ष के कठोर कारावास जो उस अपराधी के शेष प्राकृत जीवनकाल तक हो सकेगा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है; साथ ही ऐसा जुर्माना पीड़िता को संदाय किये जाने का भी प्रावधान किया गया है जिससे कि पीड़ित को कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके कारण कि ऐसी पीड़ित महिलाओं को उनके साथ अपराध घटित हो जाने की स्थिति समाज में भी पूर्व की दृष्टि से नहीं देखा जाता न ही उन्हें समाज में यथोचित सम्मान मिल पाता है।

उपरोक्त प्रावधानों के साथ ही धारा– 376 ङ के रूप में अपराधों की पुनरावृत्ति करने की दशा में शेष संपूर्ण जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि आपराधिक मनोवृत्ति के अपराधियों द्वारा समान अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

इसी प्रकार भारतीय दण्ड विधान की धारा–509 जो कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से कोई शब्द कहने, टिप्पणी करने या अंगविक्षेप करने से संबद्ध है,

में पूर्व के एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने के प्रावधान के स्थान पर तीन वर्ष के सादा कारावास और जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इस आपराधिक कृत्य जो कि बलात्कार के अपराध की पूर्ववर्ती क्रिया के रूप में देखा जा सकता है, के संबंध में भी पूर्व की अपेक्षा कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

(ब) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्वरूप में हुए परिवर्तन :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा– 53क के अधीन कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होने संबंधी प्रावधान किया गया है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए, जहाँ पीड़िता की सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहाँ पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिंक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरेन्द्र कुमार बनाम दिल्ली राज्य ए.आई. आर. 2012 सु.को. 2281 के मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि किसी महिला के चरित्रहीन तथा सम्भोग की आदी होने पर भी कानून किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह चाहे जब उससे बलात्संग करे। अतः अभियुक्त के लिए पीड़िता का चरित्रहीन होना एक बचाव के रूप में मान्य नहीं किया जाना चाहिए। उक्त मामले एवं ऐसे ही मामलों जिनमें कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के बुरे शील अथवा उसके चरित्रहीन होने या पूर्व से लैंगिक संबंधों का अनुभव होने का बचाव लिया जाता था, से ही उक्त प्रावधान प्रवर्तित हुआ है जो इस प्रकार की स्त्रियों के प्रति अपराध करने की अपराधियों की सहज मानसिकता पर अंकुश लगाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है।

संशोधित दण्ड विधि के अनुसार साक्ष्य अधिनियम में नई धारा– 114क जोड़ी गई है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि बलात्कार के मामले में यह सिद्ध करने का भार किकृत्य में महिला की सहमति थी अभियुक्त पर होगा। भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (च), खण्ड (छ), खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ), खण्ड (ड), या खण्ड (ढ) के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में, जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित स्त्री की सम्मति के बिना किया गया और ऐसी पीड़ित स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। यद्यपि कुछ विधिवेत्ताओं का यह मानना है कि इस एकतरफा प्रावधान के कारण दुराचारिणी महिलाओं को पुरूषों के शोषण और उन्हें ब्लेकमेल करने का अवसर मिलेगा क्योंकि पुरूष के लिए यह सिद्ध करना कठिन है कि उसके द्वारा किये गये कृत्य में महिला की सहमति थी अथवा नहीं तथापि उक्त प्रावधान को सम्मिलित किया गया है और यह काफी हद तक उचित भी है कारण कि पुरूषों को अकारण फँसाने और वह भी ऐसे मामले में जहाँ स्वयं स्त्री के शील पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा हो सकता हो ऐसे दुष्प्रवृत्ति भारत में कदाचित् ही पाई जाती है। इस प्रकार यह प्रावधान भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अपराधी के सम्मति के बचाव को लगभग खण्डित करता है, जिससे बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की ओर प्रवृत्त होने से बचाव होगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा– 119 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन कर ऐसे साक्षी जो बोलने में असमर्थ हैं, की साक्ष्य लेने की प्रक्रिया को सहज बनाया गया है और बोलने के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से जिससे वह उसे बोधगम्य बना सके, उस रीति से दिये गए साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य की परिधि में रखा गया है। साथ ही न्यायालय द्वारा कथन अभिलिखित करने में द्विभाषिये या विशेष प्रबोधक की

सहायता लिये जाने संबंधी प्रावधान भी किया गया है जो अपराधियों को दण्डित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कारण कि यह साक्ष्य की प्रक्रिया को व्यापक एवं सुगम बनाता है।

इसी प्रकार धारा 146 में परन्तुक के स्थान पर नवीन परन्तुक प्रतिस्थापित कर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ, के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए किसी अभियोजन में, जहाँ सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहाँ पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं बनाया गया है। अर्थात् किसी स्त्री के पूर्व के चरित्र अथवा आचरण या लैंगिक अनुभव को आधार बनाकर अभियुक्त अपना बचाव नहीं कर सकता । अन्य शब्दों में भले ही स्त्री का पूर्व का चरित्र या आचरण दूषित रहा हो अथवा उसे पूर्व का लैंगिक अनुभव रहा हो, तो भी ये किसी भी पुरूष को उसके साथ बलात्संग करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऐसे किसी तथ्य पर अभियुक्त अपना बचाव आधारित नहीं कर सकता।

(स) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के स्वरूप में हुए परिवर्तन :

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन करते हुए धारा– 42 एवं 42 क को रखा गया है। धारा– 42 में जहाँ किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) की धारा 166क, की धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 376ङ या 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा,

जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरूतर है अर्थात् बालकों के प्रति किये गये लैंगिक अपराधों के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता अथवा इस अधिनियम के अधीन जो दण्ड वृहत्तर होगा, उससे अभियुक्त को दण्डित किये जाने संबंधी प्रावधान किया गया है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों को पूर्व की अपेक्षा अधिक कठोर बनाता है।

इसी प्रकार इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा अर्थात् इस अधिनियम के प्रावधानों को अन्य किसी भी विधिक प्रावधान के द्वारा न्यून नहीं किया जा सकेगा एवं अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों से असंगति की दशा में इस अधिनियम के प्रावधान ही प्रभावकारी होंगे। यह प्रावधान भी इस अधिनियम के प्रावधानों को पूर्व की अपेक्षा कठोर बनाता है जो कि बालकों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अध्याय-अष्ठम्

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार विधि के संदर्भ में दिये गये न्यायिक निर्णयों की समीक्षा

अष्ठम् अध्याय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार विधि के संदर्भ में दिये गये न्यायिक निर्णयों की समीक्षा

विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान[1] इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जारी किये है जो कि निम्नलिखित हैं –

(1) जहाँ कामकाजी महिलाएँ कार्यरत हों, वहाँ के नियोजकों एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें, उन्हें रोकने के उपाय करें तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन चलाने की कार्यवाही करें।

(2) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायें तथा यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों से जनसाधारण को अवगत कराया जाये।

(3) यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़ित महिला एवं मामले में साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को तंग या परेशान न किया जाये।

(4) यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

(5) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी परिवादों (शिकायतों) की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाए।

(6) ऐसी समितियों का अध्यक्ष महिलाओं को बनाया जावे।

(7) यौन उत्पीड़न निवारण विषयक साहित्य तैयार किया जाये तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।

(8) किसी कामकाजी महिला के साथ बाहरी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न किये जाने पर ऐसी महिला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाये।

(9) केन्द्र एवं राज्य सरकारें कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित कानून बनाये।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा शब्द ''यौन–उत्पीड़न'' को परिभाषित भी किया गया है। यौन–उत्पीड़न में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है –

(क) शारीरिक सम्पर्क करना अथवा ऐसे सम्पर्क का प्रयास करना;

(ख) यौन सम्पर्क का प्रस्ताव अथवा अनुरोध करना;

(ग) अश्लील टिप्पणियाँ अथवा संकेत करना;

(घ) कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना;

(ङ) अन्य अशोभनीय अथवा अश्लील आचरण करना।

'वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद बनाम ए.के. चौपड़ा[2] कामकाजी महिलाओं के यौन–उत्पीड़न से जुड़ा यह एक और महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में अभियुक्त ए.के. चौपड़ा, कौंसिल के अध्यक्ष का निजी सचिव था। उस पर यह आरोप था कि उसने दिनांक 12.08.1888 को कौंसिल की एक महिला कर्मचारी की लज्जा भंग करने का प्रयास किया था। वह महिला कर्मचारी कौंसिल में क्लर्क कम टाईपिस्ट के पद पर कार्यरत थी, लेकिन वह डिक्टेशन लेने में सक्षम नहीं थी। घटना के दिन ए.के. चौपड़ा ने उस महिला कर्मचारी को कौंसिल के अध्यक्ष से डिक्टेशन लेने और टाईप करने हेतु ताज पैलेस होटल के व्यापार केन्द्र में आने को कहा। वह महिला कर्मचारी ताज पैलेस होटल पहुँची और वहाँ पर एक कमरे

में निदेशक की प्रतिक्षा करने लगी। ए.के. चौपड़ा भी तत्समय वहाँ उपस्थित था। उसने निरन्तर उस महिला कर्मचारी से शारीरिक सम्पर्क करने का प्रयास किया। वह बार–बार उसके पास बैठने का प्रयास करता रहा। जब उस महिला कर्मचारी ने निदेशक से डिक्टेशन ले लिया तब ए.के. चौपड़ा ने उस डिक्टेशन को टाईप करने के लिए महिला कर्मचारी को ताज पैलेस होटल के तलघर में जाने को कहा। वह महिला कर्मचारी तलघर में पहुँची जहाँ उसने डिक्टेशन को टाईप किया। इस दौरान भी ए.के. चौपड़ा ने निरन्तर उस महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक हरकतें की। ए.के. चौपड़ा द्वारा उस कर्मचारी के साथ लिफ्ट में भी आपत्तिजनक कृत्य किये जाने की चेष्टा की गई, लेकिन उस महिला कर्मचारी के विरोध के कारण वह सफल नहीं हो सका। जब ए.के. चौपड़ा उस महिला कर्मचारी की लज्जा भंग करने पर उतारू हो गया तो उस महिला कर्मचारी को मजबूरन उसके विरूद्ध कौंसिल के सक्षम अधिकारी को शिकायत करनी पड़ी। इस शिकायत पर ए.के. चौपड़ा को दिनांक 18.08.1888 को निलम्बित कर उसे आरोप–पत्र दिया गया। उसके विरूद्ध जाँच चली और अन्ततः जाँच में ए.के. चौपड़ा को उस पर आरोपित आरोपों का दोषी पाये जाने पर दिनांक 28.06.1989 को सेवा से पृथक कर दिया गया।

ए.के. चौपड़ा ने सेवामुक्ति के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें उसे सफलता मिली। इस पर कौंसिल द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी गई। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने यह पाया कि ए.के. चौपड़ा द्वारा उस महिला कर्मचारी से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न मात्र किया गया, लेकिन इन दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए थे। जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए तो ऐसी परिस्थिति में ए.के. चौपड़ा को सेवा से मुक्त किया जाना उचित नहीं था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इसे लज्जा भंग का मामला नहीं माना फिर भी यह तो पाया कि वह महिला कर्मचारी ए.के. चौपड़ा की एक अधीनस्थ कर्मचारी थी। वह महिला कर्मचारी डिक्टेशन लेने में समर्थ नहीं थी फिर भी ए.के. चौपड़ा ने

उसे डिक्टेशन लेने के लिए विवश किया गया और ताज पैलेस होटल में बुलाया गया। उस महिला कर्मचारी द्वारा बार–बार विरोध किये जाने के बावजूद भी ए.के. चौपड़ा ने उस महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया। ए.के. चौपड़ा ने दुर्भावनापूर्वक आशय से बार–बार उस महिला कर्मचारी के पास बैठने का एवं निकट आने का प्रयास किया। ए.के. चौपड़ा अपनी इन हरकतों को बार–बार दोहराता रहा। इन सभी हरकतों से उस महिला कर्मचारी को क्षोभ कारिता हुआ तथा उस कार्यालय का वातावरण दूषित हुआ। पर इन सबके बावजूद भी चूंकि ए.के. चौपड़ा और उस महिला कर्मचारी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो पाया था इसलिए ए.के. चौपड़ा को सेवा से मुक्त कर दिया जाना उचित नहीं था।

उच्चतम न्यायालय ने इन सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार किया। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने द्वारा विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिये गये पूर्वोक्त निर्णय का अवलोकन किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना संविधान के भाग तीन में उन्हें प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। हमारा संविधान लैंगिक समता की व्यवस्था देता है। पुरूष एवं स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है, मात्र लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। अनुच्छेद 21 में पुरूष एवं महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस सबके बावजूद भी यदि कोई पुरूष कर्मी कामकाजी महिला के साथ यौन उत्पीड़न कारित करने का प्रयास करता है तो निश्चित ही यह महिला के सम्मान व गरिमा के विरूद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि एक उच्च अधिकारी से अच्छे आचरण व व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह कामकाजी महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करे। इस प्रकरण में ए.के. चौपड़ा द्वारा उस महिला कर्मचारी के साथ जो कुछ भी किया गया वह क्षम्य नहीं है।

ए.के. चौपड़ा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष शर्तरहित क्षमा याचना की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि यदि ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है तो इससे कामकाजी महिलाओं का मनोबल गिरेगा। अन्ततः उच्चतम न्यायालय ने कौंसिल के ए.के. चौपड़ा की सेवामुक्ति के निर्णय को सही ठहराते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया।

लिलु उर्फ राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य[3] के वाद में उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने किसी बलात्कार पीड़िता की उसके साथ किए गए बलात्संग की पुष्टि के लिए की जाने वाली चिकित्सीय जाँच की तत्समय प्रचलित अंगुली परीक्षण प्रणाली को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत होना निर्णित किया है और न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निम्नलिखित कथनों का भी समावेश किया गया।

1. बलात्संग पीड़िता के प्रति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य होने के अलावा किसी महिला के एकान्तता और पवित्रता के अधिकार पर एक अवैध आक्रमण है। यह उसके सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर प्रहार है और उसकी भावनाओं तथा सम्मान के प्रति भी एक अपराध है। यह पीड़िता को निम्न तथा दयनीय बना देता है और जहाँ कि पीड़िता एक निःसहाय निर्दोष बालिका अथवा एक नाबालिग है, यह उसके लिए एक भयानक अनुभव छोड़ जाता है।

   एक बलात्कारी न केवल उसे शारीरिक उपहति कारित करता है, बल्कि किसी महिला के सार्वधिक पवित्र स्थिति अर्थात् उसके गरिमा, सम्मान, कीर्ति और पवित्रता पर भी एक दाग छोड़ जाता है। बलात्संग न केवल किसी महिला के विरूद्ध अपराध है, बल्कि वास्तव में यह पूरे समाज के प्रति अपराध है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत पवित्र मूल अधिकार का उल्लंघन भी है।

2. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 अपराध और शक्तियों के दुरूपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के आधारभूत सिद्धांतों के संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985 के विचार में बलात्कार पीड़िता विधिक सहायता को प्राप्त करने की हकदार है।

   वे ऐसी तरीके से चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने की भी हकदार है जो सहमति देने के उनके अधिकार का सम्मान करता है। चिकित्सीय परीक्षण ऐसे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए जो क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार को गठित करता है।

   सरकार यौन हिंसा से पीड़िता को ऐसी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है कि उनकी सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध करे और उनकी निजता में अवैध अथवा मनमानापूर्ण हस्तक्षेप नहीं हो।

3. अंगुली परीक्षण और उसका निर्वाचन बलात्कार पीड़िता की निजता, शारीरिक और मानसिक अखण्डता तथा सम्मान का उल्लंघन करता हैं। इसलिए यह परीक्षण भले ही रिपोर्ट सकारात्मक हो, स्वतः ही, सहमति की उपधारणा को जन्म नहीं देगा।

   दो अंगुली परीक्षण के तथ्य की स्वीकृति और हीमेन रेप्चर कोई स्पष्ट प्रदर्शन नहीं करता है कि अभियोक्त्री स्वाभाविकतः संभोग की आदी है।

   चिकित्सक को अपनी राय देना होगी कि क्या हीमेन पहले से ही रेप्चर्ड था या नहीं। अंगुली परीक्षण की स्वीकृति का तथ्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अंगुली के आकार पर भी निर्भर करेगा।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 और 54 के विचार में जब तक अभियोक्त्री का चरित्र स्वयं ही विवाद्यक प्रश्न नहीं है, उसका चरित्र विचार में लिए जाने के लिए बिल्कुल ही एक सुसंगत कारक नहीं है।

5. बलात्कार के अपराध की शिकायत करने वाली कोई अभियोक्त्री सह–अपराधी नहीं होती है। कोई ऐसी सामान्य विधि नहीं है कि उसके बयान पर कार्यवाही तात्विक विशिष्टयों पर सम्पुष्टि के बिना नहीं की जा सकती है।

पीड़िता घायल साक्षी की अपेक्षा एक अत्यधिक उच्च पायदान पर होती है, क्योंकि घायल व्यक्ति को केवल शारीरिक क्षति होती है, किंतु पीड़िता को मानसिक और भावनात्मक उपहति भी पहुँचाती है। भले ही बलात्कार पीड़िता पहले से ही सम्भोग की आदी हो, यह निर्णायक प्रश्न नहीं है, इसके विपरीत, प्रश्न हमेशा शेष रहेगा कि क्या अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ शिकायत के समय बलात्संग किया था ? यह अभियुक्त ही है जिसका विचारण हो रहा है न कि पीड़िता का।

भले ही कुछ मामलों में पीड़िता संभोग की आदी हो, फिर भी पीड़िता के इजी वर्च्यूज की एक महिला या नैतिक रूप से चरित्रहीन महिला होने संबंधी उपधारणा नहीं की जा सकती है। ऐसी महिला भी अपनी गरीमा की रक्षा का अधिकार रखती है और मात्र इसी कारण से उसके बयान पर अविश्वास व्यक्त नही किया जा सकता है।

डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस व अन्य बनाम सामूथिराम[4] के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिला यौन उत्पीड़न रोकने हेतु केन्द्र, राज्य व संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिये। कोर्ट ने कहा कि राज्य व संघ शासित प्रदेश अपने यहाँ महिला हेल्प लाइन (शिकायत तंत्र) खोलें ताकि तीन महीनें में इस गंभीर समस्या का समाधान हो सके।

- राज्य व संघ शासित प्रदेश की सरकारें अपने प्रदेशों के जिलाधिकारी और सुपरिंटेन्डेंट ऑफ पुलिस सहित सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश देगी कि वे महिला यौन उत्पीड़न को रोकने की दिशा में उचित उपाय करे व महिला यौन उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करें।

- सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर सादी वर्दी में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करे ताकि ई–टिंसिग की घटनाओं को देख कर उन्हें रोका जा सके।

- सार्वजनिक व भीड़ जहाँ यौन उत्पीड़न की संभावना ज्यादा रहती हैं वहाँ सी.सी.टी.वी. लगाये जाये।

- सभी जन स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाल, पूजा स्थल आदि पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न न किया जाये, चेतावनी वाले बोर्ड लगाये जाये।

- किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होते समय आस–पास के लोगों का भी यह दायित्व है कि ऐसी घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या महिला हेल्प लाईन को दे ताकि पीड़िता को ऐसे अपराध से बचाया जा सके।

- महिला यौन उत्पीड़न की घटना किसी सार्वजनिक वाहन में हो रही हो तो उस वाहन चालक, सहयात्रियों का यह कर्त्तव्य है कि वो उस वाहन, या अन्य किसी वाहन में ऐसी घटना होती देखे तो नजदीकी थाने ले जाये या पुलिस को सूचित करे।

इन महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए राज्य व केन्द्र सरकारों को उचित कार्यवाही करने को कहा गया है जो अपने आप में नयी जागृति का सूचक है।

बुद्धदेव कर्मकार बनाम बंगाल राज्य[5] के अपने इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य व संघ शासित सरकारों को महिला सैक्स वर्कर्स के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिये। न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार एक

पैनल बनाये जो कि इन महिला (सैक्स वर्कर्स) के पुनर्वास के लिए कार्य कर सके। केन्द्र सरकार 10 लाख रू. राज्य सरकारें 5 लाख रू. व संघ शासित सरकारें 2 लाख रू. इस नियुक्त पैनल को प्रदान करें। प्रत्येक राज्य सरकार अपनी एजेन्सियों के माध्यम से एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से एवं पैनल द्वारा अनुशासित दिशा–निर्देश द्वारा यह सुनिश्चित करें कि कितनी महिला सैक्स वर्कर इस घृणित कार्य को छोड़कर पुनर्वास चाहती है तथा उनमें से कितनी स्वेच्छा से इसी कार्य में लगे रहना चाहती है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये कि सभी राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी महिलाओं को लिए एक हेल्प लाइन नं. को सभी एन.जी.ओ. और राज्य के विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराये ताकि जो महिला सैक्स वर्कर इस व्यवसाय को छोड़ना चाहती है वो इस हेल्प लाइन के माध्य से निःशुल्क विधिक सेवा सरकार से माँग सके। कोर्ट ने कहा इस प्रकार कि महिलाओं के पुनर्वास के साथ–साथ इन्हें तकनीकी शिक्षा भी दी जाये ताकि इस शिक्षा के द्वारा वो अपनी आजीविका कमा सके उन्हें अपना शारीरिक शोषण न करवाना पड़े।

न्यायालय ने केन्द्र सरकार की **Ujwala** (उज्जवला) योजना के विषय में भी निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के तहत केन्द्र सरकार के पास देह व्यापार में लगी महिला को बचाने की योजना है, लेकिन देह व्यवसाय में लगी उन महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है जो स्वेच्छा से इसे छोड़ना चाहती हैं सरकार को ऐसी महिलाओं के लिए भी योजना बनानी चाहिए तथा केन्द्र सरकार की यह योजना एक शर्त आरोपित करती है कि देह व्यवसाय छोड़ने वाली महिला तकनीकी ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें पुनर्वास केन्द्र में ही रहना होगा।

कोर्ट के अनुसार, ऐसी शर्ते नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी देह व्यापार में लगी महिलायें इस शर्त से असंतुष्ट है और वे इसे जैल की भाँति ही समझती है।

न्यायालय ने कहा कि जो महिलायें स्वेच्छा से इस व्यवसाय को छोड़ना चाहती है उन्हें समाज में खुले वातावरण में रहते हुए सरकार द्वारा हर संभव सहायता देनी चाहिये।

मो. इकबाल व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य[6] के वाद में न्यायालय ने व्यक्त किया कि किसी भी तरह का यौन अपराध को सिर्फ अपराध ही नहीं माना जाये बल्कि इसके पीछे बलात्कारी की एक महिला के प्रति आक्रोश की यह भावना भी व्याप्त रहती है, कि रेप या यौन उत्पीड़न करते समय वह पुरूष उसे किस प्रकार उत्पीड़ित कर सकता है। रैप के ज्यादातर केस अचानक नहीं होते बल्कि सोची समझी साजिश होती है। सामान्य तौर पर देखा जाये तो एक रेप पीड़िता को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक संवेदनाओं की आवश्यकता होती है।

शारीरिक रूप से वो अपने को समाज में सुरक्षित मानसिक तौर पर उसे अपने खोये हुए आत्म सम्मान को वापस पाने तथा मनोवैज्ञानिक रूप से रेप जैसे घृणित अवसाद से बाहर आने तथा समाज में पुनः अपना गरिमापूर्ण स्थान बनाने की इच्छा होती है, और सभी व्यक्तियों, समाज व परिवार को उसकी इस भावना की कद्र करते हुए उसका सहयोग करना चाहिए।

स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम कृष्णाप्पा[7] के मामले में बलात्संग की शिकार सात आठ वर्ष की एक छोटी लड़की थी और अभियुक्त 49 वर्ष का विवाहित व्यक्ति था। मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया था और अभियुक्त को दोषसिद्धि के साथ 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था, परन्तु अपील में उच्च न्यायालय ने दंड की अवधि को 4 वर्ष के कठोर कारावास के रूप में घटा दिया जो कि उस अपराध के लिये निर्धारित न्यूनतम दंड से भी कम था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्त अथवा उत्पीड़ित की सामाजिक आर्थिक हैसियत, धर्म मूलवंश जाति अथवा पंथ दंड निर्धारण की नीति के संबंध में असंगत तर्क है। समाज का संरक्षण और

अपराधियों को निवारित करना विधि का स्वीकृत उद्देश्य है और इस उद्देश्य को समुचित दंड आरोपित कर प्राप्त किया जाना चाहिये। दंड देने वाले न्यायालयों से यह आशा की जाती है कि वे दंड से संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों से यह आशा की जाती है कि वे दण्ड से संबंधित सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों का सम्यक विचारोपरंत अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड लागू करेंगे। न्यायालयों को कम उम्र की असहाय और अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में, जैसा कि वर्तमान मामले में है, समाज द्वारा न्याय की मांग के उद्घोष को सुनना चाहिये और उनकी इस पुकार का समुचित उत्तर देते हुये समुचित दंड देना चाहिये। अपराध के प्रति जनता की धारणा की छाया न्यायालय द्वारा समुचित दण्ड आरोपित कर निर्णयों में दिखानी चाहिये।

दिल्ली महिला आयोग बनाम दिल्ली पुलिस[8] वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, बाल कल्याण समितियों, कानूनी सेवाओं और सहायता सेवाओं में कुछ परिवर्तन अनिवार्य करने हेतु निर्देश दिये है ताकि बलात्कार पीड़ितों को न्याय मिले। इन परिवर्तनों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाये। यौन अपराधों में सजा की निराशाजनक दर को देखते हुए स्पष्ट कहा गया कि पुलिस द्वारा अन्वेषण में कमी व चिकित्सीय परीक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को एक सुरक्षित किट (यौन उत्पीड़न फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह किट) अपने पास रखने के निर्देश दिये हैं ताकि यौन प्रहार की पीड़िता से शारीरिक साक्ष्य बिना नष्ट हुए प्राप्त किये जा सकें। चिकित्सीय किट में रखने हेतु आवश्यक सामग्री का उल्लेख भी किया गया है। न्यायालय ने सभी अस्पतालों में यौन प्रहार, बलात्कार पीड़िता के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करने को कहा ताकि एकान्तता में पीड़िता का परीक्षण किया जाये। जिस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी गयी है वहाँ की महिला पुलिस अधिकारी पीड़िता व उसके परिवार के साथ संपर्क में रहे तथा पर्याप्त एकांत वातावरण में पीड़िता के बयान

दर्ज किये जाये। बलात्कार की सभी शिकायतें तुरंत बलात्कार संबंधी शिकायत सेल व बाल कल्याण समितियों को संदर्भित की जायें। महिलाओं की सहायता हेतु हेल्पलाईन, शीघ्र जाँच, तत्काल चिकित्सा परीक्षण तथा सभी पुलिस कर्मियों, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल अनिवार्य किये जायें। यौन प्रहार के मामलों में आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों की मदद प्राप्त की जाये। आज आवश्यकता है न्यायालय द्वारा ऐसे प्रगतिशील निर्णयों की ताकि यौन उत्पीड़न की पीड़िता को न्याय मिल सके।

सीमा लापचा बनाम सिक्किम राज्य व अन्य[9] वाद में न्यायालय द्वारा सिक्किम सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये कि महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा–निर्देश जो कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में दिये गये थे, उन निर्देशों को अपने स्थानीय समाचार पत्रों में हर दो महीने में छपवाया जाये, ताकि सभी को कार्यस्थल यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं और इसकी रोकथाम हेतु सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को किन आदेशों का पालन करना है, पता रहे।

प्रत्येक महीने सिक्किम दूरदर्शन पर सरकार द्वारा ''इस दिशा'' में क्या प्रयास किये गये उसका प्रसारण जनता को दिखाया जाये।

राज्य की सभी सामाजिक संस्थाओं व राज्य को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी विशाखा वाद के दिशा–निर्देश को राज्य सरकार के सभी विभागों, प्राधिकरण व गैर सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं में प्रचार–प्रसार करना चाहिए ताकि सभी उपरोक्त विभाग अपनी महिला सहकर्मी के साथ कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार रखना चाहिए सम्बधित निर्देशों का अच्छी तरह पालन करें।

सत्या पाल आनंद बनाम मध्यप्रदेश राज्य[10] के वाद में न्यायालय ने दो गरीब लड़कियों के बलात्कार अपराधियों को कड़ी सजा सुनाने के साथ–साथ निचली अदालत द्वारा बलात्कार पीड़िताओं को 2 लाख रूपये के प्रतिकर को 10 लाख के प्रतिकर में बदला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने इस निर्णय में दोनों लड़कियों

को प्रतिकर देने का आदेश देते हुए यह भी कहा की यह धनराशि एक महिला की गरीमा व आत्मसम्मान के सामने कुछ भी नहीं है, परन्तु इन रूपयों से पीड़िता अपने पुनर्वास व नये जीवन की शुरूआत कर सकती है। यह दोनों गरीब लड़कियाँ स्कूली छात्रा थीं तथा 16 व्यक्तियों द्वारा इनके साथ रेप किय गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि राज्यों का भी यह कर्त्तव्य है कि वो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास करें।

अकील उर्फ जावेद बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य[11] (2012) नामक अपील को निरस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने गत 6 दिसम्बर 2012 को आपराधिक मामलों में बलात्कार संबंधी प्रकरणों का विचारण एवं सुनवाई पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि विचारण न्यायालयों में बलात्कार संबंधी मुकदमों की सुनवाई दो महीने के भीतर पूरी कर लेनी चाहिए तथा इस संबंध में निचली न्यायालयों को शीघ्र सुनवाई पूरी करने से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए।

दामिनी वाद के मामले[12] देश की राजधानी दिल्ली में दिसंबर, 2012 में सामूहिक बलात्कार के बाद एक युवती की हत्या की हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोंर कर रख दिया। अपने पुरूष मित्र के साथ जा रही युवती को अपराधियों ने उसके साथी सहित मारा–पीटा व लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बाद में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गयी। इस घटना की ट्वीटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर कड़ी भर्त्सना की गई। देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिन्ट मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तत्कालीन समय में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील द्वारा बलात्कार के पाँच मामलों में मृत्युदंड से आजीवन कारावास के रूप में दण्ड का लघुकरण कर दिया गया, जिसकी देशभर में निंदा की दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस में दोषियों को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई थी जिसको दिनांक 05.05.2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा, दोषियों की याचिका खारिज कर दी गई।

इसी तारतम्य में अरूणा शानबाग का मामला जो कि 27 नवम्बर, 1973 को यौन उत्पीड़न का शिकार होकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हो गई थी। यद्यपि उक्त मामले में आरोपी पर यौन उत्पीड़न एवं दुराचरण संबंधी मामला नहीं चला, किन्तु आरोपी को डकैती और मारपीट आदि के मामले में दो लगातार सात साल की सजा दी गई। पीड़िता अरूणा निरन्तर 42 वर्ष कोमा में रही थी। अरूणा की ऐसी स्थिति को देखते उसकी मित्र पिंकी विरमानी द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन रिट के माध्यम से इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले तो मेडिकल पैनल गठित करने का फेसला दिया, किन्तु बाद में अरूणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग ठुकरा दी गई। वर्ष 2015 में अरूणा शानबाग की कोमा में रहते हुए ही मृत्यु हो गई।

उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से पता चलता है कि न्यायालय का रूख भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति समय–समय पर बदलता रहा है। न्यायालय ने अपने अधिकांश निर्णय महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपेक्षा तकनीकी त्रुटियों, साक्ष्यों की कमी तथा तथ्यों की विश्वसनीयता न होने के आधार पर दिये हैं। जहाँ एक ओर बलात्कार पीड़िता की ओर से कोई प्रतिरोध न किये जाने को न्यायालय ने पीड़िता की सहमति माना है वहीं न्यायालय का यह मत कि सवर्ण जाति के व्यक्ति निम्न जाति की महिला से बलात्कार नहीं कर सकते, एक प्रकार से महिलाओं का अपमान करना ही है, परन्तु अंततः पीड़ित महिलाओं के पास न्यायालय के अलावा न्याय पाने का और कोई माध्यम है भी नहीं। इन न्यायालयों ने भी समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की तीव्रता एवं गंभीरता को महसूस किया है और अनेकों निर्णयों में अपनी पूर्व प्रचलित परिपाटी से हटकर निर्णय दिये हैं। यह सत्य है कि न्यायालयों की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं और उन्हें भी तथ्यों, साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे अनेक मामले है जहाँ न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर संदेह का लाभ देकर ऐसे अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है जहाँ न्यायालय यदि अपने दृष्टिकोण में थोड़ा वैवेकिक परिवर्तन करता तो अभियुक्तों को दण्ड मिल जाता।

समाज की कुत्सित मानसिकता, विधायिका में इच्छाशक्ति का अभाव तथा सरकार, पुलिस की अपराधों पर लगाम न लगाने की लाचारगी का इलाज करने किसी न किसी को तो सीमाओं से बाहर आकर महिलाओं की रक्षा करने का दायित्व उठाना होगा। उसे न केवल प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों पर बल्कि पीड़ित महिला एवं उसके परिवार की मानसिक एवं सामाजिक यातनाओं पर भी दृष्टिपात करना होगा। उसे प्रियदर्शिनी मट्टू हत्या बलात्कार कांड की तरह निःसहाय नहीं होना चाहिये। जिसमें सत्र न्यायालय को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि, ''न्यायालय को मालूम है कि अभियुक्त दोषी है, किंतु पुलिस ने जानबूझकर साक्ष्यों को नष्ट किया एवं जाँच में तत्परता नहीं बरती एवं अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया है। अतः न्यायालय को साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त को मुक्त करना पड़ रहा है।'' यदि हमारी न्यायपालिका ही, जिस पर पीड़ितों को न्याय देने का प्रथम दायित्व है, इतनी निःसहाय हो जायेगी तो निश्चित ही महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011.
2. ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 625.
3. (2013) एस.सी. **AIOL 246.**
4. (2013) (1) एस.सी.सी. 598.
5. (2011) 10 एस.सी.आर. 577.
6. क्रिमिनल अपील नं. 109–110/2011 निर्णय
7. 2000 क्रि.लॉ ज. 1793 (एस.सी.)
8. क्रि. रिट पीटिशन 696/2008
9. 2012 (2) स्केल।
10. एस.एल.पी. (क्रिमिनल) नं. 5019/2012, निर्णय दिनांक 5.8.2013 (सु.को.)
11. पॉलिटिकल एण्ड लॉ टाइम्स, अप्रैल 2013 पृष्ठ 35.
12. हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 28.8.2013.

अध्याय–नवम्

परिकल्पना का निरीक्षण, निष्कर्ष एवं सुझाव

नवम् अध्याय

परिकल्पना का निरीक्षण, निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तावित शोध विषय के संदर्भ में शोधार्थी द्वारा कुछ परिकल्पनाएँ की गई हैं जो निम्नलिखित हैं :–

(1) **वर्तमान समय में बलात्कार के अपराध की रोकथाम हेतु भारतीय विधि सक्षम है।**

शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि बलात्कार जैसे गंभीर मामले में भारतीय विधि में समुचित प्रावधान किये गये हैं । अन्य देशों की तुलना में कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान भी भारतीय विधि में सम्मिलित हैं, जिससे परिकल्पना क्रमांक 1 सत्य सिद्ध होती है।

(2) **वर्तमान समय में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के सन्दर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रगतिशील कार्य किये जा रहे हैं।**

बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के संदर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों से स्पष्ट होता है कि बलात्कार संबंधी अपराधों के संबंध में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रगतिशील कार्य किये जा रहे हैं जिससे भविष्य में बलात्कार जैसे अपराधों पर अंकुश लगने की संभावना है। अतः परिकल्पना क्रमांक 2 सत्य सिद्ध होती है।

(3) **भारत में कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी बलात्कार संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार है।**

सर्वेक्षण के आधार पर बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि सर्वाधिक बलात्कार की घटनाएँ निर्धन एवं गरीब वर्ग की महिलाओं के साथ घटित होती हैं। इससे परिकल्पना क्रमांक 3 सत्य सिद्ध होती है।

(4) बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के दण्ड के सन्दर्भ में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि का क्रियान्वयन एक समान है।

बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के दण्ड के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि हमारी राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान तो किये गये है, किंतु इनका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अतः परिकल्पना क्रमांक 4 असत्य सिद्ध होती है।

(5) बलात्कार जैसी गंभीर समस्या के निवारण हेतु वर्तमान आपराधिक विधि संशोधन पर्याप्त उपचार है।

बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को रोकने हेतु वर्तमान समय में निर्भया रेप काण्ड के पश्चात् आपराधिक विधि में काफी संशोधन किये गये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि भविष्य में बलात्कार जैसे अपराधों के संबंध में कठोर दण्ड के प्रावधान होने से अपराधों पर अंकुश लगेगा। अतः परिकल्पना क्रमांक 5 सत्य सिद्ध होती है।

(6) बलात्कार से पीड़ित महिला का सामाजिक दृष्टिकोण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तत्संबंधी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना एवं सुझाव प्रस्तुत करना एवं उन परिस्थितियों एवं कारणों की खोज करना जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को जन्म देते हैं।

बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का सामाजिक दृष्टिकोण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तविक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उसे उम्र भर इस गंभीर पीड़ा से गुजरना पड़ता है एवं वह स्वयं को समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं समझती है, इससे परिकल्पना क्रमांक 6 सत्य सिद्ध होती है।

शोधार्थी द्वारा शोध कार्य के दौरान उन कारणों की भी खोज की जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को जन्म देते हैं एवं अंत में बलात्कार जैसे गंभीर

अपराध की रोकथाम हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

हमारे देश की परम्परा नारी को बहुत अधिक सम्मान देने की रही है। नारी को पुरूष का अर्धांग् मानने वाली एकमात्र संस्कृति वाले देश में नारियों पर बढ़ते अपराध निश्चित ही चिंता एवं शर्म का विषय है। इनकी रोकथाम हेतु बनाये गये विधान तथा कानून भी अपर्याप्त हैं – वस्तुतः यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है, जिसका निदान कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यकता है पूरे समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन की। हमारा समाज जो नारी को लेकर अनेक पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों तथा कुप्रथाओं से ग्रसित है, उसमें आमूल बदलाव लाने की आवश्यकता है। स्त्रियों पर निरंतर बढ़ते जा रहे अपराधों की रोकथाम हेतु निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं :–

- संचार माध्यमों द्वारा प्रदर्शित विकृत नारी देह के चित्रण को अविलम्ब प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हिंसा, सैक्स तथा आपराधिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने वाली फिल्मों तथा टी.वी. धारावाहिकों को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिये।

- एक सुस्पष्ट एवं सुविचारित महिला नीति का निर्माण किया जाना चाहिये जिसके अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर शिक्षित तथा जागरूक बनाने हेतु आवश्यक उपायों का समावेश किया जाना चाहिए।

- प्रायः महिलाओं पर दहेज के लिये, स्त्रियों पर पारिवारिक उत्पीड़न करने तथा लड़कियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप स्त्री जाति के लिए अत्यंत शर्म की बात है । जब तक महिलाएँ स्वयं महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगी तब तक उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार संभव नहीं।

- महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिये स्वयंसेवी, समाजसेवी तथा गैर सरकारी संगठनों के विस्तार का प्रयत्न किया जाना चाहिये।
- नारियों पर होने वाले अपराधों के दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिये। इन मुकदमों की सुनवाई शीघ्र होना चाहिये तथा पीड़ित स्त्री को न्याय मिलने में विलम्ब नहीं होना चाहिये।
- महिला थानों तथा परिवार अदालत को अधिक संख्या में खोला जाना चाहिये ताकि महिलायें बेझिझक अपने ऊपर होने वाली आपराधिक कार्यवाही के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवा सकें तथा न्याय की माँग कर सकें।
- स्त्री–शिक्षा के पाठ्यक्रम में आरोग्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के विषय अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाना चाहिये तथा आत्मरक्षा हेतु लड़कियों को जूड़ो–कराटे तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये।
- यौन उत्पीड़न तथा विशेषकर बलात्कार के मामलों की सुनवाई तथा निर्णय पूर्णतया महिला अधिकारियों के द्वारा किये जाने चाहिये।
- नाबालिग बच्चों के साथ किये जाने वाले बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य कार्य गैर जमानती अपराध घोषित किये जाने चाहिये तथा इसके दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिये तथा पीड़ित बच्ची के बयान को ही महत्व दिया जाना चाहिये न कि अन्य साक्षियों को।
- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नारी उत्पीड़न को रोकने के लिए सुझाये गये उपायों को तुरंत स्वीकृति प्रदान कर सरकार द्वारा उसके योग्य क्रियान्वयन की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- समाज की निम्न मध्यम तथा ग्रामीण स्त्रियों को संगठित किया जाना चाहिये तथा उन्हें उनके अधिकारों व नारी संरक्षण कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिये ताकि वे अपने ऊपर होने वाले अपराधों का संगठित प्रतिरोध कर सकें।

- महिलाओं की प्रतिनिधि संस्थाओं तथा सरकार में भागीदारी बढ़ाने के लिये महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र स्वीकृत किया जाना चाहिये ताकि शासन के कार्यों व नीति निर्माण में पुरूषों का वर्चस्व समाप्त हो तथा नारियों की शक्ति प्रभाव और स्थिति में वृद्धि हो।

बलात्कार एवं महिला यौन–उत्पीड़न रोकने हेतु सामाजिक उपाय :

प्राचीन काल से ही भारतीय नारी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरूद्ध किया गया सेक्स अथवा बलात्कार एक जघन्य–अपराध है। कानून के तहत बलात्कारी के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मुकर्रर है फिर भी ये अपराध दिन–प्रतिदिन समाचार–पत्रों टी.व्ही. आदि में देखने को मिल रहे हैं, चूंकि महिलाएँ इस कृत्य में बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी समाज की दृष्टि में अपने आपको हेय दृष्टि से देखती हैं। तब ऐसी स्थिति में समाज का कर्त्तव्य यह होता है कि वह ऐसे बलात्कार के आरोपी को कठोर से कठोरतम सजा दिलवाने में देश एवं राष्ट्र के प्रति अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें।

- अधिकांशतः बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के मामलों में जान पहचान वाले ही होते है, करीब 60 प्रतिशत बलात्कारी नजदीकी रिश्तेदार या सगे–संबंधी होते हैं, महिलाओं को ऐसी स्थिति में सर्तकता रखनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति उनकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करे तो उन्हें चुप नही बैठना चाहिए उसका तुरंत बहिष्कार करें ।

- बलात्कार को रोकने की पहल घर से होनी चाहिए क्योंकि बलात्कारी की किसी न किसी घर से संबंधित होता है।

- प्रायः साक्ष्य के अभाव में बलात्कारी निर्दोष साबित हो जाता है। अतः इस घिनौने कृत्य से निपटने हेतु समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के पदाधिकारियों का एक फोरम बने जिसमें जिला कलेक्टर, महापौर व अन्य जनप्रतिनिधि का भी सामंजस्य हो ताकि कुछ हद तक रोक लगाई जा सके।

- आज महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं ही सजग रहना चाहिए साथ ही जुड़ो कराटे का अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना चाहिए खासतौर से बाहर रहने वाली लड़कियों को।
- बलात्कार को रोकने के लिए सर्वप्रथम समाज में फैल रहे अश्लीलता रूपी पेड़ को जड़ से खत्म करना होगा। वर्तमान में छोटे कपड़ों का जो फैशन चल रहा है, इस पर स्वयं लड़कियों को सोचने की जरूरत है।
- लड़कियों को अनजान व्यक्तियों से लिफ्ट लेना एवं देर रात तक बाहर रहना आदि पर सख्त हिदायत दी जानी चाहिए।
- प्रशासन को सड़कछाप मजनुओं से सख्ती से निपटना चाहिए क्योंकि ये ही आगे चलकर बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे सकते हैं।
- बलात्कारी को कानूनी सजा के साथ–साथ सामाजिक रूप से भी सजा दी जाना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इससे सीख मिल सके।
- बलात्कारी को सामाजिक स्तर पर पूर्णतया खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन इस पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- वर्तमान समय से शहर में बलात्कार गाँवों की अपेक्षा अधिक बढ़ रहे हैं जो कि अश्लील फिल्में, चित्र, किताबें आदि पर प्रभावी प्रतिबंध लगाकर कम किये जा सकते हैं।
- समाज में जागृति लाने तथा बलात्कार को रोकने में मीडिया को भी अपनी अहम् भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसे विज्ञापन एवं फिल्मों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, जिसे देखकर बलात्कार जैसी घटना को घटित करने की प्रेरणा मिलती है।

- बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड न देकर कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए जैसे लिंग परिवर्तन कर देना जिससे वह आजीवन इस बात को भूल न सके की उसने बलात्कार किया था।
- अधिकांशतः कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें बलात्कारी सजा से बचने के लिए पीड़िता से विवाह कर लेता है। ऐसी स्थिति में कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि वह उस पीड़िता की खबर विवाह के पश्चात् भी ले ताकि उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नारी केवल मासपिण्ड मात्र नहीं है। आदिकाल से वर्तमान काल तक विकास पथ पर पुरूषों की अनुगामिनी बनकर उसकी यात्रा को सरल, सरस एवं सुखमय बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर अपने वरदानों से उसके जीवन में अक्षय शक्ति का संचार करके ईश्वर में जिस व्यक्तित्व चेतना व शक्तिपुंज का निर्माण किया है उसी का पर्याय नारी है। ऐसा नही है कि नारी पर होने वाले अपराधों का प्रतिकार करने की शक्ति नारी में नहीं है या पुरूषार्थ के क्षेत्र में वह पुरूषों से कम है जिस नारी को अपने जन्म के पूर्व माता के गर्भ में ही अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष प्रारम्भ कर देना पड़ता हो और जन्म के पश्चात् जिसका संपूर्ण जीवन संघर्ष और संग्राम का कुरूक्षेत्र बना रहता हो उस स्त्री की प्रबल जीवनी शक्ति तथा प्रखर मानसिक शक्ति की अग्नि के समक्ष पुरूष की शारीरिक शक्ति, हिम्मत, बर्बरता और पुरूषत्व पल में नष्ट हो जाने वाले तिनकों की तरह है, परन्तु नारी जननी है वह बर्बर नृशंस नहीं है। अपने अंतःकरण में वह कोमल संवेदनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों का अजस्त्र स्त्रोत छुपाये हुये है। ध्वंस नहीं सृजन उसकी मूल प्रवृत्ति है, यही कारण है कि वह अपने परिवार के लिये समाज के लिये, राष्ट्र के लिए अपनी सेवायें मूक भाव से अर्पित करती हुई अपने ऊपर होने वाले अत्याचार तथा अपराध के अपघातों को सहती रहती है, परन्तु सहने की कोई न कोई सीमा होती है। जिस दिन नारी अपनी शक्ति को पहचानकर महाकाली तथा रणचण्डी के समान

अपनी अंशधर दैवीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जागृत हो जायेगी उस दिन उसके क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिये फिर एक शिवशंकर को आगे आना अनिवार्य हो जायेगा। पुरूष का पौरूष नारी को सम्मान, संरक्षण तथा सद्भावना देने में है यही हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। आज आवश्यकता उसकी पुनर्स्थापना की है।

परिशिष्ट-1

- साक्षात्कार अनुसूची (प्रश्नावली)
- पेपर कटिंग
- संदर्भ ग्रन्थ सूची
- संदर्भ वाद सूची
- जर्नल्स

परिशिष्ट-1

- प्रश्नावली :–

साक्षात्कार अनुसूची

"बलात्कार विधि के बदलते आयाम : अपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के संदर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन"

निर्देशक

डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन
प्राचार्य, श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर
विधि महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)

शोधार्थी

कमलेश मौर्य

1) नाम – ....

2) धर्म– .... उपजाति ....

3) परिवार का स्वरूप – (1) एकल .... (2) संयुक्त ....

4) परिवार के सदस्यों की जानकारी (उत्तरदाता सहित)

क्र.	नाम	संबंध	उम्र	लिंग पु./म.	वैवाहिक स्थिति	शिक्षा की स्थिति	प्रमुख व्यवसाय	मासिक आय (समस्त स्त्रोतों से)
1								
2								
3								
4								

5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

कृपया अतिरिक्त जानकारी नीचे लिखें – ....

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ :–

1. आप छिन्दवाड़ा जिलें में कितने वर्षो से निवास कर रही है ?

   अ. 5 वर्ष ब. 10 वर्ष स. 15 वर्ष

2. यौन उत्पीड़न की संख्या में आपने विगत दस वर्षो में क्या परिवर्तन देखा ?

   अ. परिवर्तन हुआ ब. नहीं हुआ स. होने की संभावना है

3. आपका व्यवसाय क्या है ?

   अ. नौकरी ब. मजदूरी

   स. घरेलू कार्य द. कोई कार्य नही

4. छिन्दवाड़ा जिले में यौन–उत्पीड़न की समस्या है, क्या ? इसके रोकथाम के लिए आपके क्या सुझाव है ?

- कामकाजी महिलाओं का यौन–उत्पीड़न

1. आप कब से छिन्दवाड़ा में निवास कर रही है ?

   अ. 5 वर्ष ब. 10 वर्ष स. 15 वर्ष

2. क्या आपके शहर में यौन–उत्पीड़न बहुत अधिक बढ़ रहा है ?

   अ. हाँ ब. नहीं

3. इस हेतु आपने कभी अधिकारियों से शिकायत की है ? हाँ तो किन अधिकारियों से –

   अ. आपके बॉस ब. मालिक स. साथी कर्मचारी/अन्य

4. इसकी रोकथाम हेतु सुझाव बताइये –

- विवाहित महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1. यौन उत्पीड़न से आपके शहर का जो वातावरण गंदा हो रहा है, इससे आपको क्या परेशानियाँ है ?

   अ. घरेलू हिंसा ब. छेड़छाड़ स. बलात्कार

2. इस हेतु आपने कभी प्रशासन से शिकायत की है ? यदि हाँ तो किससे

   अ. पुलिस अधीक्षक ब. कलेक्टर स. थाना प्रभारी

- डॉक्टर

1. आप छिन्दवाड़ा जिले में कब से पदस्थ है ?

   अ. 5 वर्ष ब. 10 वर्ष स. 15 वर्ष

2. यौन उत्पीड़न से कौन सी बिमारियाँ होती हैं उक्त बिमारियों का परीक्षण कैसे किया जाता है ?

   अ. एड्स ब. चर्मरोग स. अन्य

3. यौन–उत्पीड़न कितने प्रकार के होते है ?

   अ. बलात्कार   ब. छेड़छाड़

4. इसके निवारण के लिए आप किस प्रकार के सुझाव देते है ?

- पुलिस अधिकारी :–

1. बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के वर्ष 2014 से 2017 तक में कितने केस दर्ज किये है ?

   अ. 2014   ब. 2015

   स. 2016   द. 2017

2. इस संबंध में पुलिस कार्यवाही से वर्तमान में इन मामलों में कमी आई है क्या ?

   अ. हाँ   ब. नहीं

3. क्या इस प्रकार के अपराध को कम करने में लोग आपका सहयोग करते हैं ?

   अ. हाँ   ब. नहीं

4. इस संबंध में दाण्डिक कार्यवाहियों में क्या प्रावधान दिये गये हैं ?

5. कानूनी प्रावधानों के बारे में आपके द्वारा कुछ सुझाव दीजिए।

- महिला आयोग

1. नाम एवं पद

2. आपका आयोग किस संबंध में कार्य करता है ?

3. वर्ष 2014–2017 में आपके आयोग द्वारा कितने लोगों पर कार्यवाही की गई ?

4. यौन उत्पीड़न बढ़ने के क्या कारण हैं, इसको रोकने के सुझाव दीजिए ?

- कलेक्टर

1. नाम एवं पद
2. वर्तमान कानून यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कितने प्रभावी है, क्या इसे रोकने के लिए और नये कानून की आवश्यकता है ?
3. प्रशासन द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?
4. इसे रोकने हेतु आपके सुझाव दीजिए ?

- पत्रकार

1. आप छिन्दवाड़ा में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं ?
2. आपका व्यवसाय क्या है ?
3. आपके विगत 3 वर्षों में इस संबंध में छिन्दवाड़ा जिले में क्या परिवर्तन देखा?
4. इससे जो शहर का महौल गंदा हो रहा है इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से शिकायत की है ? यदि हाँ तो किससे ?
5. क्या आपने इस हेतु कोई लेख लिखा है ?
6. इनसे होने वाली परेशानियाँ क्या हैं एवं इसको रोकने हेतु सुझाव दीजिए ?

- नेता

1. आप कब से छिन्दवाड़ा जिले में निवास कर रहे हैं ?
2. छिन्दवाड़ा जिले में यौन उत्पीड़न क्यों बढ़ रहा है ?
3. आपके पास इससे संबंधित कितनी शिकायत आई है ? इसकी रोकथाम हेतु आपकी क्या जिम्मेदारियां है ?

   अ. हाँ   ब. नहीं

* पेपर कटिंग *

रतलाम, मंगलवार
22 दिसंबर 2015

पत्रिका समाचार, रतलाम 22 दिसंबर 2015

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली महिला आयोग की याचिका, कहा-

'हम आपकी चिंता समझते हैं, रिहाई के भी खिलाफ हैं, लेकिन उसे छोड़ना होगा'

निर्भया कांड

पीड़िता के माता-पिता बोले- फांसी दिलाकर रहेंगे

नई दिल्ली @ पत्रिका

patrika.com/india

निर्भया गैंगरेप मामले के नाबालिग दोषी की रिहाई को चुनौती देने वाली दिल्ली महिला आयोग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका पर कहा, हम आपकी चिंता समझते हैं, रिहाई के खिलाफ भी हैं, लेकिन मौजूदा कानूनों के तहत हिरासत अवधि तीन साल से बढ़ा नहीं सकते हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आपने कानून नहीं बनाया, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की याचिका का समर्थन कर रहे हैं।

हम.. @ पेज 10

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध करते निर्भया के परिजन एवं अन्य लोग।

मोमबत्ती छोड़ मशाल उठाएं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, वक्त आ गया है महिलाएं हाथों में मोमबत्ती लेने के बजाय मशाल थामें। उन्होंने कहा, आज का दिन महिलाओं के लिए काला दिन है। उस नाबालिग को ज्यादा सजा दिलाने वाला एक कानून पास नहीं किया जा सका है।

ये कहा कोर्ट ने

आप कह रहे हैं कि जब तक न सुधरे, तब तक रिहा न किया जाए लेकिन सुधार होने में दस साल तक लग सकते हैं। ऐसे में क्या यह दोषी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा?

और कितनी निर्भया?

निर्भया के माता-पिता ने कहा कानून को बदलने के लिए कितनी निर्भयाओं की जरूरत होगी। पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा, लड़ाई जारी रहेगी। दोषी को फांसी तक देशभर में आंदोलन करेंगे।

रोहतक : सात को फांसी

चंडीगढ़. रोहतक की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने नेपाली युवती के अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सोमवार को 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

राज्यसभा में आज पेश होगा बिल

केंद्र सरकार 22 दिसंबर को जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में पेश करेगी। नाबालिग की रिहाई के बाद सांसदों पर जुवेनाइल जस्टिस बिल को लेकर दबाव बढ़ गया है। राज्यसभा में जुवेनाइल बिल पर चर्चा के लिए सभी पार्टियां राजी हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हम खुद जुवेनाइल जस्टिस विधेयक पारित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कांग्रेस सदन को चलने दे। गौर हो कि जुवेनाइल जस्टिस बिल लोकसभा में मई 2015 में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटका हुआ है। नए बिल में कहा गया है कि रेप, मर्डर और एसिड अटैक जैसे खतरनाक अपराधों में शामिल नाबालिगों को बालिग माना जाए। गंभीर अपराध करने वाले नाबालिगों पर केस आम अदालतों में और बालिगों के कानून के मुताबिक ही चलेगा। किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि मुकदमा कहां चलेगा।

दैनिक भास्कर - 26 दिसंबर - 2015

रिहाई पर रोक के लिए स्वामी की याचिका हाई कोर्ट में खारिज

नाबालिग दुष्कर्मी हो जाएगा रिहा

निर्भया की मां बोलीं - जुर्म जीता

नई दिल्ली (प्रे)। सोलह दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व जघन्य हत्याकांड के तीन साल चार दिन बाद यानी 20 दिसंबर को इस केस का खूंखार नाबालिग अपराधी सुधार गृह से छूट जाएगा। वह बालिग हो गया है, उसे कानूनन अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई गई थी जो रविवार को पूरी हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए तो ही उसकी रिहाई रुक सकती है। निर्भया (ज्योति सिंह पांडे) की मां आशा सिंह और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि वे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

अब 20 साल का हो गया

निर्भया ज्योति सिंह के साथ बर्बरता की हद पार करने वाला यह दरिंदा अब 20 साल का हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व जस्टिस जयंत नाथ की पीठ ने बाल न्यायालय को निर्देश दिया कि वह दोषी, उसके अभिभावकों और महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों से उसके 'पुनर्वास व समाज की मुख्य धारा में' लाने के बारे में चर्चा करें। बाल अपराध व पुनर्वास का मुद्दा गंभीर है। केन्द्र व दिल्ली सरकार आठ हफ्ते में इस पर अपनी राय दें।

कानून क्यों नहीं बदलता?

यदि मुजरिम कानून तोड़कर अपराध करता है तो उसे कानून तोड़कर सजा क्यों नहीं दे सकते? कानून भगवान ने थोड़े ही बनाए हैं। समय के साथ सब बदल गया तो कानून क्यों नहीं बदलता? ऐसे तो हजारों बच्चियां बलि चढ़ जाएंगी। जुर्म जीत गया, हम हार गए। तीन साल तक हमारे इतने प्रयासों के बावजूद, हमारी सरकार और हमारी अदालतों ने एक अपराधी को रिहा कर दिया। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत निराश हैं। हमने उसे कभी नहीं देखा है, न कभी मिले हैं, लेकिन हमारे सभी प्रयासों के बावजूद अपराधी रिहा हो जाएगा। इस मामले में सबक दिया जाना चाहिए था। हमारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई योजना नहीं है।

-निर्भया के माता-पिता की प्रतिक्रिया

कानूनी प्रावधान नहीं

बाल अपराध कानून में तीन साल से ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रिहाई के बाद उस पर नजर रखे। बोर्ड एक कमेटी बनाए जो उसके आजाद जीवन की निगरानी करे। -**दिल्ली हाई कोर्ट**

राज्यसभा जिम्मेदार

रिहाई के लिए राज्यसभा जिम्मेदार है। यदि विधेयक पारित हो जाता तो रिहाई नहीं हो पाती। विधेयक में 16 से 18 साल के जघन्य अपराध में कठोर सजा का प्रावधान है। -**मेनका गांधी, केन्द्रीय मंत्री**

घटना से स्तब्ध रह गया था देश

16 दिसंबर 2012 की रात ज्योति से नाबालिग समेत छह आरोपियों ने दुष्कर्म कर बस से फेंक दिया था। 13 दिन बाद उसकी सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना से देश स्तब्ध रह गया था।

चार को फांसी की सजा

मुकेश, विनय, पवन व अक्षय को निचली कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जबकि रामसिंह ने 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। फांसी सजा पर अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अख़बार

दैनिक भास्कर

कुल पृष्ठ 16, मूल्य ₹ 5.00 | वर्ष 10, अंक 306

राष्ट्रीय संस्करण, नई दिल्ली, शनिवार 06 मई, 2017 वैशाख, शुक्ल पक्ष - एकादशी, 2074

निर्भया कांड | दोषियों को सजा सुनाने में सबसे ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया

लोअर कोर्ट: 9 महीने में सुनाया फैसला
निर्भया से 16 दिसंबर 2012 की रात नृशंसता हुई थी। 17 दिन बाद मौत हो गई। सुनवाई साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई। कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी।

दिल्ली हाईकोर्ट: 6 महीने लगे निर्णय लेने में
फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट ने केस हाईकोर्ट को सौंपा। अदालत ने 3 जनवरी 2014 को फैसला सुरक्षित रखा। 13 मार्च 2014 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुना दिया।

सुप्रीम कोर्ट: यहां लग गए 38 महीने
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अदालत ने 15 मार्च 2014 को सजा पर स्टे लगाया। और आखिरी फैसला आने में 3 साल 2 महीने लग गए।

केस इतना जघन्य था कि दुनिया में सदमे की सुनामी ला दी, दोषियों पर रहम नहीं...

-जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण

चारों दोषियों की फांसी बरकरार

6 आरोपी: एक ने खुदकुशी की; एक नाबालिग 3 साल की सजा काटकर छूटा; 4 जेल में

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने चारों दोषियों की याचिका खारिज कर दी।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि '16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ जो हुआ वह इतना बर्बर था कि उसने दुनियाभर के लोगों में सदमे की सुनामी ला दी। ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया की कहानी है। ऐसे अपराधियों के लिए कानून में किसी भी तरह के रहम की गुंजाइश नहीं है।' इस मामले में 6 आरोपी थे। एक ने जेल में खुदकुशी कर ली। एक नाबालिग था, जो 3 साल की सजा काटकर छूट चुका है। बाकी चार मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर तिहाड़ में बंद हैं। फैसला सुनाने वाली तीन जजों की बेंच में से जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण ने एक साथ फैसला दिया। जबकि जस्टिस आर भानुमति ने अलग से 114 पेज का अपना फैसला सुनाया।

4020 में से सिर्फ 200 बसों में ही सीसीटीवी लगा पाई सरकार » पढ़ें | पेज 2 पर

दो जजों ने एकसाथ जबकि जस्टिस भानुमति ने अलग से सुनाया फैसला

चार साक्ष्य बने पुख्ता सबूत

- **मृत्यु पूर्व बयान:** कोर्ट ने कहा कि मरने से पहले दिए पीड़िता के बयान पर संदेह नहीं किया जा सकता। गंभीर हालत में भी उसने बयान दर्ज कराया था।
- **फॉरेंसिक एविडेंस:** पीड़िता के शरीर से मिले नमूनों के साथ दोषियों की डीएनए प्रोफाइलिंग मैच हुई। शरीर पर काटने के निशान भी मैच हुए।
- **आपराधिक रिकॉर्ड:** कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे सवाल खारिज कर दिए। कहा कि पुलिस ने अक्षय, मुकेश, पवन और विनय पर आपराधिक साजिश साबित की। इन लोगों ने तो पीड़िता और उसके दोस्त पर बस चढ़ानी चाही थी।
- **दोस्त की गवाही:** कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के साथ बस में यात्रा करने वाले उसके दोस्त और अभियोजन के पहले गवाह की गवाही भरोसेमंद है।

कोर्ट के पांच सुझाव

परिवार के लिए: बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। वैसे ही जैसे पुरुषों का सिखाते हैं।
समाज के लिए: समाज भी अपनी सोच बदले। ऐसा माहौल बनाए, जिसमें लिंगभेद न हो। महिलाओं को हकीकत में जेंडर जस्टिस दिया जाए।
सरकार के लिए: लैंगिक समानता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। शिक्षक और पेरेंट्स बच्चों के हर व्यक्ति के प्रति रवैये पर भी नजर रखें।
पुलिस के लिए: स्ट्रीट लाइट जलती रहें। रात में पेट्रोलिंग बढ़ाएं। सुनसान जगहों पर गार्ड तैनात करें। महिलाओं के लिए मोबाइल एप लॉन्च किए जाएं।
मीडिया के लिए: टीवी, मीडिया और प्रेस के जरिये लोगों को जेंडर जस्टिस के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तख्तियां लगाएं।

आगे क्या...

फांसी से बचने के लिए अब भी 3 मौके

1. **पुनर्विचार याचिका:** दोषी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसकी सुनवाई के लिए सजा देने वाली बेंच से ज्यादा जजों की पीठ बनानी होगी।
2. **क्यूरेटिव पिटीशन:** अगर दोषियों को पुनर्विचार याचिका में भी राहत नहीं मिली तो अभियुक्त क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है। इसमें फैसले में सुधार के लिए आग्रह किया जाता है।
3. **दया याचिका:** क्यूरेटिव पिटीशन में भी फांसी बनी रही तो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगा सकते हैं।

निर्भया की मां ने कहा - फांसी पर लटकाए जाने तक चैन नहीं लूंगी...
अब मैं बेटी के सामने जा सकती हूं। उसे कहूंगी कि तुझे न्याय दिला आई। पर इंतजार तो चारों को फांसी पर चढ़ाए जाने का है। चैन तो मैं तभी लूंगी। बेटी जिंदा होती तो 5 दिन बाद (10 मई) 28 साल की होती।' -आशा देवी

कोर्ट में आशा देवी (निर्भया की मां)

लड़की रात को घूमे तो दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार होगी... वीडियो में देखें निर्भया के रेपिस्ट की कैसी है मानसिकता। विजिट करें DainikBhaskar.com

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तालियों से हुआ फैसले का स्वागत... -पढ़ें देश-विदेश पेज

उपद्रवी या
लगेगा 3 म
नई दिल्ली | सरकार ने
को हवाई यात्रा से रोकने
प्रस्तावित नियमों का मसौ
जारी किया है। नेशनल नो
ये नियम सभी घरेलू एयर
रहेंगे। इसमें 3 महीने से ले
समय के लिए हवाई यात्रा
प्रावधान है। ये नियम उस
आए हैं, जिसमें शिवसेना
गायकवाड़ ने एअर इंडिय
को चप्पल से पीटा था।

पड़ोसियों को
जीसैट-9 का लॉन्
7 सार्क देशों को
- 12 साल तक सूचनाएं उपलब्ध कराएगा उपग्रह
- परियोजना पर ₹450 करोड़ खर्च, पाक शामिल नहीं

नई दिल्ली | इसरो ने श्रीहरि
एशिया संचार उपग्रह
शुक्रवार दोपहर बाद 4 बज
पर सफलतापूर्वक लॉन्च
को छोड़कर भारत सहित
को इससे फायदे मिलेंगे।
देश हैं। -विस्तृत देश

शिवपाल या
का ऐलान,
लखनऊ/इटावा |
विधानसभा चुनाव

समा
में च
ने
मोड़
है।
से
मुलायम-शिवपाल ने
बनाने का ऐलान किया
को शिवपाल यादव
समाजवादी पार्टी सेक्यु

अभिव्यक्ति

दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय संस्करण, नई दिल्ली, शुक्रवार 12 मई, 2017 10

एक जैसे दो अपराध पर न्याय अलग-अलग

संदर्भ... सामूहिक दुराचार की शिकार बिल्किस बानो और ज्योति सिंह के दोषियों को सजा

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

यह भारत की दो बेटियों की कहानी है, दोनों खौफनाक यौन अपराधों की शिकार। ज्योति सिंह 23 साल की प्रतिभाशाली युवती थीं। वे तब मेडिसीन में कॅरिअर बनाकर अपने परिवार को गरीबी से ऊपर उठाने का सपना देख रही थीं, जब राजधानी में दिसंबर 2012 में उनकी बर्बर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बिल्किस बानो सिर्फ 19 वर्ष की और गर्भवती थीं, जब 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गुजरात स्थित दाहोद जिले के अपने गांव में भीड़ से बचने के प्रयास के दौरान उनके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। बिल्किस के तीन वर्षीय बच्चे को उनके सामने मार डाला गया, जबकि परिवार के 13 सदस्यों की भी हत्या कर दी गई। एक अर्थ में ज्योति और बिल्किस हमारे समाज के अंधेरे पक्ष को दर्शाती हैं, ऐसा समाज जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध थम नहीं रहे हैं। और फिर भी उनकी कहानी भिन्न है, ऐसी भिन्नता जिस पर गंभीर आत्म परीक्षण की जरूरत है।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति सिंह के चारों हत्यारों को मौत की सजा सुनाई। यानी साढ़े चार साल के भीतर न्याय हो गया। इसके एक दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट ने बिल्किस केस के 11 अभियुक्तों को सुनाई गई उम्रकैद की पुष्टि की। पुलिस अधिकारियों और एक सरकारी डॉक्टर को मामले को छिपाने के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। ज्योति सिंह का मामला लगभग सारे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय अखबारों में पहली बड़ी सुर्खी बना और सारे टीवी चैनलों ने उसे कारपेट कवरेज दिया। बिल्किस के फैसले को न तो मुख्य हैडलाइन मिली और न वह प्राइम टाइम बहस का हिस्सा बना।

यह फर्क चौंकाता नहीं है। ज्योति सिंह की दर्दनाक मौत राष्ट्रीय राजधानी में हुई, जहां ज्यादातर टीवी चैनलों और अखबारों के मुख्यालय हैं और मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर दूर संसद है, जहां हमारे कानून-निर्माता मौजूद होते हैं। ज्योति की मौत के कुछ घंटों बाद ही हजारों लोग देश के सत्ता के गलियारों की ओर जाने वाले राजपथ पर इकट्ठे हो गए, जिसके सीधे प्रसारण से विरोध प्रदर्शन का असर और व्यापक हो गया। लोग खुद-ब-खुद सड़कों पर आ गए, क्योंकि जो ज्योति के साथ हुआ वह दिल्ली की किसी भी महिला के साथ हो सकता है, जो महिलाओं के लिए असुरक्षित होने के लिए कुख्यात महानगर है। गुस्से की प्रतिध्वनि संसद में भी हुई, देश ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया, नेताओं ने जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और अंततः सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिवंगत जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में यौन हिंसा के मामले पर समिति भी गठित हुई।

इसके विपरीत बिल्किस बानो दंगा पीड़ितों के लिए अहमदाबाद से 200 किमी दूर आदिवासी बहुल जिले दाहोद में बने शरणार्थी शिविर में जैसे-तैसे समय काट रही थीं। बिल्किस ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन, वहां उनकी अनदेखी की गई, बल्कि उन्हें आरोप वापस लेने के लिए धमकाया भी गया। जब हममें से कुछ लोगों ने टीवी रिपोर्टिंग के दौरान उनके मामले को उठाया तो सौदेश्यपूर्ण ढंग से काम कर रहे कुछ गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) आगे आए और उनका मामला हाथ में लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और एक मजबूत कानूनी टीम की बदौलत बिल्किस सुप्रीम कोर्ट के जरिये सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और मामले को गुजरात से बाहर ले जाने के निर्देश जारी करवाने में सफल रहीं। एक दशक से भी ज्यादा समय से बिल्किस ने महिला अधिकार आंदोलनकारियों की मदद से बड़ी बहादुरी से अपना मुकदमा लड़ा, जबकि उन्हें लगातार अपना घर बदलते रहना पड़ा और कभी अपने गांव नहीं लौट सकीं, क्योंकि उन पर हमला करने वाले अब खुले घूम रहे थे। धीरे-धीरे बिल्किस का प्रकरण गुजरात दंगों का एक और प्रकरण भर रह गया,जबकि ज्योति सिंह का मामला लैंगिक न्याय के संघर्ष का प्रतीक बन गया। जिन्होंने बिल्किस को समर्थन दिया और उनके लिए लड़े उन्हें छद्म-धर्मनिरपेक्षतावादी 'झोले वाले' ऐसे उदारवादी बताया गया, जो गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। ज्योति सिंह का मामला उठाने वाले, दुष्कर्म कानूनों को फिर परिभाषित करवाने वाले पैरोकार कहलाए। ज्योति सिंह के साहस की याद में ग्लोबल डाक्यूमेंटरी बनाने की योजना बनी, जबकि बिल्किस और उसके परिवार से शायद ही कोई मिलना चाहता है।

जब दोनों मामलों में कड़े फैसले दिए गए तो न्यायाधीशों के आदेश भी लोगों के विरोधाभासी रुख को परिलक्षित करते हैं। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म को 'राक्षसी' कृत्य बताते हुए न्यायाधीश ने इसे ऐसे अपराध के रूप में देखा जो सामूहिक अवचेतन में सदमे की 'सुनामी' ला सकता है, समाज की रीढ़ में झुरझुरी पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह मामला 'दुर्लभ में भी दुर्लभतम' है और इसलिए आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए।

बिल्किस के मामले में न्यायाधीशों ने जहां पुलिस को फटकारा वहीं उन्होंने साजिश का आरोप खारिज कर दिया और दावा किया कि अपराध 'उस पल की उत्तेजना' में हो गया। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने के बाद आरोपी गुस्से से उबल रहे थे। विडंबना है कि मैंने जब बिल्किस से पूछा कि क्या वे फैसले से संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कोमलता से कहा, 'मैं हमेशा से न्याय चाहती थी, बदला नहीं!' मेरा बाहर की व्यापक दुनिया से प्रतिप्रश्न सिर्फ यह है : क्या किसी साम्प्रदायिक दंगे में हुए सामूहिक दुष्कर्म के लिए 'न्याय', दिल्ली में किसी बस में हुए इसी अपराध के 'न्याय' से भिन्न है? जिस दिन हमें इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, तो शायद हम उस भारत के प्रति जागरूक होंगे जहां सबके लिए कानून समान नहीं है, जहां हजारों महिलाएं दुष्कर्म मामलों में न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जहां न जाने कैसे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली एक महिला की जिंदगी और गरिमा का महत्व देश के किसी दूरदराज में रह रही महिला से अधिक है।

पुनश्च : बिल्किस अब 34 वर्ष की हैं। दुष्कर्म के समय वे गर्भवती थीं। वह बच्चा अब 15 वर्ष का है। वे एक मुस्कान के साथ मुझे कहती हैं, 'यह वकील बनना चाहता है।' हो सकता है किसी दिन वह इस काबिल हो जाए कि 'नए भारत' में रहने वालों को बता सके कि वास्तव में न्याय क्या होता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

देश की आस पूरी
साढ़े चार साल बाद फैसला

15 अगस्त की रात 16 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में 80 साल के आसाराम को मरते दम तक जेल की सजा हुई

...और दुष्कर्मी आसाराम के साथ हुआ भी ऐसा ही

अब जेल में कैदी नं. 130

दरिंदगी मौत तक सींखचों में

▪ आसाराम और बेटे नारायण साईं पर सूरत की दो लड़कियों से दुष्कर्म मामले में फैसले का इंतजार

आस्था के उत्पीड़न का वीभत्स नृत्य समाप्त

शिल्पी और शरतचंद्र को 20-20 साल जेल

आसाराम को 6 धाराओं में सजा, इनमें से 2 में मरते दम तक जेल

आसाराम प्रकरण से हमारी व्यवस्था के लिए सबक

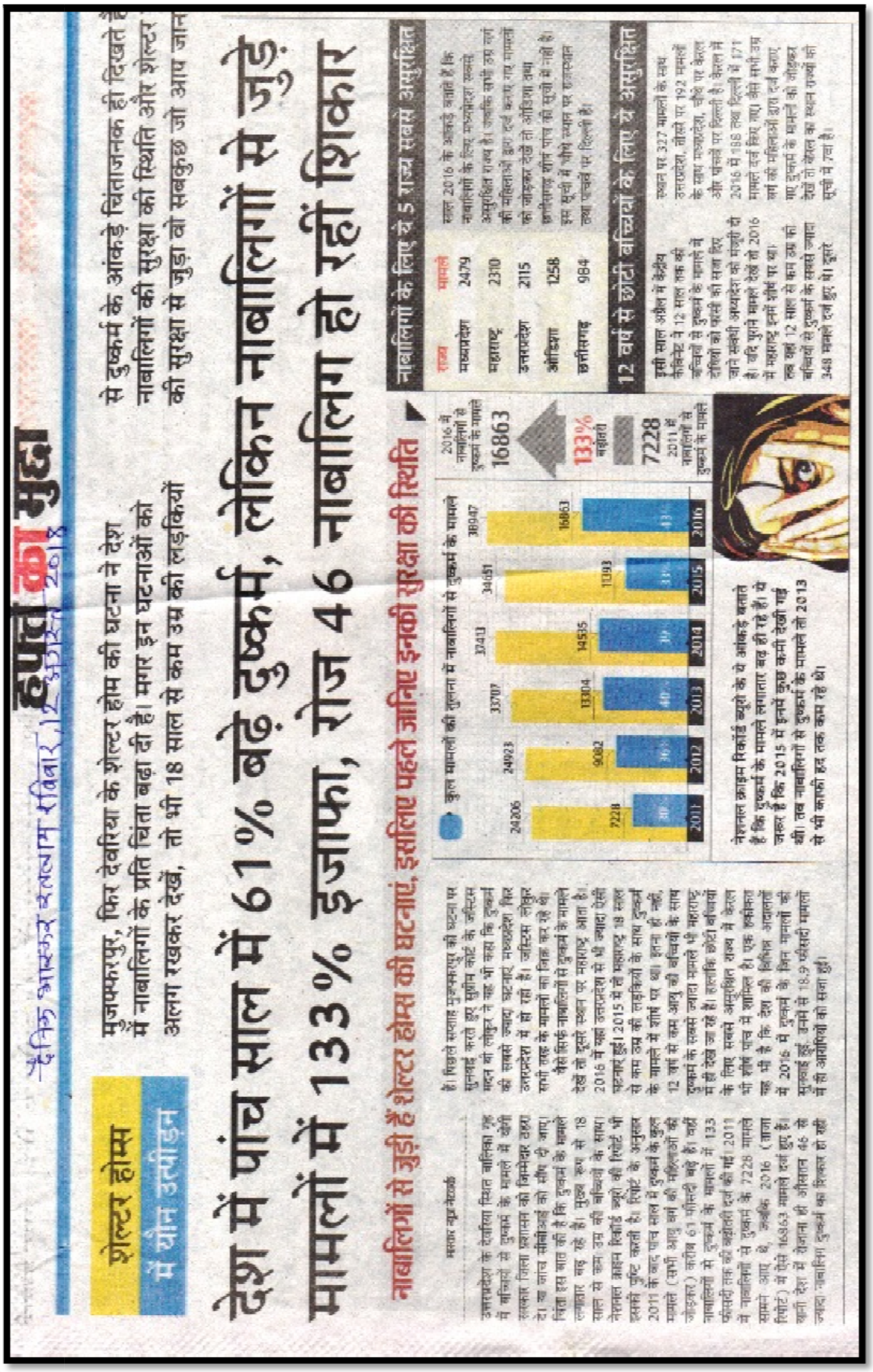

दैनिक भास्कर रतलाम रविवार, 12 अगस्त 2018

हफ्ते का मुद्दा

शेल्टर होम्स में यौन उत्पीड़न

मुजफ्फरपुर, फिर देवरिया के शेल्टर होम की घटना ने देश में नाबालिगों के प्रति चिंता बढ़ा दी है। मगर इन घटनाओं को अलग रखकर देखें, तो भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के आंकड़े चिंताजनक ही दिखते है नाबालिगों की सुरक्षा की स्थिति और शेल्टर की सुरक्षा से जुड़ा वो सबकुछ जो आप जान

देश में पांच साल में 61% बढ़े दुष्कर्म, लेकिन नाबालिगों से जुड़े मामलों में 133% इजाफा, रोज 46 नाबालिग हो रहीं शिकार

नाबालिगों से जुड़ी हैं शेल्टर होम्स की घटनाएं, इसलिए पहले जानिए इनकी सुरक्षा की स्थिति

भास्कर न्यूज़ नेटवर्क

उत्तरप्रदेश के देवरिया स्थित बालिका गृह में बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दे। या जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। चिंता इस बात की है कि दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2011 के बाद पांच साल में दुष्कर्म के कुल मामले (सभी आयु वर्ग की महिलाओं को जोड़कर) करीब 61 फीसदी बढ़े हैं। वहीं नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में 133 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2011 में नाबालिगों से दुष्कर्म के 7228 मामले सामने आए थे, जबकि 2016 (ताजा रिपोर्ट) में ऐसे 16863 मामले दर्ज हुए हैं। यानी देश में रोजाना ही औसतन 46 से ज्यादा नाबालिग दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। पिछले सप्ताह मुजफ्फरपुर की घटना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने यह भी कहा कि दुष्कर्म की सबसे ज्यादा घटनाएं मध्यप्रदेश फिर उत्तरप्रदेश में हो रही है। जस्टिस लोकुर सभी तरह के मामलों का जिक्र कर रहे थे।

वैसे सिर्फ नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले देखें तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। 2016 में यहां उत्तरप्रदेश से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं हुईं। 2015 में तो महाराष्ट्र 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में शीर्ष पर था। इतना ही नहीं, 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले भी महाराष्ट्र में ही देखे जा रहे हैं। हालांकि छोटी बच्चियों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य में केरल भी शीर्ष पांच में शामिल है। एक हकीकत यह भी है कि देश की विभिन्न अदालतों में 2016 में दुष्कर्म के जिन मामलों की सुनवाई हुई, उनमें से 18.9 फीसदी मामलों में ही आरोपियों को सजा हुई।

कुल मामलों की तुलना में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले

वर्ष	कुल मामले	नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले	प्रतिशत
2011	24206	7228	30%
2012	24923	9082	36%
2013	33707	13304	40%
2014	37413	14535	39%
2015	34651	11393	33%
2016	38947	16863	43%

2016 में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले 16863

133% बढ़ोतरी

7228 2011 में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े बताते हैं कि दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। ये जरूर है कि 2015 में इनमें कुछ कमी देखी गई थी। तब नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले तो 2013 से भी काफी हद तक कम रहे थे।

नाबालिगों के लिए ये 5 राज्य सबसे असुरक्षित

राज्य	मामले
मध्यप्रदेश	2479
महाराष्ट्र	2310
उत्तरप्रदेश	2115
ओडिशा	1258
छत्तीसगढ़	984

साल 2016 के आंकड़े बताते हैं कि नाबालिगों के लिए मध्यप्रदेश सबसे असुरक्षित राज्य है। जबकि सभी उम्र वर्ग की महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए मामलों को जोड़कर देखें तो ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ शीर्ष पांच की सूची में नहीं है। इस सूची में चौथे स्थान पर राजस्थान तथा पांचवें पर दिल्ली है।

12 वर्ष से छोटी बच्चियों के लिए ये असुरक्षित

इसी साल अप्रैल में केंद्रीय कैबिनेट ने 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। यदि पुराने मामले देखें तो 2016 में महाराष्ट्र इनमें शीर्ष पर था। तब यहां 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के सबसे ज्यादा 348 मामले दर्ज हुए थे। दूसरे स्थान पर 327 मामलों के साथ उत्तरप्रदेश, तीसरे पर 192 मामलों के साथ मध्यप्रदेश, चौथे पर केरल और पांचवें पर दिल्ली है। केरल में 2016 में 188 तथा दिल्ली में 171 मामले दर्ज किए गए। वैसे सभी उम्र वर्ग की महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामलों को जोड़कर देखें तो केरल का स्थान राज्यों की सूची में 7वां है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1) नारी सौन्दर्य और उत्पीड़न, संजय गौड़, बुक एनक्लेव, जयपुर प्रथम संस्करण, 2006

2) नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, श्रीमति मंजू शर्मा, मार्क पब्लिशर्स जयपुर, प्रथम संस्करण–2009

3) घरेलू हिंसा कारण एवं निवारण, डॉ. नरेन्द्र शुक्ल, डॉ. खेमसिंह डेहरिया, आविष्कार डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रथम संस्करण, 2011

4) भारतीय दण्ड संहिता 1860, डॉ. बसन्तीलाल बावेल, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद, 20वाँ संस्करण, 2007

5) नारी शोषण समस्या एवं समाधान, डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, प्रथम संस्करण, 2008

6) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, प्रो. मानचंद खंडेला, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रथम संस्करण, 2008

7) भारतीय इतिहास में नारी, डॉ. एस.एल. वरे, कैलास पुस्तक सदन, संस्करण–2007

8) महिला अधिकार एवं कानून, डॉ. रीता सक्सेना, रितु पब्लिकेशन जयपुर, प्रथम संस्करण, 2010

9) महिलाएँ समझे अपने कानूनी अधिकार, जे.के. वर्मा, राजा पॉकेट बुक, प्रथम संस्करण, 2013

10) महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण, दिव्या पाण्डे, 2005

11) दलित उत्पीड़न की परम्परा और वर्तमान, मोहन दास नैमिषराय, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2007

12) महिला एवं बाल कानून, डॉ. बसन्तीलाल बावेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद

13) भारतीय दंड संहिता 1860, डॉ. एन. वी. परांजपे, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद

14) महिला संरक्षण एवं न्याय, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2007

15) डॉ. पारस दिवान एवं शैलेन्द्र जैन (2006) यूनिवर्सल नई दिल्ली प्रकाशक।

16) भारत का संविधान, डॉ जयनारायण पाण्डे, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, छियालिसवाँ संस्करण

17) महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर विधायिका एवं न्यायपालिका का दृष्टिकोण, डॉ. पूनम खन्ना, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद

18) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, डॉ. बसन्ती लाल बाबेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, इक्कीसवाँ संस्करण, 2004

19) महिलाएँ एवं आपराधिक विधि, डॉ. बसन्ती लाल बाबेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण 2017

20) भारतीय दण्ड संहिता, 1860, डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि. जयपुर, द्वितीय संस्करण 2013

21) महिलायें एवं आपराधिक विधि, डॉ. फरहत खान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 2016

सन्दर्भ वाद सूची

1. मूलर बनाम ओरेगन, 12 एल.ए. 551
2. मोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 2003, एस.सी. 696
3. जगन्नाथ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थन, सीआर.एल.आर. 1979, राजस्थान, 228
4. तुलसीदास कानोलकर बनाम स्टेट ऑफ गोवा, ए.आई.आर. 2004, एस.सी. 978
5. के. वेंकटराव बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश, ए.आई.आर. 2004, एस.सी., 1874
6. अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ए.आई.आर. 2004, एस.सी., 1497
7. स्टेट ऑफ तमिलनाडू बनाम रवि उर्फ नेहरू, ए.आई.आर. 2006, एस.सी. 2568
8. संतोष कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश, ए.आई.आर. 2006, एस.सी. 3098
9. रामेश्वर कल्याणसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1952, एस.सी.आर. 377
10. प्रिया पटेल बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश, ए.आई.आर. 2006, एस.सी. 2639
11. भूपेन्द्र शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ए.आई.आर. 2003, एस.सी. 4684
12. सुधांशु शेखर साहू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, ए.आई.आर. 2003, एस.सी. 2136
13. प्रदीप कुमार बनाम यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, चण्डीगढ़, ए.आई.आर. 2005, एस.सी. 434
14. स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम सुरेश बाबू पुकराज पोरल, ए.आई.आर. 1994 एस. सी. 966
15. नागराजन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1926
16. दिलदारसिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 2006 एसी.सी. 3084
17. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली, ए.आई.आर. 1952 एस.सी.आर. 284
18. सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, ए.आई.आर. 1983, आंध्रप्रदेश, 355
19. एयर इण्डिया बनाम नरगिस मिर्जा, ए.आई.आर. 1981, एस.सी. 1829
20. भगवंती बनाम भारत संघ, ए.आई.आर.1989, एस.सी. 2033
21. प्रगति वर्गीज बनाम सिरील जॉर्ज वर्गीज़, ए.आई.आर. 1997 मुम्बई, 349
22. रेवार्थी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 835

23. सविता समवेदी बनाम रेल्वे बोर्ड, ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1618
24. मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1996 एस.सी.सी. 125
25. कुमारी के.एस. जयश्री बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1977, 3 उम.नि.प. 360
26. बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, ए.आई.आर. 1996 (3), एस.सी. 545
27. सी.वी. मुथम्मा बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1982, एसी.सी. 879
28. करतारसिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1956, एस.सी.आर. 476
29. सरला मुद्‌गल बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1995 (3), एस.सी.सी. 635
30. प्रगति वर्गीज़ बनाम सिरील जॉर्ज वर्गीज़, ए.आई.आर.1997, बम्बई, 349
31. नूर शाबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम, ए.आई.आर. 1997, एस.सी. 3280
32. बुद्धिसत्य गौतम बनाम कुमारी शुभ्रा चक्रवर्ती, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 922
33. स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1290
34. प्रमोद कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1964
35. श्रीमती रूपन देवल बजाज बनाम के.पी.एस. गिल, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 309
36. एस.सी. मलिक बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, नि.प. 1082 पटना, 2016
37. पाण्डुरंग सीताराम भागवत बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 643
38. रामकुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1965
39. स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम मन जन्ना, ए.आई.आर. 2000 सु.को. 2231
40. स्टेट बनाम टीकमचंद, ए.आई.आर. 1952, उड़ीसा 267
41. शत्रुघ्न बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश, 1993 क्रि.ला.ज. 120
42. स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम सुन्दरलाल, 1992 क्रि.ला.ज. 2579
43. विजयन तथा अन्य बनाम दी स्टेट, क्रि.ला.ज. 2364
44. केशव चन्द्र पण्डा बनाम स्टेट, 1995 क्रि.ला.ज. 174 (उड़ीसा)
45. कृष्णलाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 1994 क्रि.लॉ.ज. 3472 (पंजाब एण्ड हरियाणा)

46. भूरासिंह बनाम स्टेट, 1993 क्रि.लॉ.ज. 2636 (इलाहाबाद)
47. लिक्षमा देवी बनाम राजस्थान राज्य 1988 क्रि.लॉ.ज. 1812
48. हीरालाल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, ए.आई.आर. 2003, एसी.सी. 2665
49. तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 185
50. बलवन्तसिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1987, एस.सी. 1080
51. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम चन्द्रप्रकाश केवल चंद वैन, ए.आई.आर. 1990 एसी.सी. 658
52. नवाब खाँ बनाम स्टेट, 1990 क्रि.लॉ.ज. 1179
53. रफीक बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 559
54. कृष्ण लाल बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1232
55. रामचरण बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., 1993 क्रि.लॉ.ज. 1825 (एम.पी.)
56. स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम पद्मसिंह, 1996 ए.आई.एच.सी., 169 (इलाहाबाद)
57. पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ए.पी. हाईकोर्ट बनाम लिंगी शेट्टी स्त्रीनू, 1997 क्रि.लॉ.ज. 4003 (एम.पी.)
58. विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011
59. वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् बनाम ए.के. चौपड़ा, ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 625
60. लिलु उर्फ राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर., 2013 एस. सी. 246
61. डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस व अन्य बनाम सामूथिराम, ए.आई.आर. 2013 (1) एस.सी.सी. 598
62. बुद्धदेव कर्मकार बनाम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 2011 (10) एस.सी.आर. 577
63. मो. इकबाल व बन्य बनाम झारखण्ड राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 109—110/2011
64. स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम कृष्णाप्पा, 2000 क्रि.लॉ.ज. 1793 (एससी)
65. दिल्ली महिला आयोग बनाम दिल्ली पुलिस, क्रिमिनल रिट पीटिशन 696/2008

66. सीमा लापचा बनाम सिक्किम राज्य व अन्य, 2012 (2) स्केल
67. सत्या पाल आनन्द बनाम मध्यप्रदेश राज्य, एस.एल.पी. (क्रिमि.) नं. 5019/2012
68. अकील उर्फ जावेद बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, पॉलिटिकल एण्ड लॉ टाइम्स, अप्रैल, 2013 पृष्ठ 35
69. दामिनी मामला, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 28/08/2013

जर्नल्स

• ए.आई.आर.	आल इंडिया रिर्पोटर
• ए.एल.जे.	इलाहाबाद लॉ जर्नल
• ए.आई.आर.एस.सी.	ऑल इंडिया रिर्पोटर सुप्रीम कोर्ट
• क्रि.लॉ.ज.	क्रिमिनल लॉ जर्नल
• एस.सी.जे.	सुप्रीम कोर्ट जर्नल
• एम.पी.एच.सी.टी.	एम.पी.हाईकोर्ट टुडे
• क्रि.लॉ.रिव्यू	क्रिमिनल लॉ रिव्यू
• ए.आई.आर.एस.सी.डब्ल्यू	ऑल इंडिया रिर्पोटर सुप्रीम कोर्ट विकली
• एम.पी.एल.जे.	मध्यप्रदेश लॉ जर्नल
• एम.पी.वी.एन.एस.	मध्यप्रदेश विधि निर्णयसार
• एम.पी.एल.टी.	मध्यप्रदेश लॉ टाईम
• बी.एल.जे.	बाम्बे लॉ जर्नल
• आई.एल.आर.	इंडिया लॉ रिव्यू
• जे.एल.जे.	जयपुर लॉ जर्नल
• एस.सी.सी.	सुप्रीम कोर्ट केसेस
• जे.बी.सी.आई.	जर्नल ऑफ द बार काउन्सिल ऑफ इंडिया
• बी.एल.जे.	बनारस लॉ जर्नल
• जे.आई.एल.आई.	जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट
• आई.जे.एल.एस.	इंडियन जर्नल ऑफ लीगल स्टडी

पत्र–पत्रिकाएँ –

- दैनिक भास्कर
- दैनिक जागरण
- दैनिक स्वदेश
- नई दुनिया
- इंडिया टुडे
- द हिन्दुस्तान टाईम्स
- द इण्डियन एक्सप्रेस
- द हिन्दुस्तान
- प्रतियोगिता दर्पण

संदर्भित वेबसाइट (इन्टरनेट) की सूची :–

- **http:// en.wikipedia.org/wiki/rape**
- **http:// simple Wikipedia org/wiki/rape**
- **http:// www.hrw.org**

  वेबदुनिया फीचर डेस्क

परिशिष्ट-2

- कोर्स वर्क प्रमाण–पत्र
- पीएच.डी. पूर्व प्रस्तुति का प्रमाण–पत्र
- प्रस्तुत शोध–पत्रों से संबंधित प्रमाण–पत्र
- प्रकाशित शोध–पत्र
- शोध प्रबंध प्रस्तुती पूर्व शोध केन्द्र पर सम्पन्न साक्षात्कार का प्रतिवेदन

कोर्स वर्क प्रमाण-पत्र

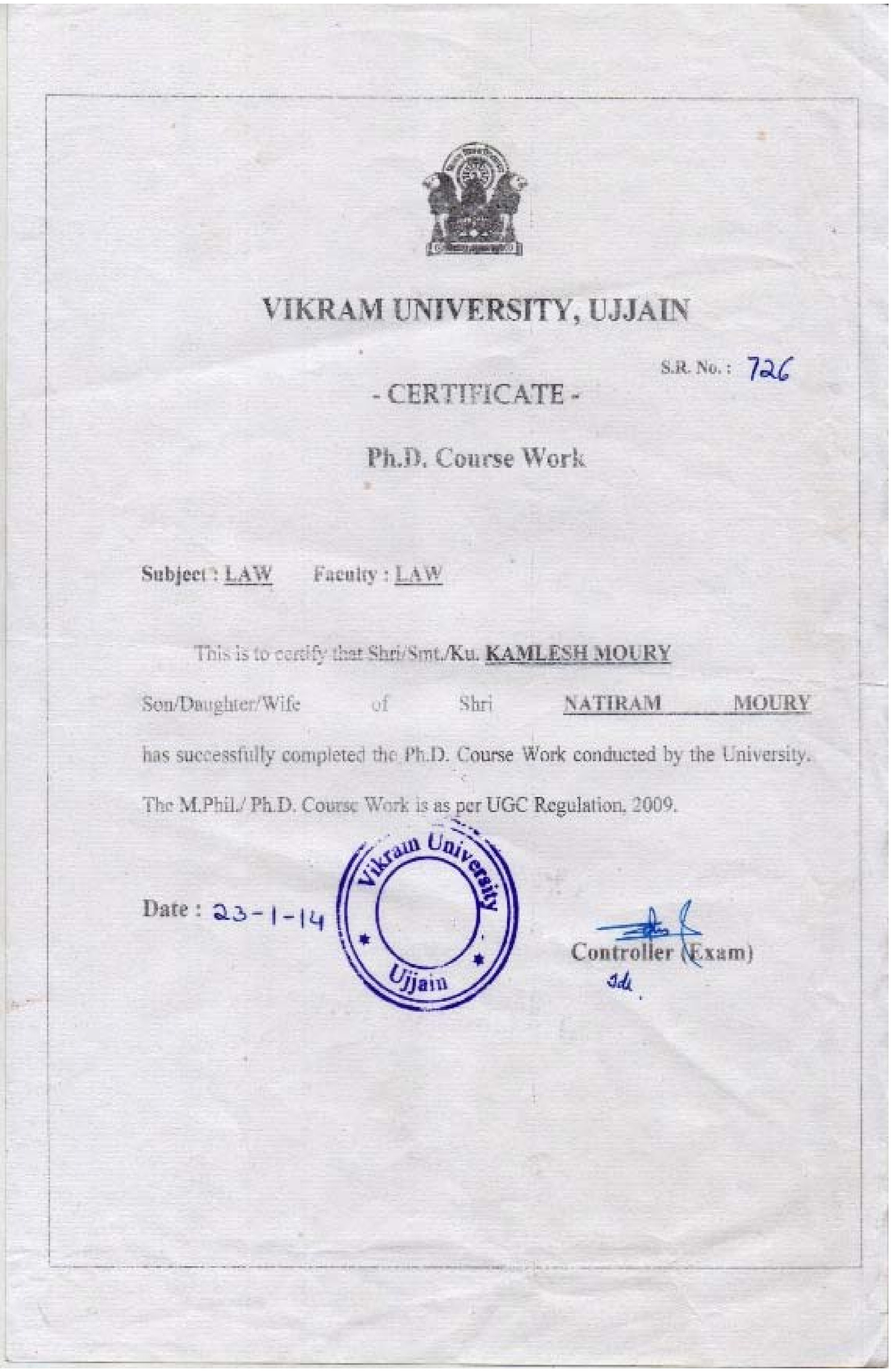

VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN

S.R. No. : 726

- CERTIFICATE -

Ph.D. Course Work

Subject : LAW Faculty : LAW

This is to certify that Shri/Smt./Ku. KAMLESH MOURY Son/Daughter/Wife of Shri NATIRAM MOURY has successfully completed the Ph.D. Course Work conducted by the University. The M.Phil./ Ph.D. Course Work is as per UGC Regulation, 2009.

Date : 23-1-14

Vikram University Ujjain

Controller (Exam)

पीएच.डी. पूर्व प्रस्तुति का प्रमाण-पत्र

कार्यालय प्राचार्य शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

दूरभाष : ऑफिस (0734) 2555376 **Email : govtlawcollegeujjain@gmail.com**

प्रमाण-पत्र

पीएच.डी. पूर्व प्रस्तुती

प्रमाणित किया जाता है कि **कमलेश मौर्य** शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन ने अपने शोध विषय **"बलात्कार विधि के बदलते आयाम : आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में - एक आलोचनात्मक अध्ययन"** पर शोध संक्षेपिका (समरी) जमा करते हुए शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) के शोध केन्द्र पर दिनांक 22/11/2018 को पीएच.डी. का प्री सबमिशन प्रजेन्टेशन (पीएच.डी. पूर्व प्रस्तुती) प्रस्तुत किया।

दिनांक : 22/11/2018

स्थान : उज्जैन

प्राचार्य

शास. विधि महाविद्यालय,

उज्जैन

Principal

Govt. Law College, Ujjain

जनता का यह पर्व है। वोट करना गर्व है।

प्रस्तुत शोध-पत्रों से संबंधित प्रमाण-पत्र

SCHOOL OF LAW

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA

TAKSHASHILA CAMPUS, KHANDWA ROAD, INDORE

'NATIONAL LEGAL WORKSHOP ON NEED FOR EFFECTIVE CYBER LAWS: TRENDS AND PROSPECTS'

Certificate

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs. KAMLESH KUMAR MOURY

From SCHOOL OF LAW, DAVV. Participated in

'National Legal Workshop on Need for Effective Cyber Laws : Trends and Prospects'

Organised by School of Law, D.A.V.V. Indore on March 22, 2012.

Date : March 22, 2012

A. Ranka

Organising Secretary

Dr. Archana Ranka

सा विद्या या विमुक्तये

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, मध्यभारत

शासकीय माधव कला, वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन

अधिवक्ता परिषद, उज्जैन

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमलेश मोर्य शोधार्थी

संस्था / विभाग शास. माधव महा. उज्जैन ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, अधिवक्ता परिषद, उज्जैन एवं स्नातकोत्तर विधि विभाग, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में **न्यायालयों में भारतीय भाषा का प्रयोग** विषय पर दिनांक 13 जुलाई 2014 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागिता की।

इस बौद्धिक समागम के अवसर पर आपके विचारों से सदन लाभान्वित हुआ। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

अशोक कड़ेल	मिश्रीलाल चौधरी	डॉ. एस.एन. शर्मा	डॉ. एल.एन. वर्मा
प्रांत संयोजक	अध्यक्ष	संयोजक कार्यशाला	प्राचार्य
शिक्षा संस्कृतिक उत्थान न्यास	अधिवक्ता परिषद, उज्जैन	विभागाध्यक्ष विधि	

NAAC द्वारा B ग्रेड से अधिमान्य एवं UGC से 2(f) 12(B) की सम्बद्धता

महाराजा महाविद्यालय

देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.)

एन.सी.टी.ई. से मान्यता एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त

राष्ट्रीय संविमर्श

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के सौजन्य से

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कमलेश मौर्य

पद नाम शोधार्थी संस्था शा० माधव विधि महाविद्यालय उज्जैन (म०प्र०) ने महाराजा महाविद्यालय उज्जैन

द्वारा आयोजित "डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्त्री-शिक्षा संबंधी विचारों की प्रासंगिकता" विषय पर

दिनांक 30 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय संविमर्श में सहभागिता की।

शोध-पत्र का विषय महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन

अध्यक्ष	कार्यकारी निदेशक	प्राचार्य
राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, उज्जैन	महाराजा महाविद्यालय, उज्जैन	महाराजा महाविद्यालय, उज्जैन

प्रकाशित शोध-पत्र

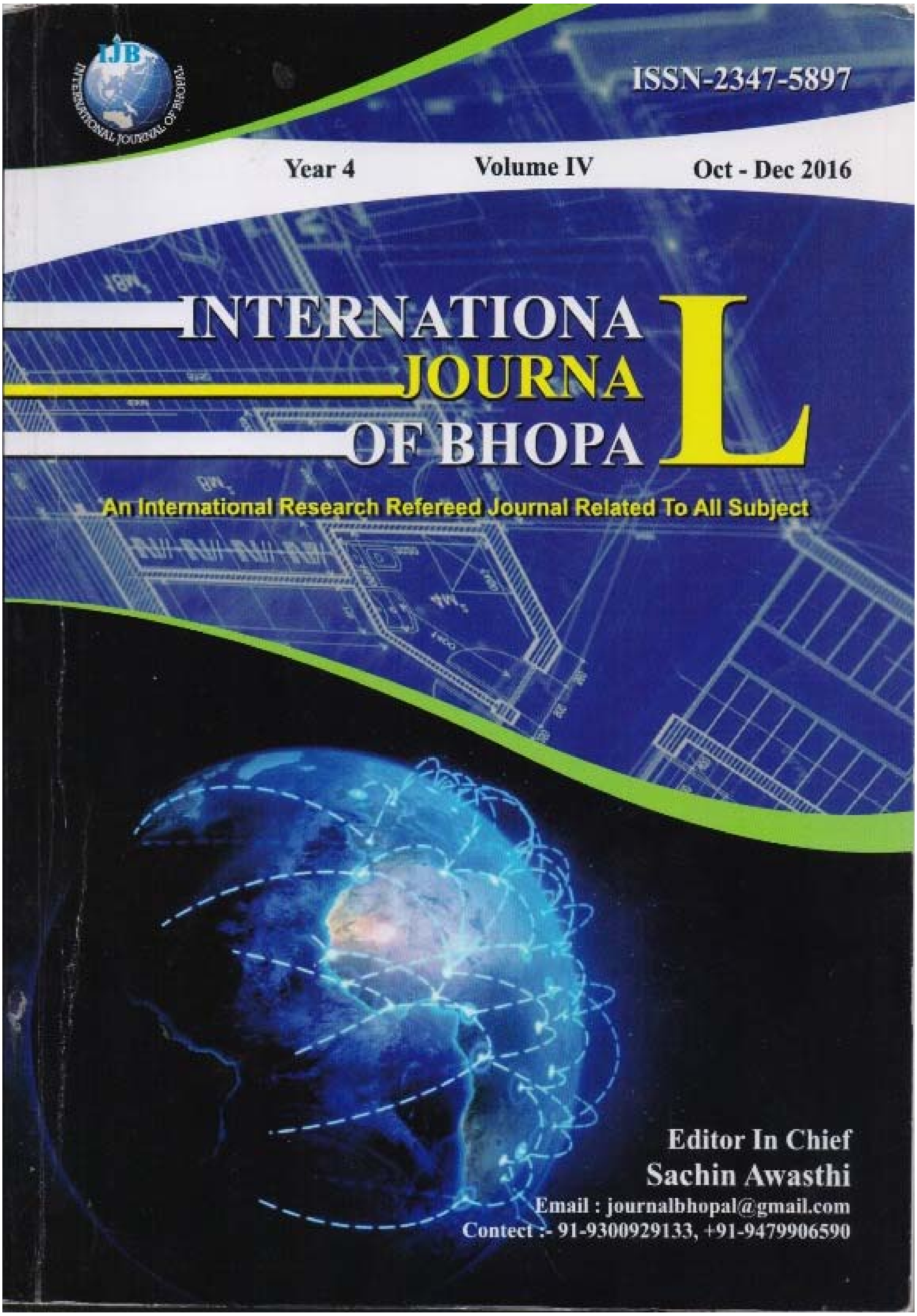
IJB
INTERNATIONAL JOURNAL OF BHOPAL
ISSN-2347-5897
Year 4
Volume IV
Oct - Dec 2016
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF BHOPAL
An International Research Refereed Journal Related To All Subject
Editor In Chief
Sachin Awasthi
Email : journalbhopal@gmail.com
Contect :- 91-9300929133, +91-9479906590

27. अपराध पीड़ितों की वर्तमान स्थिति एवं उनकी अपेक्षाएँ 103-107
* हितेश पाटीदार

28. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बड़वानी जिले मे भील जनजाति का भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी 108-111
* डॉ. दीपाली निगम

29. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना के अधिकार का महत्व 112-114
* डॉ. राधिकेश जोशी

30. भारत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न कानूनों का एक आलोचनात्मक अध्ययन 115-118
* कमलेश मौर्य

31. सामाजिक विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता 119-122
* सिकदारसिंह कलेश

32. अपराधों के निवारण में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीकों की भूमिका 123-125
* अकीला नागौरी

33. महाराजा छात्रसाल का साहित्य अनुराग 126-128
* डॉ. अर्पणा शर्मा

34. कालिदास के नाटकों में सामान्य नारी–स्वभाव 129-131
* डॉ. कल्पना पंचोली

35. मध्यप्रदेश में आदिवासियों का विकास – संक्षेप लेख 132-134
* डॉ. हरीश कुमार खरया

36. अलीराजपुर जिले में मनरेगा योजना का वित्तीय प्रबंध 135-137
* सिकदारसिंह कलेश

37. पंचायती राज और जनजाति समाज में परिवर्तन 138-139
* भूरसिंह निंगवाल

38. मध्यप्रदेश में अपराध पीड़ितों की स्थिति एवं अपेक्षाएँ 140-143
* हितेश पाटीदार

39. "आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का साहित्यानुशीलन" 144-146
* राजू प्रसाद राठौर

40. नागार्जुन की कविता में इतिहास बोध 147-149
* डॉ. भजनलाल परवान

41. आर्थिक आधार पर बालिकाओं में शाला त्यागने की स्थिति का अध्ययन 150-151
* डॉ. राखी कौशल

International Journal of Bhopal Year-4, Volume – IV, October - December 2016 ISSN-2347-5897

भारत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न कानूनों का एक आलोचनात्मक अध्ययन

कमलेश मौर्य
शोध छात्र विधि विभाग, शास. माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

शोध सारांश –

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न कानूनों का एक आयोजनात्मक अध्ययन किया गया है। वर्तमान समय में बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध प्रतिदिन समाचार–पत्रों रेडियों एवं टेलीविजन में प्रसारित किये जा रहे है जो कि मानवता के विरुद्ध है। ऐसी ही एक घटना दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई (निर्भया रेप काण्ड) जिसे सुनकर मानवता सिहर उठी, इंसानियत के रोंगटे खड़े हो गए एवं सारा विश्व इस घटना को सुनकर रह गया। इसी तारतम्य में वर्तमान कानूनों की कमियों का पता लगाना एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएँ सुरक्षित हो।

प्रस्तावना –

स्त्रियों के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते है। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष सम्मान एवं प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में हैं, तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है, अतः उनके अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में है। प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक मानते है उसे दुर्गा सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में पूज्य मानते है। उनके अनुसार स्त्री पुरुष की अर्द्धांगिनी है। वे यह भी मानते है कि –

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं यदि वास्तव में समाज ने नारी को यही स्थान प्राप्त है, तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार एवं हिंसा नहीं हो सकती नारी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण नारी को समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी हैं इसी कारण से समाज को उत्पीड़ित किया जाता है, उसका शोषण एवं दमन किया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है और उसकी हत्या तक कर दी जाती है।

"मूलर बनाम ओरेगन"

इस मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि "अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति में कर देते हैं।

सम्भोग प्रवृत्ति पर नियंत्रण एवं विवाह की पवित्रता बनाये रखने के लिए पत्नी पर पति के एकाधित्य को आवश्यक माना गया है। सम्भोग एक प्राकृतिक क्रिया है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द हो अर्थात् कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ सम्भोग या मैथुन करने के लिए स्वतन्त्र हो। यदि ऐसा होता तो मनुष्य एवं पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाता। यही कारण है कि हमने सम्भोग अथवा मैथुन को केवल पति–पत्नि के बीच ही मर्यादित कर दिया है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नि से अन्यथा किसी स्त्री के साथ सम्भोग अथवा मैथुन करता है तो वह विधिक भाषा में 'बलात्कार' की परिभाषा में दिये गये तृतीय श्रेणी का अपराध कारित करता है जो संहिता की धारा 375 एवं 376 के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है, जिससे नारी जाति + नारी शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सकें।

बलात्कार का अर्थ एवं परिभाषा –

बलात्कार या बलात्संग का सीधा अर्थ है, बलपूर्वक संग करना अर्थात् किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसके साथ जबरन सम्भोग करना बलात्कार या बलात्संग है।

परिभाषा – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375 में उन छः स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिसमें किसी महिला से मैथुन यानी सहवास करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा।

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

International Journal of Bhopal Year-4, Volume – IV, October - December 2016 ISSN-2347-5897

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि सम्मति, उसे उसके किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी हो।

चौथा – इस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरूष जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है, कि वह ऐसा पुरूष है, जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पाँचवीं – उस स्त्री की सम्मति से जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण उस बात की जिससे बारे, में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या बिना–सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन अनिवार्य है।

अपवाद– पुरूष का अपनी पत्नि के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है, जबकि वह पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

बलात्कार और यौन उत्पीड़न – बलात्कार क्या है, इसकी व्याख्या की जा चुकी है यौन उत्पीड़न के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि यौन दुर्व्यवहार में यौन सम्बन्धी कोई भी ऐसा व्यवहार शामिल है, जो महिला की गरिमा का गलत इस्तेमाल करता है, उसे अपमानित करता है, या किसी तरीके से उसकी गरिमा के खिलाफ कोई कार्य करता है, जैसे –

- सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करना या प्रताड़ित करने का प्रयत्न करना।
- जबरदस्ती उसके साथ चिपकने का प्रयास करना।
- सहवास के लिए पीटना।
- यौनांगों पर प्रहार करना और सहवास के लिए बाध्य करना।
- यौन क्रिया के दौरान अपमानित करना।
- अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए विवश करना या ब्लू फिल्म देखने के लिए मजबूर करना।
- ऐसा यौन व्यवहार करना, जिससे महिला की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।
- बालिकाओं के साथ यौन सम्बन्धी गलत व्यवहार करना।
- बच्चों के सामने यौन सम्बन्ध बनाने पर विवश करना।
- . अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों के लिए विवश करना।

आखिर बलात्कार क्यों होता है? अब इस पर विचार किया जा रहा है–

(अ) यह कोई मानसिक बीमारी है या पुरूषों के कठोर अहम और वासना से पैदा होने वाला दुर्गुण है।
(ब) यह अनपढ़, गरीब, मध्यम एवं उच्च वर्ग सभी में आम बात है।
(स) महिलाओं की पुरूष प्रधानता स्वीकार कर लेना।
(द) समाज, परिवार में बदनामी एवं असहयोग का डर।
(इ) पुलिस एवं न्यायालय व्यवस्था पर अविश्वास।

महिलाएँ विरोध क्यों नहीं करती?

(अ) परिवार की बदनामी।
(ब) पुरूष प्रधानता की गलत परम्परा।
(स) कानून की जटिलता।
(द) पुलिस एवं समाज द्वारा उत्पीड़न का भ्रम।
(इ) पीड़ित महिला को चुप करा दिया जाता है।
(ई) पीड़ित महिला को बदनामी एवं अन्धकारमय भविष्य का डर।

बलात्कार और यौन शोषण क्यों?

बलात्कार का कारण केवल बढ़ती हुई कामेच्छा या यौन चेतना ही नहीं होती इसके और भी अनेक कारण होते है। समाज में नैतिक नियमों की ढील और साहित्य, सिनेमा, इन्टरनेट, विज्ञापनों द्वारा निरन्तर उत्तेजक वातावरण का निर्माण तो प्रमुख कारण है ही, बलात्कारी का अपना मनोविज्ञान भी होता है। किन्हीं मामलों में हारमोन ग्रंथि की सक्रियता बढ़ जाने से कामेच्छा में वृद्धि और आदतन अपराध–वृत्ति के साथ इस अपराध का स्वभाविक रूप से जुड़ जाना भी हो

International Journal of Bhopal Year-4, Volume – IV, October - December 2016 ISSN-2347-5897

सकता है। लेकिन ऐसे मामले अधिकनहीं होते। अधिकतर तो व्यक्तित्व विकास के लिए उत्तरदायी पारिवारिक वातावरण और समय विशेष की सामाजिक परिस्थितियाँ ही इसके लिए जिम्मेदार होती है।

वर्तमान में सरकार ने महिलाओं के संरक्षण हेतु कड़े, कानून बनाये है जिसे आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 में स्पष्ट रूप से समझाया गया है, क्योंकि बलात्कार (Rape) को मानव शरीर के प्रति किये जाने वाले अपराधों में एक घृणित अपराध माना गया है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून :

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में महिला कानून :

लैंगिक उत्पीड़े से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने सम्बन्धी अभिसमय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतो द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार है, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है।

राष्ट्रीय विधि में महिला कानून :

भारतीय संविधा में :

भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारतीय संविधान न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी है अपितु समाज के कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करता है, महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख उपबन्ध किये गये है।

अनु. 14 – यह उपबन्धित करता है कि "भारत राज्य–क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।"
अनु. 15(3) – यह उपबन्धित करता है कि "कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।"
अनु. 16 – यह उपबन्धित करता है कि "राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।"
अनु. 21 – यह उपबन्धित करता है कि "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रतासे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नही।"
अनु. 23 – मानव का दुर्व्यापार एवं बलातश्रम का प्रतिषेध।
अनु.39(क)–राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष औरस्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
अनु. 39 – समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनु. 44 – एक समान सिविल संहिता।
अनु. 51 (क) (ड) – स्त्रियों के सम्मान के प्रति मूल कर्तव्य।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में प्रावधान :
धारा 354 – अगर कोई व्यक्ति स्त्री की मर्यादा को क्षति पहुँचाने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है। उसकी लज्जा भंग करने के लिए बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ता है या किसी अंग को छूता है, तो उसे दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते है।
धारा 376 – बलात्संग के लिए दण्ड।
धारा 376 (क)–प्रथक रहने के दौरान किसी पुरूष द्वारा अपनी पत्नि के साथ संभोग।
धारा 376 (ख)–लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में भी किसी स्त्री के साथ संभोग।
धारा 376 (ग)–जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग।
धारा 376 (घ)–अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी वृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग।
धारा 377 – प्रकृति विरूद्ध अपराध–जो कोई किसी पुरुष स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा। वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की जा सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रावधान :
धारा 53 (क) – बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा।
धारा 164 (क) – बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा।

International Journal of Bhopal Year-4, Volume – IV, October - December 2016 ISSN-2347-5897

भारतीय साक्ष्य अधि. 1872 में प्रावधान :

धारा 113 (बी) –दहेज मृत्यु की उपधारणा।

धारा 114 (क) – बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा।

धारा 119 – साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना।

महिला यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार के सन्दर्भ में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय :

(1) श्री बुद्धिमान गौतम बनाम शुभा चक्रवर्ती – के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार का अपराध मानव अधिकारों के विरुद्ध अपराध है। इससे जीने के अधिकार का अतिलंघन होता है। यदि कोई अध्यापक अपनी शिष्या के साथ भगवान के सामने विवाह कर उसके साथ संभोग करता है। गर्भपात कराता है तथा बाद में उसे पत्नी मानने से इंकार कर देता है तो यह एक घृणित कार्य है उच्चतम न्यायालय ने इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया तथा शिष्या को मामले के विचारण काल तक शिक्षण से रू. 1000 प्रतिमाह प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का आदेश दिया।

(2) स्टेट ऑफ राजेस्थान बनाम ओम प्रकाश – इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि बलात्कार मानवता के विरुद्ध अपराध है। ऐसे अपराधों के निवारण हेतु न्यायालय का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों में उदारता नहीं बरते।

(3) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह – के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्येक महिला को जीने का मूल अधिकार है और बलात्कार उसके इस अधिकार का अतिलंघन करता है। अतः ऐसे मामलों में सख्ती बरती जानी चाहिए।

(4) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह – के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि बलात्कार जैसे मामलों की सुनवाई यथा सम्भव महिला न्यायाधिशों द्वारा की जानी चाहिए तथा बन्द कमरे में की जानी चाहिए। इसका कारण यह बताया गया कि सामान्यतः बलात्कार के मामले में बलात्कार की शिकार महिला न्यायालय में खुलकर ब्यान नहीं दे पाती है। उन्हें कई बार जिरह में परेशान किया जाता है। फिर बलात्कार की शिकार महिला अपने भावी जीवन को कलंकित होने से बचाने के लिए भी सही बात नहीं कह पाती है।

(5) एपरेल एक्सपोर्ट परमोशन कौंसिल बनाम ए.के. चौपड़ा – के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कौंसिल के अध्यक्ष के निजी सचिव ए.के. चौपड़ा द्वारा कौंसिल की एक महिला कर्मचारी के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास को महिला की गरिमा के प्रतिकूल मानते हुए कहा कि ऐसा कर्मचारी सेवा से पृथक किये जाने योग्य है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस मत को नाकार दिया कि यौन उत्पीड़न के लिए शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक है।

(6) विशाका बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान – कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के सर्वोच्च न्यायालय यह कहा है कि बदलते परिवेश में महिलाएँ कामकाज के क्षेत्र में आगे आई है। वे पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी है। लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उनके जीने के अधिकार का हनन होता है। अतः कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ आवश्यक विद्या निर्देश जारी किये हैं –

यथा – संस्था का कार्य स्थलों के नियोजको या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य– यह संस्था के एवं कार्यस्थल के नियोक्ताओं का एवं जिम्मेदार अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि इन स्थलों पर कार्यरत महिलाओं के यौन शोषण को निवारित करें, घटित होने से रोके तथा ऐसे कृत्यों के निदान, निष्पादन एवं अभियोजन के लिए अपेक्षित उपाय करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1) श्रीमति मंजू शर्मा–नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, मार्क पब्लिशर्स जयपुर, प्रथम संस्करण 2006, पृ.क्र.169
2) डॉ. बसन्तीलाल बाबेल : भारतीय दण्ड संहिता, 1860, 20वीं संस्करण 2007, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पृ.क्र. 303
3) पी.के. वर्मा, महिलाएँ समझे अपने कानूनी अधिकार राजा पॉकेट बुक्स प्रथम संस्करण 2013, पृ.क्र. 128
4) डॉ. राजबाला सिंह – मानवाधिकार और महिलाएँ, अविष्कार पब्लिशर्स, संस्करण 2011, पृ.क्र. 93
5) डॉ. राजकुमार, नारी–शोषण समस्याएँ एवं समाधान अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण, 2008, पृ.क्र. 95–96
6) ए.आई.आर. 1996, एस.सी. 922
7) ए.आई.आर. 2002, एस.सी. 2236
8) ए.आई.आर. 2004, एस.सी. 1290
9) ए.आई.आर. 1996, एस.सी. 1393
10) ए.आई.आर. 1999, एस.सी. 62

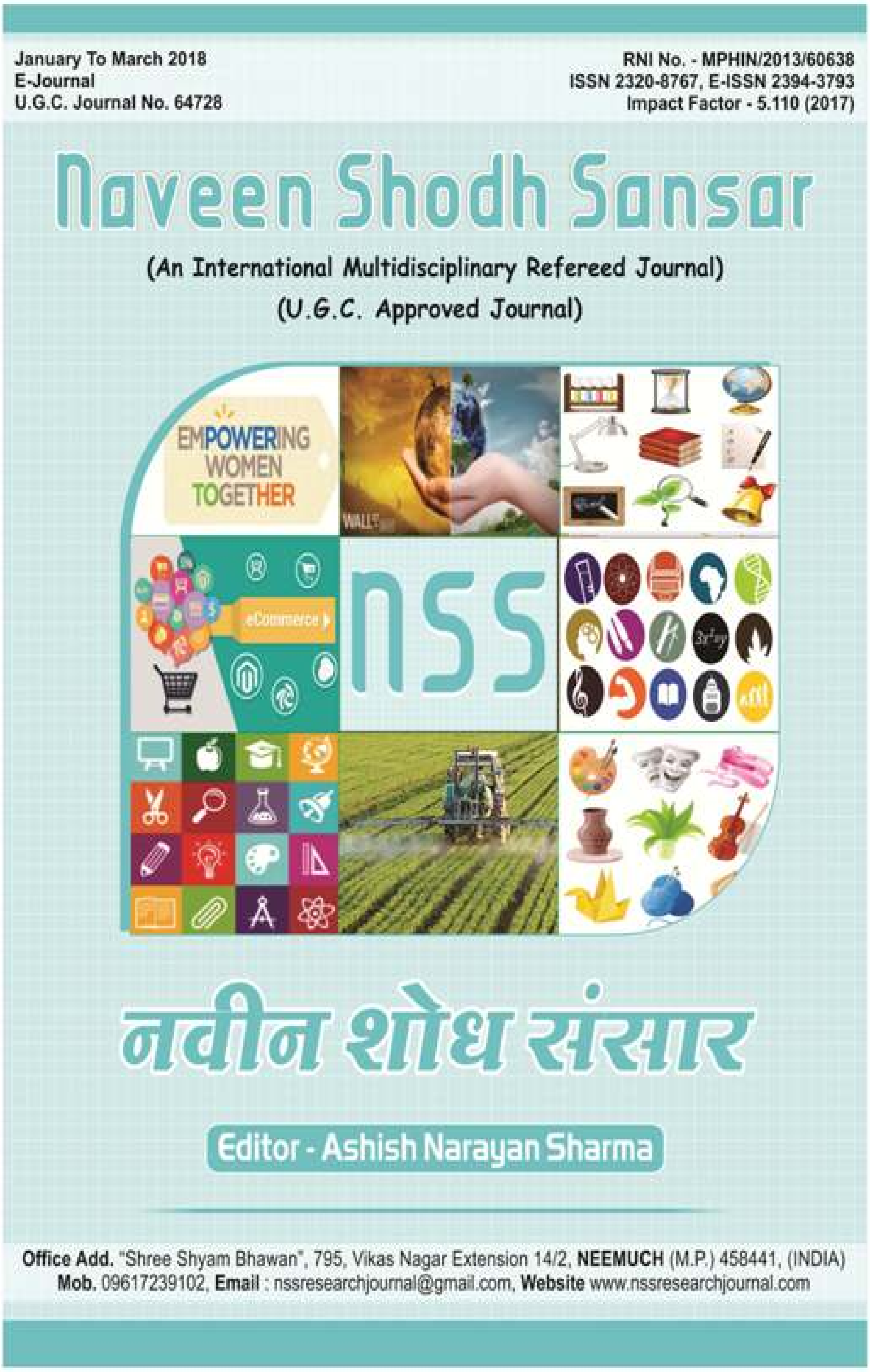
January To March 2018
E-Journal
U.G.C. Journal No. 64728
RNI No. - MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.110 (2017)
Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)
EMPOWERING WOMEN TOGETHER
eCommerce
NSS
नवीन शोध संसार
Editor - Ashish Narayan Sharma
Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728) 7
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018 E-Journal

154. भीमल रेशों द्वारा धागों का निर्माण कर उत्तराखण्ड के घरेलू उद्योगों के लिए एक योगदान (गुँजा सोनी) 447
155. Career Lattice Model - A Meaningful link between pre-service, in-service, and continuing 450
education (Dr. Premlata Gandhi)
156. पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन 453
(रेखा दाधीच, डॉ. अनिता कोठारी)
157. Robo Tutor- A Research on Future of Teaching (Dr. Premlata Gandhi) 455
158. A Study on Financial Performance of Stock Exchange in India (Chanda Parmar) 459
159. Analyzing Impact Of Online Social Platform On Internet Buying Behavior (Dr. Ganpat Joshi) 463
160. Practises for Building Quality Software with Automation: A Practical Approach 466
(Vikas Kumar Choudhary, Dr. Sanjay Chaudhary)
161. बदलते परिदृश्य में अभिजात महिलाओं की स्थिति की भूमिका (डॉ. रोमा श्रीवास्तव) 469
162. महेश्वर हथ करघा उद्यमियों में योगासन के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना (प्रतिष्ठा दासौंधी, डॉ. मंजु शर्मा) ... 471
163. मध्यप्रदेश में आदिवासी जनजातियों द्वारा वनोषधियों का संग्रहण के आर्थिक महत्त्व तथा संभावनाओं का 473
भौगोलिक अध्ययन (डॉ. सुमनलता पुरोहित, मिताली पॉल)
164. मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन : एक समीक्षा (डॉ. ओम प्रकाश परमार) 476
165. A Study on Green Initiative Product of FMCG Companies (Mrs. Usha Sharma, Dr. Deepak Singh)..... 478
166. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन (2004-2005) एक विश्लेषणात्मक विवेचन (डॉ. अमृतलाल परमार) 481
167. Influence of Period of Investment on the Investment Decision Factors (Mradul Panthi) 484
168. Customer Satisfaction In Online Banking Services - An Over View 487
(Suman Gunjetia, Dr. Payal Sachdev)
169. Issues And Challenges Related To Pedagogical Strategies For Inclusive Education 490
(Dr. Monisha Mishra, Alka Asati)
170. मध्यप्रदेश के निमाड़ में पर्यटन उद्योग की समस्याएँ और समाधान (डॉ. सुनील मोरे) 494
171. जनजातीय विकास का भौगोलिक अध्ययन (संदीप कुमार सिंह, डॉ. सुमन सिंह) 496
172. Planning and Control System in Banks in India : Some Aspects (Dr. Sushma Maheshwari) 498
173. भारिया जनजाति पर वैश्वीकरण का प्रभाव (डॉ. पूजा तिवारी) 506
174. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का राजनैतिक चिन्तन (डॉ. नवीन कुमार, पुष्पा साकेत) 508
175. महिला सशक्तिकरण एक विधिक अध्ययन (राकेश कुमार चौरासे) 510
176. महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन (कमलेश मौर्य) 512

NSS Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728) 512
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018 E-Journal

महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन

कमलेश मौर्य *

प्रस्तावना - प्राचीन काल से ही नारी की पूजा होती रही है तथा उसे बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा उनका समाज में सम्मान जनक स्थान था। उन्हें 'गृहलक्ष्मी' तथा 'गृह मंत्री' जैसे सम्मान जनक शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है।

'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते,
रमन्ते तत्र देवता:।'

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है।

भारत एक प्रसिद्ध देश है जो प्राचीन समय से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, परम्परा, धर्म और भौगोलिक विशेषताओं के लिये जाना जाता है। लेकिन महिलाओं के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण विद्यमान है। क्योंकि सामाजिक रूप में भारत एक पितृसत्तात्मक प्रधान देश है अर्थात समाज में पुरूष की प्रधानता सर्वोपरि मानी गयी है। इस कारण महिलाओं को पुरूष के समकक्ष या समानता से परे देखा जा सकता है। इस कारण प्रारम्भ से ही महिलाएँ उत्पीड़न, शोषण और उपेक्षा की शिकार होती रही हैं एवंउन्हे घर की चार दीवारी तक सीमित रखा गया है। परन्तु जैसे-जैसे समय बदलता गया महिलाओं में जागरूकता (शिक्षा) बढ़ती गई। वैसे-वैसे उनके अधिकारों में भी परिवर्तन की लहर चल पड़ी एवं पुरूषों के साथ कांधे-से-कांधा मिलाकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मूलर बनाम ओरेगन - इस मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि 'अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्यकार्य उन्हे दु:खद् स्थिति में कर देते है।'

भारत के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने महिलाओं के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये है एवं महिलाओं को सुरक्षित रखने हेतु समय-समय पर मार्गदर्शक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह अतिआवश्यक है कि महिलाओं का सम्मान करे। एवं उन्हे राष्ट्र निर्माण हेतु प्रोत्साहित करे।

महिला उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानून । विभिन्न राष्ट्रों में नारी उत्थान हेतु लम्बे समय से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में महिलाओं को न तो उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है और न ही अन्य विभिन्न कानूनों की इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों का एक विधिक अध्ययन शोध लेख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत - भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारतीय संविधान न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी है, अपितु समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना है, महिलाओं की दैयनीय स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख उपबन्ध किये गये है जो निम्नलिखित हैं :-

अनुच्छेद 14 : यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15 (3) : यह उपबंधित करता है कि कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16 :यह उपबंधित करता है कि राज्य के आधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है।

अनुच्छेद 19 :इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह उपबंधित किया गया है कि महिलाओं को देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है एवं यह उनका मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 21 : यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 23 :मानव का दुर्व्यापार एवं बलातश्रम को प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 25-28 :इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 29-30 : इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकारों को उपबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 32 :यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है।

अनुच्छेद 34: समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39 : (क) राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 40:पंचायती राज व्यवस्थाओं में 73 वे 74 वे संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद 41: असमान्य आवश्यकताओं (बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा) में सहायता।

अनुच्छेद 42: प्रसूती सहायता (135 दिनों का अवकाश) हेतु उपबंधित है।

अनुच्छेद 43: पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु सहायता

अनुच्छेद 44: एक समान सिविल संहिता

* शोधार्थी (विधि विभाग) शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728) 513
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) January To March 2018 E-Journal

अनुच्छेद 51 (क) (ड.): स्त्रियों के समान के प्रति मूल कर्त्तव्य

भारतीय दण्ड संहिता 1860 - भारतीय दण्ड संहिता 1860 में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान। 304-बी देहज मृत्यु अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्थाऐं की गयी है। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग, धारा 366 में अपहरण धारा 376 में बलात्कार, धारा 498 क में निर्दयता पूर्ण व्यवहार करना तथा धारा 292 से 294 तक में विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वालों में पर रोग लगा दी गयी है। धारा 493 से 498 में विवाह संबंधी अपराधों के बात में सजा के प्रावधानों की व्यवस्था है।

अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम-2013 - इस अधिनियम में बलात्कार के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इस के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। एवं अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पहले भी दोषी ठहराये गये या अपराध की पुनरावृत्ति करने पर दोषी ठहराये हुए अपराधी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के कारण-पोषण का प्रावधान किया गया है।

पुलिस एक्ट 1965 - किसी भी महिला की गिरफ्तारी की दशा में पुलिस को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस थाना ले जाते समय किसी भी महिला को हथकड़ी नहीं लगाई जायेगी एवं उसे अपने पसंद के किसी भी वकील से परामर्श करने का अधिकार है। एवं गिरफ्तार महिला की तलाशी सिर्फ एक महिला अफसर ही ले सकेगी।

निष्कर्ष - भारतीय संविधान में लिंग समानता के स्त्रियों के अधिकार की आधारशिला माना गया है। इस आधार पर उनको, न केवल पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया गया बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, व्यवसाय, उत्तराधिकार, व्यापार, घरेलू खानपान यहाँ तक की वैवाहिक जीवन में भी समान अधिकारों का प्रावधान किया गया है। किन्तु संस्कृति में पत्नि को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी शब्द इस बात का द्योतक है कि अपने पति के जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से अधिकारी है। सैद्धान्तिक रूप से तो इस विचार को स्वीकार किया जाता है किन्तु व्यवहारिक रूप से परिवारों में भारतीय नारी की प्रास्थिति अभी भी पर्याप्त रूप से गिरी हुई है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय कानूनों का उचित कार्यान्वयन किया जाना अति आवश्यक है, एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, साथ ही महिलाओं से उनके अधिकारों के विषय में जागरुकता दी जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बदलता सामाजीक परिवेश - मानचंद खंडेला, 2008, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, (राजस्थान)
2. महिला अधिकार एवं कानून जागरूकता, प्रावधान एवं उपयोगिता- डॉ. रीता सक्सेना, 2010, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. भारत का संविधान-डॉ. जय नारायण पाण्डेय, 2008, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद
4. भारतीय दण्ड संहिता 1860-डॉ. बसन्तीलाल बावेल, 2007 सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873 डॉ. बसन्तीलाल बावेल, 2007 सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद

****

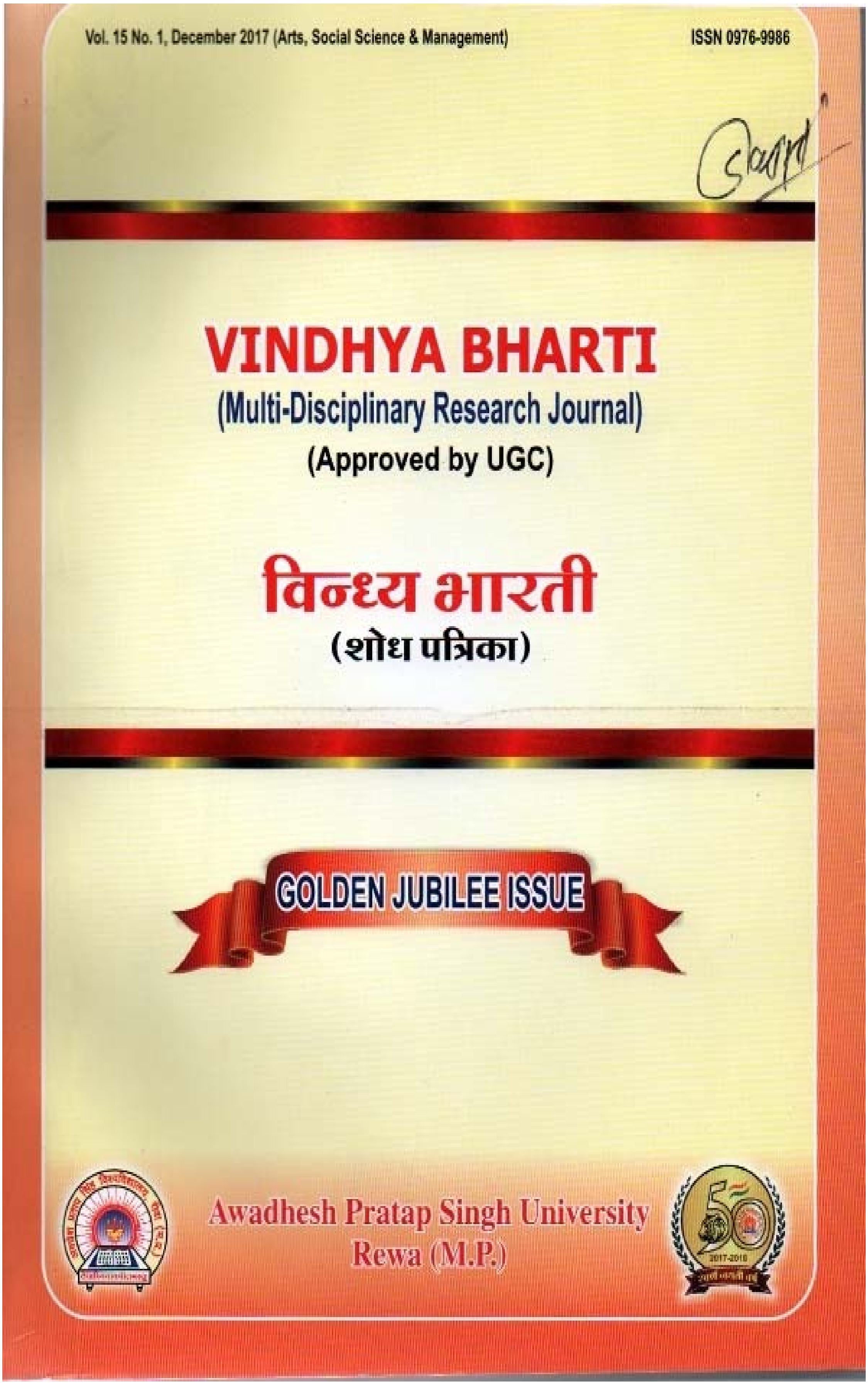
Vol. 15 No. 1, December 2017 (Arts, Social Science & Management)
ISSN 0976-9986
VINDHYA BHARTI
(Multi-Disciplinary Research Journal)
(Approved by UGC)
विन्ध्य भारती
(शोध पत्रिका)
GOLDEN JUBILEE ISSUE
Awadhesh Pratap Singh University
Rewa (M.P.)

Content

1.	Rooting Feminism to India	Prof.Shubha Tiwari	01
2.	Modern Indian Women Writers : An Overview	Nalini Gupta	04
3.	Relition and Secularism in Literature : A Reflection	Prof.Mrinal Srivastava	07
4.	आत्मकथा परम्परा और हरिवंश राय बच्चन	डॉ. प्रभा सिंह	10
5.	भारतीय नारी, नये प्रश्न और नयी चुनौतियाँ	डॉ.राघवेन्द्र तिवारी एवं वर्षा सिंह	15
6.	साहित्य और पत्रकारिता के अन्तः सम्बन्ध	डॉ.बारे लाल जैन एवं वर्षा तिवारी	20
7.	चित्रा मुद्‌गल के कथा साहित्य और स्त्री संघर्ष	मोनिका कुशवाहा	23
8.	रीतिकालीन कवियों का सौन्दर्य कबोध	डॉ.मधुलिका दुबे एवं वर्षा तिवारी	27
9.	लोक जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता	डॉ.मृगेश कुमार निरत	31
10.	रामायण का वर्ण्यविषय दार्शनिक चिन्तन	डॉ.सरोज सिंह	35
11.	ग्रामीण विकास में कृषि उद्योग की भूमिका : एक विश्लेषण	प्रो.दीपा श्रीवास्तव एवं पूजा शुकला	39
12.	उपभोक्तावाद एवं भयावह समस्या : आखिर उपाय क्या	प्रा.एन.पी.पाठक एवं डॉ.सुनील कुमार	43
13.	धर्म व विज्ञान का एक आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ.रश्मि तिवारी एवं डॉ.आराधना मिश्रा	50
14.	वैदिक काल में यज्ञ परम्परा	डॉ. स्मिता मिश्रा	54
15.	पिण्डारियों के इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन	डॉ.शालिक राम मिश्र	57
16-	Impact of Intervention Strategies in Promoting Mental Health of Adults	Dr.Anupam Singh, Dr.Preetam Singh Dr.Shashank Pandey	61
17.	Work Passion : A Pre-requisite for Organization Productivity	Arti Chaturvedi & Prof.Anjali Srivastava	67
18.	संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारो का अध्ययन	डॉ.शशि त्रिपाठी एवं अजय चौधरी	70
19.	गांधी जी के मत में आदर्श राज्य की अवधारणा	स्मिता तिवारी	74
20.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन	डॉ.दिव्या श्रीवास्तव	77
21.	पर्यावरण के प्रति बच्चों में अभिवृत्ति का शैक्षिक विकास	डॉ.स्वर्णलता तिपाठी	81
22.	भारत केन्द्रित शिक्षा एवं उसकी प्रतिस्थापना में शिक्षक की भूमिका	डॉ.देवेन्द्र कुमार मिश्र डॉ.कमलाकर प्रसाद पाण्डेय	84
23.	A Study of Academic Achievement and Mental Health of Secondary Level Students with Respect to Gender Differences	Dr.D.S.Baghel & Preeti Parmar	90
24.	अनुसूचित जनजातियों में शैक्षणिक दशा का समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ.एम.एम.द्विवेदी एवं सरस्वती राठौर	92
25.	शास्त्री संगीत की अद्वितीय स्वर धारा मैहर वाद्यवृन्द एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच	डॉ.संतोष कुमार पाठक एवं वाणी साठे	96
26.	संगीत शिक्षण पद्धति आधुनिक परिप्रेक्ष्य में	वाणी साठे	98
27.	अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन	डॉ.श्रीकान्त मिश्र	101
28.	भारतीय नीतिकारों के चिन्तन में मानवीय मूल्यों की दार्शनिक विवेचना	देवदास साकेत	104
29.	पर्यावरण प्रबन्धन एवं ऑडिटिंग	कु.ज्योति गोयल	110
30.	IDEA of God in Nyaya Philosophy, A Brief Survey	Sarla Sahu	113
31.	Research Journal on Moksha according to Arya Samaj	Dr.Suman Singh	116
32.	Role of Value Education to Prevent Violence Against Women	Dr.Satya Deva Mishra	118
33.	Yoga Sadhana for the life-style dis-ease	Dr.Sanjay Baraskar	122
34.	Causes And Symptoms of Malnutrition in Adolescent Girls of India	Dr.Urmila Sharma & Tarika Singh	127

35.	Infants and Breast Feeding	Dr.Monica Joshi	130
36.	Governance in India : Initiative and Challenges	Dr.Archna Katoch	132
37.	Effect of Faculty of Job Satistaction on Student Work Performance	Dr.Preagya Singh, Shweta Hotwani & Prof.Anjali Srivastava	136
38.	Role of Social Media Marketing in Building Brand Loyalty	Prof.Deepa Shriavastava & Nancy Motwari	143
39.	Impact of Sales Promotion Schemes on Consumer Satisfaction Level in Food and Beverage	Dr.Anand Singh & Dr.Atul Pandey	146
40.	A. Empirical Study on Online Shopping Behavior of Hostelerw With Sepecial reference to Rewa city	Alka Digwani	151
41.	Benefit and Techniques of Covert Advertising in India	Anshula Kushwah	155
42.	A Study on the Perception of Customer Towareds Promotional Strategies used in Bollywood Movies with Special reference to Undergraduate Students of Cewa city	Pankaj Singh, Harshit Pratap Singh Alka Digwani	160
43.	Social Media as a Tool of E-marketing	Prof.Deepa Srivastava Monika Pandey	164
44-	Performance Management System as Prism Cement Limited Satna (M.P.)	Dr.Sushma Tiwari & Dr.Sunil Kumar Tiwari	169
45.	Ethics and Values in Indian Women Perspective	Dr.Usha Tiwari	173
46.	Rural Tourism a Boon to Indian Economy	Isha Kaur Rakhra & Dr.Anjana Dubey	176
47.	A Study of Consumer Behaviour and Demand for Packaged Milk with special reference to Indore city	Dr.Utkal Kushwaha	180
48.	A Study of Skill Development	Kirti Gautam & Dr.R.P.Gupta	185
49.	E-Marketing - A New Way for Business	Smita Sahu & Dr.Abdul Hakim	189
50.	बाल श्रम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रय एवं राष्ट्रीय कनूनों का अध्ययन	कमलेश मौर्य	191
51.	सूत्रकालीन शिक्षण व्यवस्था	डॉ.नीलम श्रीवास्तव	196
52.	अंतरविश्वविद्यालय कबड्डी के खिलाड़ियों की शारीरिक शिक्षा एपं खेलों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ.रामरजी मिश्र	200
53.	विवेकानन्द साहित्य में मोक्ष का स्वरूप	डॉ.रश्मि पटेल	203
54.	A Comparative Study of Social Intelligence of Single Child and Child with Sibling	Nirdosh Chauhan & Prof. Ashok Kuamar Srivastav	208

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

बाल श्रम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन

कमलेश मौर्य

सारांश :

हमारे सामने बालश्रम एक गंभीर समस्या है, कि ये बालक कैसे सुशिक्षित सभ्य नागरिक बनकर भारत के विकास में अपना योगदान दे। इन बालकों को भी इस प्रकार की सुविधाएँ व अवसर प्रदान किये जाये। जिससे वे भी सुखी जीवन बिता सकें। इसके लिए हमें उनके जीवन रूपी किताब खोलकर देखना होगा व जीवन की समस्याओं का सूक्ष्म अन्वेषण करने पर ही उनका भविष्य सुधारा जा सकता है। यह शोधपत्र इस प्रयास को पाने का पहला कदम है।

बाल्यावस्था जीवन की बगिया रूपी राष्ट्र की वह सुन्दर कली है, जिसे पुष्प के रूप में खिलकर राष्ट्र को महकाना होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति भी विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि विकास होता है। बाल्यकाल में ही विकास की नीव रखी जाती है। क्योंकि आज का बालक ही भावी जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता हैं। बालक शब्द का अर्थ हैं, "वह व्यक्ति जिसने अभी युवावस्था प्राप्त नहीं की और युवावस्था का तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता से होता है।

बाल मजदूरी (निषेध और नियन) अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे की परिभाषा हैं। "वह जो 14 साल की उम्र से कम का हो।" इस प्रकार किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक एवं शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।"

बाल्य जीवन के महत्व को भारतीय ऋषि मुनियों ने भी बताया है, जो आज भी संस्कृत साहित्य में धरोहर के रूप में संजोए रखा है। यह ही नहीं पाश्चात्य विद्वानों ने वो यहाँ तक सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं, कि बाल्यावस्था में ही जीवन के निर्माण पर ही व्यक्ति के तीवन की सफलता या असफलता निर्भर करती हैं बाल्यकाल को ही शिक्षण काल कहा गया है। हम इसी अवस्था में भाषा, कौशल, अच्छी-बूरी आदतें आदि सीखते हैं। शिक्षण अलग-अलग होकर बाद तें समन्वित हो जाता है। जिसे हम व्यवहार सभा रूप में जानते हैं। इस तरह हमारे जीवन पर्यन्त प्रभावित करने वाले व्यवहार समानरूप की नीव बचपन में ही पड़ती है।

वर्तमान समय में देश में बाल कल्याण का जन्म बाल श्रम के प्रचलन के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिकरण ने जहाँ लघु और वृहत उद्योगों का विकास किया वही मालिकों के मन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। अतः मालिकों को बालक के रूप में वह श्रमिक दृष्टिगोचर होता है, जिसे कम वेतन देकर अधिक से अधिक कार्य लिया जा सके। इन बाल श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। अधिक श्रम करने के फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। युवावस्था के बाद ही अधेड़ावस्था तक तो यह बालक रूपी श्रमिक विभिन्न मुसीबतों को झलते हुए स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। इसी तरह की शिक्षा व अपने बच्चों को भी देता है।, जो उसे उसके माता-पिता से विरासत में मिली है और फिर शुरू होता हैं। "एक नये बाल श्रमिक का जन्म" व सिलसिला जारी रहता है। आज का बालक ही कल का नागरिक बनेगा।

बाल श्रम की उत्पत्ति :-

बाल श्रम का उद्‌भव तब हुआ जब पूँजीवादी वर्ग द्वारा मुनाफा बढ़ाने का उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों का सामाजिक व अमानवीय शोषण किया गया। जहाँ अमेरिका में पूँजीवादी व्यवस्था की मजबूती हेतु दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। वही पूँजीवाद के जन्मदाता देश इंग्लैण्ड में 1853 में चार्टिस्ट आन्दोलन ने सर्व प्रथम बाल श्रम की अमानवीय प्रक्रिया की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया।

बाल-श्रम समिति (1979) के अनुसार भारत में मुख्य रूप से बाल श्रम के 17 क्षेत्र है ये क्षेत्र इस प्रकार हैं खेती, कालीन बुनाई, जरी व कशीदाकारी, दिया

शोधार्थी-विधि, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

सलाई, पटाखा, मशीन औजार सुधारने की दुकान, पेट्रोल पंप, काजू जूट उत्पादन, घरेलू कामगार, कैंटीन होटल, ढाबे, दुकाने, कूड़ा बिनाई, भवन निर्माण, हॉकर फेरी वाले, अखबार बेचने, कुली आदि। शायद ही कोई धंधा होगा जिसमें मालिक बच्चों का शोषणन न करे।

बाल श्रमिक की अवधारणा :

किसी भी राष्ट्र की भावी स्थिति का अनुमान वहाँ के बच्चों को देखकर लगाया जा सकता है क्योंकि ये बच्चे ही देश के भावी कर्णधार है। देश का विकास एवं प्रगति बच्चों के विकास पर ही निर्भर है। यदि देश के बच्चों का सर्वागीण विकास हो जाए तो देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक विकास स्वतः ही हो जायेगा। बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। उसका विकास माँ के खान–पान, रहन–सहन, आचार–विचार, स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। जन्म के बाद 6 वर्ष बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बाल्यावस्था जीवन की नाजूक एवं संवेदनशील अवस्था है। बच्चे कोरे कागज के समान है। जिस तरह से कोरे कागज पर हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, उसी तरह से बच्चों को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं।

बालश्रम का अर्थ एवं परिभाषा :

बाल श्रम शाब्दिक रूप से संक्षिप्त दो शब्दों को मिलाकर बना है। प्रथम "बाल" और द्वितीय श्रम। बाल का अर्थ बालक ही वास्तविक अवस्था और श्रम के अर्थ के श्रम की स्थिति, कार्य भार तथा सामर्थ्य है। निश्चित ही 'बाल श्रम' को कोई सर्वमान्य परिभाषा की परिधि में रखना कठिन है। भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। सिल्वा ने 'बालक' को परिभाषित करते हुए उस अवस्था (आयु) को माना है, जिसके तहत बालक को उसके मानसिक, शारीरिक और बौद्विक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है जब तक कि वह स्वतंत्र रूप से वयस्क के समरूप ना हो जाये। बाल श्रमिक वर्तमान समय में "कामगार–बच्चा" अथवा नियोजित बच्चा का ही पर्याप्त है। होमर फोकस जो संयुक्त राज्य राष्ट्रीय बाल श्रमिक समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाल श्रमिक को इस प्रकार परिभाषित किया है– "बच्चों द्वारा किया गया कोई कार्य जो उनके काम से कम शिक्षा या मनोरंजन की आवश्यकता में विघ्न डालती हैं।

श्री व्ही.व्ही. गिरी के अनुसार :

बाल श्रम की व्याख्यास सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथमतः एक आर्थिक व्यवसाय के रूप में व द्वितीय बाल श्रम सामाजिक बुराई के रूप में। प्रथमतः बाल श्रम का अर्थ है परिवार की आय बढाने के उद्देश्य से बालकों की ऐसे कामों में लगाना। जिससे कि कुछ आमदानी हो सके। दूसरे सन्दर्भ में "बाल श्रम" उन बुराईयों या शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार में लगाने के फलस्वरूप बनी है।

बाल श्रम का उपयोग सामान्यतः बुरा नही है, परन्तु जिन परिस्थितियों एवं जिन शर्तों पर इन्हें काम पर लगाया जाता है, वह बुरा है। इस आशय की एक कहावत है कि बचपन में काम करना सामाजिक अच्छाई है एवं यह राष्ट्रीय हित में भी है, परन्तु इसके साथ–साथ बाल श्रम एक सामाजिक बुराई व राष्ट्रीय अपव्यय भी है।

अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किऐ जाते रहे इन सभी प्रयासों का मूलभूत उद्देश्य विश्व के सभी बच्चों को उनके मूलभूत अधिकारों को प्रदत्त करता रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के इन मूलभूत अधिकारों को 54 अनुच्छेदों में सम्मिलित करते हुए बाल अधिकार कन्वेशन में पारित किया गया है। जो कि निम्न लिखित है :–

अनुच्छेद 1 में :– 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, बशर्ते की सम्बन्धित देश की सरकार द्वारा इससे पहले उन्हें कानूनन बालिग घोषित न कर दिया हो।

अनुच्छेद 2 में :– सभी बच्चों को सभी प्रकार के भेदभाव से संरक्षण प्रदान करना।

अनुच्छेद 3 में :– बच्चों की सर्वाधिक अनुकूल अभिरूचियों पर पूर्ण ध्यान दिया जावेगा।

अनुच्छेद 4 :– में वर्णित अधिकारों को वास्तविकता में परिणित करना।

अनुच्छेद 5 में :– माता–पिता एवं अभिभावक परिवार के बच्चे की उदविकसित होती हुई क्षमताओं के अनुकूल मार्गदर्शन प्रदान करने के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का सम्मान करना आदि का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 6 :– प्रत्येक बच्चों को जीवित रहने एवं

समुचित विकास करने।

अनुच्छेद 7 में :– जन्म से ही नाम एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने।

अनुच्छेद 8 में :– नाम, राष्ट्रीयता एवं पारिवारिक सम्बन्धों की पहचान का संरक्षण सुनिश्चित करने।

अनुच्छेद 9 में :– माता–पिता के साथ रहना सुनिश्चित करने।

अनुच्छेद 10 में :– अपने माता–पिता का पुनः एकीकरण करने हेतु किसी देश को छोड़ने अथवा अपने देश में प्रवेश किये जाने।

अनुच्छेद 11 में :– बच्चों के अवैध स्थानांतरण एवं गैर वापसी सुनिश्चित करने तथा

अनुच्छेद 12 में :– बच्चे को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले अथवा कार्य नीति में उसकी आय को महत्व प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार

अनुच्छेद 13 में :– बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 14 में :– विचार, आत्मा की आवाज एवं धर्म की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 15 में :– उन्हें संगठित होने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 16 में :– इसके संबंध मतें गोपनीयता का संरक्षण तथा

अनुच्छेद 17 :– उपयुक्त सूचना तक उसकी पहुँच सुनिश्चित किया जाना थी राज्य का ही दायित्व निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 18 में :– बच्चों के पालन–पोषण का प्राथमिक उत्तरदायित्व यद्यपि माता–पिता दोनों का निर्धारित किया गया है। लेकिन राज्य को इस कार्य में उनकी सहायता करने का उपबन्ध भी रखा गया है।

अनुच्छेद 19 में :– बच्चों के दुरूपयोग एवं उन्हें उपेक्षा से संरक्षण,

अनुच्छेद 20 में :– उन्हें गोद लिए जाने हेतु उनकी आवश्यकताओं सुरक्षाओं तथा सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत किया जाना।

अनुच्छेद 22 में :– शरणार्थी बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किए जाने।

अनुच्छेद 23 :– बाधित बच्चे को अधिकतम संभव सहायता प्रदान किये जाने।

अनुच्छेद 24 :– स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने,

अनुच्छेद 25 :– उनकी देखभाल संरक्षण अथवा उपसंचार की सुविधा उपलब्ध कराने,

अनुच्छेद 26 से 27 में :– उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहित एक उपयुक्त जीवन स्तर से लाभान्वित होने,

अनुच्छेद 28 से 29 में :– प्रत्येक बच्चे को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से सुलभ करने हेतु तथा प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व एवं प्रतिभाओं के विकास करने जैसे सभी अधिकारों को सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने हेतु भी राज्य का दायित्व ही निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 30 में :– अल्पसंख्यक समुदायों तथा देशी मूल के लोगों के बच्चो को अपनी संस्कृति का आनंद लेने तथा अपने निजी धर्म एवं भाषा को प्रयोग में लाना।

अनुच्छेद 31 में :– सभी बच्चों के रिक्त समय में खेलने तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होने,

अनुच्छेद 32 में :– बालश्रम को रोकने

अनुच्छेद 33 में :– सभी बच्चों को नशीले एवं मन प्रभावी मादक द्रव्यों के प्रयोग तथा उनके उत्पादक अथवा वितरण में सम्मिलित होने से संरक्षण प्रदान किये जाने।

अनुच्छेद 34 में :– उन्हें लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करना।

अनुच्छेद 35 व 36 में :– बच्चों के विक्रय, व्यापार एवं अपहरण का रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने।

अनुच्छेद 37 में :– उनका उत्पीड़न, निर्दयतापूर्ण बर्ताव अथवा दण्ड, मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास तथा अवैध कैद आदि से संरक्षण प्रदान करने।

अनुच्छेद 38 में :– सभी बच्चों को सैन्य में सम्मिलित होने से संरक्षण प्रदान करने।

अनुच्छेद 39 में :– सैन्य संघर्ष, उत्पीड़न दण्ड, उपेक्षा, दुर्व्यव्यवहार, अथवा शोषण के शिकार बच्चों को पुनः सुधार और सामाजिक पुर्नएकीकरण के लिए उपयुक्त उपचार प्रदान करने।

अनुच्छेद 40 में :– बाल न्याय का प्रशासन में सभी बच्चों को अपने मानव अधिकारों के लिए सम्मान तथा

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

विशेष रूप से अपने बचाव की तैयारी करने तथा प्रस्तुत करने में विधिक अथवा सहायता सहित विधि सम्यक प्रक्रिया से लाभान्वित होने।

अनुच्छेद 41 में :– सर्वाधिक प्रचलित मानदण्डों के प्रति सम्मान और उन्हें लागू करने जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 42 से 45 में :– के प्रावधान इस बात की विशेष रूप से पहले ही व्यवस्था निर्धारित करते हैं कि बच्चो को प्रदत्त अधिकारी का वयस्को के साथ–साथ बच्चों को भी व्यापक रूप से जानकारी प्रदान कराने का दायित्व राज्य का हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है :–

संवैधानिक प्रॉवधान :– भारतीय संविधान के बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा उनका शोषण न किये जाने हेतु निम्न अनुच्छेदों में समुचित प्रावधान है।

अनुच्छेद 14 :– प्रत्येक व्यक्ति का कानून के समझ समता का अधिकार भले ही वह किसी भी आयुवर्ग का हो।

अनुच्छेद 15 :– बच्चो के हित के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबन्ध किया जाना संवैधानिक दृष्टि से विभेदकारी नहीं।

अनुच्छेद 21 :– प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त भले ही ने किसी आयुवर्ग के हो।

अनुच्छेद 21 (क) 86 वें संविधान संशोधन 2002 के प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिये जाने के फलस्वरूप 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार का दायित्व निर्धारित।

अनुच्छेद 23 :– मानव (सभी आयु के बच्चे सहित) के दुर्व्यवहार और बालात् श्रम पर प्रतिबंधित।

अनुच्छेद 24 :– बच्चों के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चिम करने के उद्देश्य से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को कारखाने खान में तथा जोखिम भरे अन्य कार्यों में अलाना प्रतिबंधित।

अनुच्छेद 29 (2) बच्चे को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित करना प्रतिबंधित।

अनुच्छेद 32 :– सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन (बच्चो के हितार्थ) भी के लिए निदेश, आदेश या रिट जारी करने के अधिकारिता।

अनुच्छेद 39 (ड.) :– सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूत होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 39 (च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाऐं उपलब्ध हो तथा बालकों को शोषण से रक्षा हो।

अनुच्छेद 41 :– अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कराने का राज्य का दायित्व है।

अनुच्छेद 45 :– (यथा संशोधित 2002) :– 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखमाल व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कराना राज्य का दायित्व।

अनुच्छेद 47 :– सभी लोगों (बच्चो सहित) के पोषाहार को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच प्रत्येक माता–पिता/अभिभावक का शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य निर्धारित।

अनुच्छेद 51 (क) (ट) :– अपने बच्चे या प्रति पाल्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बीच प्रत्येक माता–पिता/अभिभावक का शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य निर्धारित है।

सुझाव :–

बाल श्रम की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है और ऐसा करना आवश्यक भी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली जरूरत है राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा बाल श्रमिक के प्रति समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण की। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सबसे पहली जरूरत यह भी है कि बाल श्रमिकों के प्रति कुछ अन्य उपाय भी किए जाए।

मानव जाति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज के बच्चों को कैसी शिक्षा–दीक्षा मिलती है। कोमलगति बालकों को सुरुचि की ओर मोड़ना तथा

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

उनके रचनात्मक भावना भरने की जिम्मेदारी माता–पिता और गुरू के साथ ही आज के उन प्रशिक्षित वयस्कों की है जो अनुभूति, भावना एवं कल्पना से इस पुनीत कार्य में लगे है। यदि भावी कर्तव्य तथा दायित्वों के निर्वाह के लिए सक्षम बनाया जा सका तथा उनकी शक्तियों तथा प्रकृतियों को जनकल्याण की ओर मोड़ा जा सका तो निश्चित ही सहिष्णुता सद्भाव प्रेम मानवीय एकता तथा राष्ट्रीय निष्ठा को व्यापक रूप से संभव किया जा सकेगा।

निष्कर्ष :–

बाल श्रम के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि अनेकों कानूनी व सामाजिक व्यवस्थाओं और दावों के चलते हुए भी विश्व के अधिकांश देशों में बड़ी मात्रा में आज भी बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करना तो दूर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासो के समक्ष निज नई चुनौतियाँ उपस्थित हो रही है। आज उन्हें विभिन्न तरीकों से शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक रूप से प्रताड़ित करके, उनका दैहिक शोषण करने में मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने के लिए ऐसी तकनीकों और प्रविधियों तक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो मानवता के नाम पर कलंक है।

सन्दर्भ :–

1. बाल मजदूरी (निषेध और नियम) अधिनियम 1986
2. बाल मजदूरी (निषेध और नियम) अधिनियम 1986
3. बाल–श्रम समिति (1979) के अनुसार
4. श्री व्ही.व्ही. गिरी के अनुसार
5. बाल अधिकार कन्वेशन के अनुसार
6. भारतीय संविधान के अनुसार
7. पांडे जे.एन. भारत का संविधान पृष्ठ 81–82
8. बेयर एक्ट, भारत का संविधान (कानून प्रकाशन) पृष्ठ 21
9. संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार

शोध ग्रंथ प्रस्तुती पूर्व शोध केन्द्र पर सम्पन्न साक्षात्कार का प्रतिवेदन

शोधार्थी द्वारा अपना शोध कार्य पूर्ण करने के पश्चात् पीएच.डी. के नवीन अध्यादेश क्रमांक 90 के तहत शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व शोध केन्द्र शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन में शोध विषय से सम्बन्धित प्रस्तुती पूर्व (Pre Submission) साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

उक्त प्रस्तुती पूर्व साक्षात्कार में विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अरूणा सेठी महोदया एवं शोध केन्द्र के अतिथि विद्वानों द्वारा शोध प्रबंध के संबंध में शोधार्थी का साक्षात्कार लिया गया एवं शोध प्रबंध की विषयवस्तु एवं उसके संयोजन आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, जिन्हें मेरे द्वारा अपने शोध प्रबंध में समाहित किया गया।